

प्रकाशक
नागरीप्रचारिणी सभा
काशी

मुद्रक
श्रो अपूर्वकृष्ण बसु,
इडियन प्रेस, लिमिटेड;
बनारस-ब्राच

दो शब्द

“नवभारतीय ग्रंथमाला” के अंतर्गत “केदारनाथ चावूलाल राजगढ़िया पुस्तक-माला” का यह पहला पुस्तक आज हिन्दी जगत् के सामने उपस्थित किया जा रहा है। यह प्रयास कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होगा, इसका निर्णय हिन्दी के विज्ञ पाठक ही करेंगे। मैं अपनी ओर से केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें मेरा उद्देश्य भारतीय जनता के हित और सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मेरे इस उद्देश्य की सिद्धि ईश्वर के हाथ है।

इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मुझमें यह प्रवृत्ति एक विशिष्ट महानुभाव की प्रेरणा और प्रोत्साहन से उत्पन्न हुई है। और यदि मैं उस प्रेरणा तथा प्रोत्साहन के संबंध में यहाँ दो शब्द न निवेदन करूँ तो वह केवल अनुचित ही न होगा, बल्कि कदाचित् एक प्रकार की कृतज्ञता की सीमा तक जा पहुँचेगा। इस बात का विचार रखते हुए, आशा है, सुविज्ञ पाठक मेरी यह धृष्टा कृमा करेंगे।

हा सकता है कि मेरे इस निवदन से औरो का कोई विशेष लाभ न हो, परंतु स्वयं मेरा लाभ एक प्रकार से निश्चित ही है। क्योंकि जिन महानुभाव का मैं कृतज्ञ हूँ और सदा कृतज्ञ रहूँगा, उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने का यह सुयोग खो बैठना मेरे लिये अच्छा न होगा।

यह तो मैं नहीं कह सकता कि नितात बाल्य काल में मुझ पर किन लोगों का और कैसा प्रभाव पड़ा था; परंतु मेरी स्मृति की पहली महत्वपूर्ण घटना, जिसने मेरे विचारों और जीवन की धारा बहुत कुछ बदल दी थी, सन् १९१२ में हुई थी। उस समय मेरी आवस्था केवल दस वर्ष की थी। उन दिनों हमारे यहाँ विलायती कपड़ों का काम होता था—हम लोग मैचेस्टर से कपड़े मँगाते और कलकत्ते में बेचते थे। जिस रस्ते से मैं नित्य मकान आता-जाता था, उसी रस्ते के मोड़ पर हिंदी पुस्तक एजेंसी की दूकान थी। श्रीयुक्त महावीरप्रसादजी पोद्दार ही उसके संस्थापक थे और वही संचालक भी थे। घर आते-जाते मैं एजेंसी की दूकान पर काफी चहल-पहल देखा करता था। मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक था। पर वह शौक “तोता-मैना का किसा,” “हातिम ताई” और “हजार दास्तान” तक ही परिमित था। मैं जानता ही नहीं था कि इनके छिपा पढ़ने की और भी कोई चीज होती है।

किताबें पढ़ने का शौक एक दिन मुझे हिंदी पुस्तक एजे सी में भी ले गया। शांति की मूर्ति पोद्धार जी वहाँ विराजमान थे। दो ही चार बातों में उनके जिस सौजन्य का परिचय मुझे मिला, उससे मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मानों ये मेरे परम आत्मीय हैं। मेरे मॉगने पर आपने बहुत सी पुस्तकें मुझे दिखलाईं; पर मुझे उनमें से एक भी ठीक न ज़ची। अब मैं पोद्धार जी ने मुझे स्व० सखाराम गणेश देउस्कर की सुप्रसिद्ध वैगला पुस्तक “देशोर कथा” का “देश की बात” नामक हिंदी अनुवाद देते हुए कहा कि आप इसे योही ले जाकर पढ़िए। और यदि यह आपको नापसंद हो तो मुझे लौटा दीजिएगा। पढ़ने की लत तो मुझे थी ही; फिर इस शर्त पर मझा मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी। ‘‘देश की बात’’ पढ़ने पर मुझे पता चला कि ‘‘तोता-मैना’’ के संसार के सिवा कोई और संसार भी है। तब से मैं नित्य हिंदी पुस्तक एजेंसी में जाने लगा और पोद्धार जा के उपदेशों से बहुत कुछ साम उठाने लगा।

इसी बीच मैं युरोप का पहला महायुद्ध आरंभ हुआ और थोड़े ही दिनों बाद कलकत्ते में भगदड़ मची। मुझे देश भेजने की तैयारियाँ होने लगीं। पिताजी ने पुस्तकें खरीदने के लिये मुझे पचास रुपये देने का वादा किया। मैं २ बजे से ही एजेंसी में पहुँचकर किताबें तलाश करने

लगा। “मिस्टरीज आफ दी कोर्ट आफ लंदन” का हिंदी अनुवाद “लंदन-रहस्य” लेने की मेरी बहुत इच्छा थी। परंतु पोद्धार जी उसके कट्टर विरोधी थे। अंत में मुझे दबना पड़ा और उनका वर्जन शिरोधार्य करना पड़ा। हाँ, उनके उस समय के स्नेहपूर्ण व्यवहार का मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। मैं और बहुत सी किताबें लेकर देश चला गया।

कुछ दिनों बाद महासमर समाप्त हो गया और पूज्य पिता जी का भी स्वर्गवास हो गया। अब कलकत्ते में मुझे चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता था और मैं किं-कर्त्तव्य-विमृद्ध हो रहा था। न तो जीवन का प्रश्न ही और न व्यापार का प्रश्न ही किसी प्रकार सुलभता दिखाई देता था। फिर भी पोद्धार जी के विद्या-मंदिर में आना-जाना मेरा रोज का काम था। नित्य धंटे दो धंटे उनसे बातें होती थीं। वे मानो जन-सेवा और स्वाग की साक्षात् मूर्त्ति थे। उनके समान निःस्पृह तथा स्थागी इने-गिने महानुभाव ही मेरे देखने में आए हैं। मुझे धन-संबंधी चिंताओं में मन देखकर वे प्रायः मुझसे यही पूछा करते थे कि आप धन का क्या करेंगे? धन की आप क्यों जरूरत समझते हैं? उसके लिये आप क्यों इस तरह पागल और उतावले हो रहे हैं? इसी प्रकार के बहुतेरे प्रश्न वे मुझसे करते थे। उस समय मुझमे मिथ्या तर्क-

शक्ति तो थी ही नहीं जो तरह तरह के उत्तर देकर मैं उन्हें दबा सकता। इसलिये मुझे ही चुप रहना और दबना पड़ता था। धीरे धीरे उनके प्रश्नों ने मेरे जीवन में क्रांति की जबरदस्त आग धधका दी। आज भी उनके वे शब्द मेरे कानों में देव-वाणी की तरह गूँजते हैं। मैं यह तो अभी तक निश्चित नहीं कर सका हूँ कि मेरे लिये धन की आवश्यकता है या नहीं; परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस प्रश्न का निर्णय करने में मेरी सारी शक्ति लगी हुई है कि धन का उपयोग क्या है और कैसे होना चाहिए।

कुछ ही दिनों बाद कुछ पारिवारिक विपत्तियों उठ खड़ी हुई। मैं बहुत ही दुःखी, निराश और उदासीन होकर धर्म-प्रचारक बनने के मन्सूबे बौधने लगा। परंतु धार्मिक द्वेष में काम करनेवालों की पोल देखकर उधर से मेरा मन हट गया। फिर लोक सेवा का व्रत लेना चाहा। पर उस रस्ते में भी कुछ फूल तो बिछे ही नहीं थे। हाँ, कौटे ही कौटे नजर आते थे। पोद्धार जी को मैं देखता था कि वे चिनियाँ बादाम खाकर ही निर्वाह करते थे। उनका कहना था कि भारतवासियों की औसत आय छः पैसे रोज की है; इसलिये किसी को एक दिन में छः पैसों से अधिक अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए।

शाति और अहिंसा की साक्षात् मूर्ति महात्मा गांधी भारत आ पहुँचे थे और उनकी अमृतमयी वाणी भी देश-

में फैलने लगी थी। ऐसे ही समय में मैं एक दिन बहुत ही खिन्च भाव से पोद्धार जी के पास बैठा था। उन्होंने मुझसे उस खिन्चता का कारण पूछा। पहले तो मैंने यों ही टालना चाहा; पर उनके स्नेह-पूर्ण आग्रह से मेरी शिर्खी वैध गई और आँखों से आँसुओं की धार बहने लगी। पोद्धार जी के बहुत सातवा ढेने पर मैंने उन्हें घर का कच्चा चिट्ठा कह मुनाया और उन्हें बतला दिया कि घरवालों की इष्टि मैं मैं विलकुल निकम्मा सिद्ध हो चुका हूँ। उस समय भी उनका यही कहना था कि आप धन के पीछे अपनी आत्मा की हत्या न करें। पर मैंने उन्हें बतला दिया कि जब मुझमें न तो त्याग ही है और न कष्ट सहने की शक्ति ही, तब घरवालों की आँखों में ऊँचे होने के लिये मेरे पास धन उपार्जित करने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। उनके पूछने पर मैंने उन्हें यह बतला दिया कि मैं भी अपने बड़ो की तरह विलायत से कपड़े मँगाकर बैचूँगा और धन कमाऊँगा। तब तक पोद्धार जी बहुत ही गंभीर हो चुके थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुँह भजाकर कहा—“छिः छिः। क्या इसके सिवा आपको और कोई धंधा नहीं सूझता? क्यों न जमशेद जी ताता की तरह आप भी कोई कारखाना खोले, जिससे हजारों गरीबों की रोजी भी चले और देश का धन भी विदेश जाने से बचे।” मैंने लज्जित होकर कहा—“भला

मुझमें इतनी शक्ति कहीं है !” उन्होने कहा—“नहीं, आपमें भी वह शक्ति है; पर आप उस शक्ति को काम में लाना नहीं जानते। भले ही थोड़े से आरंभ कीजिए, परंतु किसी काम को नीच न समझिए। मनुष्य कोई काम करने से नीच नहीं होता, बल्कि तुच्छ विचार रखने से ही नीच होता है। दक्षिण अफ्रीका में स्वयं गाधी जी अपने हाथ से मैला साफ करते थे। परंतु क्या इससे वे नीच हो गए ? नहीं, वे और भी उच्च हुए। आप भी जब तक नीच विचारों का परित्याग न करेंगे और अपना मन उच्च भावनाओं से न भरेंगे, तब तक जीवन में आप कभी सफल न हो सकेंगे।”

पोद्धार जी की इसी प्रकार की बातें यीं जिन्होंने मेरे जीवन में एक निश्चित और बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था। ऐसे महानुभाव के प्रति यदि मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता न प्रकट करूँ तो फिर संसार में मेरा कहीं ठिकाना लगेगा।

श्रीयुक्त महावीरप्रसाद जी पोद्धार के प्रति अपनी वही हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिये मैं ‘नवभारतीय इंथ-माला’ का यह प्रथम पुष्प उन्हीं को अर्पित करता हूँ।

कोडरमा
१५ अगस्त, १९४२ } .

वाबूलाल राजगढ़िया

आवश्यक निवेदन

‘हिंदू राज्य-तंत्र’ का पहला भाग कार्तिक सं० १९८४ में समा ने ‘सूर्यकुमारी पुस्तकमाला’ में प्रकाशित किया था। यद्यपि हिंदी-संसार तभी से इसका दूसरा भाग भी देखने के लिये उत्सुक था, तथापि अनेक कारणों से समा आभी तक दूसरा भाग प्रकाशित नहीं कर सकी थी। अनुबाद तो उसी समय से तैयार था और प्रेस को दे भी दिया गया था; पर उसके प्रकाशन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। इसके कई कारणों में एक मुख्य कारण धन का अभाव भी था।

इर्ष का विषय है कि कलकत्ते के प्रसिद्ध विद्याप्रेमी और उत्त्साही सेठ श्री बाबूलाल जी राजगढ़िया का ध्यान इस ओर गया; और उन्होंने इसके प्रकाशन के लिये समा को एक हजार एक हृपट की सहायता दी, जिससे अब यह दूसरा भाग प्रकाशित होकर हिंदी-प्रेमियों की सेवा में उपस्थित किया जा रहा है।

श्री राजगढ़िया जी चाहते हैं कि समा के द्वारा “नवभारतीय ग्रंथमाला” नाम की नई माला प्रकाशित

हो। इसके लिये आप अपने मित्रों से भी और स्वयं अपने यहाँ के “श्री केदारनाथ बाबूलाल राजगढ़िया ट्रस्ट” से भी दान दिलाने का विचार रखते हैं। इस माला में जो पुस्तक जिस दाता की आर्थिक सहायता से प्रकाशित होगी, उस पुस्तक पर उस दाता का नाम रहेगा। आशा है, इस माला में शीत्र ही उत्तमोत्तम पुस्तकों प्रकाशित होंगी।

“नवमारतीय ग्रथमाला”, का यह प्रथम पुण्य आज जिन श्री बाबूलाल जी राजगढ़िया की कृपा से प्रकाशित हो रहा है, वे अपने शुभ विचारों के लिये अधिकाश में श्रीयुक्त महावीरप्रसाद जी पोद्धार से अनुप्राणित हैं। जैसा कि राजगढ़िया जी के लिखे “दो शब्द” से प्रकट है, उनके इच्छानुसार, पोद्धार जी के प्रति उनकी कृतशता सूचित करने के लिये इस माला का यह पहला पुण्य श्री महावीरप्रसाद जी पोद्धार को समर्पित है।

प्रकाशक

विषय-सूची

दूसरा भाग

बाईसवाँ प्रकरण

विषय		पृष्ठ
हिंदू एकराज-तंत्र (प्राचीनता और सिद्धात का मूल)
₹ १६८. राजन् या शासक	...	१—२
₹ १६८. क. हिंदू एक राजतंत्र की प्राचीनता	...	२—४
₹ १६९. एकतंत्र प्रणाली की उत्पत्ति के संबंध में हिंदू सिद्धात...		५
₹ २००. वैदिक सिद्धात; युद्ध से आरंभ	...	५—६
₹ २०१. वैज्ञानिकों का पर्यास-संबंधी सिद्धात	...	६—८
राजा के निर्वाचन का सिद्धात		८

विषय

पृष्ठ

तर्दीसवाँ प्रकरण

वैदिक राजा और उसका चुनाव ...	१—२०
₹ २०२. राजा का निर्वाचन और उसकी स्थिति	६—१२
, ₹ २०३. कर लेने का एकमात्र अधिकारी	१२—१३
₹ २०४. राजकर्त्ता आजन्म का निर्वाचन ...	१३—१६ १५
₹ २०५. राज्यच्युति और पुनः निर्वाचन	१६—१७
₹ २०६. उसका कर्तव्य	१७—१८
₹ २०७. परवर्ती राजनीति-विज्ञान के मूल तत्त्व	१८—२०

चौबीसवाँ प्रकरण

/ त्राह्णण काल का राज्याभिषेक और उसका संघटनात्मक महत्व	२१—४४
₹ २०८-२१०. निश्चित कृत्य ...	२१—२४
₹ २११. रत्न-इवि	२४—३१

विषय पृष्ठ

₹ २१२-२१३. रसनी, हिंदू मन्त्रियों		३१—३४
का मूल		३१—३४
₹ २१४. पृथ्वी की अनुमति ...		३५
₹ २१५. मूल विचार		३६
₹ २१६-२१७. अभिषेचनीय ...		३६—३८
₹ २१८-२२०. जल-संग्रह, अभिषेचन		३८—४२
₹ २२१. अधिकार-ग्रहण और घोषणा		४२—४४

पचीसवाँ प्रकरण

ब्राह्मण काल का राज्याभिषेक और उसका संघटनात्मक महत्व (क्रमागत)		४५—५०
₹ २२२. राज्यारोहण का व्रत या शपथ		४५—४८
₹ २२३-२२६. लिहारनारोहण, पुरो- हित द्वारा अभिषेक, ब्राह्मण और कर		४८—५६
₹ २२७-२२८. राजपद-दान ...		५६—५८
₹ २२९. अभिषेक के उपरात के कृत्य		५८—६०
₹ २३०-२३२. अधीनता - स्वीकृति, शासन का सूचक खेल ...		६०—६५

विषय		पृष्ठ
₹ २३३. साराश		६५—६७
₹ २३४—२३५. वशानुक्रमिक उत्तरा- धिकार तब तक नहीं था... ...		६८—७०

छब्बीसवाँ प्रकरण

परवर्ती कालो मेराज्याभिषेक	...	७१—९६
₹ २३६. मुख्य सिद्धात वैदिक ही था		७१—७६
₹ २३७. प्रतिशा, उसका अनुपम स्वरूप		७६—७८
₹ २३८. राजा और महाभारत की प्रतिशा के इतिहास का विवेचन		७८—८५
₹ २३९. प्रतिशा की मीमांसा ...		८५—८७
₹ २४०. वास्तविक जीवन पर प्रतिशा का प्रभाव		८७—८९
₹ २४१. मध्ययुग तथा परवर्ती काल की प्रतिशा		९०—९१
₹ २४२. परवर्ती कालो मेराज्या- रोहण और निर्वाचन-सबधी सिद्धात		९१—९२

विषय पृष्ठ

§ २४३. राज्याभिषेक के लिये
अवस्था ९२—६६

छब्बीसवाँ प्रकरण (क)

परवर्ती कालो मेर राज्याभिषेक संबंधी
सिद्धात ९७—१०९

§ २४४-२४६. राज्याभिषेक की
प्रतिशा का धार्मिक स्वरूप,
राजा का दैवी मूल .. ६७—१०६

सत्ताइसवाँ प्रकरण

जानपद और पौर ई० पू० ६०० से
६०० ई० तक ११०—१४९

§ २४७-२४८. सीमा - पर और
सीमित एक-राज्य ११०-११४

§ २४९-२५१. जानपद सभा का उदय ११४-१२६

§ २५२-२५७. पौर . . . १२६-१४२

§ २५८-२६१. वर्ग, नैगम सिक्के ... १४२-१४९

अट्ठाइसवाँ प्रकरण

जानपद और पौर के राजनीतिक कार्य १५०—२०७

§ २६२. जानपद और सिङ्गों की ढलाई १५०—१५१

विषय		पृष्ठ
§ २६३-२६४. पौर और जानपद के राष्ट्र सघटन-सबधी कार्य ...		१५१-१५६
§ २६५-२६६. अभिषेक में जनता के प्रतिनिधि-स्वरूप उनकी उपस्थिति ; वे उच्चराजिकार में बाधक हो सकते हैं ...		१५६-१५८
§ २६७. पौरों और जानपदों में राजनीतिक वाद-विवाद ...		१५८-१६१
§ २६८-२६९. प्रधान मन्त्री की नियुक्ति और पौर-जानपद		१६१-१६३
§ २७०. पौर और प्रातीय सरकार, तत्त्वशिला के पौर का आन्दोलन		१६३-१६७
§ २७० क. कर		१६७-१७१
§ २७१. पौर-जानपद के समक्ष राजकीय भाषण		१७१-१७६
§ २७२-२७३. पौर - जानपद और अनुग्रह या रिआयते ...		१७७-१७९
§ २७४-२७५. बड़े यज्ञ के लिये राजा का नैगम-जानपद से स्वीकृति लेना		१८०-१८१

विषय	पृष्ठ
§ २७६. राजा के साथ पौर-जानपद का नैत्य कार्य	१८१-१८२
§ २७७. अशोक का नया धर्म और जानपद	१८२-१८३
§ २७८. पौर का महत्व ; पौर और शासन-कार्य ..	१८३-१८५
§ २७९. राजा और शासक का पौर- जानपद में जाना	१८५
§ २८०. पौर-जानपद राज्य बना सकते थे और नष्ट कर सकते थे...	१८५-१८७
§ २८१. राजा से द्वितीय-पूर्ति की याचना	१८८-१९०
§ २८२. जानपद का निर्वाचन-क्षेत्र	१९१-१९४
§ २८३-२८४. पौर का संघटन ..	१९४-२०२
§ २८५-२८७. जानपद और पौर के धर्म	२०२-२०७

उन्तीसवाँ प्रकरण

विचारशीलों का और सार्वजनिक मत	२०८—२२१
§ २८८-२९०. विद्वान् ब्राह्मण	२०८-२१६

*

विषय		पृष्ठ
₹ २६१-२६१.क. सार्वजनिक मत		२१६-२२१

तीसवाँ प्रकरण

मन्त्रि-परिषद्	२२२—२६६
₹ २९२-२६४. मूल	२२२-२२५	
₹ २६५. परिषद् और राजा		.	२२६-२३१	
₹ २६६-२६७. राजा का विचारान				
और मन्त्रि-परिषद्		..	२३१-२३७	
₹ २६८-२६९. मन्त्रि - परिषद् के				
सदस्यों की सख्त्य	...		२३७-२४२	
₹ ३००. युवराज, राजकुमार और				
अमात्य	२४३-२४५	
₹ ३०१. मन्त्रियों के पद-नाम		..	२४५-२४९	
₹ ३०२. गण या मन्त्रि-मढ़ल		..	२५०	
₹ ३०३-३०४. अतरंग सभा		..	२५०-२५४	
₹ ३०६. मंत्रि-परिषद् का सघटन		.	२५४	
₹ ३०७-३०८. पौर - जानपद और				
मन्त्रि-परिषद्			२५४-२५८	
₹ ३०९. तीर्थ	२५८-२६४	
₹ ३१०. मन्त्रियों के तीन वर्ग		..	२६४	

विषय

पृष्ठ

- ₹ ३११ राज्याधिकारियों को सूची
और राजा का वेतन . . . २६४-२६६

इकतीसवाँ प्रकरण

- मंत्रि-परिषद् (क्रमागत) २६७-२९९

शासन

- | | |
|---|---------|
| ₹ ३११. क. मंत्रियों का कर्तव्य .. | २६७-२६८ |
| ₹ ३१२. मंत्रि-परिषद् का कार्यक्रम... | २६८-२७२ |
| ₹ ३१३. परिषद् के प्रस्तावों की
आलोचना के सबंध में राजा
की 'अक्षमता'... .. | २७३-२७४ |
| ₹ ३१४-३१५. राजाशा से युक्त
निश्चय राजा का रूप
होता था, मौखिक आशा .. | २७४-२७६ |
| ₹ ३१६. मंत्रियों के अधिकार के सबंध
में मेगास्थनीज | २७६-२७८ |
| ₹ ३१७. भारद्वाज और मेगास्थनीज
में मतैक्य | २७८-२८० |
| ₹ ३१८. अशोक के समय में इसके
अनुसार कार्य | २८०-२८८ |

विषय	पृष्ठ
६ ३१६-३२० छोटे मन्त्री या उपमन्त्री	२६०-२६२
६ ३२१ परिषद् में वर्णों का प्रति- निधित्व	२६३
६ ३२२. गुप्त-काल में मंत्रियों के नाम	२६३-२६५
६ ३२३. दानपत्रों पर मंत्रियों के हस्ताक्षर . . .	२९६-२९८
६ ३२४. सिंहल में इस प्रथा के उदाहरण	२६८-२६९

बत्तीसवाँ प्रकरण

धर्म और <u>न्याय</u> की व्यवस्था ...	३०७-३२०
६ ३२५. राजा पर धर्म-शास्त्र का अधिकार ..	३००-३०२
६ ३२६ न्याय और शासन पृथक् पृथक् थे	३०२-३०४
६ ३२७. सभा	३०४-३०७
६ ३२८. स-परिषद् राजा न्यायाधीश	३०७-३०८
६ ३२९. न्याय राजा के नाम पर होता था	३०८-३१०
६ ३३०. कार्बोर्वाई लिखी जाती थी ..	३१०

विषय पृष्ठ

₹ ३३१. उचित निर्णय और मुकदमों की कमी	३१०—३११
₹ ३३२. सुदूर और कुमार जेत ...	३११—३१४
₹ ३३२.क. धर्म और न्याय विभाग के मन्त्री	३१५—३१६
₹ ३३३. सभा ...	३१९—३२०

तेंतीसवाँ प्रकरण

राज-कर	३२१—३३९
₹ ३३४—३३५. निश्चित राज-कर, कानूनी प्रभाव	३२१—३२४
₹ ३३६. कर राजा का वेतन देता था	३२४—३२६
₹ ३३७ राज-कर का दैवी सिद्धात... ..	३२६—३२७
₹ ३३८. रक्षा और राजनिष्ठा ...	३२७—३३०
₹ ३३९. राज-कर सबधी नियम ...	३३०—३३९

चौंतीसवाँ प्रकरण

शासन में अर्थनीति और भूस्वामित्व का सिद्धांत	३४०—३६८
₹ ३४०. आर्थिक शत्रु ...	३४०—३४२

विषय		पृष्ठ
§ ३४१. शासन में वार्ता ..	३४२-३४४	
§ ३४२. वरिकों के प्रति नीति ..	३४४-३५५	
§ ३४३. राजकीय शिल्प ...	३४६	
§ ३४४. नीति का मूल सिद्धांत अप्रत्यक्ष कर था, आकर या खाने ..	३४६-३४८	
§ ३४५. भूस्वामित्व के संबंध में हिंदू सिद्धांत, केलमुक का मत	३४८-३५३	
§ ३४६. सैनिक विजय और भूमि	३५४-३५५	
§ ३४७. माधव	३५५-३५७	
§ ३४८. भट्टदीपिका ..	३५७-३५९	
§ ३४९. धर्मशास्त्रों और मीमांसा का राष्ट्र-सघटन सिद्धांत से एक- मत, जातक, राज्याभिषेक के कृत्य, अभिलेख ..	३६०-३६२	
§ ३५०. भारतीय इतिहास के शाताओं का मत ...	३६३-३६५	
§ ३५१. अर्थशास्त्र के टीकाकार का श्लोक	३६६-३६८	

पैंतीसवाँ प्रकरण

, हिंदू राजा की स्थिति	३६९-३७५
₹ ३५२. राज-परिवार का वेतन	...		३६९
₹ ३५३. राजा किसी प्रजा का स्वामी			
- नहीं या	३७०
₹ ३५४. राष्ट्र-संघटन की हाइ से			
राजा एक सेवक था, नैतिक			
हाइ से स्वामी		३७१-३७३
₹ ३५५. उपयोगिता		३७३-३७५

छत्तीसवाँ प्रकरण

हिंदू एक-राजत्व की विशेषता	...		३७६-३८३
₹ ३५६. राज्य एक याती था	..		३७६-३७८
₹ ३५७-३५८. नागरिक राज्य	...		३७८-३८०
₹ ३५९-३६०. विजय और न्याय			
का भाव	३८१-३८३
₹ ३६१. नागरिक राज्य - तंत्र का			
परिणाम दीर्घायुष्य	...		३८३

सैंतीसवाँ प्रकरण

साम्राज्य-प्रणालियाँ	३८४-३९६
॥ ३६२. आधिपत्य और सार्वभौम..			३८४-३८७
॥ ३६३. साम्राज्य प्रणाली	...		३८८-३८९
॥ ३६४. एकराज साम्राज्यवाद का			
परवर्ती इतिहास	...		३९०-३९२
॥ ३६५. चक्रवर्ती	३९२ ३९४
॥ ३६६. केद्रीकरण	...		३९४-३९५
॥ ३६७-३६८. समसौते की साम्राज्य-			
प्रणाली	३९५-३९६

अद्वृतीसवाँ प्रकरण

हिंदू राज्यतंत्र का पुनः स्थापन	...		३९७-३९९
॥ ३६९-३७०. पतन के कारण	...		३६७-३६९

उन्तालीसवाँ प्रकरण

उपसंहार	४००-४०५
परिशिष्ट (घ)	...		४०६
दूसरे खंड के अतिरिक्त,			
नोट (१६२४)	..		४०६-४०८
अनुक्रमणिका	४०६-४२२

हिंदू राज्य-तंत्र

दूसरा भाग

वाईसवाँ प्रकरण

हिंदू एकराज-तंत्र

प्राचीनता और सिद्धात का मूल

डॉ १६८. “राजन्” शब्द और उसके मूल रूप राट् का शब्दार्थ “शासक” है। लैटिन भाषा के Rex शब्द के राजन् या शासक साथ इसका संबंध है। परंतु हिंदू राजनीति के विशारदों ने इसकी एक दार्शनिक व्युत्पत्ति बतलाई है। वे कहते हैं कि शासक को राजा इसलिये कहते हैं कि उसका कर्तव्य अच्छे शासन के द्वारा अपनी प्रजा का रंजन करना अथवा उसे प्रसन्न रखना है। समस्त संस्कृत साहित्य में यही दार्शनिक व्युत्पत्ति एक निश्चित सिद्धांत के रूप में मानी गई है।

राजा लोग इस शब्द का व्यवस्था-सबधी अर्थ भी मानते थे और उसी के अनुसार कार्य भी करते थे। कलिंग के सम्राट् खारवेल ने, जो एक जैन था, अपने शिलालेख (सन् १६५ ई० पू०) में कहा है कि मैं अपनी प्रजा का रजन करता हूँ, जिसकी सख्त्या ३५ लाख है। बौद्ध धर्मग्रंथों में भी इस शब्द की यही सैद्धांतिक व्याख्या पाई जाती है। यथा—दम्मेन परे रजेतीति खो, वासेष्ट, राजा*। आर्य जाति की मूल और परवर्ती दोनों ही शाखाओं ने इस व्याख्या को ग्रहण किया था। यह राज्य-शासन-सबधी एक राष्ट्रीय व्याख्या और राष्ट्रीय सिद्धांत था।

६१६८ क. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मेगास्थिनीज ने अपने समय में प्रचलित परपरागत प्रवाद हिंदू एक राजतत्र के आधार पर लिखा है कि भारत की प्राचीनता में एक-त्रंत्र शासन-प्रणाली ही व्यवस्थित राज्य-शासन का प्राचीनतम रूप है। इसका समर्थन ऋग्वेद से भी होता है, जिससे पता चलता है कि उस

* दीघ निकाय, अगग्नि सुचंत २१, खंड ३, पृ० ६३।

† हिंदू-राज्यतत्र, पहला भाग, ६१६, पृ० ३१। साथ ही देखो मैक्रिडल कृत Megasthenes and Arrian. पृ० २००।

समय एक-राजतंत्र ही साधारणतः सब स्थानों में प्रचलित था और लोग शासन का यही एक रूप जानते थे। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, एकतंत्र शासन-प्रणाली के पक्षपाती लेखक अ-राजक या राजा-रहित शासन-प्रणालियों के विरुद्ध इसी तत्त्व का तर्क के रूप में उपयोग करते थे*। मेगास्थिनीज से लोगों ने कहा था कि एकराज शासन प्रणाली के उपरात प्रजासत्तात्मक शासन-प्रणालियों स्थापित करके देखी गई थीं। जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है, दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित मध्य देश में एकतंत्र शासन-प्रणाली ही पूर्ण रूप से प्रचलित थीं। अर्थात् एकराज-तंत्र से बदलकर जिस प्रजातंत्र के स्थापित होने के सबध में मेगास्थिनीज ने उल्लेख किया है, वह परिवर्तन इस मध्य देश में नहीं हुआ था। यह मध्य देश कुरुक्षेत्र

* देखो हिंदू-राज्यतंत्र, पहला भाग, ५६ १०१ और १७६ मिलाओ—“नाराजकेषु राष्ट्रेषु वास्तव्यमिति वैदिकम्।” महाभाष्य, शातिर्पव, ६६.५. (कुंभ०)।

† देखो ऐतरेय ब्राह्मण द१४. एतस्या भ्रुवाया मध्यमाया प्रतिष्ठाया दिशि ये के च कुरुपंचालाना राजानः स-वशोशीनराणा राज्यायैव तेऽभिषिञ्चयते। राजेत्येना-नभिषिक्तानाचक्षते।

से प्रयाग तक—यमुना और गगा की तराइयो में—था और यही आर्य विजेताओं तथा आर्य एकतंत्र प्रणाली का प्रधान स्थान था । पौराणिक इतिहास से भी इस मत की पुष्टि होती है । उसके शासक-कुल मध्य देश के ही हैं और उन्होने केवल एक और—पूर्व और—इस मध्य देश की सीमा का अतिक्रमण किया है । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व या प्राची दिशा में साम्राज्य* शासन-प्रणाली प्रचलित थी; 'पौर यह प्रणाली भी एकतंत्र राज्य-प्रणाली का ही एक रूप थी । इस साम्राज्य का अर्थ है—'एकतंत्र राज्यों का समूह या सघात्मक साम्राज्यतंत्र'† ।

* देखो आगे सैंतीसवाँ प्रकरण । (जान पड़ता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के समय में उत्तर बिहार के प्रजातन्त्र अस्तित्व में नहीं आए थे ।)

† विदेह और मगध । वैदिक साहित्य (शतपथ ब्राह्मण ११. ३. १. २. साथ ही देखो उभयमेव सम्माट् बृहदा० उप० ४. १. १.) के अनुसार विदेहो के राजा जनक (यह कदाचित् नामवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि एक राजकीय अस्त्र है) और पुराणों के अनुसार मगध के राजा जरासंध 'सम्माट्' उपाधिधारी थे । (महामा० साथ ही देखो ६ ३६२)

₹ १६६. हिंदू साहित्य में हिंदू एकराज शासन-प्रणाली की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत मिलते हैं। वस्तुतः

एकत्र प्रणाली की उत्पत्ति के संबंध में हिंदू सिद्धांत राज्य-शासन पर इन सिद्धांतों का व्यवस्था संबंधी जो प्रभाव पड़ता है, उसे समझने के लिये यह आवश्यक है कि इन सिद्धांतों का सम्बन्ध में कुछ वर्णन कर दिया जाय।

₹ २००. इस संबंध का वैदिक सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उसमें कहा गया है कि देवो अर्थात् उनके

वैदिक सिद्धांत, युद्ध से आरंभ पूजक हिंदुओं में आरंभ में कोई राजा नहीं था। जब असुरों से युद्ध करते समय देवों ने देखा कि हम लोग बार बार पराजित हो रहे हैं, तब वे इस परिणाम पर पहुँचे कि असुरों की सफलता का कारण यह है कि उनमें नेतृत्व करने-वाला एक राजा है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि हम लोगों को भी एक राजा निर्वाचित करके देखना चाहिए। और तब वे लोग एक राजा के निर्वाचन के लिये सम्मत हुए। कहा है—

‘देवो और असुरों में युद्ध हो रहा था।.....असुरों ने देवों को परास्त कियादेवों ने कहा कि असुरों के द्वारा हमारे पराजित होने का कारण यही है कि हम लोगों में कोई

राजा नहीं है। हम लोगों को एक राजा निर्वाचित करना चाहिए। सब लोग सम्मत हो गए*।”

यदि इस उद्धरण में किसी ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत हो तो यह उल्लेख उस समय का होगा, जिस समय आर्य लोग भारतवर्ष में अपने छोटे छोटे जर्ये बनाकर रहा करते थे; और इससे यह सूचित होगा कि आर्यों ने द्रविड़ों से एकराज प्रणाली ग्रहण की थी। इस सिद्धात में ऐतिहासिक सत्य चाहे जितना हो, परन्तु यहाँ ध्यान देने की मुख्य बात यही है कि इस एकराजता का आरंभ निर्वाचन से हुआ था।

६ २०१. राजनीतिक लेखकों का इस सबध में अपना एक निजी और स्वतंत्र सिद्धात है जो प्रायः इस प्रश्न के वैज्ञानिकों का यथा-संबंधी सिद्धात कहते हैं कि पहला राजा कुछ निश्चित शर्तों या पर्णों पर निर्वाचित हुआ था, और बाद में राजा लोग यही मूल पर्ण मानने के लिये बाध्य किए जाते थे†। इस मत के अनुसार राज्य के आभ्यंतर

* ऐतरेय ब्रा० १. १४. देवासुरा वा एषु लोकेषु समयतंत् . . . तास्ततोऽसुरा अजयन् . . . देवा अत्रुवन्न-राजतया वै नो जयति राजानं करवामहा इति तथेति ।

† देखो अर्थशास्त्र १. ६. पृ० २२-२३ का विवेचन साथ ही देखो महाभारत और आगे ६२३८.

शासन के लिये निर्वाचन की आवश्यकता उस समय हुई थी, जब लोगों ने कानून या धर्मशास्त्र का समुचित पालन करना छोड़ दिया था। परण के आधार पर स्थापित एक-राजता के इस सिद्धात का, जो निस्संदेह और स्पष्टतया परण के आधार पर स्थापित प्रजासत्तात्मक प्रणालीवाले सिद्धांत का प्रतिबिंब है, उन वैदिक मंत्रों और सामो से भी समर्थन होता है जिनका पाठ राजा के निर्वाचन के अवसर पर उस समय होता था, जिस समय निर्वाचन के सिद्धांतों के आधार पर राज्याभिषेक के कृत्य किए जाते थे और जब कि राजा से इस बात की शपथ कराई जाती थी कि वह धर्म या कानून के अनुसार शासन करेगा।

आगे चलकर जब राज-सिद्धासन का अधिकार वंशानुक्रमिक हो गया, तब भी सदा यही कृत्य किए जाते थे। जैसा

राजा के निर्वाचन का सिद्धांत कि हम अभी आगे चलकर बतलावेंगे, इन धार्मिक कृत्यों के अनुसार सिद्धाततः राजा सदा एक निर्वाचित अधिकारी हुआ करता था, और वह उन्हीं शर्तों के अनुसार अपने उस अधिकार का भोग करता था, जिन्हे वह राज्याभिषेक के समय शपथ करते हुए स्वीकृत करता था। जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा, राजनीतिज्ञों का यह परण संबंधी सिद्धांत सदा मान्य रहता था और राजा तथा प्रजा दोनों ही उसके अनुसार कार्य करते थे।

वैदिक काल के उपरात भी समय समय पर राजाओं का निर्वाचन हुआ करता था। मेगास्थेनीज ने लिखा है कि स्वयंभू, बुद्ध और क्रतु के उपरात राज्यारोहण प्रायः वंशानुक्रमिक हो गया था; परंतु “जब किसी राजवंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता था, तब भारतवासी राजा का निर्वाचन व्यक्ति की योग्यता देखकर किया करते थे*।”

जातकों में भी राजाओं के निर्वाचन की कथाएँ हैं, बल्कि ऐसी कहानियों † भी हैं जिनमें कहा गया है कि पशु-जगत् में भी राजा का निर्वाचन हुआ करता था। इन कथाओं से यही सूचित होता है कि राजा के निर्वाचन का सिद्धात एक राष्ट्रीय सिद्धात था जो बहुत अधिक प्रचलित था। अब हम उन मन्त्रों का उल्लेख करते हैं जो वेदों में राजा के निर्वाचन के संबंध में आए हैं और जिनका वैदिक एकराजता से संबंध है।

* Mc Crindle, *Megasthenese and Arrian*, पृ० २००।

† जातक, पहला खंड, पृ० ३६६।

‡ देखो महावस्तु (सेन्टवाला संस्करण), दूसरा खंड, पृ० ७०।

तेईसवाँ प्रकरण

वैदिक राजा और उसका चुनाव

६ २०२. राजा का निर्वाचन समिति में एकत्र होनेवाले लोग किया करते थे। कहा जाता है कि वहाँ जो लोग एकत्र होते थे, वे एकमत होकर राजा राजा का निवाँ-चन और उसकी स्थिति का निर्वाचन करते थे। समिति उसे नियुक्त करती थी और उससे शासनाधिकार ग्रहण करने की प्रार्थना करती थी। आशा की जाती थी कि वह अपने पद से च्युत न होगा और शत्रुओं का दलन करेगा।

राजा के निर्वाचन का एक पूरा गान यहाँ उद्धृत किया जाता है—।

आ त्वाहार्षमंतरभूर्ग्र्वस्तिष्ठाविचाचलत् ।

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्टुमधि भ्रशत् ॥१॥

* अथर्व वेद ६ ८७-८८, ऋग्वेद १०.१७३ में भी यही गान कुछ थोड़े से परिवर्तित रूप में मिलता है।

इहैवैधि माप च्योष्णः पर्वत इवाविच्चाचलत्।
 इंद्रेहैव ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥२॥
 इंद्र एतमदीघरदध्रुव ध्रुवेण हविषा ।
 तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पति ॥३॥
 ध्रुवा द्यौध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्।
 ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् ॥१॥
 ध्रुवं ते राजा वर्षणो ध्रुवं देवो बृहस्पति. ।
 ध्रुवं त इंद्रश्चान्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम् ॥२॥
 ध्रुवोऽन्युतः प्रमृणीहि शत्रूङ्छत्रूयतोऽधरान् पादयस्व ।
 सर्वा दिशः समनसः सश्रीचीत्रुवाय ते समितिः कल्पतामिहा ॥३॥

इसका आशय इस प्रकार है—

“तुम हर्षपूर्वक हम लोगों मे आओ, अविचल रूप से स्थित हो; सब लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम राष्ट्र से भ्रष्ट न हो ।

“तुम यहाँ पर्वत के समान ढढ़ रहो और 'तुम्हारा पतन न हो । तुम यहाँ इद्र के समान अविचल रहो । तुम यहाँ रहो और राष्ट्र का धारण करो ।

“इंद्र ने हवि के कारण इस राष्ट्र को ढढतापूर्वक धारण किया है । इसके लिये सोम और ब्रह्मणस्पति ने भी ऐसा ही कहा है ।

“प्रजा का यह राजा वैसा ही ध्रुव (परम ढढ) हो जैसा ध्रुव स्वर्ग है, जैसी ध्रुव पृथिवी है, जैसा ध्रुव विश्व है और जैसे ध्रुव पर्वत हैं ।

“तुम इस राष्ट्र का धारण करो, राजा वरण और देवता बृहस्पति, हंद्र तथा अग्नि इसे प्रुव करें ।

“तुम दृढ़ता और निश्चयपूर्वक शत्रुओं को पराजित करो, और जो लोग शत्रुता का आचरण करें, उन्हें अपने पैरो से कुचल डालो । सब दिशाएँ एकमत होकर तुम्हारा सम्मान करती हैं और प्रुवता (दृढ़ता) के लिये समिति यहाँ तुम्हारी कल्पना (नियुक्ति) करती है ।”

यहाँ एक मन्त्र और उद्घृत किया जाता है । जान पड़ता है कि इसका व्यवहार किसी ऐसे राजा के पुनः निर्वाचित होने के समय होता था जो पहले एक बार निकाल दिया जाता था । “त्वा विशो वृणुता राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवी । वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥”

अर्थात्—राज्य के लिये प्रजा तुम्हे वरण करती है, विस्तृतः विशाल दिशाएँ तुम्हें वरण करती है । राष्ट्र के शरीर

.. “पञ्च” शब्द का अर्थ या तो “विस्तृत” हो सकता है और या “पर्वत” । यहाँ पहला अर्थ ही अधिक प्रशस्त जान पड़ता है; क्योंकि एकत्र होनेवाले लोग चारों दिशाओं के ही हो सकते हैं, पर्वती दिशा आकाश के नहीं हो सकते । निर्वाचन संबंधी मंत्रों में दिशा शब्द का प्रयोग आलंकारिक भाषा में एकत्र होनेवाले लोगों के लिये ही होता है ।

ते इस उच्च स्थान पर आसीन हो और यहाँ से उग्रतापूर्वक^{*}
सब लोगों को प्राकृतिक वैभव प्रदान करो।

कठुद् का शब्दार्थ है—वैल के कंधे पर का द्विष्ठा। यहाँ
इस शब्द से राजसिंहासन की ओर संकेत है जो राष्ट्र के शरीर
का सबने ऊँचा स्थान समझा जाता है। इस मंत्र के
पहले चरण ने यह सूचित होता है कि वह कथन एकराट् या
गजा के सबव ने है।

₹ २०३. ऊर निर्वाचन के संबंध में जो गान उद्घृत
किया गया है उसने मिलता-जुलता एक और गान
कर नेने का एक-श्रूत्वेद में है—, जिसके अंतिम पद के
नात्र अधिकारी अनुसार वह प्रजा ने कर लेने का एक
मात्र अधिकारी और उनका गजा
निश्चित होता है। ‘कर लेने का एक-मात्र अधिकारी’
एवं ने यह सूचित होता है कि उस समय तक वह
निश्चित हो चुका था कि राजा को प्रजा से कर कर लेने

* अथवा उग्र शासक के समान (न उग्रः) देखो
ऊपर ₹ १०२।

† अथर्ववेद, दृ. ४. २।

‡ शुबं शुवेण हविषाभि सोमं मृशामसि।

अथो त इन्द्रः केवलीविशो वलिहृतस्करत् ॥

श्रूत्वेद १०.१७३.६.

का नियमित रूप से अधिकार है। प्रजा से कर लेने का राजा के अतिरिक्त और किसी को अधिकार नहीं होता था। राजा से एक उच्च आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती थी। इस सर्वंघ में व्यान देने की एक मुख्य बात यह है कि वह आसन राष्ट्र के शरीर का सर्वोच्च स्थान कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्र के शरीर-धारी होने का विचार उसी समय उत्पन्न हो चुका था, जिस समय वैदिक एकराजता का आरंभ हुआ था।

६२०४. राज-सिहासन पर आरोहण करने के उपरात राजा उपस्थित व्यक्तियों तथा राजकर्त्ताओं (राजा बनाने राजकर्त्ता या चुननेवाले लोगों) से, जो परवर्ती ग्रंथों* के अनुसार उच्च राज्याधिकारी या राजमन्त्री आदि होते थे, लक्षण-स्वरूप वाहु पर धारण करने की एक मणि ग्रहण करता था जो पलाश की लकड़ी की बनी होती थी। राज्य के ये उच्च अधिकारी कोषाध्यक्ष, सेनापति, ग्रामों के नेता (ग्रामणी) तथा कुछ और लोग हुआ करते थे। नव-निर्वाचित राजा उन्हें राजा या राज-

* ब्राह्मण ग्रंथ तथा कृष्ण यजुर्वेद।

मिलाश्रो महा गोविद सुन्तंत ३२ और दीग्ध निकाय २ २३३ जिनमें राज्य के छः प्रधान अधिकारी राजकर्त्ता या राजकर्त्तारों कहे गए हैं।

कर्त्ता कहता था । इससे सूचित होता है कि राजकर्त्ता लोग भिन्न वर्गों के नेता तथा राज्य के बड़े कर्मचारी हुआ करते थे जो राज्य के शासक समझे जाते थे और राजा जिन सबका प्रधान शासक माना जाता था । बाद में ये लोग रत्नि या रत्नी कहे जाने लगे थे, जिसका अभिप्राय है मणि या रत्न रखनेवाले । इसका कारण यही था कि यही लोग -राजा को राज्याधिकार-सूचक चिह्न या मणि दिया करते थे । आरंभ में राजा यह अधिकार-सूचक मणि सभी उपस्थित लोगों से ग्रहण करता था जिनमें कर्मकार (कारीगर) तथा रथकार तक सम्मिलित रहते थे । वैदिक राज-निर्वाचन में यही एक लाक्षणिक कृत्य होता था ।

पर्ण या मणि ग्रहण करने समय राजा कहा करता था—

ये धीवानो रथकाराः कर्माग ये मनीषिणः ।
 उपस्तीन् पर्णं मह्यं त्वं सर्वान् कृणवभितो जनान् ॥६॥
 ये राजानो राजकृतः मूर्ता ग्रामण्यश्च ये ।
 उपस्तीन् पर्णं मह्यं त्वं सर्वान् कृणवभितो जनान् ॥७॥
 अर्थात्—हे पर्ण, ये धीवान् रथकार और मनीषी कर्मार (कारीगर) और मेरे आस-पास उपस्थित भव लोग मेरी सहायता करें । हे पर्ण, सब राजा और राजकर्त्ता, सूत

(रथ हॉकनेवाले) तथा ग्रामणी और जो लोग इस समय मेरे आस-पास उपस्थित हैं, मेरी सहायता करें॥

इससे सूचित होता है कि राजा सभी उपस्थित लोगों से, जिनमें राजकर्त्ता और से लेकर कारीगर तक सभी लोग आजन्म का निर्वाचन होते थे, अपना राजकीय अधिकार ग्रहण करता था। राजा अपने पूरे जीवन भर के लिये निर्वाचित होता था। कहा जाता था—“हे बलवान् सुमन (राजा), तुम अपने जीवन के दसवें दशक तक यहाँ शासन करो।”

राजसिंहासन पर शेर, चीते या तेदुए का चमड़ा बिछाया जाता था। जैसा कि आगे चलकर जात होगा, यह प्रथा उस समय तक प्रचलित रही, जब राजसिंहासन बहुमूल्य पदार्थों के बनने लगे थे। इस चमड़ा बिछाने से एक विशेष बात सूचित होती थी। यह विशेष वीरता का सूचक चिह्न समझा जाता था।

कहा जाता था—

‘हे राजा, तू स्वयं व्याघ्र है। इस व्याघ्र-चर्म पर बैठकर महान् दिशाओं में संकरण कर। समस्त विशा (प्रजा वर्ग)

* अथर्ववेद ३. ५. ६-७. ब्लूमफील्ड के अनुवाद के आधार पर। S. B. E. ४२. ११४।

† अथर्ववेद ३. ४. ७. दशमीमुग्रः सुमना वशोह।

तेरी जामना करते हैं* । जब राजा तिहासन पर बैठ जाता था, तब उस पर लल का सिन्चन होता था ।

६ २०५. कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजा अपने राजनद के च्युत कर दिया जाता था और देश के निर्वासित कर दिया जाता था । कुछ दिनों तक राज्यच्युति और मुन निर्वाचन निर्वासित रहने के उपरात वह पुराना राजा फिर से राजा निर्वाचित कर लिया जाता था ।

एक स्थान पर इन्हा है—

‘वह जो निर्वासित होकर अन्य दूर देश में विचरण कर रहा है और जो फिर बुलाए जाने के थोग्य है, उसे गिर्द यहाँ ले आवेगा । अधिन तेरे लिये ऐसा नार्ग प्रस्तुत करेंगे

* अथर्ववेद ४ द. ४. व्याघ्रो अष्टि वैयाष्टे विष्मस्त दिशो महीः । विशत्त्वा तर्वा वाञ्छन्तु.. ॥

१ अथर्ववेद ४. द ५-६. तासा त्वा सर्वासामपामभिषिङ्गामि वर्चसा ॥५॥ अभि त्वा वर्चसासिङ्गनामो दिव्या पयस्त्वतीः ॥६॥

अथर्ववेद के प्रौत सूक्तों के यह बात स्पष्ट है कि यह कृत्य एकराज राष्ट्र के राजा (एकन्चला) के उज्ज्वाभिषेक ने संवध रखता है ।

जिस पर यात्रा करना सुगम होगा । उसके सब सजात
उसके चारों ओर एकत्र हों । तेरे विरोधी तुझे बुलावेंगे ।
तेरे मित्रों ने तेरा निर्वाचन किया है^{*} ।”

कहा गया है कि वह अपने निर्वाचकों से समझौता
कर लेता था ।

“(हे राजा) तू अपने विशेष (प्रजा वर्ग) में आ;
क्योंकि तूने निर्वाचकों की बात मान ली है[†] ।”

६ २०६. यह आशा की जाती थी कि राजा अपनी
उसका कर्तव्य प्रजा के लिये धन और वैमव प्राप्त
करेगा[‡] ।

* अथर्ववेद ३ ३. ५. श्येनो हृष्ट्यं नयत्वा परस्मदन्य-
क्षेत्रे अपरद्ध चरन्तम् । अधिना पन्था कृषुता सुर्गं त इम
सजाता अभिसंविशध्वम् ॥

क्या इससे यह समझा जाय कि उस समय गिर्द
राजसूचक चिह्न माना जाता था ?

† अथर्ववेद ३. ४. ६. इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परेहि सं ह्य-
शस्था वर्षणैः संविदानं । स त्वायमहृत् स्वे सघस्थे स देवान्
यक्षत् स उ कल्पयाद् विशः ।

‡ अथर्ववेद ३. ४. ४. अधा मनो वसुदेयाय कृणव्य
ततो न उग्रो वि भजा वसूनि । S. B. E. खंड ४२, पृ०
११३ ।

“तू अपना मन धन प्रदान करने में एकाग्र कर । और तब, हे वलवान्, हम लोगों में धन वितरित कर ।”

इस संबंध में यहाँ अथर्ववेद से एक ऐसा अंश उद्धृत कर देना मनोरजक होगा जिसमें प्रजा के धन और वैभव का वर्णन है । इन मत्रों में कुछ देश के राजा परीक्षित के सफलतापूर्ण शासन की गई है* और जान पड़ता है कि कदाचित् यह उसी समय का बना हुआ है । इसका भावार्थ इस प्रकार है—

‘उस राजा की प्रशासा सुनो जो सब लोगों पर शासन करता है । मैं तुस्हारे लिये क्या लाऊँ, दही, मठा या सुरा । इस प्रकार राजा परीक्षित के राज्य में पक्की अपने पति से पूछती है ।’

* अथर्ववेद २० १२७ ७-१०.

राजो विश्वजनीनस्य यो देवोमत्यां अति ।
वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा शृणोता परिक्षितः ॥७॥

..

करत् त आ हराणि दधिमन्थ परिश्रुतम् ।
जाया पतिं वि पृच्छुति राष्ट्रे राजः परिक्षितः ॥८॥
अभीव स्व॑ः प्र जिहीते यवः पक्षः परो बिलम् ।
जनः स भद्रमेघते राष्ट्रे राजः परिक्षितः ॥९॥

इसका तात्पर्य यही है कि कुछ देश की खी अपने प्यासे पति को पीने के लिये पानी जैसा साधारण पदार्थ देने का कभी विचार ही नहीं करती थी। और जब यवमद्य लाया जाता था, तब वह इतना लबालब भरा हुआ होता था कि “किनारों पर से छुलकता रहता था।” इससे सिद्ध होता है कि राजा परीक्षित के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और प्रसन्न रहती थी।

६ २०७ वैदिक काल में राजा का निर्वाचन बहुत ही सख्ल होता था और ठीक काम के ढंग पर होता था।

परंतु उसके साथ एक बहुत ही तत्त्व या परवर्ती राजनीति-विज्ञान के मूल तत्त्व सिद्धात की बात लगी हुई है। वह

यह कि राजा का निर्वाचन प्रजा के द्वारा होता था, उससे कुछ निश्चित कर्तव्यों के पालन की आशा की जाती थी और उसे कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते थे। वह अपना पद प्रजा और राजकर्त्ताओं के हाथों ग्रहण करता था, वह अपने निर्वाचकों के मत से सम्मत होता था। वह अपने पद से च्युत किया जा सकता था और निर्वाचन से पुनः बुलाया जा सकता था। इन वैदमंत्रों में एकराजता के राजनीतिक दर्शन या विज्ञान के सभी मूल तत्त्व पाए जाते हैं।

यद्यपि इसे सिद्धात का रूप नहीं दिया जा सकता, परंतु किर भी सष्ठ रूप से यही ज्ञात होता है कि वस्तुतः

राजा का पद प्रजा का बनाया हुआ होता था और राजा वह पद कुछ निश्चित पर्णों या शर्तों पर ग्रहण करता था । उस पर सदा राष्ट्रीय सभा या समिति का अधिकार रहता था; और जैसा कि हम अभी ऊपर बतला चुके हैं, वही समिति प्रधान शासिका और अधिकारिणी हुआ करती थी ॥

* मिलाश्रो मैक्डनल कृत History of Sanskrit Literature पृ० १५८। राजा का पद प्रायः वंशानुक्रमिक हुआ करता था ।.....उसका अधिकार किसी प्रकार अर्मर्यादित नहीं होता था, बल्कि भिन्न भिन्न वर्गों की सभा (समिति) में प्रजा अपना जो मत प्रदर्शित करती थी, उस मत से उसका अधिकार मर्यादित रहता था ।

चौबीसवाँ प्रकरण

ब्राह्मण काल का राज्याभिषेक और उसका संघटनात्मक महत्व

§ २०८. ब्राह्मण साहित्य के समय में आकर राज्याभिषेक बहुत ही विस्तृत हो गया था और उसके साथ अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य होने लग गए थे। उसके लिये अनेक राजकीय कृत्यों और रस्मों आदि की विशेष रूप से स्थापना की गई थी। परंतु फिर भी उनमें राष्ट्र के संघटन से संबंध रखनेवाली वे सभी विशेषताएँ लगी हुई थीं जो पहले वैदिक काल में थीं। वस्तुतः ये सब उन्हीं मूल विचारों के विकसित रूप थे।

इस काल में आकर राज्याभिषेक के सबंध में कुछ धार्मिक कृत्य निश्चित हुए थे और कुछ रस्में बनी थीं, और वे कृत्य तथा रस्में सदा के लिये निश्चित कृत्य आवश्यक कर दी गई थीं। तब से भारत में जितने हिंदू राजाओं का राज्याभिषेक हुआ है, उन सब में वे सब कृत्य किए गए हैं; व्योंगि धर्म और परिपाठी दोनों के अनुसार सनातनी विचार से बिना उन कृत्यों के

कोई राजा राजत्व प्राप्त ही नहीं कर सकता । वही रस्में वरावर होती चली आईं और सत्रहवीं शताब्दी तक के धर्म-शास्त्रियों ने मुसलमानों के शासन-काल में भी हिंदू राजाओं के लिये उन्हीं कृत्या आदि का विधान किया* ।

₹ २०६. समाज के प्रधानों या राजाओं को अभिषिक्त करने के लिये श्रुतियों में तीन यज्ञ कहे गए हैं । उनमें से सबसे पहला यज्ञ राजसूय है जिसके अनुसार वह राजपद का अधिकारी होता था । दूसरा यज्ञ वाजपेय था जिसके द्वारा राजा राजपिं या राजघर्माधिकारी पद का अधिकारी होता था । और तीसरा यज्ञ सर्वमेध था जिसके द्वारा वह समस्त विश्व पर शासन करने का अधिकारी होता था । संभवतः वाजपेय का मूल राजनीतिक नहीं था और उसका प्रचार दिग्विजयों या इसी प्रकार की और किसी बात का उत्सव मनाने के लिये हुआ था । परन्तु बाद में राजकीय तथा धार्मिक अभिषेकों आदि के लिये उसका ग्रहण किया गया था । सर्वमेध† एक विशिष्ट यज्ञ था जो केवल वही सम्राट्

* देखो मित्र मिश्र कृत वीरमित्रोदय राजनीति, पृ० ८५-११३ ।

† मिलाओ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३. २. २. देखो Egelling, S. B. E. ४१, पृ० २४ (प्रस्तावना)

† देखो शतपथ ब्राह्मण १३. ७ १.

करते थे जो राज-पद पर अभिषिक्त हो चुके होते थे । इस कृत्य से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी समस्त मारत में एक ही राज्य होने का आदर्श विचार प्रचलित हो चुका था^{*} । परंतु साधारणतः राज्याभिषेक राजसूय के ही द्वारा हुआ करता था ।

“राज एव राजसूयम् । राजा वै राजसूयेनेष्ट्वा भवति.....”

“राजा के लिये ही राजसूय है; क्योंकि राजसूय वश करने से ही वह राजा होता है[†] ।”

हम यहाँ मुख्यतः राजसूय के ही कृत्यों का विवेचन करेंगे और वाजपेय के संबंध में भी कुछ बतलावेंगे । वास्तव में बात यह है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं और दोनों कृत्य एक दूसरे के पूरक हैं । राजसूय करने से पहले वाजपेय कर लेना आवश्यक समझा जाने लगा था ।

§ २१०. राजसूय के तीन मुख्य अग होते हैं । इसमें पहले कई यज्ञ और होम आदि होते हैं; और तब दूसरा कृत्य

* मिलाओ ऐतरेय ब्राह्मण द. १५. और पाणिनि ५. १, ४१-४२; सार्वभौम का प्रकरण ।

† शतपथ ब्राह्मण द. १. ३. १२ ।

अभिषेचनीय होता है, जिसमे राजा पर, उसे पवित्र करने के लिये, जल छिड़का जाता है। इस अभिषेचनीय के उपरात कई और यज्ञ तथा दूसरे कृत्य होते हैं। हन तीनों में से अभिषेचनीय सबसे अधिक महत्व का कृत्य है। और कदाचित् व्यवहार मे राज्याभिषेक के समय इसी के कृत्य सब से अधिक आवश्यक और अनिवार्य समझे जाते थे।

इस यज्ञ का अध्ययन करनेवाले का पहले-पहल जिस बात पर ध्यान जाता है वह यह है कि निर्वाचित होनेवाले राजा के लिये ‘‘वह’’ सर्वनाम का प्रयोग होता है। हाँ, जब अभिषेचनीय का कृत्य समाप्त हो जाता है, तब वह राजा कहा जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि जब अभिषेचनीय का कृत्य समाप्त हो जाता है, तभी वह राजपद का अधिकारी होता है। इससे पूर्व वह एक साधारण नागरिक ही रहता है।

६२११. आरभ मे निर्वाचित होनेवाले राजा को
 ग्यारह रत्नियों के घर जाकर उन्हे
 रत्न-हवि ग्यारह रत्न-हवियों देनी पड़ती हैं।
 रत्न-हवि लेनेवाले ग्यारह रत्नी इस प्रकार हैं॥

* शतपथ ब्राह्मण ५. ३. १. साथ ही मिलाओ तैत्ति-
 रीय ब्राह्मण १. ७. ३. (पूने का पहला संस्करण, पृ० ३०८-

(१) सेनानी (सेना का प्रधान अधिकारी) ।

(२) पुरोहित (तैत्तिरीय विधान के अनुसार ब्राह्मण) ।

(३) निर्वाचित होनेवाला स्वयं राजा—जो क्षत्र या शासन का प्रतिनिधि होता है । तैत्तिरीय में निर्वाचित होनेवाले राजा के स्थ । मे 'राजन्य', कहा गया है ।

(४) महिषी—(राजा की पत्नी) । महिषी या रानी भी राज्य की अधिकारिणी होती थी, क्योंकि कुछ विशिष्ट राजकीय अवसरों पर वह राजा के साथ राजसिंहासन पर बैठती थी । जान पड़ता है कि इसके मूल मे यह सिद्धात है कि बिना पत्नी के कोई धार्मिक कृत्य हो ही नहीं सकता ।

३१०) और तैत्तिरीय भंहिता १. द. ६ (मैसूरवाला पहला स०) पृ० १४६-४८ ।

लिखा है कि रस्ती तो ग्यारह होते हैं, परंतु हवि बारह स्थानों मैं दी जाती है । जान पड़ता है कि राजा स्वयं अपने स्थान पर जो हवि देता था, उसकी गणना इसमें नहीं की गई है । (कृष्ण यजुर्वेद मे राजा के लिये स्वयं अपने स्थान पर हवि देने का विधान नहीं है ।) अथवा यह सभव है कि श्रंतिम दो रस्तियों को एक साथ ही हवि-श्रंपण होता हो ।

कृत्य करनेवाला स्वयं आधा ही अंग होता है, दूसरा आधा अंग उसकी पत्नी मानी जाती है।

“आओ पत्नी, हम लोग आकाश पर चढ़े।” पत्नी कहती है—“चलो, चढ़ें।”……“पत्नी पति का आधा अंग होती है। जब तक पति अपनी पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह आधा और अपूर्ण रहता है॥

यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ का जो विधान है, उसमें भावी राजमहिषी के राजसिंहासन पर बैठने का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु रामायण और महाभारत आदि से प्रमाणित होता है कि राजा और राजमहिषी दोनों का राज्याभिषेक साथ साथ होता था।

पहले होनेवाले वाजपेय में सब विधान बतला दिए गए हैं; इसलिये राजसूय के संबंध में वे दोहराए नहीं गए हैं। यजुर्वेद की दूसरी शाखाओं में भी पत्नी को हवि देने

* शतपथ ब्राह्मण ५. २. १. १०. S. B. E.
४१, पृ० ३२।

† रामायण, युद्ध काढ १२८. ५६. महाभारत, शांति, पर्व (कुंभकोणम् वाला सं०) ३६. १४ उपवेश्य महात्मानं कृष्णां च।

का यही किधान है। बल्कि उनके अनुसार राजा को अपनी दूसरी छोटी जाति की स्त्रियों वावाता और परिवृक्षिका भी पूजन करना पड़ता था। अश्वमेघ यज्ञ में तो राजा की शूद्रा पत्नी (पालागला) भी सम्मिलित होती है।

(५) सूत—दरबार में राजा की वंशावली और विरुद्ध आदि सुनानेवाला। जान पड़ता है कि आरंभ में वंशावली आदि सुनाने के अतिरिक्त इसका कोई और महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ करता था। अर्थशास्त्र (५. ३. ६९. पृ० २४५) में मौर्य राजकर्मचारियों की जो सूची दी गई है, उसमें इसकी गणना पौराणिक आदि छोटे राज्याधिकारियों में की गई है, जिन्हें प्रति वर्ष १००० चौंदी के पण वृत्ति या वेतन रूप में मिलते थे। जैसा कि बृहदा० उप० ४. ४. ३७. से सूचित होता है, जान पड़ता है कि प्रत्येक प्रातीय राजनगर का एक पृथक् सूत हुआ करता था। आगे चलकर यही सूत कदाचित् इतिहास-लेखक हो गया

* मिलाओ शतपथ ब्राह्मण १३. ५. २. ५-८।

परिवृक्ष्या राजो मध्यमपत्न्याः। भद्र भास्कर; तैत्तिरीय संहिता (मैसूर) ३. पृ० १४६।

† शतपथ ब्रा० १३. ५. २. ८. रामायण, बाल० १४. ३५।

था जिसे हुएन-त्सागने हर्षवर्धन के साम्राज्य में देखा था । इसका काम यही होता था कि अपने प्रांत की सभी अच्छी और बुरी घटनाएँ, अशुभ और शुभ कार्य लिखा करे । खारवेल आदि के शिलालेखों से सूचित होता है कि एक एक वर्ष की घटनाएँ अलग अलग लिखी जाती थीं ।

(६) ग्रामणी—(गेंवों का मुखिया या ग्राम्य संस्था का प्रधान) । यजुर्वेद के मैत्रायणी के अनुसार वैश्य ग्रामणी* ।

(७) द्वित्रिय ।

(८) सग्रहितु (राजकोष का अध्यक्ष) परवर्ती काल में (अर्थात् अर्थशास्त्र में) यह सन्निधातृ कहा गया है† ।

* देखो § २१२ की पाद-टिप्पणी ।

† भट्ट भास्कर (मैसूर स०, तैत्तिरीय संहिता ३. पृ० १४८.) कहते हैं कि सग्रहीता का पहला अर्थ है—बाग पकड़नेवाला अर्थात् वाहक । (संग्रहीतुः...रश्मग्राहिणः), और तब दूसरों की सम्मति उच्चत करते हुए दूसरा अर्थ इस प्रकार देते हैं—रजुमिनियंता कुमाराध्यक्ष हस्त्यन्ये “वह जो (शासन की) बाग पकड़कर (राज्य-प्रबंध का) सचालन करता हो,” अर्थात् प्रधान मन्त्री । यदि इस शब्द

(६) भागदुह—(राजकर का सग्रह करनेवाला) परवर्तीं काल में (अर्थात् अर्थशास्त्र में) इसे समाहर्तै या समाहर्ता कहा गया है। इसका शब्दार्थ है भाग या हिस्सा दूहनेवाला। भाग से अभिप्राय राजा को मिलनेवाले षष्ठमाश से है। इससे यह सूचित होता है कि उस समय तक यह निश्चित हो चुका था कि राजा को प्रजा से कितना कर लेना चाहिए।

(१०) अक्षवाप—टीकाकारो ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि यह द्यूत विभाग का प्रधान अधिकारी या नियंत्रण करनेवाला होता था। द्यूत-क्रीडा पर राज्य का नियंत्रण रहता था और उस पर कर लिया जाता था। परतु इस विभाग को मिलनेवाला इतना महत्व कुछ विलक्षण सा जान पड़ता है और टीकाकारो के दिए हुए अर्थ पर संदेह हो सकता है। अर्थशास्त्र में दी हुई अधिकारियों की सूची में सन्निधाता और समाहर्ता के उपरात, जो हमारी सूची के आठवें और नवें अधिकारी हैं, अक्षपटल आता है, जिसका अर्थ है—आय व्यय के लेखे का प्रधान

का रज्जु शब्द के साथ कुछ संबंध हो तें अशोक के शिलालेखों के 'रज्जुक' शब्द के साथ भी इसका कुछ संबंध होगा।

विभाग या कर्मचारी । इस प्रकार इससे मिलते हुए अक्षावाप का अर्थ राज्य के आय-व्यय के लेखों का प्रधान अधिकारी ही जान पड़ता है । द्यूत-विभाग का अधिकारी यहाँ बिलकुल अप्रासादिक होगा । जान पड़ता है कि उन दिनों किसी तख्ती (पटल या अधिदेवन) आदि पर चौकोर खाने या अक्ष बनाए जाते थे जिनकी सहायता से हिसाब लगाए जाते थे । इसी सबंध में अक्ष-शाला (अर्थशाला पृ० ८५) पर भी विचार कर लेना चाहिए । इस अक्ष-शाला विभाग के अधीन सोना, चौंदी और टकसाल रहती थी । इन कार्यविभागों में अक्ष का द्यूतकीड़ा से केवल सबंध नहीं है ।

• (११) गोविकर्तृ या गोविकर्त्ता (जगलो का प्रधान अधिकारी) । इसका शब्दार्थ है जगली पशुओं का नाशक । जान पड़ता है कि यह वही अधिकारी है जिसे मेगास्थेनीज ने “राज्य के बड़े अधिकारियों” में बतलाया है और कहा है कि यह उन शिकारियों आदि का प्रधान होता था जो देश के जगली पशुओं तथा बीज खा जानेवाले पक्षियों आदि का नाश करते थे ।

* Mr. Crindle, Megasthenes, पृ० ८६

† " " पृ० ८४ ।

(१२) पालागल (समचार पहुँचानेवाला दूत या हरकारा)—यह लाल रंग की पगड़ी बोधता था और इसके पास चमड़े का एक तरकश रहता था * । यह शूद्र जाति का होता था । यजुर्वेद की मैत्रायणी सहिताफृ में इसके स्थान पर तक्ष या बढ़ई और रथकार या रथ बनानेवाले का नाम दिया है ।

§ २१२ ये रत्नी वैदिक काल के मणिदाताओं के ही विकसित रूप हैं । वैदिक काल के ये मणि देनेवाले राजकर्त्ता
रत्नी (राजकृतः या मंत्री), सूत, ग्राम के मुखिया, रथकार और धातु का काम करनेवाले लोग होते थे जो और सब प्रकार के लोगों से आवृत रहते थे ।

परंतु आगे चलकर ये रत्नी लोग राज्य के उच्च कर्मचारी या अधिकारी हो गए थे । जान पड़ता है कि इन कर्मचारियों या अधिकारियों के चुनाव के मूल में जाति और वर्ग के प्रतिनिधित्व का सिद्धात काम करता था । यजुर्वेद की अधिकांश शाखाओं में पुरोहित बरावर केवल ब्राह्मण

* तैत्तिरीय में अंतिम दोनों के नाम नहीं हैं ।

† शतपथ ब्रा० १३. ५. २. ८ ।

‡ मैत्रायणी सहिता २. ६. ५.

कहा गया है। वह मानो समस्त ब्राह्मणों का प्रतिनिधि होता था। राजन्य अथवा निर्वाचित होनेवाला स्वयं राजा राजन्य या द्वितीय वर्ग का प्रतिनिधि होता था। मैत्रायणी उपनिषद्^{*} मे ग्रामणी को वैश्य ग्रामणी कहा गया है। ग्रामों का यह मुखिया वैश्य जाति का होता था और वैश्यों अथवा मूल निवासियों का, जो अब विश अथवा सर्वसाधारण के वर्ग मे आ गए थे, प्रतिनिधि होता था। तद्व और रथकार वही हैं जो वैदिक काल मे कर्मार (कारीगर) और रथकार थे। शुक्र पद्धति मे उनका स्थान पालागल को दिया गया है। यहाँ वर्ग का स्थान वर्ण ने ले लिया है। सेनानी, पुरोहित, द्वन्द्र, सप्तहीता, भागदुह, अद्वावाप और गोविकर्त्ता उच्च राजमंत्री हैं जो प्राचीन काल में राजकृत अथवा राजकर्त्ता होते थे। रामायण तक मे उच्च राजमंत्री राजकर्त्ता ही कहे गए हैं। (समेत्य राजकर्त्तारो भरतं वाक्यमत्रुवन् । अयो० ७६. १ । टीका राजकर्त्तारं मत्रिण् ।)

जब समाज बढ़ा, तब समस्त विश या सर्वसाधारण के लिये एकत्र होना समव न रह गया और स्वभावतः प्रति-

* मारुतः सप्तकपालो वैश्यस्य ग्रामण्यो गृहे । मैत्रायणी संहिता २. ६. ५. और ४ ३. ८ ।

निधित्व का सिद्धात् काम मे लाना पड़ा। इस संबंध में भूमिका से अधिक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह है कि शूद्र भी स्पष्ट रूप से समाज का एक अंग माना गया था। राष्ट्र के संघटन की हड्डि से यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसमे विजित हीन जाति का पूजन उस व्यक्ति को करना पड़ता था, जो राज-सिंहासन ग्रहण करने को होता था। वह भी राज्यतंत्र का उतना ही अंतर्मुक्त अंग था जितना कि और कोई वर्ग या वर्ग था। जैसा कि हम आगे बतलावेगे, शूद्रों के अधिकारों की यह मान्यता आगे चलकर दिन पर दिन अधिक प्रबल होती रही थी।

६ २१३. जब रलियो का पूजन किया जाता था, तब उनमे से ग्रत्येक से कहा जाता था—“हम तुम्हारे लिये ही इस प्रकार अभिषिक्त होते हैं और तुम्हें अपना निष्ठ अनुगामी बनाते हैं।” वह ग्रामणी को इसलिये हवि देता है कि “वह (ग्रामणी) निश्चित रूप से उस राजा का एक रल है और उसके लिये वह अभिषिक्त होता है इत्यादि*।”

* ग्रामण्यो गृहान् परेत्य मास्त सप्तपालं पुरोडाशं
निर्वपति विशो वै मस्तो वैश्यो वै ग्रामणीस्तस्मान् मस्तो

राज्य के इन उच्च कर्मचारियों या राजमन्त्रियों के इस सम्मान का कारण भी ध्यान देने योग्य है। राजा के राज्यारोहण के पूर्व से ही रूली (मन्त्री) वर्तमान थे।

उनका अस्तित्व राजा के अस्तित्व से हिंदू मन्त्रियों का बिलकुल स्वतंत्र था। मूलतः वे समिति मूल के अग थे। वैदिक काल में वे लोग

राजकर्त्ता हुआ करते थे और राजा उन्हीं के उद्देश्य से कहता था—“जो लोग इस समय मेरे चारों ओर उपस्थित हैं।” परवर्ती इतिहास में भी मन्त्रियों का वही पहले का सा पद और मर्यादा थी। वैदिक काल में उन्हें जो कुछ अधिकार प्राप्त थे, वे अब तक बने हुए थे और प्रत्येक राज्याभिषेक के पूर्व उनका पूजन होता था। उनके इतिहास से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने सदा अपनी स्वतंत्रता अद्भुत रखी थी। (देखो आगे तीसवाँ और इकतीसवाँ प्रकरण) इन प्रकरणों की बाते तभी हमारी समझ में आ सकती हैं, जब हम इनके मूल या उत्पत्ति के इतिहास से परिचित हों।

मवेत्येतद्वाऽश्यकम् रूल यद् ग्रामणीस्तस्माऽपैतेन सूयते
तम् स्वमनपक्रमिणं कुरुते ।

शतपथ ब्रा० ५० ३० १०६०

॥ २१४. आरभ से अंत तक का सारा कृत्य यही सूचित करता है कि राजा को राज्यारोहण से पूर्व राष्ट्र के भिन्न मिश्र मुख्य अगो की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी ।

पृथ्वी की अनुमति अनुमति प्राप्त करने का यह कार्य यहाँ नहीं समाप्त हो जाता था । स्वयं पृथ्वी तरन से अनुमति माँगी और प्राप्त की जाती थी । और यह अनुमति राज्य के भिन्न भिन्न वर्णों तथा वर्गों से अनुमति प्राप्त करने के पूर्व माँगी जाती थी ।

कहा है—“तब वे बिना मुड़कर पीछे की ओर देखे हुए (यज्ञ भूमि को) लौट आते हैं । तब वह आठ कपालों में पुरोडाश लेकर अनुमति माँगता है । यह (पृथ्वी) अनुमति देने के लिये है । जो कार्य वह (राजा) करना चाहता है, वह कार्य जो व्यक्ति करना जानता है, उसे वह (पृथ्वी) अनुमति देती है । इसलिये वह यह सोचकर इस प्रकार पृथ्वी को प्रसन्न करता है कि “उस (पृथ्वी) की अनुमति पाकर मैं अभिषिक्त होऊँ* ।”

* अथानुमत्याऽष्टकपालेन पुरोडाशेन प्रचरतीयं वा
अनुमतिः स यत्तन् कर्म शक्नोति कर्तुर्म् यच्चकीर्षतोयपृथ्वी
हस्तै तदनु मन्यते तदिमासेवैतत प्रीणात्यनयानुमत्यानुमतः
सूत्याऽद्विति ।

शतपथ ब्रा० ५. २. ३. ४.

₹ २१५. इसके मूल में जो विचार है, वह केवल मानवता का है। राजा के पद या व्यक्तित्व के संबंध में यहाँ देवत्व का कोई भाव नहीं है।

राजों के उपरांत वह सोम और रुद्र को चरु देता है। धर्म-शास्त्रियों को यह बात बहुत खटकी थी कि बड़े बड़े

मूल विचार देवताओं का पूजन मानव पदाधिकारियों के उपरांत हो; इसलिये उन लोगों ने कल्पना करके इसके लिये एक कैफियत छूँढ़ निकाली और कहा कि पहले ऐसे लोगों का पूजन हो चुकता था जो पूजन के योग्य नहीं होते थे; इसलिये उसके प्रायश्चित्त स्वरूप देवताओं का पूजन करके उन्हें सतुष्ट करने की आवश्यकता होती थी॥

₹ २१६. अभिषेचनीय में पहले कुछ देवताओं को इसलिये बलि अर्पित की जाती है कि वे निर्वाचित होनेवाले

अभिषेचनीय राजा को उन गुणों से युक्त करें जो उसके पद के लिये आवश्यक होते हैं।

बल के लिये सविता की, गार्हस्थ्य गुणों के लिये गार्हपत्य अग्नि की, वनों की रक्षा करने की शक्ति के लिये सोम की, वाक् शक्ति के लिये बृहस्पति की, शासन की योग्यता के

* शतपथ ब्राह्मण ५. ३. २.

लिये इद्र की, गो-धन की रक्षा करने की शक्ति के लिये रुद्र की, सत्यता के लिये मित्र की और अंत में धर्म या कानून की रक्षा के लिये वरुण की स्तुति की जाती थी ।

६२१७. शतपथ ब्राह्मण में कहा है—“इस प्रकार वरुण, जो धर्मपति अथवा धर्म (कानून) का रक्षक है, उसे (राजा को) धर्म-पति बनाता है; और राज्य वास्तव में तभी सर्वश्रेष्ठ होता है, जब राजा धर्मपति अथवा धर्म का रक्षक होता है । जो श्रेष्ठ राज्य का अधिकारी होता है, उसके पास वे धर्म की रक्षा के लिये आते हैं# ।” ब्राह्मण ग्रंथों के लिखे जाने के समय का एक-राजता के संबंध का यह एक नया सिद्धात है । इस धार्मिक कृत्य का यही आशय है कि धर्म की रक्षा करना राजा का आवश्यक कर्तव्य है । परन्तु टीकाकारों ने इसका यह अभिप्राय बतलाया है कि किसी सर्वागपूर्ण राज्य का एक मुख्य लक्षण यह है कि धर्म या कानून का निर्वाह राजा या उसके नियुक्त किए हुए

* शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ३. ६. अथ वरुणाय धर्म-पतये । वारुण यवमय चर्हं निर्वपति तदेनं वरुण एव धर्मपतिर्धर्मस्य पतिं करोति परमता वै सा यो धर्मस्य पति-रसद्वा हि परमता गच्छति त ॥१॥ हि धर्मऽभ्यर्थति तस्माद् वरुणाय धर्मपतये ।

मिलाओ S. B E. ४१. पृ० ७१ ।

पदाधिकारियों के द्वारा होना चाहिए (उसके लिये वे धर्म की रक्षा के हेतु आते हैं) । पुराना सिद्धांत यह था कि समाज के धर्म का निर्वाह समाज के ही द्वारा होता है । जातकों के समय में यह नया सिद्धांत बस्तुतः कार्य रूप में परिणत हो गया था; और मौर्यों के साम्राज्य के समय इसका पूर्ण प्रचार हो गया था; जब कि वेतनमोगी धर्माधिकारी या जज लोग केवल राजकीय न्याय ही नहीं करते थे, बल्कि राजकीय धर्मों या कानूनों का भी निर्वाह करते थे ।

६२१८ तब समुद्र और पृथ्वी के अन्यान्य जलाशयों से जल एकत्र किए जाते हैं और उनके एकत्र करने के समय

जल-संग्रह मन्त्रों के साथ उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण किया जाता है जिसके अभिषेक के लिये वे जल एकत्र किए जाते हैं। प्रत्येक स्थान से जल लेते समय कहा जाता है—“हे राज-पद देनेवाले जलो, तुम राजत्व के दाता हो। तुम श्रमुक व्यक्ति को राजत्व प्रदान करो! ”

* स्वराज स्य राष्ट्रदा राष्ट्र ममुष्म दत्त ।

शतपथ ब्राह्मण ५. ३ ४ २१.

वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म देहीति ।

शतपथ ब्राह्मण पृ. ३. ४. ६.

जलो के वर्णन और विवरण में राष्ट्र-सघटन के सूचक चिह्नों के साथ काव्य का भी पुट मिला रहता है। इतिहास-प्रसिद्ध सरस्वती, देश की बड़ी बड़ी नदियों तथा समुद्र से जल लाया जाता है। इन समस्त एकत्र किए हुए जलों में उस स्थान की छोटी सी गढ़ी तक का जल मिलाया जाता है। उस छोटी सी गढ़ी से भी यह भव्य प्रार्थना की जाती है—“तुम राजत्व प्रदान करनेवाली हो। अमुक व्यक्ति को राजत्व प्रदान करो।” ब्राह्मण इंयों की इस पवित्र प्रार्थना पर बहुत विस्तृत टीका है और वह टीका विशिष्ट रूप से इसी तुच्छ गढ़ी के लिये है। “वह (जल) प्रजा को स्थिर करता है (गढ़ी का जल स्थिर रहता है) और उसे राजा के प्रति निष्ठ बनाता है॥” जिस देश पर राजा शासन करने को होता है, उस देश का एक साधारण और कुद्र जलाशय भी उसकी राजकीय शक्तियों का एक पवित्र साधन या उद्गम बनाया जाता है।

* मादास्य राष्ट्रदा राष्ट्र मनुष्म दत्तेति तामिरभिषिचति ।
स्थावरामनपक्षमर्णीं करोति ॥०॥

शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ४. १४ मिलाओ तैत्तिरीय
सहिता १. ८ ११ ।

६ २१६. राष्ट्र के शासन के लिये, लोगों पर शासन करने के लिये (जानराज्याय*) राजा में शासन की शक्ति उत्पन्न कराने के उद्देश्य से देवताओं से प्रार्थना कर चुकने पर भी देश की नदियों, भारत के जलाशयों को राष्ट्रदा या राजत्व प्रदान करनेवाला कहा जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे राजा को राजत्व की वास्तविक मर्यादा प्रदान करें। देवता लोग राजा में राष्ट्र का शासन करने की योग्यता या गुण उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु वे उसे देश का राजत्व प्रदान नहीं कर सकते। यह अधिकार केवल देश के जलाशयों को प्राप्त है। और वह भी उसी दशा में जब कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जलाशय के जल एकत्र हो। गाँव की छोटी सी गढ़ी की भी जो इतनी खुशामद की जाती है, उसका यही कारण है। इस धार्मिक कृत्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यद्यपि यह एक पुराना और अनगढ़ लाक्षणिक भाव है, परंतु इसमें समस्त कालों के लिये एक बहुत बड़ा विचार निहित है।

६ २२०. अभिपेचन दोहरा होता है। पहले तो राज्य के भिन्न भिन्न वर्गों या वर्णों के प्रतिनिधि राजा पर एकत्र किए हुए जल छिड़कते हैं; और तब दूसरी बार राज-

* देखो तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७. ६ ७.

पुरोहित निर्वाचित राजा के राजसिहासन या आसदी पर
 आरूढ़ होने से पहले अभिषेक करते हैं। मित्रावरण की
 अभिषेचन वेदी के सामने सिंह की खाल बिछाई
 जाती है और तब राजा उस पर आरूढ़
 होता है। एक एक करके चार आदमी अभिषेक करते हैं।
 पहला ब्राह्मण होता है, दूसरा निर्वाचित-राजा के कुल या
 गोत्र का कोई व्यक्ति होता है; तीसरा राजन्य या क्षत्रिय
 होता है और चौथा वैश्य होता है, जिसका शब्दार्थ है—
 प्रजा या जनसाधारण में का एक व्यक्ति*। इस अवसर
 पर शूद्र नहीं रहता, और राजा का सगोत्रिय एक वर्थ की
 पुनरावृत्ति जान पड़ता है (क्योंकि राजन्य वर्ग का व्यक्ति
 तो अभिषेक करता ही है)। तैत्तिरीय यज्ञ-विधान में
 राजा के सगोत्रिय का नाम नहीं है (तैत्ति० ब्रा० १. ७. ८.)
 और उसमें केवल ब्राह्मण के रूप में पुरोहित, राजन्य, वैश्य
 और जन्य ये चार अभिषेक करते हैं। जैसा कि ऐतरेय
 ब्राह्मण ८ २६. में कहा है और जैसा कि वास्तव में आरंभ
 में था, अंतिम जन्य शूद्र के स्थान में है और उसका
 अभिग्राय है—शत्रु या विरोधी दल का व्यक्ति। इसके परवर्ती
 कालों में शूद्र भी सदा उपस्थित रहता है।

* शतपथ ब्रा० ५ ३. ५. ११-१४.

इसके उपरात निर्वाचित राजा अदर एक रेशमी बख्त
और तब उसके ऊपर एक और परिधान धारण करता है
और सिर पर उष्णीष या किरीट रखता है*। शतपथ
व्राह्मण में बख्त आदि धारण करने का विधान नहीं है और
इसके लिये एक ऐसा सुंदर और कलायुक्त कारण बतलाया
गया है जो हिंदुओं और यूनानियों में समान रूप से था।
वह कारण इस प्रकार है—“शरीर के अंग ही उसके
प्राकृतिक परिधान हैं और बख्त या ऊपरी परिधान उसे उसके
वास्तविक और शारीरिक रूप से वन्चित कर देते हैं।”

६ २२१. इसके उपरात अधिकार ग्रहण और धोषणा के
कृत्य होते हैं। पुरेहित राजा को एक ढढ घनुप तथा तीन
अधिकार ग्रहण और धोषणा बाण देता है और उनके उद्देश्य से
एक मंत्र का उच्चारण करता है जिसका
आशय है—“तू आगे की ओर से
राजा की रक्षा कर” आदि। इस कृत्य के उपरात भी

* कुछ लोग उष्णीष का अर्थ पगड़ी लेते हैं और कुछ
लोग किरीट। रामायण में किरीट ही है। युद्ध काढ
१३८. ६४.

[†] शतपथ व्रा० ५ ३. ५ २५

राजा भूमि पर सिंह की खाल पर खड़ा रहता है और तब आविद् मंत्रो का उच्चारण होता है* ।

‘‘हे पुरुषो, तुम्हें इस महान् रक्षा (या रक्षक) की सूचना दी जाती है, गर्हपत्य अग्नि को सूचना दी जाती है, सुविख्यात इन्द्र को सूचना दी जाती है, ब्रत का धारण करने-वाले मित्र और वरुण को सूचना दी जाती है, धन के देवता पूषा को सूचना दी जाती है । कल्याणकारी आकाश और पृथ्वी को सूचना दी जाती है, अदिति को सूचना दी जाती है ।’’

शतपथ ब्राह्मण, वरलाला है कि ये धोषणाएँ कुछ विशिष्टताओं की सूचक होती हैं। अग्नि ब्राह्मणों का सूचक है, इन्द्र राज्य के प्रमुख पुरुषों का सूचक है, पूषा पशु जगत् का सूचक है और इसी प्रकार और सब भी किसी न किसी के सूचक हैं। दूसरे आविदों का चाहे और जो कुछ वास्तविक महत्त्व हो, पर इसमें संदेह नहीं कि निर्वाचित

* वाजसनेयी सहिता १०. ६.

आविर्मर्या आवित्तो अग्निर्घपतिरावित्त इन्द्रोवृद्ध-
श्वा आवित्तौ भित्रावरुणौ धृतव्रतावावित्तः पूषा विश्ववेदा
आवित्ते द्यावापृथिवी विश्वशस्मुवावावित्तादितिशशर्मा ॥

† शतपथ ब्राह्मण ५. ३ ५ ३१-३७

राजा के सब ध का पहला आविद् या घोषणा लोगो अथवा
प्रजा के प्रति होती है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि ये
आविद् या घोषणाएँ राज्याभिपेक के लिये अनुमति प्राप्त
करने के उद्देश्य से होती हैं—“तैरनुमतः सूयते,” और
अनुमति पाकर वह राज्याभिषिक्त होता है।

पचीसवाँ प्रकरण

ब्राह्मण काल का राज्याभिषेक और उसका संघटनात्मक महत्व (क्रमागत)

६ २२२. आवित्-घोषणा के उपरात पवित्र ऋभिषेक का इद्र-कृत्य होता है (शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ५. २.)

राज्यारोहण का निर्वाचित राजा के राज-सिंहासन पर ब्रत या शपथ बैठने से पूर्व सर्व-सम्मति से यही समझा जाता है कि राजा ने ब्रत धारण किया है—वह धृत-ब्रत हुआ है*। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१. ७. १०. १-६) में इन ब्रतों या प्रतिशाश्रों का फिर इस प्रकार उल्लेख आया है—“सत्य सब” या सच्चा त्याग, “सत्य-धर्म” या शुद्ध (अथवा निष्ठ) आचरण, “सत्यानुरूपे वस्तुणः” सत्य (या शपथ) और अनृत (या असत्य अथवा अनिष्ठता) के अधिकारी (या देवता) वस्तुण हैं और “सत्य-राजा”

* निषसाद धृतब्रतः । वाजसनेयी सहिता १० २७, तैत्तिरीय संहिता १. ८ १६, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७ १०. २, ऐतरेय ब्राह्मण ८. १८

अथवा सच्चा राजा । बार बार के इस प्रकार के कथनों का क्या अभिग्राय है ? इस स्थान पर उस व्रत या प्रतिशा का उल्लेख नहीं किया गया है, परतु ऐतरेय ब्राह्मण के इ-इ-कृत्य के विधान में वह दिया गया है। जैसा कि परबर्ती ग्रंथों और प्रथाओं से प्रमाणित होता है, यह कृत्य सभी स्थानों और देशों में किया जाता था। इसी लिये दूसरे ब्राह्मणों में इसका उल्लेख मात्र कर दिया गया है और उद्धरण देकर इनकी पुनरावृत्ति नहीं की गई है। निर्वाचित राजा जो व्रत धारण करता था, अथवा आजकल की कथन प्रणाली के अनुसार राज्याभिषेक के समय वह जो शपथ करता था, वह ऐतरेय ब्राह्मण में इस प्रकार दी गई है*—

“ [इद्र-यज्ञ के इस महान् राज्याभिषेक के द्वारा क्षत्रिय व्रत ग्रहण करे । वह शुद्ध भाव से उच्चारण करे ।] रात्रि में मेरा जन्म हुआ है और मैं रात्रि में ही मर्हे यदि

[एतेनैद्वेषं महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वा अभिषिञ्चेत् स ब्रूयात् सह श्रद्धया] याज्ञ्च रात्रीमजायेह याज्ञ्च प्रेतास्मि तदुभयमंतरेणष्टपूर्ते मे लोक सुकृतमायुः प्रजा वृज्जीथा यदि ते द्वुहेमिति । ऐतरेय ब्राह्मण ८ १५

मैं तुम्हें पीड़ित करूँ तो मैं अपने समस्त शुभ कर्मों, अपने स्वर्ग, जीवन और अपने वंश से वंचित होऊँ ।”

यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि इस व्रत या प्रतिशा का स्वरूप बिलकुल पण्णात्मक है, अर्थात् इसमें एक प्रकार की शर्त की जाती है; और ऐसा जान पड़ता है कि वास्तव में कुछ काम करने के उद्देश्य से ही यह प्रतिशा की जाती है। इस व्रत में किसी प्रकार के दैवी साधन आदि का कोई उल्लेख नहीं है। यह शुद्ध मानव है और इसमें हृदय की वैसी ही मानव शुद्धता और सत्यता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यह व्रत सभी प्रकार के शासन-विधानों में ग्रहण किया जाता था। राज्य का शासन चाहे जिस प्रकार का होता, राजा साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य या सार्वभौम चाहे जिस प्रकार की शासन-ग्रणाली के लिये अभिषिक्त होने को होता, सभी दशाओं में उसे यह व्रत ग्रहण करना पड़ता था॥ । हमें इस समय राज्याभिषेक

* स य इच्छेदेवं वित्तन्त्रियमयं सर्वा जितीर्जयेतायं
सर्वाङ्गोकान्विन्देताय सर्वेषा राजा शैष्ठथमतिष्ठा परमता
गच्छेत् साम्राज्य भौज्य स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं
माहाराज्यमाधिपत्यमय समंतपर्यायो स्थात्सार्वभौमः सार्वायुष

के ब्रत या शपथ के इतिहास और प्रभाव का ही विवेचन करना है; इसलिये हम अभी अन्यान्य कृत्यों और उनके तात्पर्य आदि का विचार छोड़ देते हैं।

§ २२३. आविद् या घोषणा के उपरात राजा काठ के सिंहासन* (आसदी) पर आरूढ़ होता है, जिस पर साधारणतः शेर की खाल बिछी रहती है। इस अवसर के लिये चार मन्त्र हैं और उनके द्वारा चारों वर्णों के प्रतिनिधियों से निर्वाचित राजा की, बहुमूल्य कोष की भाँति, रक्षा करने के लिये कहा जाता है।

आऽन्तादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एक-राङ्गिति तमेते
नैन्देण महामिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाऽभिषिञ्चेत् ॥.

ऐतरेय, द. १५.

* आगे चलकर जब हाथी-दाँत और सोने के सिंहासन बनने लगे थे, तब भी काठ के सिंहासन का व्यवहार किया जाता था। देखो महाभारत (कुम०) शान्तिपर्व, ३६. २. ४. १३-१४. यद्यपि वह (खदिर की) लकड़ी का बनता था, परन्तु जैसा कि ब्राह्मणों के विवरण से जान पड़ता है, विस्तृत और विशाल हुआ करता था। यशो में भरतों के सिंहासन की बनावट या तर्ज प्रसिद्ध है।

₹ २२४. वैधानिक दृष्टि से यह बात सबसे अधिक महत्त्व की है कि राज्य के चारों ओरों के द्वारा राजा की रक्षा होती है। अपने पद पर प्रजा द्वारा रक्षित होकर वह शासन-कार्य करता है। हिंदू राजनीति में यह एक सर्वमान्य और निश्चित सिद्धांत था—राष्ट्रेण राजा व्यसने परिरक्ष्यस्तथा भवेत्*।

“हे राजन्! तू पूर्व में आरोहण कर, वसतु ऋतु और ब्रह्मण्य तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रक्षा करें। तू दक्षिण में आरोहण कर; दक्ष तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रक्षा करे। तू पश्चिम में आरोहण कर; विश् तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रक्षा करे। तू उत्तर में आरोहण कर; फलां तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रक्षा करे।

उससे दिशाओं में आरोहण करने के लिये कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि उसका राज्याभिषेक सभी दिशाओं से हो रहा है।

₹ २२५. सिंहासन पर आरूढ़ होने से पहले निर्वाचित राजा सोने के एक पत्तर पर पैर रखता है। उस पत्तर में

* महाभारत शांतिपर्व १३०, ३२. (कुंभकोणम्)

† जान पड़ता है कि इस शब्द का व्यवहार शूद्र के लिये हुआ है।

सौ अथवा नौ छिद्र होते हैं। उसी पत्तर के छेदों में
 पुरोहित द्वारा से पुरोहित राजा के सिर पर जल का
 अभिषेक करता है। उस समय इस
 मन्त्र का उच्चारण किया जाता है*।

सोमस्य त्वा द्युम्नेनाभिषिञ्चाम्यग्नेभ्राजसा सूर्यस्य वर्चसा
 इन्द्रस्येन्द्रियेण।

क्षत्राणा क्षत्रपतिरेध्यतिदिघ्न् पाहि ॥ २ ॥
 इमं देवा असपत्न॑ पुषुबद्धम् महते क्षत्राय ।
 महते ज्यैष्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥
 इममसुष्य पुत्रमसुष्य पुत्रमस्य विश एष वो ।
 इमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना॑ प राजा ॥

“सोम के वैभव से मैं तुझे अभिसिंचित करता हूँ,
 अग्नि के तेज से, सूर्य के प्रताप से, इंद्र के वल से, मैं
 तुझे अभिसिंचित करता हूँ। तू क्षत्रपतियों का क्षत्र-
 रक्षक हो।”

* ये मन्त्र वाजसनेयी सहिता (शुद्ध यजुर्वेद) ६. ५.
 ४० और १०. ५. १७-१८ में आए हैं। सहिता के इन
 दोनों अध्यायों में राज्याभिषेक के लिये मन्त्र दिए गए हैं,
 जिनसे ब्राह्मणों के अन्यान्य कृत्यों या विधानों का विकास
 हुआ है।

“हे देवताओ, अमुक पुरुष तथा अमुक स्त्री के पुत्र और अमुक विश् या प्रजा के स्वामी को तुम द्वात्र धर्म के लिये, महत्ता के लिये, विशाल रघृय शासन के लिये और इंद्र के बल के लिये अनुपम बनाओ। हे प्रजान्वर्ग के लोगो। यह व्यक्ति तुम्हारा राजा है, यह हम ब्राह्मणों का सोम है।”

आपस्तंब, बौधायन और कात्यायन (सायण द्वारा उधृत श्रौत सूत्रो) के अनुपार विश् का अर्थ है—राष्ट्र अथवा राज्य की समस्त प्रजा। यथा भरत, कुरु या पाचाल आदि। कात्यायन ने विश् का अर्थ “जाति” किया है। उसकी कल्पना थी कि आरंभ में राज्य की सीमा अनिश्चित या अनवस्थित थी; इसी लिये विश् शब्द का व्यवहार होता था। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता (१. द. १०.) में विश् के स्थान में “हे भरतो !” (एष वो भरता राजा) कहा गया है, जिससे सिद्ध होता है कि श्रौत सूत्रकारों का अर्थ ठीक है। जान पड़ता है कि यजुर्वेद को रचना भरत राज्य (दिल्ली-आगरा) में हुई थी।

॥ २२६. सोम समस्त बनस्पतियों का जीवन-दाता है॥
ब्राह्मणों का सबंध सोम से था, इसलिये सोम का देवता ही

* वाजसनेयी संहिता ६. ५. ३६ ।

ब्राह्मणों का भी देवता माना जाता था। राजा का गज्याभिपेक समस्त विश् या प्रजा के राजा के रूप में होता है, जिसमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं; ब्राह्मण और कर और पुरोहित उसे सोम कहकर यह भाव व्यंजित करता है*। ऊपर वेद का जो उद्धरण दिया गया है, शतपथकार ने उसके अंतिम वाक्य की एक विवादास्पद और विचारणीय व्याख्या दी है। वह कहता है कि इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों का राजा वह निर्वाचित राजा नहीं है, बल्कि सोम है। परंतु मूल में जो एष (इस) शब्द है, और उसके साथ विश् या गण का जो नाम लिया जाता है, तथा ब्राह्मण अधीनता सूचित करने के समय अपने जो अधिकार राजा को देता है, उसके साथ उस व्याख्या की संगति नहीं बैठती॥

* देखो आगे (६ २३०) अभिनदन या अधीनता-स्वीकृति का प्रसंग, जहाँ राजा को ब्राह्मण और समस्त प्रजा के बल से बलिष्ठ कहा गया है। साथ ही मिलाओ और पुरोहित द्वारा राजा को संबोधन—“तू ब्राह्मण है, तू सविता है, तू वर्ण है,” इत्यादि। (वाजसनेयी सहिता ८.२८) और यहाँ का ‘सोम’ शब्द।

शतपथ वास्तव में ब्राह्मण-काल के अत का है; और जान पड़ता है कि पुरोहित ब्राह्मण लोग उस समय तक यह कहने लग गए थे कि राजा को हम ब्राह्मणों से कर लेने का अधिकार नहीं है। शतपथ में कहा है कि इस अपवाद का अभिप्राय यह है कि राजा को अपनाकर ब्राह्मणों के अतिरिक्त और सब लोगों से लेना चाहिए*। ऐतरेय ब्राह्मण से सूचित होता है कि ब्राह्मण पूर्ण रूप से राजा के अधीन हैं और यही बात जातको से भी सूचित होती है। वाजसनेयी ब्राह्मण उपनिषद्, जो कि शतपथ की शाखा का है, ब्राह्मण को राजा के अधीन बतलाता है। (तस्मात् क्षत्रात्परं नास्ति तस्माद् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तुपास्ते राजस्यै ।) क्षत्रिय या राजा के ऊपर कोई नहीं है, इसी लिये राजस्य में ब्राह्मण को क्षत्रिय से नीचे बैठना पड़ता है। (४. २.) तैत्तिरीय शाखा शतपथ का यह अर्थ नहीं मानती। भद्रमास्कर इस वैदिक मंत्र का यह अभिप्राय बतलाते हैं कि ब्राह्मण कभी बिना राजा के नहीं रहना चाहिए; इसी लिये जब तक

* शतपथ ब्राह्मण ५. ४. २. ३. तदस्माऽ इदं पुर्वसर्वं भाद्यं करोति ब्राह्मणमेवापोद्धरति तस्माद् ब्राह्मणो नाथः सोमराजा हि भवति ।

† ऐतरेय ब्राह्मण ७. २६.

राजा का राज्याभिषेक न हो, तब तक के लिये वह सौम के अधीन माना जाता है; और जब राजा का राज्याभिषेक हो जावा है, तब राजा उसका भी राजा हो जाता है। (अस्माकं ब्राह्मणानां सोमो राजा, अधुना अयं चेति । सर्वदा सराजका वयं इत्यभिप्रायः ।) (तैत्तिरीय वेद, मैसूर, ३. पृ० १५७-५८.) ऐतरेय का यह आशय है कि वह ब्राह्मणों और धर्म का रक्षक हो जाता है (द. १२) । शतपथकार का दावा केवल यहीं तक परिमित है कि ब्राह्मण लोग कर देने से मुक्त हैं। वशिष्ठ ने अपने धर्मशास्त्र (१. ४५.)*

* राजा तु धर्मेणानुशासत्षष्ठं धनस्य हरेत् ॥ ४२ ॥

“जब राजा धर्म के अनुसार शासन करता हो, तब उसे धन का छुठा अंश लेना चाहिए ।” अन्यत्र ब्राह्मणात् ॥ ४३ ॥ “ब्राह्मणों को छोड़कर ।” इष्टपूर्तस्य तु षष्ठमंशं भजतीति ह ॥ ४४ ॥ “क्योंकि वह अपने सत्कर्मों या पुण्यो का छुठा अंश देता है ।” ब्राह्मणों वेदमाह्यं करोति ब्राह्मणो आपद उद्धरति तस्माद्ब्राह्मणो नाद्यः । सोमोऽस्य राजा भवतीति ह ॥ ४५ ॥ “ब्राह्मण वेदों की वृद्धि करते हैं, ब्राह्मण आपत्ति से उद्धार करते हैं; इसलिये ब्राह्मणों पर कर नहीं लगना चाहिए । बस्तुतः (शतपथ के अनुसार) सौम उनका राजा होता है ।”

मैं शतपथ के भाष्य के आधार पर यह एक नियम ही बना दिया है कि ब्राह्मण पर कर नहीं लगाना चाहिए; और इसके लिये एक और कारण यह भी दिया है कि वह अपने सत्कर्मों या पुण्य का छुठा अंश राजा को देता है (१.४४.)। जान पड़ता है कि आरंभ में वैदिक ब्राह्मणों को कर से मुक्त करने के प्रश्न पर धर्मशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों में मतभेद था। अर्थशास्त्री या राजनीतिश उनका यह दावा नहीं मानते थे। मानव अर्थशास्त्र (जिसका उक्तेख महाभारत में भी प्रामाणिक द्रंथ के रूप में हुआ है, परंतु जो अभी तक कहीं मिला नहीं है) का उद्धरण सोमदेव ने अपने नीतिवाक्यामूल (अ० ७) में दिया है जिसका आशय यह है कि जो लोग वनों में रहकर तपस्या करते हैं अथवा जो उच्छ्रील हैं (अर्थात् खेतों में गिरा हुआ अब एकत्र करके अपना निर्वाह करते हैं), वे भी उसका छुठा अंश राजा को देते हैं। यह उसका अंश है जो उनकी रक्षा करता है। (उच्छ्रष्टभागप्रदानेन वनस्था अपि तपस्विनो राजानं सम्भावयन्ति। तस्यैव तद्भूयात् यस्तान् गोपायति इति ॥) जान पड़ता है कि अंत में इसका निर्णय यही हुआ था कि केवल पुराहित ब्राह्मण कर से मुक्त है। महाभारत-^१ (शातिपर्व ७६. ५.)

* अश्रोत्रियाः सर्वं एते सर्वे चानाहितान्यः ।

तान्सर्वान् धामिको राजा बलि विष्टि च कारयेत् ॥

महाभारत शातिपर्व ७६. ५ ।

मैं कहा हूँ कि जो ब्राह्मण वैदिक पुरोहित नहीं हैं, उनके लिए राजकर दातव्य है। मनु के धर्मशास्त्र (७.१३३.)^{*} में भी यही कहा है कि केवल वैदिक पुरोहित या श्रोत्रिय ही राजकर से मुक्त हैं।

वशिष्ठ आदि धर्मशास्त्रियों ने राज्याभिषेक-संबंधी मंत्रों आदि का जो विवेचन किया है, उससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन हिंदू लोग इन कृत्यों तथा मंत्रों आदि के राज-संघटन संबंधी स्वरूप और प्रभाव से परिचित थे। धर्म-शास्त्रकार उन्हें राष्ट्र के संघटन के विधानों आदि का आधार मानते थे।

॥ २२७. तीन सीढ़ियों के उपरात वह काठ के सिंहासन पर चढ़ता है; और वाजपेय यज्ञ की भाँति इसमें भी उसे

संबोधित करके नीचे लिखे राष्ट्र-विधान
संबंधी वाक्य, जो सहिता से लिए गए

हैं, कहे जाते हैं—

इयं ते राट् । यन्तासि यमनो ग्रुवोऽसि घरणः ।
- कृष्णै त्वा द्वेमाय त्वा रथै त्वा पोषाय त्वा ॥†

* मिथ्यमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् । मानव
धर्मशास्त्र ७. १३३ ।

† शतपथ ५. २. १. २४ ।

(१) “तुम्हे यह राष्ट्र या राज्य दिया जाता है, (२) तु संचालक और नियामक है; तृ भ्रुव (दृढ़) और धारण करनेवाला (इस राज्य या उत्तरदायित्व का) है; (३), तुम्हे (यह राज्य दिया जाता है) कृषि के लिये, क्षेम के लिये, सपन्नता के लिये, पोषण या वर्द्धन के लिये ।” जब पहला वाक्य कह चुकते हैं, तब वह बैठा दिया जाता है ।

आध्यात्मिक भाष्यकार ने इस बात पर जोर दिया है* कि इसी मंत्र के आधार पर मनुष्य को राजत्व प्राप्त होता है । इसके द्वारा उसे राजकीय अधिकार प्राप्त होता है । “तुम्हे यह राष्ट्र या राज्य दिया जाता है” यह वाक्य राज्याभिषेक के समय कहे जानेवाले समस्त वाक्यों में सबसे अधिक पवित्र और महत्त्वपूर्ण है । इसका इतना अधिक प्रबल और गंभीर परिणाम होता है कि एक मनुष्य को राज-पद प्राप्त हो जाता है । हिंदू एकराजता के इतिहास में ब्राह्मणकार की यह स्पष्ट व्याख्या बहुत ही अधिक महत्त्व की है । एकराजता का मुख्य आधार यही राज-पद-प्रदान का पवित्र कृत्य है, न कि उत्तराधिकार आदि का और कोई सिद्धात ।

जिस उद्देश्य से राज्य दिया जाता है, उसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है—“कृषि के लिये, क्षेम के लिये,

* शतपथ ५. २. १. २५ ।

संपन्नता के लिये, पोषण या वर्द्धन के लिये ।” और सब मिलाकर संक्षेप में यह भाव इस प्रकार व्यक्त किया गया है—“सब प्रकार की सुख-संपन्नता के लिये ।” जैसा कि भाष्यकार ने “साधवे त्वा” से इसकी व्याख्या की है । यह कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक धरोहर या थाती है और यह परम पवित्र कृत्यों के द्वारा सौंपी जाती है ।

इस धार्मिक कृत्य में जो भाव निहित है, वह पूर्ण रूप से मानव है । अमुक पुरुष तथा अमुक स्त्री का पुत्र अमुक अमुक प्रजा का राजा बनाया जाता है । उसकी नियुक्त किसी देवी विभूति के द्वारा नहीं होती । वह मनुष्य के द्वारा ही नियुक्त होता है और मनुष्य के ही द्वारा उसका राज्याभिपेक होता है । जिस प्रकार और सब कार्यों में देवताओं से सहायता माँगी जाती है, उसी प्रकार उसकी सहायता करने के लिये भी देवताओं से प्रार्थना की जाती है । परंतु वे देवता उसे राज्य नहीं देते । राज्य-प्रदान का कार्य तौ मनुष्यों के द्वारा होता है; और यह भाव इन शब्दों से व्यक्त किया जाता है—“तुझे यह राज्य दिया जाता है ।”

६२२८. ये वाक्य संहिता के अ० ६, मत्र २२ से लिए गए हैं । मूल मंत्र का आरंभ मातृ-भूमि के नमस्कार से होता है । (नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या...) और निर्वाचित राजा को वही मातृभूमि राज्य या राजत्व के रूप में बतलाई जाती है । शतपथ के जो आधुनिक

संस्करण है, उनमें 'पोषाय त्वा' के उपरांत एक मध्यवर्ती 'इति' के साथ 'साधवे त्वा' शब्द भी मिलते हैं। संहिता से पता लगता है कि ये शब्द मूल पाठ मे के नहीं हैं। जान पड़ता है कि शतपथकार ने इन शब्दों का व्यवहार व्याख्या के रूप मे किया है।

६२६. अब हम अभिषेक के उपरांत होनेवाले कुछ ऐसे कृत्यों का विवेचन करते हैं जो अपेक्षाकृत कम महत्व के और कुछ कम आवश्यक हैं।

अब ब्रत-धारी सिंहासन पर से नीचे उतरता है और जंगली सूझार के चमड़े के जूते पहनता है^{*}। और तब चार

घोड़ों के रथ पर चढ़कर कुछ दूर तक
अभिषेक के उप- जाता है[†]। राजा के राज्याभिषिक्त
रांत के कृत्य

होने के उपरांत उसकी जो सवारी निकलती है, हिंदुओं में उसका मूल यही जान पड़ता है। और आगे चलकर जिस समय रामायण की रचना हुई थी, उस समय इसने बहुत विशाल और विस्तृत रूप धारण किया था।

राजा तुरंत ही लौटकर राजसिंहासन के पास आता है; और जब वह उस पर आरोहण करता है, तब पुरोहित

* शतपथ ब्रा० ४. ४. ३९.

† शतपथ ब्रा० ४. ४. २३. आदि।

कहता है—“तू इस सुखद और कोमल सिंहासन पर बैठ॥”
 इसके उपरांत एक बहुत ही विलक्षण कृत्य होता है।
 एक छड़े से बहुत कोमलतापूर्वक राजा की पीठ को सर्व
 किया जाता है। यह ढंडा न्यायदंड का सूचक होता है।
 इससे यह भाव सूचित होता है कि राजा धर्म या कानून के
 ऊपर नहीं है, बल्कि वह भी उसके अधीन हैं। इस कृत्य
 का जो अभिप्राय बतलाया गया है, वह बहुत ही मनोरंजक
 और श्रुतिमधुर है। भाष्यकार ने कहा है कि यह कृत्य
 इसलिये किया जाता है कि इसके द्वारा राजा का शरीर या
 व्यक्तित्व दंड-वध से परे हो जाता है, (अर्थात् उसे वध का
 दंड नहीं दिया जा सकता)।

६ २३०. अभिषेक के उपरांत जो कृत्य होते हैं, उनमें
 से कर्म-कांड की हृषि से भी और यष्टि-विधान की हृषि से
 अधीनता-स्वीकृति भी वह कृत्य सब से अधिक महत्व का
 होता है जिसमें लोग राजा की अधीनता
 स्वीकृत करते हैं। इसके लिये कुछ निश्चित विशेषणों से

* शतपथ ब्रा० ५. ४. ४. ४.

† शतपथ ब्रा० ५ ४. ४. ७. अथैनं पृष्ठतस्त्वौणीमेव
 दंडैन्नन्ति । त दंडैन्नन्तो दंडवधमति नयन्ति तस्माद्राजा
 दंड्यो यदेनं दंडवधमतिनयन्ति ।

‡ मिलाओ मनु, ७ ।

युक्त मंत्र आदि हैं जो श्रुति-साहित्य में सब जगह प्रायः एक ही रूप में पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धार्मिक हृषि से यह एक बहुत बड़ा बंधन और आवश्यक कृत्य था और फलतः इसका बहुत अधिक महत्व था।

६२३। राजा सिंहासन पर बैठता है और उसके नीचे चारों ओर से उसे धेरकर सब रल्नी, राज्य के स्तम्भ ब्राह्मण, ब्राह्मण पुरोहित, सरदार, ग्रामणी तथा अन्य लोग बैठते हैं। सब से पहले ब्राह्मण लोग राजा की अधीनता स्वीकृत करते हैं। ये ब्राह्मण दौ हैसियतों से होते हैं। एक तो ब्राह्मण वर्ण की हैसियत से रलनियों की सभा के सदस्य और दूसरे पुरोहित की हैसियत से। इन वर्णों आदि के अधीनता स्वीकृत करने से पहले राजा पृथ्वी की अधीनता स्वीकृत करता है। वह कहता है—

पृथिवि मातर्मा मा हि९० सीर्माडश्रहं त्वाम् ।
 अर्थात्—हे पृथ्वी माता, न तो तुम मुझे कष्ट पहुँचाओ
 और न मैं तुम्हें कष्ट पहुँचाऊँ । भाष्यकार का कथन है कि
 यह कृत्य इसलिये किया जाता है कि जिसमें पृथ्वी कहीं उसे
 पद-भ्रष्ट न कर दे* ।

* शतपथ ब्रा० ५. ४. ३. २०. मेर्यं नावधून्वीत ।
शतपथकार के अनुसार पृथ्वी या देश और राजा में मित्रता

इस कृत्य के आरंभ में राजा ब्राह्मण को संबोधित करके कहता है—“हे ब्राह्मण !” परंतु ब्राह्मण उसे बीच में ही रोककर कहता है—“तू ब्राह्मण है, तू सच्चा बलशाली वर्षण है”—“तू ब्राह्मण है और समस्त विश्व के बल से बलिष्ठ हैं।” राजा पाँच बार पाँच ब्राह्मणों और पुरोहितों को इसी प्रकार सम्मानपूर्वक सबोधन करने का प्रयत्न करता है, और हर बार वे पुरोहित और ब्राह्मण अपना वह सम्मान राजा को देते हैं; और कहा जाता है कि राजा सबका

का संबंध स्थापित हो जाता है; “और माता न तो अपने पुत्र को पीड़ा पहुँचाती है और न पुत्र माता को पीड़ा पहुँचाता है।” नहि माता पुत्रपूर्णिमित न पुत्रो मातरम् ।
Eggelling, S. B. E. खं० ४१. पृ० १४३ ।

* वाजसनेयी संहिता १०. २८. तैत्तिरीय ब्राह्मण १.
७. १० ।

† इसका यह भाव जान पड़ता है कि अब ब्राह्मण इस प्रकार श्रेष्ठता-सूचक शब्दों में सबोधित नहीं किया जा सकता । समस्त राष्ट्र द्वारा, जिसमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, राजा को जो श्रेष्ठ पद दिया जाता है, उसके कारण हिंदू राजा कानून या धर्म और सघटन-विधान दोनों की दृष्टि से सब वर्णों और जातियों से श्रेष्ठ हो जाता है ।

स्वामी और (समस्त विश् के बल से) समस्त यष्ट् या प्रजा का प्रतिनिधि है ।

तब राजा को, जो प्रजा की समृद्धि का वर्द्धन करनेवाला होता है* कोई ब्राह्मण या पुरोहित एक बलिदानवाली तलवार देता है† । यह तलवार राजा अपने अधिकार के चिह्न-स्वरूप राज्य के समस्त अधिकारियों और ग्रामणियों को देता है और उन लोगों से उन्हीं निष्ठापूर्ण शब्दो में, जो पहले ब्राह्मण कहता है, सहयोग करने के लिये कहता है—“इसके द्वारा मेरी ओर से शासन करो (तेन मे राज्य) । यह वाक्य शिल्षि है । इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है—इससे मेरी सेवा करो (तेन मे राज्य)‡ । इस पिछली दशा में दूसरा अर्थ ही अभिप्रेत है । सहयोग करने की यह आशा सजात या राष्ट्र के व्यक्तिगत सदस्य और अंग को भी दी जाती है + ।

* शतपथ ब्राह्मण ५. ४ ४. १४. इसका शब्दार्थ है—‘बहुत काम करनेवाला, अच्छा काम करनेवाला, अधिक काम करनेवाला’ ।

† शतपथ ब्राह्मण ५. ४. ४. १६.

‡ इस श्लेष को न समझने के कारण शतपथकार- (५ ४. ४. १५ से १६) भी चक्रा गए हैं ।

+ नजर मे बहुमूल्य पदार्थ लेने और उनके बदले में अच्छे अच्छे पदार्थ पुरस्कार-स्वरूप देने की जो प्रथा बाद

नवीन राजा का कार्य यहाँ समाप्त नहीं हो जाता। यह प्रमाणित करने के लिये कि पांसे के खेल की तरह राज्य का

शासन भी एक ऐसा ही कार्य है जो किसी
शासन का सूचक खेल अकेले आदमी से नहीं हो सकता, वह
राजियों से पांसे का खेल खेलने के
लिये कहता है जो वास्तव में एक दूसरे ही भाव का सूचक होता है। इसमें दोंव पर एक गौ लगाई जाती है जो विशेषतः उसी अवसर के लिये समाज का कोई साधारण सदस्य लाता है*। राज्य-शासन के इस बड़े खेल में, जो राजा और उसके मंत्री खेलने को होते हैं, वह पवित्र पशु दोंव पर लगाया जाता है। दोंव पर लगाई हुई यह चीज समाज के परम दीन व्यक्ति की संपत्ति होती है। वह दीन नागरिक अपनी यह संपत्ति बहुत ही प्रसन्नता-पूर्वक राजा की मेंट करता है। उन खेलनेवालों को यह संपत्ति एक सजात के द्वारा सौंपी जाती है, जिसका

मैं चली थी और जो मुगल बादशाहों के समय तक बगवर जारी रही, उसका हमारे यहाँ के इन पुराने विधानों में कहीं नाम भी नहीं था।

* शतपथ ब्राह्मण ५. ४. ४, २०-२५.

अभिप्राय है—वह व्यक्ति, जो खेलनेवालों के साथ उत्सन्न हुआ हो, अथवा जैसा कि सायण ने बतलाया है—समान जन्मवाला, अर्थात् राष्ट्र या प्रजा का व्यक्ति या अग। इन भौतिक चिह्नों में राष्ट्र विधान का भाव भरा हुआ है। इसमें कर्तव्य के साथ कशणा या दया भी सम्मिलित है। यहाँ द्रव्य के अंदर गूढ़ भाव भरा हुआ है।

६२३३. हिंदू राज्याभिषेक में जो मुख्य मुख्य कृत्य होते थे, वे सब पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दिए गए हैं। स्पष्टता के लिये इन सब के भाव आधुनिक भाषा में नीचे के कुछ वाक्यों में व्यक्त किए जा सकते हैं—

(१) हिंदू एकराजता एक मानव संस्था थी, उसमें केवल मानव भाव था।

(२) हिंदू एकराजता का आधार निर्वाचन था*। और निर्वाचक समस्त प्रजा हुआ करती थी।

(३) हिंदू एकराजता का आधार परस्पर के कुछ पर्ण या शर्ते^१ हुआ करती थीं।

* एक छोटे यज-कृत्य में निर्वाचित राजा के एक लड़के का भी थोड़ा काम पड़ता है। (शतपथ ध. ४. २. ८.) परंतु कृष्ण यजुर्वेद में उस स्थान पर उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

(४) हिंदू एकराजता राज्य का एक पद या ग्रोहदा था और उस पद पर रहनेवाले को राज्य के अन्यान्य पदाधिकारियों के सहयोग से काम करना पड़ता था ।

(५) हिंदू एकराजता एक प्रकार की धर्मेहर या थाती थी, जिसमें देश की समृद्धि और उन्नति राजा के हाथ में सौपी जाती थी ।

* इसके थोड़े ही समय के उपरात उपनिषद् काल में राजकीय शासन का एक और नया कर्तव्य निश्चित किया जाता है । वह कर्तव्य इस प्रकार है कि प्रजा की केवल आर्थिक या भौतिक उन्नति ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि नैतिक उन्नति भी होनी चाहिए । जब पाँच बड़े बड़े अध्यात्मवादी श्रुति के कथ के राजा अश्वपति के यहाँ गए थे, तब राजा ने बहुत समाधानपूर्वक कहा था—

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः ।

न नाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरो स्वैरिणी कुतः ॥

अर्थात्—‘मेरे राज्य में कोई चोर, काथर, मद्यप, धर में होम की पवित्र अग्नि न रखनेवाला या व्यभिचारी नहीं है और व्यभिचारिणी की तो वात ही क्या है ।’ (छादो० उप० ५. ११. ७.) यहीं से उस सिद्धात का आरंभ होता है जो आगे चलकर निश्चित नियम सा हो गया था और

(६) हिंदू एकराजता किसी प्रकार की मनमानी या स्वेच्छाचारिता नहीं थी ।

(७) हिंदू एकराजता कानून या धर्म से बढ़कर नहीं थी, बल्कि उसके अधीन थी ।

(८) हिंदू एकराजता मुख्यतः राष्ट्रीय और गौणतः सीमा संबंधी थी^{*} अर्थात् पहले राष्ट्र या प्रजा के विचार से ही राज्य हुआ करते थे, सीमा के विचार से नहीं ।

राष्ट्र-विद्वान की इस प्रकार की भावना हमारे दार्शनिक पूर्वपुरुषों के उपयुक्त ही थी । हिंदू जनता सदा केवल परलोक की ही चिंता नहीं करती थी । यह एक ऐसा उद्देश्य है जिसमें रक्त और मास, रगों और पट्ठों के अथवा सासारिक हिंदू दिखाईं पड़ते हैं । निश्चय ही यह वह त्रुच्छ चित्र नहीं है जो उन्हें ऐसे अध्यात्मवादी दुर्बलों के अपवित्र समूह के रूप में प्रकट करता है, जो हवा के तेज झोके के सामने झुक जाते हैं और उसके निकल जाने पर फिर विचार-मन हो जाते हैं ।

जिसके अनुसार राजा का राजकीय शासन ही लोगों की नैतिक अवस्था के लिये उत्तरदायी होता था और अच्छे-बुरे सभी अवसरों पर वह उत्तरदायी माना जाता था ।

* देखो ऊपर “अमुक अमुक प्रजा का राजा” और जलों का संचय तथा पृथ्वी को नमस्कार करने के कृत्य ।

६२४. ब्राह्मण ग्रंथ वशानुक्रमिक उत्तराधिकार नहीं मानते। उनके अनुसार प्रत्येक राजा का इसी प्रकार राज्या-

वशानुक्रमिक उत्तराधिकार तब तक नहीं था भिषेक होना चाहिए; और पहले कृत्यों में राज्यारोहणों का कोई जिक नहीं होता था। इसका कारण यही है कि

इसका मूल वैदिक काल से ही चला आता था, जब कि राजा का निर्वाचन ही हुआ करता था। वास्तव में, और सिद्धांत के अनुसार भी, ब्राह्मण काल तक हिंदू एकराजता वशानुक्रमिक नहीं हुई थी। इस बात का भी पता चलता है कि वशानुक्रमणवाले सिद्धांत का उद्गम क्या था। एक शाखा का मत यह था कि यदि केवल निर्वाचित राजा के जीवन भर के लिये ही राज्याभिषेक अभीष्ट हो, तो व्याहृति के केवल पहले शब्दाश भूः का उच्चारण करना चाहिए; यदि दो पीढ़ियों के लिये अभीष्ट हो तो दो शब्दाशों या भूसुर्वः का उच्चारण करना चाहिए; और यदि तीन पीढ़ियों के लिये अभीष्ट हो तो भूसुर्वः स्वः कहकर पूरे मत्र का उच्चारण करना चाहिए*। जैसा कि

* ऐतरेय ब्राह्मण द. ७।

भूरिति य इच्छेदिममेव प्रत्यन्तमद्यादित्यथ य इच्छेद द्विपुरुष भूसुर्व इत्यथ य इच्छेत्तिपुरुषं वाऽप्रतिमं वा भूसुर्वः स्वरिति ।

साथ ही मिलाओ द. १२. में राजानम् राजपितरम् ।

ऐतरेय ब्राह्मण से सूचित होता है, यह याज्ञिकों की एक शाखा का मत था। खारवेल के शिलालेख में इस सिद्धात का एक ऐतिहासिक उल्लेख पाया जाता है जिसमें एक पीढ़ी के लिये राज्याभिषेक का जिक्र है* और जिससे स्वभावतः यह अभिप्राय निकलता है कि एक से अधिक पीढ़ियों के लिये भी राज्याभिषेक हो सकता था। वशानुक्रमिक एक-राजता की प्रवृत्ति का समर्थन ऐतरेय ब्राह्मण द. १२. के राजानम् राजपितरम् (राजा और राजा का पिता) पद से भी होता है, परतु स्वराज या विराज नामक प्रजातंत्री राजा के नाम के साथ इस प्रकार का कोई विशेषण नहीं लगाया जाता। किर भी आरभ में जो यज्ञ और विधान आदि निश्चित किए गए थे, वे एक ही पीढ़ी के लिये थे, और यद्यपि आगे चलकर एकराजता वशानुक्रमिक हो गई थी, तथापि एक पाढ़ी के राज्याभिषेक की प्रथा सदा के लिये चल गई थी।

§ २३५ इस काल का विवेचन समाप्त करने के पहले हमें उस पवित्र विधान पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए जो राज्यच्युति का सूचक था। शुक्र यजुर्वेद (१६ से २१) में सौत्रामणि यज्ञ का विधान दिया गया है जो राजच्युत

* J. B. O. R. S. ३. ४१।

राजा को करना पड़ता था। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार पदच्युत राजा के लिये सौन्नामणि यज्ञ का विधान किया गया है*। उस समय भी राजच्युति उसी प्रकार प्रचलित थी, जिस प्रकार पहले के वैदिक काल में प्रचलित थी। परवर्ती कालों में उसका जो अस्तित्व था, वह पुराने इतिहास से स्वीकृत और समर्थित था।

— — —

* सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते ।
यो राजा सन्नाज्यो वा सोमेन यजते ॥
देवसुवामेतानि हवीपृष्ठिभवन्ति ।
एतावन्तो वै देवानापृष्ठसवाः ॥
त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति ।
त एनं पुनस सुवन्ते राज्याय ॥
देवसु राजा भवति ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण १.४.२. साथ ही देखो उस पर सायण का भाष्य (आनंदाश्रमवाला, पहला संस्करण), पृ० १७६।

छब्बीसवाँ प्रकरण

परवर्ती कालों में राज्याभिषेक

६ २३६. यज्ञो के साथ राज्याभिषेक होने के समय में राष्ट्र-विधान संबंधी जो सिद्धांत श्राधार-स्तंभ थे, वे परवर्ती कालों में भी प्रचलित रहे। पर हाँ, मुख्य सिद्धांत उनमें परिवर्तित और परिवर्तनशील वैदिक ही था परिस्थितियों के अनुसार कुछ बातों में थोड़े से संशोधन भी हो गए थे। महाभारत से सूचित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक से पूर्व अपने राजमंत्रियों का पूजन किया था*। यहाँ राजमंत्री मानो वैदिक रत्नयों के स्थानापन्न थे। रामायण में

* अर्च्चयित्वा समापदः^१ समा पर्व, अध्याय १३. ४. २६, २६।

^१ रामायण, अथो० काढ, अ० १४. ५. ५२।

उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम्।
पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च वृताङ्गलिः ॥

रामचन्द्र के प्रस्तावित योवराज्याभिषेक के समय का, उसके रचना-काल की^{*} प्रचलित प्रथाओं और विचारों के अनुसार, जो उल्लेख है, उससे सूचित होता है कि वैदिक काल के ग्रामणियों और सजातों के स्थान पर जानपद और पौर तथा वैदिक काल के रथकारों और कर्मारों के स्थान पर व्यापारियों और व्यवसायियों के सघ उपस्थित थे । महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का जो वर्णन है, उसमें सूचित होता है कि उस समय सब ब्राह्मण, भूमिपति, वैश्य और समस्त प्रतिष्ठित शङ्कु नि-

* मैकडनल ने अपने Sanskrit Literature नामक ग्रंथ के पृ० ३०६ में लिखा है—“जब जितने तक दिए गए हैं, उन सब का विचार करने पर इस परिणाम का परित्याग कठिन हो जाता है कि रामायण के मूल रूप की रचना ईसा से ५०० वर्ष पूर्व हुई थी और बाद में उसमें जो अश मिलाए गए थे, वे १०० पूर्व दूसरी शताब्दी में मिलाए गए थे । यह मत जैकोवी के विवेचन (दश रामायण) के अनुसार ही है ।

‘देखो आगे सत्ताईसवाँ और अड्डाईसवाँ प्रकरण ।

मन्त्रित किए गए थे*। रामायण में कहा है कि ब्राह्मण, राजमंत्री, क्षत्रिय और व्यापारियों आदि के सघों के सदस्य, जिनमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित होते थे, राजा पर नदियों और समुद्रों से लाए हुए जल का अभिषेक करते थे। इसमें लियों के प्रतिनिधित्व का एक और नया तत्त्व भी सम्मिलित कर लिया गया था, और वह इस रूप में कि अविवाहिता कन्याएँ भी अभिषेक में सम्मिलित होती थीं। महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि धौम्य और कृष्ण के नेतृत्व में प्रजा के सभी प्रतिनिधियों ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था†। महाराज या सम्राट् उपहार आदि ग्रहण करते थे और लोगों का सम्मान करने के लिये

* सभापर्व ३३. ४१-४२. (कुमकोणम् सस्करण अ० ३७०)

आमन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्भूमिपानथ ।
विशश्च मान्यान् शूद्राश्च सर्वानानयतेति च ॥

† युद्ध काण्ड १२८.६२ (बर्मह)

ऋत्विभिर्वाहणैः पर्व कन्याभिर्मन्त्रभिस्तथा ।
योधैश्चैवाभ्यषिङ्चन्त्वते सप्रहृष्टैः सनैगमैः ॥

‡ शातिपर्व अ० ४१.

उन्हे पुरस्कार आदि देते थे। नीलकठ (नीतिमयूख)* के अनुसार चारो मुख्य आमात्य या राजमंत्री (मुख्यामात्य-चतुष्पद्म) और ब्राह्मण, वैत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारो वर्ण नवीन राजा का अभिषेक करते थे। इसके उपरांत प्रत्येक वर्ण के नेता (मुख्य) और छोटी जातियो के नेता या मुख्य भी (शूद्राश्चावरमुख्याश्च) पवित्र जलो (नाना तीर्थसमुद्भव) से उसका अभिषेक करते थे। इसके उपरांत द्विजों का कोलाहल होता था (द्विजकोलाहलेन च) जिसमे उच्च स्वर से राजा का जयघोष करके आनंद प्रकट करते थे। इसके उपरांत राजा अपने मंत्रियो, प्रजा के प्रतिनिधियो, राजधानी के नागरिको, व्यापारियो, व्यवसायियो, बाजार के नेताओ (पणेश्वरान्) तथा अन्य व्यक्तियो के मध्य मे बैठता था और प्रतिहारी राजा से उन लोगो का परिचय करता था (प्रतिहारः प्रदर्शयेत्)। इसके उपरांत राजनगर के राजमार्गों पर राजा की सवारी निकलती थी और तब वह कृत्य समाप्त होता था। वीरमित्रोदय

* बनारस का सन् १८८० वाला सस्करण, पृ० २-३.
“ततो भद्रासनगत” से “शूद्रामात्योऽभिषेचयेत्” तक।

[†] राजा के उष्णीष में पाँच शिखाएँ होती थी, रानी और मुवराज के उष्णीषों में तीन तीन और सेनापति के

राजनीति प्रकाश (पृ० ४६) मे ब्रह्म पुराण का जो उद्धरण दिया गया है, उससे सूचित होता है कि राज्याभिषेक का कृत्य समाप्त होने पर राजा हाथी पर चढ़कर राजधानी की प्रदक्षिणा करता था और तब फिर राजप्रासाद में आकर पैर के समस्त नेताओं वा मुखियों का पूजन अथवा सम्मान करता था ।

प्रदक्षिणीकृत्य पुरं प्रविश्य च पुर गृह्म् ।

समस्तान् पौरमुख्याश्च कृत्वा पूजा विसर्जयेत् ॥

अथर्वणपरिशिष्ट* में पुष्य राज्याभिषेक कृत्य का जो वर्णन है, उससे सूचित होता है उस कृत्य के उपरात राजा ब्राह्मणों को दर्शन देता था और प्रजा तथा श्रेणियों आदि के नेताओं की छियों को नमस्कार करता था, जिस पर वे उसे आशीष देती थीं ।

उष्णीष में एक शिखा होती थी । (नीतिमयूल का उक्त संकरण पृ० ४ ।)

* वीरभिन्नोदय राजनीति पृ० ११४ में भिन्न भिन्न द्वारा उद्धृत ।

ततस्तु दर्शनं देयं ब्राह्मणाना नृपेण तु ।

श्रेणी प्रकृतिमुख्याना छीजनं च नमस्करेत् ॥

आशिषस्ते हि दात्यन्ति.....

तात्त्विक दृष्टि से ये सब कृत्य प्रायः वही हैं जो ब्राह्मण काल में होते थे। विशेषता केवल यही है कि प्रतिनिधित्व के सिद्धात पर इनमें कुछ और वृद्धि कर दी गई है। जैसा कि खालिमपुर के ताम्रलेख से प्रकट है,* पाचालो में पौर और जानपद की भाँति वृद्धों की जो समा या समिति थी, उसने धर्मपाल के समय में कान्यकुञ्ज के नए राजा का अभिषेक किया था।

६२२७. आजकल जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में राज्य-रोहण के समय राजा से शपथ ली जाती है, उसी प्रकार

उन दिनों प्रतिज्ञा कराने की प्रथा

प्रचलित थी। महाभारत में यह प्रतिज्ञा प्रायः उसी रूप में दी गई है, जिस रूप में वह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है।

यह प्रतिज्ञा महाभारत में 'श्रुति' के नाम से कही गई है जिससे सूचित होता है कि उसका मुख्य आधार वैदिक ही था। जिस प्रकार ऐतरेय में कहा गया है कि ब्रत-धारण अद्वापूर्वक (सह शब्दया) होना चाहिए, उसी प्रकार महा-

* 'हृष्टपञ्चालवृद्धोद्घृतकनकमयस्वाभिषेकोदकुम्भो दत्तः
श्रोकान्यकुञ्जः, Epigraphia Indica ४ पृ० २४२.
देखो आगे सत्ताईसवार्ग प्रकरण।

भारत में भी कहा गया है कि प्रतिशा मनसा होनी चाहिए; अर्थात् मन में किसी प्रकार का छुल या कपट रखकर नहीं की जानी चाहिए । यथा—

प्रतिशा चाभिरोहस्त मनसा कर्मणा गिरा ।

पालयिष्याम्यह भौम ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥

यश्चात्र धर्मो नीत्युक्तो दडनीतिव्यपाश्रयः ।

तमशंक. करिष्यामि स्ववशो न कदाचन* ॥

अर्थात् मन, कर्म और वचन से (मन में बिना किसी प्रकार का छुल-कपट रखे) प्रतिशा करो†, शपथ करो—

(क) मैं देश को‡ सदा स्वयं ब्रह्म समझकर उसका पालन करूँगा ,

* शातिपर्व (कलकत्ता) पृष्ठ. १०६-१०७ । (कुंभ-कोणम् सस्करण पृष्ठ ११५-११६) दक्षिण भारत की प्रतियो मै “प्रतिशा चाभिरोहस्त” पाठ है । बंगाल की प्रतियो के “नीत्युक्तो” शब्द के स्थान पर “इत्युक्तो” पाठ है, जिसका कोई सतोषजनक अर्थ नहीं होता ।

† “प्रतिशा पर आरोहण करो” से राज-सिंहासन पर आरोहण करने की ओर सकेत है ।

‡ मूल में ‘भौम’ शब्द है जिसका अर्थ है—वे समस्त पदार्थ जो भूमि से संबंध रखते हों ।

(ख) यहाँ जो धर्म और जो नीति प्रचलित है और जो दड़ नीति के विरुद्ध नहीं है, उसका मैं निःशंक भाव से पालन करूँगा और कभी मनमानी न करूँगा॥

राजा के इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर प्रजा वर्ग के सब उपस्थित लोग “एवमस्तु” कहते थे। यहाँ भी हिंदू

उसका अनुपम राज्यारोहण सबधी प्रतिज्ञा का सब से स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण स्वरूप वर्तमान है।

उसमें किसी प्रकार के भिध्या विश्वास आदि का कहीं नाम भी नहीं है। ससार के अन्यान्य देशों में जो राजकीय शपथे प्रचलित हैं, उनके मुकाबले में इस दृष्टि से हमारे यहाँ की यह प्रतिज्ञा अनुपम है।

* मूल में “स्ववश” शब्द है। ऐतरेय में एकराजता के स्वावश्य नामक स्वरूप का भी उल्लेख है। महाभारत के इस उद्धरण से सूचित होता है कि यह ऐसे शासन का बोधक है जिसमें राजा स्वयं अपनी इच्छा से और अबाधित रूप से मनमाना शासन करता था और जिसमें उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था। साथ ही इससे यह भी सूचित होता था कि देश में इस प्रकार का शासन पसद नहीं किया जाता था और बदनाम था।

† मिलाओ Encyclopedia Britannica (ग्यारहवाँ स्टकरण) में राजकीय शपथ या Oath संबंधी लेख।

६२८. “हे भरत जाति के राजन्, आजकल जो राजा का पद प्रचलित है, वह किस प्रकार उत्पन्न हुआ है ?

राजा और महाभारत की प्रतिष्ठा के इतिहास का विवेचन पितामह, यह आप कृपा कर मुझे बतलाइए। उसके हाथ, मुजाएँ और ग्रीवा आदि सब औरों के ही समान हैं, दुःख और सुख आदि में वह दूसरों के समान है; उसकी पीठ, सुख और उदर सब और लोगों के समान हैं, उसमें शुक्र, अस्ति, मज्जा, मास और रुधिर आदि भी समान हैं, श्वास-प्रश्वास और प्राण तथा शरीर में भी वह दूसरों के समान ही है, उसका जन्म और मरण भी समान है और मनुष्यों के अन्य गुणों में भी वह और सब लोगों के समान ही है। फिर भी क्या कारण है कि केवल वही बडे बडे विशिष्ट बुद्धिवालों और वीरों पर शासन करता है ? शूर और वीर आर्यों के समस्त देश पर केवल वही क्यों शासन करता है ? और फिर यद्यपि वही सब की रक्षा करता है, पर फिर भी वह लोक या समाज के प्रसाद या सतोष की कामना करता है। और फिर उस एक आदमी के प्रसन्न होने से ही समस्त समाज या लोक प्रसन्न होता है और उसके दुखी या व्याकुल होने पर और सब लोग भी विकल हो जाते हैं। यह एक निर्णित सिद्धात है। हे भरतों के प्रधान, मैं इस सबघ में आपसे सुनना चाहता हूँ। हे श्रेष्ठ व्याख्याता, आप कृपा

कर इसके सब मूल सिद्धात मुझे विस्तारपूर्वक बतलावे । हे विश्व-पति, इसका कारण अल्प या साधारण नहीं हो सकता । क्योंकि समस्त जगत् मार्ग दर्शन के लिए इस प्रकार केवल उसी का मुख्यापेक्षी रहता है, मानो वह स्वयं परमात्मा हो॥”

* शातिपर्व (कलकत्ता) ५६. ५१२ (कुंभ-
कोणम् सर्वकरण ५८ ५-८)

य एष राजन्नाज्ञेति शब्दश्चरति भारत ।
कथमेव समुत्पन्नस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥५॥
तुल्यपाणि भुजाग्रीवस्तुल्यबुद्धीन्द्रियात्मकः ।
तुल्यदुखसुखात्मा च तुल्यपृष्ठमुखोदरः ॥६॥
तुल्य शुक्रास्थिमजा च तुल्यमासासृगेव च ।
निःश्वासोच्छ्वास तुल्यश्च तुल्यप्राणशरीरवान् ॥७॥
समानजन्ममरणः समः सर्वेर्गुणैर्नृणाम् ।
विशिष्टबुद्धीञ्चूराश्च कथमेकोऽधितिष्ठति ॥८॥
कथमेको मर्ही कृत्त्वा शूरवीरार्थसकुलाम् ।
रक्तस्यपि च लोकस्य प्रसादमभिवाञ्छ्रुति ॥९॥
एकस्य तु प्रसादेन कृत्त्वो लोकः प्रसीदति ।
व्याकुले चाकुलः सर्वे भवतीति विनिश्चयः ॥१०॥

युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से ये प्रश्न किए थे; और इनके उत्तर में उन्होंने राजत्व तथा प्रतिशा का इतिहास बतलाया था ।

भीष्म पितामह ने वह कारण बतलाया था जो अत्यन्त या साधारण नहीं था; और उसके साथ हिंदू एकराजता का पूरा इतिहास भी बतलाया था । उन्होंने कहा था—“प्राचीन काल में न तो कोई राज्य था और न कोई राजा था । उस समय सब लोग धर्म या कानून के द्वारा एक दूसरे की रक्षा करते थे । परन्तु इस प्रकार कुछ समय तक निर्वाह करने पर उन लोगों ने देखा कि केवल पारस्परिक सहयोग में ही यथेष्ट बल नहीं है और इससे स्वयं धर्म की ही हानि होने लगी है । अतः उन लोगों ने देवताओं से परमर्श करके एक राजा निर्वाचित करना निश्चित किया । देवताओं ने उनसे कहा कि तुम विराजस् को ले जाओ और इन्हें अपना राजा बनाओ । परन्तु विराजस् ने राजा बनने से इनकार कर दिया । उनके

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं त्वत्तो हि भरतर्षम् ।
कृत्कृं तन्मे यथात्त्वं प्रबृहि वदतां वरः ॥११॥
नैतत्कारणमत्यल्पं भविष्यति विशांपते ।
यदेकस्मिन्जगत्तुर्वै देववद्याति सञ्चितम् ॥१२॥

तीन उत्तराधिकारी रक्षयिता या रक्षक के रूप में रहे और चौथे ने एक साम्राज्य स्थापित किया और वह स्वेच्छाचार-पूर्वक शासन करने लगा । (जान पड़ता है कि इन लोगों ने कोई प्रतिज्ञा या शपथ नहीं की थी क्योंकि, जैसा कि कहा जाता है, ये लोग देवताओं के भेजे हुए आए थे ।) चौथा रक्षयिता वेण था और वह भी देवताओं का ही भेजा हुआ आया था । परन्तु प्रजा ने देखा कि वह बहुत अधर्मी था, इसलिये वह राज्यन्युत कर दिया गया और उसे प्राण-दंड दिया गया । इस पर बुद्धिमान् पुरुषों^{*} ने पृथु

* ऋषि । इस वर्णन में इस कल्पित ऐतिहासिक अत्याचारी को प्राणदण्ड देने का श्रेय ऋषियों और ब्रह्मज्ञानियों को देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । कुछ स्थानों में इस बात के स्पष्ट चिह्न मिलते हैं कि बाद में इस सिद्धात पर ब्राह्मणत्व की छाप ढाली गई थी । इस अध्याय के आरंभ में कहा गया है कि राजा को निर्वाचित और नियुक्त करने के सबध में परामर्श करने के लिये सब वर्ण मिलकर ब्रह्मा के पास गए । यदि यही बात हो तो फिर बाद में केवल ऋषियों की ही प्रधानता क्यों दिखलाई गई ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ऋषि लोग तीनों वर्णों में के ही थे और उनके प्रतिनिधि थे । परं फिर भी इस बात में कोई

नामक एक व्यक्ति को निर्वाचित किया, जो बेगु का

संदेह नहीं रह जाता कि इसमें ब्राह्मणों को महत्व देने की प्रवृत्ति है। इसी ग्रंथ में इसी तरह के एक और विषय में सब वर्णों के मिलकर काम करने का उल्लेख आया है। प्रायः कहा जाता है कि महाभारत, रामायण और मानव धर्मशास्त्र (जिनकी रचना प्रायः एक ही समय में और प्रायः एक ही हाथों तथा लेखनियों से हुई थी) में ब्राह्मणों की प्रधानता के बहुत प्रबल उल्लेख और प्रमाण मिलते हैं; और इस मत की बहुत कुछ पुष्टि ई० पू० दूसरी शताब्दी के राजनीतिक इतिहास से होती है। उस समय एक बड़े ब्राह्मण (पुष्टि-मित्र) ने भारत के सिंहासन पर आरोहण किया था और प्राचीन राजनीतिक तथा धार्मिक प्रणालियों के विश्व एक प्रबल धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति उपस्थित कर दी थी। जब ब्राह्मण शासक ने यूनानी शक्ति को कुचल ढाला और हिंदू सम्यता की रक्षा की, तब ब्राह्मणों की अपनी प्रधानता स्थापित करने की कामना कुछ न्यायपूर्ण कही जा सकती थी, और जब नवीन शासन बहुत अधिक सफल तथा सर्वप्रिय हो गया, तब अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा उस समय उनकी प्रधानता अधिक सहज में स्थापित भी हो सकती थी। परन्तु रामायण और महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा

वंशज था । उसने बचन दिया कि मैं अच्छी तरह शासन करूँगा* और तब उससे ऊपर लिखी प्रतिज्ञाएँ कराई

हुआ है कि वे दोहराए गए थे (पुरा वात्मीकिना कृतम्) रामायण छठा काढ, अध्याय १२८, १०५, और ११० और महाभारत (आदिपर्व) । बौद्धों पर उनके आकृमण और राजनीतिक प्रमाणों से, जो रामायण के संबंध में पूर्ण रूप से और महाभारत के संबंध में अधिकाश में ई० प० दूसरी शताब्दी के है, प्रमाणित होता है कि ये दोनों महाकाव्य आरभिक शुग काल में दोहराए गए थे । इसलिये उनमें ब्राह्मणों के प्रभुत्व का जो बहुत अधिक उल्लेख मिलता है, उससे हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए । सौमान्य-वश शिलालेखों, जातकों तथा दूसरे पाली ग्रन्थों, अर्थशास्त्र सरीखे ग्रन्थों, धर्म-सूत्रों तथा विदेशियों के लिखित प्रमाणों के आधार पर हम उनका संशोधन कर सकते हैं ।

* यन्मा भवन्तो वद्यन्ति कार्यमर्थसमन्वितम् ।

तदहं वः करिष्यामि नान् कार्यं विचारणा ॥

अर्थात् आप महानुभाव मुझे दंडनीति के अनुसार जो कुछ उपयुक्त बात बतलावेंगे, वह मैं आप लोगों के लिये बिना किसी प्रकार की आपत्ति के करूँगा । (महा० शातिपर्व ५६. १०२)

गईं। उसने धर्म तथा अपने वचन के अनुसार सफलता-पूर्वक शासन किया। प्रला उसके शासन से प्रसन्न हुई थी और इसलिये उसे राजा (रंजन करनेवाला) की उपाधि मिली”*।

६२३६. राजनीतिक लेखकों ने हिंदू राज्यारोहण की प्रतिशाओं का स्वरूप समझाने के लिये यह कल्पित प्रतिशा की मीमांसा ऐतिहासिक सिद्धात प्रस्तुत किया है। इस बात का मूल शतपथ ब्राह्मण तक पहुँचता है जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं का पहला अभिषिक राजा पृथु वैष्णव था। इस सिद्धात का यह अभिप्राय है कि प्रतिशा का आरंभ राजत्व के साथ ही हुआ था, और वह भी उठनी ही प्राचीन है, जितना प्राचीन स्वयं राजत्व है। इस प्रतिशा की मीमांसा या विवेचन करने पर पता चलता है कि हिंदू राजा की स्थिति इस प्रकार थी—

* रंजिताश्च ग्रजास्तर्वा तैन राजेति शब्द्यते। महाभारत, शातिपर्व, अध्याय ५६; श्लोक १२४।

† शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ५. ४. शून्येद ८. ६. १०. में भी वैष्णव का नाम आया है। शून्येद से वह शूष्मि और ऐतिहासिक पुरुष जान पड़ता है (२. ११२. १५.)

(१) राजा के हाथ में राज्य सौपा जाता है और वह कहता है कि मैं इसका पालन या उन्नति करूँगा; और इसका पालन राजा का सर्वप्रधान कर्तव्य होता है ।

(२) जो देश उसे पालन करने के लिये दिया जाता है, उसे वह स्वयं परमेश्वर से कुछ भी कम नहीं समझता* जिसका अभिप्राय यह है कि वह बहुत ही शुद्ध द्वदय से, आदरपूर्वक और डरता डरता शासन करेगा । यह संबंध उन संबंधों से बहुत भिन्न है जिनमें राजा लोग प्रजा का पालन, उन्हें अपना पुत्र समझकर, प्रजापति के रूप में करते हैं; अथवा यह समझकर करते हैं कि मुझे इस बात का ईश्वरदत्त अधिकार है; अथवा केवल अपनी शक्ति और वैभव के बल पर करते हैं ।

(३) यह एक निश्चित सिद्धात है कि राजा स्वेच्छा-चारी नहीं हो सकता । वह धर्म से बद्ध होता है और धर्म के

* चडेश्वर ने अभिषेक के संबंध का जो एक मंत्र उद्भृत किया है, उसमें प्रजा को विष्णु कहा गया है । (राजनीति-रत्नाकर अध्याय १६.)

अद्यारम्य न मे राज्यं राजाऽयं रक्षतु प्रजाः ।
इति सर्वं प्रजाविष्णुं साक्षिणं श्रावयेन्मुहुः ॥

शासन के अधीन लाया जाता है। आगे चलकर राजनीति या दड़नीति के बंधनो से भी वह बद्ध किया गया था। राज्य के आतंरिक शासन तथा परन्नाष्ट्रो से सबंध रखने में उसे धर्म और दड़नीति के अनुसार ही चलना पड़ता था; और उसे इस बात की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं कभी इनकी उपेक्षा न करूँगा।

₹ २४०. ग्राचीन जातियों ने भी और इस समय की जातियौं ने भी राजाओं के राज्याभिषेक के समय की शपथे बनाई हैं। परंतु उनमें से कोई शपथ वास्तविक जीवन ऐसी नहीं है जिसमें राजा का ध्यान पर प्रतिज्ञा का प्रभाव इस बात की ओर इतने जोरो के साथ आकृष्ट किया गया हो कि जिस देश पर वह शासन करना चाहता है, वह देश ही सबसे अधिक बलवान् और सबसे अधिक पवित्र है। उस देश के प्रति किसी प्रकार का अपराध करना मानों स्वयं ईश्वर के प्रति अपराध करने के समान समझा जाता था। एक बार यह प्रतिज्ञा, यह शपथ, कर लेने पर फिर उसे विस्मृत करना असंभव होता था। यदि हिंदू राजा अपनी राज्याभिषेकवाली प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकता था, तो वह असत्य-प्रतिज्ञा और असत्य-संघ कहा जाता था; और उस दशा में उसे राजसिंहासन पर आरूढ़ रहने का अधिकार नहीं रह जाता था। राज्य-भिषेक के समय की प्रतिज्ञा कोरी रस्म ही नहीं होती थी;

इसका प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि राजा लोग समय पड़ने पर अभिमानपूर्वक कहा करते थे कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर ढढ़ रहा और^१ असत्य-प्रतिज्ञ नहीं हुआ। जो उद्दामन् प्रायः हिंदू सा बन गया था, उसने अपने शिला-लेख में बड़े शौक से लिखाया था कि मैं सदा सत्यप्रतिज्ञ रहा और मैंने कभी कोई ऐसा कर नहीं लगाया जो धर्मविरुद्ध हो॥ । कभी-कभी प्रतिज्ञा तोड़ने का अभियोग बहुत तूल पकड़ता था। यदि राजा अपने राज्य का संघटन अनुग्रण नहीं रख सकता था तो वह प्रतिज्ञा तोड़ने का अपराधी समझा जाता था। बृहद्रथ मौर्य बहुत दुर्बल शासक था। उसके समय में यूनानियों ने दोबारा भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और वह राज्यच्युत कर दिया गया था। आतः बाण ने उसके संघर्ष में कहा था कि वह प्रतिज्ञा-दुर्बल था अर्थात् अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में समर्थ नहीं था। धर्म के अनुसार शासन करने की प्रतिज्ञा के उपरात यदि राजा अधर्म का आचरण करके अपराध करता था, तो वह प्रतिज्ञा भग करनेवाला समझा जाता था और उसका कार्य अधर्म-युक्त या गैर-कानूनी माना जाता था; और उस

* Epigraphia Indica खंड द-पृ० ४३-४४ ।

दशा में उसे अभिषिक्त करनेवाले लोग उसे राज्यच्युत कर सकते थे। जातको*, अनुशुतियो, साहित्य और इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में अत्याचारी राजा वेण की राज्यच्युति और प्राणदंड का यही कारण बतलाया गया है कि वह विधर्मी हो गया था; अर्थात् धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा था। मगध का नाग-दशक इसलिये राज्यच्युत किया गया था कि उसने अपने पिता की हत्या की थी; और इसी लिये उसे दंड भी दिया गया था†। मृच्छकटिक में के राजा पालक को इसी लिये राज्यच्युत किया गया था कि उसने आर्यक को बिना किसी अपराध के ही कारणार में रखा था।

* जातक, खंड १. पृ० ३६८।

† देखो महाभारत, अनुशासनपर्व, ४१।

अरक्षितारं हर्तारं विलोप्तारमनायकम् ।

तं वै राजकलि हन्युः प्रजाः सचैष्ण निर्घृणम् ॥३२॥

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः ।

स सहत्य निहन्तव्यः श्वेव सोन्मादातुरः ॥३३॥

† महावंश (४. ४.) जो पाँचवीं शताब्दी में सिंहल में एक हिंदू के द्वारा रचा गया था जिसने अपने 'देश' की परंपरागत प्रथा या रुद्धि का अनुसरण किया था।

₹ २४१. मुसलमानों के शासन-काल तक भी राज्यारोहण के समव की प्रतिशा एक आवश्यक कृति समझी जाती थी। उन दिनों राज्यारोहण के समय जो रस्मे होती

मध्य युग तथा परवतों काल की प्रतिशा थीं, वे सर्वांश में ठीक वही नहीं होती थीं जो कि ब्राह्मण-काल में होती थीं। राज्यारोहण के उपरांत राजा की जो सवारी निकलती है, वह प्राचीन काल

की सीधी-सादी रथ-यात्रा का विकास है, जिसमें राजा रथ पर चढ़कर नगर में घूमने निकलता था। जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, राजा एक सभा करता था जिसमें प्रजा के नेता और मुखिया उसके समक्ष उपस्थित किए जाते थे। इन सब कल्यों में आगे चलकर बहुत से सुधार और परिवर्द्धन हुए थे। परंतु राज्यारोहण की प्रतिशा ऐतरेय ब्राह्मण में की प्रतिशा है और हिंदू धर्म-शास्त्रकारों ने* एक-राजता के मध्य युग के आदर्श अपने सामने रखने पर भी वह प्रतिशा उद्धृत करके आवश्यक बतलाई थी। यद्यपि देश के भाग्य में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो गए थे और अनेक विरोधी सिद्धातों से संपर्क हो गया था, परंतु फिर भी

* राजनीति वीरमित्रोदय पृ० ५२. (वनारस १६१६.)
देखो आगे अद्वाईसवाँ और उन्तीसवाँ प्रकरण।

हिंदू जाति राज्यारोहण संबंधी अपनी वह प्रतिक्षा नहीं भूली थी जो उसके वैदिक पूर्वजों ने प्रचलित की थी। उसे जो पवित्र और धार्मिक रूप दे दिया गया था, उसी के कारण वह प्रतिक्षा इतिहास तथा मावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित है।

₹ २४२. आगे चलकर राजत्व वशानुक्रमिक हो गया था*। परन्तु फिर भी कभी यह मूल तत्व विस्मृत नहीं

किया गया था कि हिंदू एकराजता
परवर्ती कलों में निर्बाचन-मूलक है। हमारी सम्मति
राज्यारोहण और निर्बाचन - संबंधी में इसके दो मुख्य कारण थे। जैसा
सिद्धांत कि मेगास्थिनीज लिख गया है,† जब
किसी राजवंश में कोई पुरुष नहीं रह

जाता था, तब नया राजा निर्बाचित किया जाता था। और इस प्रकार राज्यारोहण संबंधी पुराने कृत्य और विधान आदि समय समय पर फिर से ताजे होते रहते थे। मुसलमानों के समय में भी जब महाराज शिवाजी का छत्रपति के रूप में राजतिलक हुआ था, तब उस विधान का स्वरूप भी निर्बाचन का सा

* रामायण, अयोध्याकाण्ड २१. ३२. ६. १६.

राज्यं गृहाण भरत पितृपौत्रामहं श्रुष्म्। ७६.५ ७६.७

† एरियन कृत Indika द.

ही था। बगाल के पाल राजाओं तक के समय भी यह सिद्धात् एक जीवित तत्व के रूप में वर्तमान था। गोपाल ने अपने शिलालेख में कहा है कि मुझे निर्वाचन के सिद्धात् के अनुसार अभिषिक्त होने का सौभाग्य प्राप्त है। वह कहता है कि लोगों ने राज्य के साथ सहयोग करके अराजकता का अंत किया॥ १८३। वास्तव में आरंभिक काल में राजा और प्रजा सभी के मुख पर यह सिद्धात् रहता था। ईसवी दूसरी शताब्दी में रुद्रदामन् ने अपने शिलालेख में लिखा था—“मैं राजपद के लिये सब वर्णों के द्वारा निर्वाचित हुआ हूँ ॥”

६ २४३. सम्राट् खारवेल के शिलालेख से यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि जब तक निर्वाचित राजा का राज्याभिषेक के लिये अवस्था चौबीसवाँ वर्ष समाप्त नहीं हो जाता था, तब तक हिंदू प्रथा के अनुसार उसका राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। जैन साहित्य की एक शाखा में कहा है कि विक्रम का राज्याभिषेक

* मात्स्यन्यायमुपोहितु प्रकृतिभिर्लङ्घ्या करं आहितः ॥

Epi. Ind. खंड ४. पृ० २४८

† सर्ववर्णरभिगम्य रक्षणार्थं पतित्वे वृतेन। Epi.
Ind. खंड ८. पृ० ४३।

उसके पचीसवें वर्ष में हुआ था। यही वह अवस्था थी जिसमें उपनिषद् काल में साधारणतः एक हिंदू (अर्थात् श्वेतकेतु) के संबंध में यह समझा जाता था कि उसने अपना विद्याध्ययन समाप्त कर लिया है। खारवेल के शिलालेख का, जो यह बतलाता है कि राज्याभिषेक के संबंध में धर्म-शास्त्रों का यह विधान था कि वह वय के पचीसवें वर्ष में किया जाय, समर्थन बृहस्पति-सूत्र (१. ८६) से भी होता है जिसमें कहा गया है—पञ्चविंशतिवर्षम् यावत् क्रीडा-विद्याम् व्यसनात् कुर्यात् अत उत्तरम् अर्थार्जनम् ;* और यह खारवेल के लेख के आशय से बहुत कुछ मिलता हुआ है।

इस बात के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं कि राज्याभिषेक संबंधी विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन होता था। यद्यपि अशोक के बश के लोगों ने नवीन दार्शनिक सिद्धात प्रगति कर लिए थे, तथापि वे भी राज्याभिषेक संबंधी प्राचीन तथा पवित्र विधानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। आजकल लोग जिसे राज्यारोहण कहते हैं, उस

* अर्थार्जनम् का अभिप्राय है—राजनीतिक जीवन में सम्मिलित होना।

[†] उसके पोते दशरथ ने अपने शिलालेख में स्वयं अपने राज्याभिषेक का उल्लेख लिया है।

राज्याभिषेक के चार वर्ष बाद तक उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। जान पड़ता है कि खारवेल की भाँति उसका भी तब तक चौबीसवाँ वर्ष पूरा नहीं हुआ था। राज्याभिषेक के पूर्व का उसका शासन-काल हिंदू धर्म-शास्त्र की दृष्टि से गणना के योग्य नहीं समझा गया था। यदि हम इस तत्त्व को ध्यान में रखे तो वशिष्ठ के धर्मसूत्र के उस विधान का रहस्य समझ में आ जायगा जिसमें उसने बतलाया है कि प्राचीन राजा की मृत्यु और नवीन राजा के राज्याभिषेक के मध्य के समय का सूद नहीं जोड़ा जाना चाहिए*। धर्मशास्त्र के अनुसार वर्षों की गणना केवल शासन के वर्षों या राजवर्षों से की जाती थी। इसी लिये पुराणों में अशोक के राज्याभिषेक के पूर्व के वर्षों की गणना नहीं की गई है; हों उसके राजवंश के समस्त शासन-काल में वे वर्ष अवश्य सम्मिलित किए

* राजा तु मृत भावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत् ।

पुनाराजाभिषेकेण द्रव्यमूल च वर्धते ॥

—वशिष्ठ-कृत धर्मसूत्र, २. ४६ ।

† राजवर्ष मासः पक्षो दिवसश्च..... इति कालः ।

—अर्थशास्त्र, पृ० ६०. (२. ६. २४)

जए हैं*। इस से यह भी प्रकट होता है कि राजा को धर्मशास्त्र की दृष्टि से राजा या शासक होने के लिये विधिवत् राज्याभिषिक्त होना चाहिए। छठी शताब्दी में जो विदेशी बर्बर इस देश में आए थे, उनके संबंध में पुराणों में “नैव मूर्द्धाभिषिक्तास्ते” कहा गया है; अर्थात् वे “अनभिषिक्त सिरवाले” या दूसरों का राज्य जबरदस्ती दबा लेनेवाले थे†। जब तक कोई राजा शुद्ध मन से शासन संबंधी उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करता था, तब तक वह धर्मशास्त्र के अनुसार शासन करने का अधिकारी नहीं होता था। राज्याभिषेक संबंधी यह विधान इतना ढढ़ था कि कालिदास ने पुष्यमित्र की ओर से अग्निमित्र के नाम जो पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें उसने जान-बूझकर पुष्यमित्र को राजा नहीं लिखा था। राजसूय यज्ञ के द्वारा उसका राज्याभिषेक होने की तैयारियों

* जायसवाल J. B. O. R. S. खंड १. (१६१५)
पृ० ६३. खंड ३. पृ० ४३८.

विन्सेन्ट स्मिथ कृत Early History of India,
तीसरा संस्करण, पृ० १६७.

† पार्जिंघ द्वारा संपादित Puran Text में वायु पुराण, पृ० ५६।

हो रही थीं, परंतु उस समय तक उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। इसी कारण वह धर्मशास्त्र के अनुसार राजा नहीं था*।

* मालविकार्गिनमित्र ।

इस पत्र में राजा की उपाधि नहीं दी गई है, इस कारण विद्वानों में इस सर्वंघ में बहुत कुछ वाद-विवाद हुआ था। परंतु ऊपर राष्ट्र-विधान की दृष्टि से इसका जो कारण बतलाया गया है, उससे इस प्रश्न की ठीक ठीक मीमांसा हो जाती है। कालिदास ने यही मान लिया था कि अभी तक उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ है और इसलिये वह अभी राजा नहीं है।

छब्बीसवाँ प्रकरण (क)

परवर्ती कालों में राज्याभिषेक संबंधी सिद्धांत

ई २४४. जब राज्याभिषेक सबधी प्रतिज्ञा या शपथ ने धार्मिक रूप धारण कर लिया, तब यह निरांत आवश्यक

राज्याभिषेक की प्रतिज्ञा का धार्मिक स्वरूप हो गया कि हिंदू राजनीति में उसका मूल रूप मानव ही माना जाय; क्योंकि इसके सिवा और किसी प्रकार का उसका मूल माना जाना असंभव ही था। किसी के राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर लेनेवाला भी यदि हिंदू होता था, तो उसे पहले राज्याभिषेक संबंधी सब धार्मिक कृत्य करने पड़ते थे; और जब वह प्रतिज्ञा या शपथ कर लेता था, तब उसका वह पुराना और बल-ग्रयोग करके विजयी बनने के संबंध का अधिकार नष्ट हो जाता था। ईसवी दूसरी शताब्दी तक हिंदू समाज में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो गए थे; और यह बात उस समय के विवादों तथा धर्मशास्त्रों आदि से भली भाँति प्रमाणित

होती है*। परंतु उस समय भी इस धार्मिक कृत्य का इतना अधिक महत्व समझा जाता था कि जो विदेशी शासक अपना राज्य धर्म-तथा नीति-सम्मत बनाना चाहते थे; उन्हें भी यह धार्मिक कृत्य अवश्य ही करने पड़ते थे। शूद्रदामन् कहा करता था—“मैं निर्वाचित होकर राजा हुआ हूँ; और मैंने राज्याभिषेक संबंधी प्रतिज्ञा या शपथ करके यह उत्तरदायित्व ग्रहण किया है।” ऐसी दशा में इस प्रकार का कोई सिद्धात मानने के लिये स्थान नहीं रह जाता कि राजत्व का मूल दैवी या अलौकिक है।

* अर्थात् अश्वघोष की वज्रसूची, जिसमें कहा है—

गोत्रब्राह्मणमारभ्य ब्राह्मणीनां शूद्रपर्यन्तमभिगमन-
दर्शनात् । अतो जातिब्राह्मणो न भवति । इह हि कैवर्त-
रजक-चडाल-कुलेष्वपि ब्राह्मणाः सन्ति..... एकवर्णो,
नास्ति चातुर्वर्णम् । इत्यादि ।

बौधायन यह कहकर पञ्जाब की मानो निदा करता है कि वह मिश्र वर्णों का निवास-स्थान है। उपनिषदों के समय में पञ्जाब प्राचीन और सनातन धर्म का केंद्र समझा जाता था। बौधायन ने पञ्जाब की जो यह निदा की है, वह संभवतः अशोक से मैनेडर तक के समय की है, जब कि पञ्जाब में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था।

एक अवसर पर एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करने
 का प्रयत्न किया गया था जो हिंदू दृष्टि से राजत्व के दैवी
 मूलवाले सिद्धांत तक सबसे अधिक
 राजा का दैवी मूल पहुँचता हुआ था । परतु वह प्रयत्न
 बुरी तरह विफल हुआ, जिससे सूचित
 होता है कि इस प्रकार के सिद्धांतों की हिंदुओं के
 यहाँ कुछ भी गुंजाइश नहीं थी । मानव धर्मशास्त्र में, जो
 ब्राह्मण पुष्यमित्र* के क्रातिपूर्ण शासन-काल में लिखा गया

* पुष्यमित्र की जाति का विवेचन मैंने अपने
 “ब्राह्मण साम्राज्य” (Brahmin Empire) (१६१२)
 नामक निबंध में किया है जिसका सशोधित रूप बिहार
 और उडीसा की रिसर्च सोसाइटी के जरनल (२५७-२६५)
 में प्रकाशित हुआ है । देखो शुंग के संबंध में पाणिनि
 ४. द ११७ । ब्राह्मण राज्य के संबंध में पतंजलि ६. २.
 १३० । और ‘ब्रह्मनेन कोयनिग’ पुष्यमित्र के संबंध में
 तारानाथ पृ० ८१ । मानव धर्मशास्त्र और पुष्यमित्र का
 संबंध जानने के लिये देखो मेरा Tagore Lectures
 on Manu & Yajnavalkya. I. मानव धर्मशास्त्र की
 रचना के समय पार्थियन लोग भारत के पड़ोसी थे ; परंतु
 जिस प्रदेश की राजधानी मथुरा थी, वह प्रदेश उस समय

या, यह प्रतिपादित किया गया था कि राजा को केवल इस विचार से तुच्छ नहीं समझना चाहिए कि वह मनुष्य है। वह वास्तव में देवता या परमात्मा का अंश होता है जो मनुष्य के रूप में अवतरित होता है*। इस सिद्धात के संबंध में शास्त्रकार को प्राचीन साहित्य में से कोई ऐसा वाक्य आदि नहीं मिला जो इसका प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता। उसने राजनीतिज्ञोंवाले उसी सिद्धात का उपयोग किया जिसका हम पहले (६ १०१) उल्लेख कर चुके हैं, अर्थात् यही कहा कि जब लोग अराजक शासन-प्रणाली से असंतुष्ट हुए, तब उन्होंने ब्रह्मा से परामर्श किया, जिसने उनसे राजा निर्वाचित करने के लिये कहा। मनु वैवस्वत के निर्वाचन के सिद्धात को तो उसने छोड़ दिया और वैणु की कथा उसने ले ली। वह कहता है कि अराजक से लोगों की रक्षा करने के लिये प्रभु या परमात्मा ने राजा

तक सनातनी ही था। म्लेच्छों का देश उस समय भी मध्य देश से बाहर और अलग ही था। यह ३० पू० लगभग १५० का समय सूचित करता है।

* मानव धर्मशास्त्र ७. ८।

वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप ।
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

की सुष्ठि की* । परंतु इस परपरागत अनुश्रुति का यह शेषाश वह छोड़ देता है कि देवताओं द्वारा प्रदत्त राजा वेणु इसलिये राज्यच्युत कर दिया गया था कि वह अधर्मपूर्वक शासन करता था । राज्याभिषेक के कृत्यों में देवताओं से निर्वाचित राजा को उसके नए कर्तव्यों में सहायता देने के लिये जो प्रार्थना की जाती है, उसका मानव-धर्मशास्त्रकाव्यर खींचन्तान-कर कुछ और ही अर्थ करता है† । उस धर्मशास्त्र में कहा गया है कि वे सब देवता आकर राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और वह एक बहुत बड़ा देवता हो जाता है‡ । 'अतः राजा की कभी किसी प्रकार अवज्ञा नहीं करनी चाहिए । हम समझते हैं कि इस प्रकार के सिद्धात का

* मानव धर्मशास्त्र ७. ३ ।

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात् ।
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रमुः ॥

† इस संबंध में साथ ही वाजसनेयी संहिता १०. १६.
२७. २८. और उससे मिलते हुए ब्राह्मणों के मंत्र आदि-
देखने चाहिए ।

‡ मानवधर्मशास्त्र ७. ७ ।

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।
स कुवरः स वशः स महेद्रः प्रभावतः ॥

विचार अर्थशास्त्र[#] में आए हुए विवेचनो सरीखे किसी विवेचन को देखकर उत्तम हुआ होगा । राजा अथवा राष्ट्र के एक वेतनभोगी कर्मचारी से कहलाया गया था—

‘राजा का पद इद्र और यम का पद है । वही प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दंड और पुरस्कार आदि देता है । जो लोग उसकी अवज्ञा करते हैं, उन्हे स्वयं दैव की ओर से भी ढढ़ मिलता है । अतः राजाओं का कभी अवमान नहीं होना चाहिए ।’

यह कथन राजकीय गुप्तचर का है जो नए राजा के पक्ष के समर्थन में कहा गया है; और उन लोगों के उत्तर में कहा गया है जो एकराजता के सामाजिक समझौतेवाले सिद्धात का आश्रय लिया करते थे[†] । यदि उस समय राजा के दैवी मूल के सबंध में कोई सिद्धात प्रचलित होता, तो वही सबसे पहले उद्धृत किया जाता । परंतु अर्थशास्त्र के उक्त वाक्यों में राजा के किसी दैवी मूल का उल्लेख नहीं है और न उसमें कहीं यही कहा गया है कि राजा

* अर्थशास्त्र पृ० २३. इद्रयमस्यानमेतत् राजान् प्रत्यक्ष-
हेडप्रसादाः । रानवमन्यमानन्दैवोऽपि ढंडः सृशति ।
तस्माद्वाजानो नावमन्तव्या ॥ इति चुदज्ञान्प्रतिषेधयेत् ।

[†] देखो हिंदू राज्यतंत्र पहला भाग ११७६ की पाद-टिप्पणी ।

निरांत स्वेच्छाचारी होता है अथवा उसे स्वेच्छाचारी होना
 चाहिए। उक्त उद्धरण में दैवी दंड का जो उल्लेख है,
 उसका अभिप्राय केवल यही है कि जो पाप या अपराध
 किया जाता है, उसका दंड दैव की ओर से अवश्य मिलता
 है। और राजा के साथ द्वोह अथवा छुल करना सदा
 पाप समझा जाता था। ऊपर राजकीय गुप्तचर ने किसी
 स्वेच्छाचार का प्रतिपादन नहीं किया है। वह केवल इसी
 बात की ओर ध्यान आकृष्ट करता है कि राजा का पद इंद्र
 और यम के पद के समान है; और यदि लोग राजा के विश्व
 आचरण करेंगे, तो वे कितना बड़ा पाप करेंगे। परंतु
 मानव धर्मशास्त्रकार ने राजा को स्वयं महान् देवता बना
 दिया है; और कहा है कि यदि उसका अवमान किया
 जायगा, तो स्वेच्छाचारिता के बल से उसका दंड दिया
 जायगा। और इसी लिये उसने पूर्ण स्वेच्छाचारिता का
 प्रतिपादन किया है*।

* मानव धर्मशास्त्र ७. ९-१३.

एकमेव दहत्यग्रिन् दुरुपसर्पिण्यम् ।
 कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्ध्यसंचयम् ॥ ६ ॥
 कार्यं चावेद्य शक्तिं च देशकालौ च तत्वतः ।
 कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥

मानवधर्म-शास्त्रकार को यह प्रतिपादन केवल इसी लिये करना पड़ा था कि वह एक ऐसी असाधारण अवस्था का समर्थन करना चाहता था जो धर्म और परंपरागत प्रथा के बिलकुल विरुद्ध थी, अर्थात् उसे ब्राह्मणों द्वारा होनेवाले राजनीतिक शासन का समर्थन करना था* ।

६ २४५ मानव-धर्मशास्त्र का यह सिद्धात बाद के किसी धर्मशास्त्र में न तो मान्य हुआ था और न गृहीत हुआ था । राष्ट्र-सघटन का विधान करनेवाले जितने लेखक थे, उन सब ने इस सिद्धात को यही रूप दिया था कि ईश्वर ने राजा की सृष्टि प्रजा की सेवा करने के लिये ही की है । अर्थात् राजा अपनी प्रजा का केवल सेवक या दास था

यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे ।
मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥११॥
तं यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात्स विनश्यत्यसंशयम् ।
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥१२॥
तस्माद्दर्मे यमिष्ठेषु संव्यवस्थेन्नराधिपः ।
अनिष्टं चाप्यनिष्ठेषु तं धर्मं न विचालयेत् ॥१३॥

* जायसवाल Tagore Law Lectures on Manu & Yajnavalkya. II.

† देखो आगे पैतीसवर्गों और छुत्तीसवर्गों प्रकरण ।

और ब्रह्मा ने इसी कार्य के लिये उसकी सृष्टि की थी। स्वयं मानव-धर्मशास्त्र में ही या तो उस समय, जब कि वह दोहराया गया था और वर्तमान रूप में लाया गया था, और या आरभ में ही, जब कि मौर्यों की अधिकार-च्युति को न्यायपूर्ण सिद्ध करने का विचार था, उक्त सिद्धांत को दबाकर नीचे लिखा दूसरा सिद्धात दिया गया था; और वह पहले सिद्धात के ठीक नीचे ही रखा गया था—

“ईश्वर ने स्वयं अपने पुत्र की सृष्टि की और उसे समस्त भूतों की रक्षा के लिये धर्म बनाया। वह धर्म की व्यवस्था के लिये दण्ड-स्वरूप और स्वयं ब्रह्म के तेज से तेजोमय था* ।”

“स्वयं धर्म की व्यवस्था या शासन ही वास्तविक राजा है। वही दंड शर्थात् शासन का प्रधान अधिकारी और चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभू या रक्षक है।”

* मानवधर्मशास्त्र ७. १४.

तदर्थं सर्वं भूताना गोतारं धर्ममात्मजम् ।
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः ॥

† मानव-धर्मशास्त्र ७. १७.

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।
चतुर्णामाश्रमणा च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥

“जो राजा सम्यक् रूप से इसका पालन करता है, वह सब प्रकार से अभिवद्धित होता है; परंतु यदि वह स्वार्थी, विषम और कुद्र या क्षुली होता है, तो उसका हनन स्वयं दंड ही करता है*।”

“दंड ही महत् तेज है। दुर्धर्म लोग उसे धारणा नहीं कर सकते। जो राजा धर्म से विचलित होता है, दंड उसका बधु-बाघवो सहित नाश कर देता है।”

इस प्रकार राजा फिर धर्म और दण्ड के अधीन कर दिया गया है। वह अपनी उसी मानव और प्रणात्मक स्थिति पर पहुँचा दिया गया है। अधिक उच्च मूल स्वयं धर्म का ही रखा गया है। राजा अनेक देवताओं के अंशों का समूह था; और धर्म तथा दंड की सुष्ठि स्वयं ब्रह्मा ने की थी और वह उसका पुत्र था। वह धर्म या दंड जिस प्रकार समस्त संसार पर शासन करने के लिये आया

* मानव-धर्मशास्त्र ७. २७.

तं राजा प्रणायन्सम्यक्त्रिवर्गेणाभिवद्धते ।

कामात्मा विषमः कुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥

† मानव-धर्मशास्त्र ७ २८.

दण्डोहि सुमहत्तेजो दुर्धर्शकृतात्मभिः ।

धर्माद्यविचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम् ॥

था, उसी प्रकार स्वयं राजा पर भी शासन करने के लिये आया था। राजा वास्तव में राजा नहीं था, बल्कि धर्म या दण्ड ही वास्तविक राजा था। यदि सच पूछा जाय तो मानव धर्मशास्त्र ने इस सिद्धांत को फिर उसी पुरानी स्थिति पर पहुँचा दिया था, क्योंकि आगे चलकर उसमें कहा गया है—

“दण्ड धारण करने का अधिकारी केवल वही राजा होता है जो शुचि और राज्याभिषेक संबंधी प्रतिज्ञा के लिये सत्यसंघ और शास्त्रों का अनुसरण करनेवाला होता है और बुद्धिमानों की सहायता से शासन करता है। जो राजा स्वेच्छाचारी, लोभी और मूढ़ होता है तथा बिना किसी की सहायता के स्वेच्छापूर्वक शासन करता है, वह न्याय की हाई से दण्ड धारण करने का अधिकारी नहीं होता॥”

राजा से केवल यही आशा नहीं की जाती थी कि वह अपनी गज्याभिषेक सबंधी प्रतिज्ञा पर सत्यतापूर्वक आरुढ़

* मानव-धर्मशास्त्र ७. ३०-३१.

सोऽसहायेन मूढेन लुभेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

दण्डः प्रणयितुं शक्तः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥

रहेगा%, बल्कि उस पर इस कर्तव्य का भी भार रखा जाता था कि वह अपने सहायकों के साथ मिलकर काम करे और कभी बिना किसी की सहायता के या स्वेच्छापूर्वक शासन न करे। आगे चलकर जब हम हिंदू मंत्रित्व की वैधानिक स्थिति का विवेचन करेंगे, तब इसका ठीक ठीक महत्व बतलावेंगे।

६२४६ राजा के दैवी मूल का सिद्धात और राजा का दैवी अधिकार हिंदू भारतवर्ष में उसी दशा में स्थापित हो सकता था, जब प्रजा इसमें पूरी-पूरी दिलचस्पी न लेती होती; और इस प्रकार के हानिकारक विचारों और दावों को रोकने के लिये उसमें राष्ट्र-विधान संबंधी प्रतियोगिता न होती। हिंदू एकराजता के सिद्धात को लोगों ने इतना गिरने नहीं दिया था कि वह एक-राजता दैवी रूप धारण कर लेती और अपवित्र स्वेच्छाचारिता बन जाती। स्वयं ब्रह्मा के नाम पर हिंदू राजा के लिये मनमानी करना संभव नहीं था; क्योंकि राष्ट्र कभी ब्राह्मणत्व को राजा या शासक के पद के साथ सम्मिलित नहीं होने देता था। हिंदू राजा का दंड जो कभी मदारी

* राज्याभिषेक संबंधी प्रतिशा के साथ 'सत्यसंघ' का संबंध जानने के लिये देखो अर्थशास्त्र पृ० ३१२. यहों उसका संकेत राज्याभिषेक संबंधी प्रतिशा की ओर ही है।

के हाथ का ढंडा नहीं बन सका था, उसका कारण केवल यही था कि राजा के शासन संबंधी अधिकारों का विषय वास्तव में याक्षिकों और ब्राह्मणों आदि के द्वेष के सदा बाहर रहता था। वह विषय उन्हीं लोगों के हाथ में रहता था जिनके बल से राजा बलवान् हुआ करता था अथवा जिनके द्वारा उसे अधिकार प्राप्त होता था। आरंभ में इस विषय का अधिकार समिति के हाथ में रहता था; और उसके उपरात परचतां काल में पौर और जानपद संस्थाओं के हाथ में रहता था, जिनका महत्व समिति के समान ही होता था।

सत्ताईसवाँ प्रकरण

जानपद और पौर

ई० पू० ६०० से ६०० ई० तक

₹ २४७ जिस समय बड़े बड़े एकराज राज्यों का उदय होने लगा था, उसी समय एक ऐसी सार्वजनिक संस्था का सीमा-पर और सीमित एक राज्य भी विकास हुआ था, जो राष्ट्र के विधान की दृष्टि से बहुत महत्व की थी। वैदिक काल के उपरांत महाभारत युद्ध के समय से लेकर वृहद्राज्यों के अत तक (ई० पू० ७००)[#] ऐसे ही राज्य थे, जिनका विस्तार अलग अलग जातियों और उनके बसने के देशों तक ही था। उस काल को हम राष्ट्रीय राज्यों का काल कह सकते हैं। उदाहरणार्थ भरतों और

* जायसवाल J. B. O. R. S. खण्ड ४, पृ० १६, ३५; २६२.

† मिलाओ यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता। एष वो भरता राजा। १. द. १०.

पचालो* में अपने-अपने राष्ट्रीय या जातीय राजा हुआ करते थे। यही बात विदेहो के संबंध में भी थी। ऐद्वाक† नामक जाति में (ऐतरेय ब्राह्मण के समय से पतंजलि के समय तक) भी उन्हीं का सजातीय राजा हुआ करता था। अर्थात् उन दिनों अलग-अलग जातियाँ होती थीं और उन्हीं जातियों के लोग उनके शासक होते थे। सन् ६०० ई० पू० में हम भारतीय राज्यों के विकास में एक ऐसी प्रवृत्ति पाते हैं जिसमें राज्य का आधार अलग-अलग जातियों नहीं होती, बल्कि देशों की सीमाएँ होती हैं। अर्थात् राज्य अलग-अलग जातियों के नहीं रह गए थे, बल्कि देशों और उनकी सीमाओं के विचार से होने लगे थे। राज्य का जातीय आधार धीरे-धीरे दूर होने लगा था और एक जाति दूसरी जातियों और उनके स्थानों पर आक्रमण करके उन्हें अपने में मिलाने का प्रयत्न करने लगी थी। उस समय ऐसे बड़े-बड़े राज्य उत्पन्न होने लगे थे जो किसी एक जाति के नहीं होते थे, बल्कि कुछ विशिष्ट देशों और सीमाओं के होते थे। उदा-हरणार्थ, हम देखते हैं कि, पुराने ऐद्वाक जानपद ने परिवर्तित

* बृहदारण्यक उपनिषद् ६. २.

† ऐतरेय ब्राह्मण ७. १३. १६. पाणिनि ४. २. १०४ पर पतंजलि का भाष्य।

होकर काशी-कौशला^{*} का रूप धारण कर लिया था और मगध राज्य में मगध तथा अग नामक देश सम्मिलित हो गए थे[†]। ई० पू० ५५० और ई० पू० ३०० के बीच मे यह क्रिया बहुत जल्दी-जल्दी होने लग गई थी। इसके लिये पहले से ही दर्शनिक ढग से जमीन तैयार हो चुकी थी। यद्यपि महात्मा बुद्ध का जन्म एक प्रजातंत्री राज्य में हुआ था, तथापि उनकी आकाश्वा यही थी कि हमारे धर्म और अनुयायियों का एक-राज्यात्मक सम्भाज्य स्थापित हो[‡]। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा

* जैन सूत्र आचारण। दे० पहला भाग पृ० ८५. Buddhist India पृ० २४-२५. ओल्डन-वर्ग द्वारा उद्धृत जनवस्त्र सुन्त, Buddha (अँगरेजी अनुवाद) पृ० ४०७ की पाद-टिप्पणी। साथ ही देखो गोपथ ब्राह्मण २. ६. मे काशी-कौशल्य का एक राज्य के रूप में उल्लेख।

[†] Buddhist India पृ० २४. गोपथ ब्राह्मण २. ६.

[‡] सभवतः वे धर्म को उसका उतना अधिक आधार नहीं बनाना चाहते थे, जितना दर्शन को। जैसा कि मेगास्थनीज ने बतलाया है, इन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर था। हाँ अशोक ने अवश्य ही उसे धर्म, और वह भी संसार-न्यापी धर्म, बना दिया था।

साम्राज्य स्थापित करने का उपदेश दिया गया था जो समुद्र तक विस्तृत हो। जातक कथाएँ भी समस्त भारत के एक साम्राज्य के विचार और आदर्श से भरी हुई हैं (सकल जग्नूदीपे एक-रज्जम) ।

§ २४८. बडे-बडे राज्यों या साम्राज्यों के समय जाति, विश्व या जन की अपेक्षा देश का महत्व अधिक बढ़ गया था॥ । आरंभ में 'जनपद' शब्द का शब्दार्थ और आशय भी जन या जाति का निवास-स्थान ही था; और आगे चलकर इस शब्द से समस्त जाति का भी बोध होने लगा था। परंतु अब इस शब्द का पुराना अर्थ नहीं रह गया था और उसका अर्थ वही हो गया था, जिसे आजकल हम लोग देश कहते हैं। और उसके अर्थ में उस देश में बसनेवाली जातियों आदि की ओर कोई संकेत नहीं होता था। बडे-बडे एकराज राज्यों के समय में हमें कभी समिति का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता। । और यह बात

* देखो आगे “हिंदू-साम्राज्य-प्रणाली”- पर अङ्गतीसवाँ प्रकरण ।

† देखो अर्थशास्त्र पृ० ४५ और ४६ की पाद-टिप्पणी ।
जन-पदो देशः ।

‡ जातकों में समिति का कहीं पता नहीं है। यदि वास्तव में उस समय समिति का अस्तित्व होता, तो उसमें

बिलकुल स्वामाविक भी है। समिति का आधार कोई एक जाति होती थी; और अब राष्ट्र-विधान में जातीयता का कोई भाव रह ही नहीं गया था।

₹ २४९. हॉ, इसके स्थान पर हमें एक दूसरी सत्या मिलती है जो संभवतः प्राचीन समिति का परिवर्तित परिस्थि-

तियों में अवतार या दूसरा रूप थी।
जानपद समा ई० प० सन् ६०० से सन् ६०० ई० तक
का उदय के समय में राज्य के दो विभाग हुआ
करते थे—एक राजधानी और दूसरा देश*। राजधानी को पुरा

बहुत से ऐसे स्थल थे जिनमें उसका उल्लेख हो सकता था। धर्मसूत्रों में जहाँ राजा के कर्तव्य बतलाए गए हैं, वहाँ भी यह नहीं बतलाया गया है कि समिति के साथ राजा को किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए; और न महाभारत में ही कहीं इसका विवेचन है।

* जातकों और पाली पिटक में जनपद और निगम का उल्लेख है। राष्ट्र-विधान की दृष्टि से निगम और नगर एक ही हैं। अर्थशास्त्र में जनपद और दुर्ग आया है। रामायण में नगर (और दुर्ग भी) तथा जनपद आया है। (वने वस्याभ्यं दुर्गं रामो राजा भविष्यति । २. ७६. १२.)

* पुरं मुख्यनगरम् । वीरमित्रोदय, पृ० ११।

या नगर* कहते थे, और कमी-कभी दुर्गां मी कहते थे और देश को जनपद कहते थे, जिसका पर्याय राष्ट्र या देश होता था। जानपद शब्द जनपद से निकला है और इसका व्यवहार पाली भाषा के बौद्ध त्रिपिटक, रामायण, महाभारत और दूसरे ग्रंथों तथा शिलालेखों में पाया जाता है। आज-कल इसका अर्थ जनपद का निवासी लिया जाता है। अब पुराने पारिभाषिक अर्थ में इसका व्यवहार नहीं होता। इसका कारण यही है कि यह शब्द बहुधा बहुवचन (जानपदाः) रूप में पाया जाता है, जिसका अनुवाद किया जाता है “जनपद के निवासी”। आधुनिक लेखकों ने जनपद के संबंध में एक और भूल यह की है कि वे जनपद का अर्थ प्रांत या भू-भाग करते हैं जो समस्त प्राचीन प्रमाणों के बिलकुल विक्षद् है। राष्ट्र-विधान की दृष्टि से इसका अर्थ है—किसी राज्य की वह समस्त भूमि जिसमें केवल राजधानी या राजनगर सम्मिलित नहीं है†। इस दृष्टि से और

* मिलाओ अर्थशास्त्र पृ० ४६, पाद-टिप्पणी। नगर राजधानी।

† मिलाओ आधुनिक ‘गढ़’ (किला) जो शासक के निवास-स्थान का सूचक है। साथ ही मिलाओ जर्मन Schless.

‡ अर्थशास्त्र पृ० ४५-४६, पाद-टिप्पणी।

एक सामूहिक संस्था के रूप में जानपद शब्द का अर्थ खारवेल के ई० पू० १६५४ वाले शिलालेख से भली मौति प्रमाणित हो गया है*। मध्य युग के टीकाकार यह नहीं जानते थे कि जानपद एक सामूहिक संस्था का नाम था; इसलिये उन्होंने इस एकवचन शब्द को “जानपदाः” का बहुवचन रूप देकर मानों शुद्ध कर दिया था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रामायण, अयोध्या काढ के चौदहवें अध्याय का ४४ वाँ श्लोक है†। महाराज दशरथ की सेवा में यह निवेदन करने के लिये कहा जाता है कि—“पौर, जानपद और नैगम अजलि-बद्ध होकर राम के यौवराज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं।” इसमें की “उपतिष्ठति” (प्रतीक्षा करता है) क्रिया एक-वचन है; अतः

* जायसवाल J. B. O. R. S. (१६१७) ३.
पृ० ४५१ ।

† उपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिषेचनम् ।

पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृतांजलिः ॥२.१४ ५४।

‘उपतिष्ठत’ पाठातर के संबंध में गोविद्राज ने अपनी टीका में कहा है—उदोऽनूर्ध्वकर्मणि इत्यात्मनेपदम् । उपस्थितमित्यर्थ ।...उपतिष्ठतीति पाठातरम् । कुंभकोणम् की चार हस्तलिखित प्रतियों में ‘उपतिष्ठति’ ही पाठ है ।

यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक कारक में इसके कर्ता एक-वचन रहें और वे “च” से सबद्ध हो। परंतु मूल में केवल नैगम (राजधानी के व्यापारियों आदि की सभा या संस्था) शब्द एकवचन में रखा गया है और जानपद शब्द बहु-वचन कर्ता कारक तथा बहुवचन करण कारक रूप में रखा गया है*। यह करण कारक रूप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रखने के लिये लाया गया है (नैगम के साथ सब जानपद)। इसका शुद्ध पाठ एकवचन कर्ता के रूप में जानपदश्च है, जो अब तक कुछ हस्तिलिखित प्रतियों में पाया जाता है। परंतु आधुनिक सपादक इसे अशुद्ध समझकर इसका तिरस्कार कर देते हैं।

ई २५०. बहुवचन जानपदाः से दोनो भाव सूचित हो सकते हैं—एक तो जानपद संस्था के सदस्य और दूसरे जनपद के लोग या निवासी। परंतु यह बहुवचन रूप यह

* पौरजानपदश्चापि नैगमैश्च कृताजलिः या कृतात्मभिः। कुंभकोणम् स्तकरण का पाठातर।

† देखो श्रीयुक्त कृष्णाचार्य और व्यासाचार्य वाला रामायण का आलोचनात्मक संस्करण १. पृ० ६८. (हस्तलिखित प्रति ‘ट’) जो वास्तव में एक बहुत बहुमूल्य संस्करण है।

भी सूचित कर सकता है कि इस नाम की कोई संस्था थी। यदि हमें यह पद कहीं एकवचन में मिल जाय और उससे किसी एक व्यक्ति का भाव न सूचित होकर कोई सामूहिक अर्थ सूचित होता हो अथवा सामूहिक भाव का सूचक बहुवचन जानपदा ही मिल जाय, तो यह बात सिद्ध हो जायगी कि जानपद नाम की कोई संस्था थी। हमें इन दोनों प्रकारों के प्रयोगों के उदाहरण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हमें इस बार का भी प्रमाण मिलता है कि जानपद नाम की सामूहिक संस्थाएँ थीं और उनके अपने ऐसे नियम या कानून आदि भी थे जो धर्मशास्त्रों में भी मान्य होते थे।

खारवेल के हाथीगुम्फावाले शिलालेख में इसका एक ऐसा प्रमाण मिलता है जिसके संबंध में किसी प्रकार की शंका या विवाद हो ही नहीं सकता। उसमें कहा गया है कि महाराज खारवेल ने जानपद (एकवचन रूप जानपद) के साथ कुछ रिश्वायते की थीं अथवा उसे कुछ विर्शष्ट अधिकार दिए थे। उपर रामायण के जिस प्रमाण का उल्लेख किया गया है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जानपद युवराज के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था। रामायण के अनुसार जानपदों ने पौरो तथा अन्यान्य लोगों के साथ मिलकर और परामर्श करके इस प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक के संबंध में सर्व-सम्मति से निर्णय कर लिया था।

उनका निश्चय इस प्रकार था—“हम लोग चाहते हैं की
यह अभिषेक हो॥ ।”

मानव धर्मशास्त्र में जातिा, जानपद और श्रेणी^{पु} के
नियम या कानून मान्य किए गए हैं। इस बात में किसी

९ रामायण, अयोध्या कांड, अच्याय २, श्लोक
२०-२२ ।

समेत्य ते मन्त्रयित्वा समतागतवृद्धयः ।

ऊचुश्च मनसा जात्वा वृद्धं दशरथं नृपम् ॥

स रामं युवराजानमभिषिञ्चब्धं पार्थिव ।

इच्छामो हि महाबाहु रघुवीर महावलम् ॥

साथ ही देखो इसके उत्तर में दशरथ का कथन—

कथं नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुपालति ।

भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महावलम् ॥

५ मनु द. ४१ ।

जातिजानपदान्धर्माऽश्रेणीधर्माश्च धर्मवित् ।

सभीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥

पु श्रेणी का शब्दार्थ है “पक्षि” । जान पड़ता है कि
सदस्य लोग पक्षियों में बैठा करते थे, इसी कारण इस
सामूहिक सम्प्रसारण का नाम श्रेणी पड़ा था । संभवतः आरंभ

प्रकार का सदेह नहीं है कि इस वर्ग की अन्य दो सम्प्राणे सामूहिक सम्प्राणे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी जानपदो, गणो, श्रेणियो और जातियो का सामूहिक संस्थाओं के ही रूप में उल्लेख हुआ है, और कहा गया है कि इन्हें स्वयं अपने नियमों का भी पालन करने के लिये विवश किया जाना चाहिए*। मांडलिक ने स्मृतिकार की सच्ची

में श्रेणी शब्द से उन सभी संस्थाओं का बोध होता या जो एकत्र होकर अपना अधिवेशन करती थी और उसमें अपने सबध का कोई काम करती थीं। महाभारत के पुराने श्लोकों (समाप्ति १४, ४. कुभकोणम् संस्करण) में श्रेणीबद्धाः राजानः पद मिलता है, जिसका अर्थ है— श्रेणी बोधकर बैठे हुए राजा लोग।

राजानः श्रेणीबद्धाश्च तथान्ये द्वित्रिया भुवि ।

इससे या तो प्रजातन्त्र के शासकों या सैनिक-सघटन का आशय हो सकता है। अर्थशास्त्र में “श्रेणी” शब्द सैनिक विभाग के अर्थ में आया है। धर्मशास्त्रो, साधारण साहित्य और शिलालेखों में श्रेणी का पारिभाषिक अर्थ ‘कारीगरों या व्यवसायियों आदि की पंचायत’ होता है।

* याज्ञवल्क्य १. ३६० और ३६१.

व्यवहारान्त्वयं पश्येत्सम्यैः परिवृतोऽन्वहम् ।

कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणाङ्गानपदानपि ॥३६०॥

सूक्ष्मदर्शिता के कारण जानपदाः शब्द का बिना अनुवाद किए ही उसे छोड़ दिया है और उसका उल्लेख भी गण और श्रेणी आदि परिभाषिक शब्दों की ही माँति किया है। स्मृतियों के इन दोनों ही श्लोकों में 'कुल' नाम की एक और संस्था का भी उल्लेख है। हम पहले ही बतला चुके हैं कि 'कुल' नाम की एक शासन प्रणाली थी। कुल का वास्तविक स्वरूप या अभिप्राय समझने के लिये हमें उक्त विषय के और उक्त श्लोकों से मिलते-जुलते अर्थशास्त्र के कुछ उल्लेखों पर विचार करना चाहिए। 'समय'^{*} अथवा सामूहिक संस्थाओं के निश्चयोवाले प्रकरण (पृ० १७३) में कौटिल्य ने देश-संघ, जाति-संघ और कुल-संघ के समय या निश्चित प्रस्तावों का उल्लेख किया है। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, कुल-संघ हिंदू-राजनीति का परिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है—वह राष्ट्र-विधान

स्वधर्माच्चलितान् राजा विनीय स्थापयेत्थिः ।
ग्रामशेणिगणानाच्च संकेतः समयक्रिया ॥३६१॥
वीरभिश्चोदय पृ० ४२४ में वृहस्पति का उद्धरण ।
देखो आगे ।

* देशजातिकुलसधाना समयस्थानपाकर्म ।

† देखो इस पुस्तक का पहला भाग § ८७ ।

जिसमे किसी कुल या वश द्वारा शासन होता हो। फिर आगे चलकर (कौटिल्य पृ० ४०७) भी देश-संघ, ग्राम-संघ और जाति-संघ का उल्लेख है। मानव धर्मशास्त्रमें उन लोगों के लिये दंड का विधान है जो सामूहिक स्थाओं के निश्चयों अथवा सभयों के विरुद्ध आचरण करते हैं। उसके साथ ही ग्राम-संघ और देश-संघ का भी उल्लेख है, जिसकी व्याख्या ग्राम-समूह या जाति-समूह के रूप में की गई है। बृहस्पतिर्ण मे भी देश या जानपद संस्था का उल्लेख उस स्थान पर आया है, जहाँ श्रेणी और देश के नियमों आदि का एक साथ उल्लेख है। एक और

* मनु द २१८-२२१.

अत ऊर्ध्वं प्रवद्धामि धर्मं समयमेदिनाम् ॥ १८ ॥
यो ग्रामदेशसंघाना कृत्वा सत्येन सविदम् ।
विसंवदेन्नरो लोभात् राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ १९ ॥

...

एवं दण्डविधि कुर्याद्विर्मिक पृथिवीपतिः ।
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥ २१ ॥
† देशस्थित्यानुमानेन नैगमानुमतेन वा ।
क्रियते निर्णयस्तत्र व्यवहारस्तु वाध्यते ॥
वीरमित्रोदय पृ० १२० में उद्धृत ।

श्लोक* में ग्राम और देश के ऐसे निश्चयों का उल्लेख है जो राजा के बनाए हुए नियमों या धर्मों के विरुद्ध न हो। मनु (द. ४१) में जाति-संघ के स्थान पर केवल जाति और देश-संघ के स्थान पर जानपद का उल्लेख है। उसी अध्याय के ४६वें श्लोक में जानपद के स्थान पर “देश” आया है। यह बात स्पष्ट ही है कि ऐसे श्लोकों में ‘‘देश’’ शब्द से देश-संघ या जानपद का अभिप्राय है। इसी प्रकार समृतिकार व्यास ने कहा है कि जिस लेख की देश-अध्यक्ष ने रजिस्टरी की हो, वह जानपद लेख कहलाता है; और देश-अध्यक्ष वह है जो देश-सभा या जानपद का सभापति हो।[†] । ऊपर दिए

* ग्रामो देशश्च यत्कुर्यात् सत्यलेख्यं परस्परम् ।

राजाविरोधधर्मार्थं संवित्प्र वदन्ति तत् ॥

वीरमित्रोदय पृ० १८८ में बृहस्पति का उद्धरण ।
साथ ही देखो याज्ञवल्क्य—

निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत् ।

सोऽपि यत्नेन सरद्धयो धर्मो राजकृतश्च यः ॥

[†] अपराक्ष (या० २. ६२ ने) लेख्य-प्रमाण का विवेचन करते हुए व्यास के ये श्लोक उद्धृत किए हैं—

हुए प्रमाणो से प्रमाणित होता है कि मनु और याशवल्क्य का जानपद और मनु तथा कौटिल्य का देश-संघ दोनों एक ही हैं। जानपद या देश-संघ नामक सामूहिक सम्पत्ति के नाम से ही यह सूचित होता है कि वह एक समस्त देश की संस्था थी; परंतु, जैसा कि हम आगे चलकर बतलावेंगे, केवल राजनगर या पुर उसमें सम्मिलित नहीं था।

§ २५१. जानपद का एक और पर्याय 'राष्ट्र' भी है जो परबर्ती ग्रंथो में पाया जाता है। दशकुमारचरित (अध्याय ३) में जानपद के समाप्ति का नाम जानपद-

द्वित्रिलिपिः स्वकृतेन स्वलेखयेन युक्तिभिः ।
कुर्याद्दि सदृशा लेख्यं तस्माज् जानपदं शुभम् ॥
देशाध्यक्षादिना लेख्यं यत्र जानपदं कृतम् ॥

व्यास को इस बात की आशका थी कि कोई लेख लिखनेवाला स्वयं ही लिखकर पीछे से इन्कार भी कर सकता है; क्योंकि धूत् व्यक्ति कई तरह की लिखावटें लिख सकता है, इसलिए जानपद लेख, जो देशाध्यक्ष या दूसरे अधिकारियों द्वारा "कृत" अर्थात् रजिस्टरी किया हुआ हो, (विष्णु ७. ३. राजाधिकरण तन्नियुक्तकायस्थकृतं तदध्यक्षकरचिह्नितं राज-साक्षितं) एक अच्छा प्रमाण माना जाता था। (देखो § २६६.)

महत्तर* दिया गया है, और आगे चलकर वही व्यक्ति राष्ट्रमुख्य कहा गया है।

मुझे मिश्र मिश्र कृत याज्ञवल्क्य की एक अप्रकाशित टीका मिली थी। जिसमें अनादेय व्यवहार या ऐसे मुकदमों के प्रकरण में, जिनकी सुनवाई नहीं हो सकती, यह लिखा मिला था कि जो व्यक्ति पौर या राष्ट्र का द्वारा हो, उसके लाए हुए अभियोग की सुनवाई नहीं हो सकती। इसके प्रमाण में बृहस्पति का कथन उद्धृत किया गया है। इसी प्रकार का एक श्लोक वीरमित्रोदय (व्यवहार, पृष्ठ ४४) में भी मिलता है, जिसमें पौर के स्थान पर पुर या राजधानी पाठ है। मिश्र मिश्र ने पुर और राष्ट्र की व्याख्या

* मिलाओ रामायण २. दर. ५. १५. ग्रामघोष-
महत्तराः। रामटीका में कहा है—ग्रामे घोषे च वर्तमाना
महत्तराः। गोविंदराज ने कहा है—महत्तराः प्रधानभूताः।
(पतंजलि और कात्यायन के अनुसार घोष वह छोटा नगर
या कस्ता होता था जिसके सामूहिक लक्षण और मुद्रा
हुआ करती थी। देखो हिंदू राज्य-तत्र पहला भाग, पृ० ६६
की पाद-टिप्पणी ।)

† याज्ञवल्क्य की वीरमित्रोदय टीका, जो मुझे काशी
के श्रीयुक्त (अब स्व०) वा० गोविंददासजी ने कृपा कर
देखने के लिये दी थी।

करते हुए उसे पौर-जानपद बतलाया है। यहाँ भी 'राष्ट्र' शब्द उसी प्रकार जानपद संस्था के लिये आया है, जिस प्रकार दशकुमारचरित में आया है।

§ २५२. जानपद के कार्यों और अधिकारों आदि की विवेचना करने से पहले पौर के कार्यों और अधिकारों आदि पौर का विवेचन कर लेना अधिक उत्तम होगा। राष्ट्र-विधान के विषयों में पौर संस्था जानपद संस्था की यमज बहन ही है। इन दोनों का सदा साथ ही साथ उल्लेख होता है; और कभी कभी तो एक ही दोनों की सूचक हुआ करती है।

मारतीय और युरोपीय दोनों ही लेखकों ने पौर का अनुवाद करते हुए लिखा है कि यह संस्था राज्य के समस्त नगरों से सबध रखती थी। पर वास्तव में यह बात नहीं है। आरमिक हिंदू लेखक पारिमाणिक शब्द पुर और नगर से राजधानी या राजनगर का अभिप्राय लेते थे। खारवेल (ई० पू० १६५५ के लगभग) के शिलालेख में सामूहिक संस्था के रूप में पौर का उल्लेख भी जानपद की भौति एकवचन में हुआ है*। खारवेल ने पौर को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान किए थे। दिव्यावदान में भी उस स्थान

* J. B. O R. S. ३. ४२।

पर सामूहिक संस्था के रूप में पौर का स्थृत उल्लेख है, जहों कुण्डल का पौर (एकवचन, अर्थात् पौर सभा) में प्रवेश करने का वर्णन है। दिव्यावदान के अनुसार तिष्ठरकृता ने अपना जाली पत्र पौरों अर्थात् कुछ संघटित संस्थाओं के नाम लिखा था^{*}। वीरमित्रोदय के कर्ता ने निश्चित रूप से यह बतलाया है कि पौर, जिसका नाम स्मृतियों और धर्मशास्त्रों आदि में सामूहिक संस्थाओं के साथ आता है, राजधानी के निवासियों की सभा या संस्था थीं।

पुर का अर्थ राजधानी है (§ २५३)। हिंदू धर्म-शास्त्रों में “समूह” एक प्रसिद्ध राष्ट्र-संघटन संबंधी पारिभाषिक शब्द है। उदाहरणार्थ कात्यायन ने पूरा की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह व्यापारियों तथा अन्य लोगों का “समूह” है[†] और इसका अर्थ ऐसी के समान ही माना भी जाता है। धर्मशास्त्रकार बृहस्पति ने पूरा, गण, संघ आदि ऐसी संस्थाओं का उल्लेख करते हुए, जिन्हें हम सभाओं द्वारा

* दिव्यावदान पृ० ४१०।

[†] पौरः पुरवासिनां समूहः। वीरमित्रोदय पृ० ११।

[‡] समूहः वणिजादीना पूराः सप्रकीर्तिः। चडेश्वर द्वारा उद्धृत। विवादरत्नाकर पृ० ६६६।

नियन्त्रित संस्थाओं के रूप में जानते हैं, उन्हें समूहस्थ वर्ग (६२८) या सामूहिक संस्थाएँ बतलाया है। मिश्र मिश्र ने भूगु के आधार पर एक पुराना श्लोक उद्धृत किया है जिसमें ग्राम, पौर, गण और श्रेणी को वर्गिन् या वर्गा कहा है और जिसका वही अभिप्राय है जो बृहस्पति के समूहस्थ वर्ग का अभिप्राय है । [यहाँ ग्राम से मतलब साधारण गाँव का नहीं है, बल्कि गाँववालों की समा का अभिप्राय है, जैसा कि मिथिला के धर्मशास्त्रकार चंडेश्वर ने उसकी व्याख्या में बतलाया है । ग्रामो ग्रामवासी समूहः पृ० १७६ ।] चंडेश्वर ने समूहस्थाः का आशय समझते हुए मिलिताः लिखा है, जिसका अर्थ है—जिसमें सब लोग मिले हो + । कात्यायन ने समूहों के अलग नियमों

* अर्थात् जैनो और बौद्धों का समूह । आर्हतसौगताना तु समूहः सघ उच्यते । विवादरत्नाकर में कात्यायन पृ० ६६६ ।

+ गणपाषण्डपृगाश्च व्राता च श्रेण्यस्तथा ।
समूहस्थाश्च ये चान्ये वर्गाख्यास्ते बृहस्पतिः । उक्त ग्रथ
त्रु ग्रामपौरगणश्रेण्यश्चतुर्विधाश्च वर्गिणाः । वीर-
मिश्रोदय (व्यवहार) पृ० ११ ।
+ विवादरत्नाकर पृ० ६५३. (समूहस्था मिलिताः)

या कानूनों का उल्लेख किया है*। समूह का साधारण अर्थ तो बहुत से लोगों का जमाव है ही; पर यहाँ राष्ट्र-संघ-टन की दृष्टि से उसका एक पारिमाणिक अर्थ है जिसका अभिप्राय है—संघटित संस्था या सभा आदि।

अमर और कात्य दोनों कोषकारों ने ‘प्रकृति’ के अर्थ बतलाते हुए कहा है कि इस शब्द का अन्यान्य अर्थों के अतिरिक्त एक अर्थ पौर भी है, अर्थात् पौरों की श्रेणियों†।

* समूहाना तु यो धर्मस्तेन धर्मेण ते सदा । विवाद-खाकर पृ० १८०.

† मिलाओ दूसरी सामूहिक संस्था “सार्थ” पर मित्र मिश्र की व्याख्या । मिलितो जनसंघः । “लोगों के मिलने से बनी हुई सभा या संस्था ।” वीरमित्रोदय पृ० ११.

याज्ञवल्क्य ने ऐसे लोगों को दंड देने का विधान किया है जो समूह के शुभचितकों के निश्चय के विरुद्ध काम करते हो । वीरमित्रोदय पृ० १७६.

कात्यायन ने यह भी बतलाया है कि जब समूह और उसके नेता मे भगङ्गा हो, तब क्या करना चाहिए । विवाद-खाकर पृ० १८४.

† अमात्याश्चापि पौराश्च सद्भिः प्रकृतयः स्मृताः । अमर २. द. १८. पर द्वीरखामी द्वारा उद्घृत कात्य का

रामायण में जहाँ रामचंद्र के अयोध्या लौटने से इन्कार करने का प्रकरण है, वहाँ भरत ने पौर-जानपद संस्था से इस प्रकार पूछा है—

“श्रीमान् इस संबंध में क्या आज्ञा देने हैं*।” वह संस्था राम के तर्क को ठीक समझती है, जिस पर उसे संबोधन करते हुए भरत कहते हैं—हे मेरे परिषद, आप कृपा कर सुनें।

इस प्रकार यहाँ उस संस्था का सामूहिक रूप स्पष्ट और प्रसुख है।

६२४३. पौर वास्तव में नगरनिवासियों की एक सभा या संस्था थी, जिसे राज-नगर की आतरिक व्यवस्था आदि का उसी प्रकार अधिकार प्राप्त होता था, जिस प्रकार आजकल की म्युनिसिपैलिटीयों को प्राप्त होता

वचन । राज्यागानि १५३८५ पौराणा श्रेण्योऽपि च ।
त्रिवेद्म् सस्कृत सीरीज स० ४१. पृ० ६६.

* आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम् ।

उवाच सर्वतः प्रेद्य किमर्य अनुशासथ ॥

रामायण अयो० का० ३० १९.

† शृण्वन्तु मे परिषदः मंत्रिणः शृणुयुक्तथा । उक्तं अंथ और काढ़; २४.

है* । नगर की इस प्रकार की म्युनिसिपल व्यवस्था करने

* मिलाओ—मंदौत्सुक्योऽस्मि नगरगमन प्रति ।
शकुंतला दूसरा अंक । पुरं सुख्यनगरम् । वीरमित्रोदय
पृ० ११. साधारण बस्ती या कस्बे के लिये ग्राम शब्द है ।
यथा—ग्रामपौरगणश्चेष्यश्चातुर्विधाश्च वर्गिणः । उक्त
अंथ । अर्थशास्त्र में राजधानी के लिये 'नगर' और 'दुर्ग'
शब्द का प्रयोग हुआ है और साधारण कस्बों या बस्तियों
के लिये 'ग्राम' शब्द आया है । पाणिनि और पतंजलि
में राजधानी के लिये नगर और पुर तथा साधारण कस्बे
के लिये 'ग्राम' शब्द आया है । देखो पाणिनि ७. ३. १४.
और उस पर काशिका । साथ ही ६. २. १००. कस्बे
के लिये 'ग्राम' शब्द के व्यवहार पर पतंजलि का भाष्य ।
पाणिनि ४. २. १०४. पर शाकलं नाम वाहीकग्रामः ।
शाकल में पहले मद्रो की राजधानी थी, पर पुष्टमित्र के
समय से वह नगर या राजनगर नहीं रह गया था । कदा-
चित् इसी लिये उसे साधारण कस्बा या ग्राम कहा गया
है । साथ ही देखो अर्थशास्त्र पृ० ४६, पादटिप्पणी ।
नगरं राजधानी । वास्त्यायन के कामसूत्र (दूसरा अधि-
करण, पचासबों अध्याय) में नागरिकाः की टीका करते
हुए टीकाकार ने कहा है—नागरिका इति पाठ्यपुनिकाः ।

के अतिरिक्त उसे राष्ट्र के संघटन या व्यवस्था आदि के भी बड़े-बड़े अधिकार होते थे। पहले हमें पौर की म्युनिसिपल-व्यवस्था का ही विचार करना चाहिए।

§ २५४. इस सभा का प्रधान या समापति एक प्रमुख नगर-निवासी हुआ करता था जो साधारणतः कोई व्यापारी या महाजन होता था। आजकल जिसे मेयर कहते हैं, हिंदुओं के काल में वह 'श्रेष्ठित्' या 'प्रधान' कहलाता था। रामायण के अनुसार पौर और जानपद में आम्यंतर और

दुर्ग भी पुर का पर्याय ही था। मिलाओ नारद—
संरक्षेत्समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा। वीरमित्रोदय पृ०
४२५. अशोक के शिलालेखों में 'नगर' शब्द प्रातीय राज-
धानियों के सर्वंघ में भी आया है। मनु ७. २६. में
राज्य को दुर्ग और राष्ट्र इन दो विभागों में विभक्त किया
गया है। यथा—

ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सच्चरचरम् ।

राजधानी के लिये दुर्ग और पुर का प्रयोग मनु ७.७०.
में देखो—

धन्वदुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्क्षमेव वा ।
दृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाप्रित्य वसेत्पुरम् ॥

बाह्य ये दो विभाग या अंग हुआ करते थे * । आम्यंतर सर्वा वास्तव में कार्यकारिणी सभा होती होगी, जो स्थायी रूप से स्थित होती थी । इमें प्रायः पौर-बृद्धो और नगर-बृद्धो का उल्लेख मिलता है । देश की सार्वजनिक संस्थाओं के समान रूपों के संबंध में हम यह भी कह सकते हैं कि पौर-बृद्ध पुर के बृद्धों की कार्यकारिणी सभा थी जो कदाचित् रामायण की आम्यंतर सभा के समान या वही थी । धर्मसूत्रों

* आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा ।

आम्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः ॥

अर्थात् राष्ट्र के सब लोग और पुर के सभी ऐष्ट लोग उनकी प्रशंसा करते हैं । इसी प्रकार पौर-जानपद संस्था (आम्यंतर भी और बाह्य भी) उनकी प्रशंसा करती है ।

यहों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौर जानपद संस्था का राष्ट्र और पुर के निवासियों से अलग और स्वतंत्र वर्णन किया गया है । महाभारत में भी आम्यंतर और बाह्य इन दोनों विभागों का उल्लेख है । देखो आगे “कर” के संबंध में रेंटीसर्वी प्रकरण । सामूहिक अर्थ में ‘जन’ शब्द का प्रयोग अशोक के शिलालेख, स्तम्भमाला ७ में देखो । वहाँ लिखा है—जनं धंमयुतं । अर्थात् धर्मसेवा (विभाग) में नियुक्त व्यक्तियों का समूह ।

में साधारण सद्व्यवहार के नियमों में एक अपवाद यह भी है कि जो शूद्र पहले पौर संस्था का सदस्य रह चुका हो, उसका भी ब्राह्मण को विशेष रूप से आदर सत्कार करना चाहिए*। इससे सूचित होता है कि पौर वास्तव में एक

* गौतम धर्मसूत्र (शास्त्र) ६. ६—११ ।

साधारणतः ब्राह्मण लोग शूद्रों का आदर नहीं करते । परंतु जब पौर का कोई भूतपूर्व सदस्य आता था, तो चाहे उसकी अवस्था अस्ती वर्ष से कम की ही होती थी, तो भी ब्राह्मण को उसके आदरार्थ उठकर खड़ा होना पड़ता था । इसके अतिरिक्त पंद्रहवें सूत्र में पौर के सदस्यों के आपस के व्यवहार के भी नियम दिए हैं । यदि उन सदस्यों में अवस्था के विचार से परस्पर दस वर्षों का भी अंतर होता था, तो भी वे आपस में एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, मानों सब का जन्म एक ही दिन हुआ हो ।

ऋत्विक् शशुरपितृव्यमातुलानां तु यवीयसा प्रत्युत्थानं
नाभिवाद्याः ॥ ६ ॥

तथान्यः पूर्वः पौरोऽशीतिकावरः शूद्रोऽप्यपत्यसमेन ॥ १० ॥

अवरोऽप्यार्थः शूद्रेण ॥ ११ ॥

नाम चास्य वर्जयेत् ॥ १२ ॥

भो भवन्निति वयस्थः समानेऽहनि जातः ॥ १४ ॥

दशवर्षृशूद्रः पौरः ॥ १५ ॥

सार्वजनिक संस्था थी और छोटी से छोटी जातियों के लोग भी उसमें प्रतिनिधि-स्वरूप रहते थे ।

॥ २५५. पौर में एक लेखक या राजिस्ट्रार भी हुआ करता था और वह जो लेख प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करता था, वह सर्वोत्कृष्ट प्रमाण समझा जाता था* । राजकीय लेख्यों के विपरीत लौकिक लेख्यों में पौर-लेखक का लेख्य प्रधान या मुख्य हुआ करता था । इससे सूचित होता है कि पौर-संस्था की नियुक्ति राजा के द्वारा नहीं होती थी ।

धर्मशास्त्रों और स्मृतियों आदि में पौर के राजनीतिक से भिन्न जो कार्य लिखे हैं, वे इस प्रकार हैं—

(क) जायदादो की व्यवस्था । राजा के द्वारा पौर के सदस्यों को इस बात का अधिकार प्राप्त होता था कि वे राजकीय अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ मिलकर किसी मृत व्यक्ति की जायदाद का प्रबंध करें । (वशिष्ठ १६. २०.)

* वशिष्ठ (फुहर-वाला संस्करण) पृ० ८४.

चिरकं नाम लिखितं पुराणैः पौरलेखकैः ।

साथ ही देखो विष्णु संहिता ७. ३. और मिलाओ बंगल के बंशों का अस्त्र “पुर कायस्थ” ।

† वशिष्ठ धर्मसूत्र (शास्त्र) १६. १६-२० ।

(ख) नागरिकों का साम्पत्तिक बल बढ़ानेवाले (जिन्हे पौष्टिक* कार्य कहते थे) तथा इसी प्रकार के और और काम वे लोग करते थे।

(ग) नगर की शाति-रक्षा का कार्य (शातिक*) अर्थात् नगर में पुलिस की व्यवस्था करने का काम उनके सपुर्दद

प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥ १६ ॥

ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरैश्च कार्याणि
कुर्यात् ॥ २० ॥

तथानाथदर्दिदाणा संस्कारो यजनक्रिया । वृहस्पति,
बीरमित्रोदय पृ० ४२५ ।

बालद्रव्यं ग्रामवृद्धाः वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणात्
देवद्रव्यं च ।

आमवृद्धो को चाहिए कि वे बालकों या नाबालिगों
की सम्पत्ति तब तक बढ़ाते रहें, जब तक वे व्यवहार के
अनुसार वयस्क या बालिग न हो जाय । देवताओं के
द्रव्यों के सबंध में भी उन्हें ऐसा ही करना चाहिए।
अर्थशास्त्र, पृ० ४८ ।

* नित्यं नैमित्तिकं काम्यं शान्तिकं पौष्टिकं तथा ।

पौराणा कर्म कुर्युस्ते सदिग्दे निर्णयं तथा ॥
—बीरमित्रोदय में वृहस्पति । पृ० ४२४ ।

होता था। ये दोनो प्रकार के कार्य या तो 'साधारण', या 'असाधारण' और या 'ऐच्छिक' कहे गए हैं।

(ब) न्याय या निर्णय का काम* जो कि अवश्य ही म्युनिसिपल-व्यवस्था के विषयों तक परिमित रहा होगा। फौजदारी या मार-पीट आदि के मुकदमे जो साहसर्गी[†] के अंतर्गत आते थे, पौर न्यायालयों के अधिकार से विशेष रूप से बाहर रखे जाते थे। मित्र मिश्र द्वारा उद्धृत एक वचन के अनुसार, जो कदाचित् भृगु का है, तथा दूसरों के वचनों के अनुसार भी, पौर-न्यायालय एक ऐसी संस्था थी जो राजा द्वारा मान्य होती थी।

(द) धर्म-स्थान तथा सार्वजनिक स्थान उनके अधिकार में होते थे। पौर को पुर या राजधानी के मंदिरों तथा

* चाटचौरमये बाधाः सर्वसाधारणाः स्मृताः ।

तत्रोपशमनं कार्यं सर्वैर्नैकेन केनचित् ॥ वीर० ।

साथ ही देखो नोट—संदिग्धे निर्णयं तथा । और
ग्रामपौराणश्चेष्यश्चातुर्विद्यश्च वर्गिणः ।

कुलानि कुलिकश्चैव नियुक्ता नृपतिस्तथा ॥

—वीरमित्रोदय पृ० ११ ।

† साहसन्यायवर्जानि कुर्याः कार्याणि ते नृणाम् ।

—वीरमित्रोदय में बृहस्पति, पृ० ४० ।

अन्य पवित्र स्थानों की देख-रेख करनी पड़ती थी। वे इस प्रकार की इमारतों की मरम्मत आदि भी करते थे। इन इमारतों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं—सभा, प्रपा, (पानी पिलाने के स्थान या पौसले), तटाक (सर्वसाधारण के नहाने के स्थान), आराम (वे मकान जिनमें लोग ठहरते या आराम करते थे) और देवगृह या मंदिर* ।

ई २५६. मेरा मत है कि मेगास्थिनीज ने पाटलिपुत्र की म्युनिसिपल सरकार का जो उल्लेख किया है, वह म्युनिसिपल सरकार हिंदू भारत की यही पौर संस्था है। स्ट्रैबो†ने पाटलिपुत्र का वर्णन देने के उपरांत उसकी शासन-व्यवस्था का वर्णन किया है। इस संबंध में सबसे अधिक महत्व

* धर्मकार्यमपि संभूय कार्यमिल्युक्त तैनैव

सभाप्रपादेवगृहतटाकारामसंस्कृतिः ॥

—वीरभित्रोदय में चूहस्पति , पृ० ४२५ ।

आराम के दोनों अर्थ होते थे। एक तो वह स्थान जहाँ लोग ठहरते और विश्राम करते थे; और दूसरा उपवन या उद्यान ।

† स्ट्रैबो खंड १५, ५०, ४-१०, एरियन (१२) में दिए हुए राजकीय अधिकारियों के विपरीत अपना शासन आप करनेवाले नगरों के मनिस्ट्रेटो से इसकी तुलना करो ।

की और ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त वर्णन में 'नगर मजिस्ट्रेट' शब्द का व्यवहार किया गया है; और एक यूनानी के सुँह से इस शब्द के व्यवहार से यह सूचित होता है कि ये सार्वजनिक अधिकारी थे और राजा द्वारा नियुक्त नहीं होते थे। अर्थ-शास्त्र में जिस "नागरक" अधिकारी का उल्लेख है, वह राजा द्वारा नियुक्त नगर का शासक हुआ करता था; और इन अधिकारियों से मिल होता था। इन नगर-मजिस्ट्रेटों के साथ पॉन्च-पॉन्च सदस्यों के छुः मढ़ल होते थे, जो नीचे लिखे कार्यों की व्यवस्था करते थे—

(क) नगर का शिल्प और कला आदि ।

(ख) नगर में रहनेवाले विदेशी, जिनकी मृत्यु पर वे उनकी संपत्ति की व्यवस्था करते थे (उसे उनके संबंधियों के पास भेज देते थे)* ।

* एक विद्वान् ने, जिन्हें हिंदू प्रामाणिक लेखकों का उतना अधिक ध्यान नहीं रहता, जितना साम्यो और तुलनात्मक का रहता है, मौर्य राजधानी की इस पौर संस्था के संबंध में भूल से यह समझ लिया है कि यह फारस के राजकीय शासक-विभाग की नकल पर बनाया गया था ।

(ग) नगर में होनेवाले जन्मो और मृत्युओं का लेखा रखते थे । और

(घ) नगर के व्यापार-व्यवसाय और बने हुए द्रव्यों की व्यवस्था करते थे और बिक्री की चीजों पर चुंगी बसूल करते थे ।

“यही सब कार्य हैं जिनकी व्यवस्था ये सब मंडल अलग-अलग करते हैं । ये सब मंडल मिलकर या अपने सामूहिक रूप में अपने विशिष्ट विभागों की देख-रेख भी करते हैं और सर्वसाधारण के हित के विषयों का भी ध्यान रखते हैं; यथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, पदार्थों के मूल्यों का नियंत्रण और बाजारों, बंदरगाहों और मंदिरों की रक्षा ।”

ई २५७. स्ट्रैबो ने जिन नगर-मजिस्ट्रेटों का उल्लेख किया है, वे पौर-मुख्य या पौरचूद्ध हैं । पौच सदस्यों के मंडल तथा तीस सदस्यों के पूर्ण मंडल से वही व्यवस्था सूचित होती है जो धर्म-परिषदों और बौद्ध सघ के तीन और पौच, दस, बीस और इससे अधिक की गण-पूर्ति और पतंजलि

यहों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विशिष्ट (१६. २०) के अनुसार ये पौर लोग राजमंत्रियों के साथ मिलकर संपत्ति आदि की व्यवस्था करते थे ।

के पंचक, दशक तथा विशक संघो में थी*। बृहस्पति ने सामूहिक संस्थाओं में पाँच सदस्यों की समितियों का भी उल्लेख किया है।, बौद्ध संघ में भी कुछ विषयों का निराकरण योड़े ही सदस्यों की उपस्थिति में भी हो सकता था। परंतु अधिक महत्वपूर्ण विषयों का विचार बीस या अधिक सदस्यों की उपस्थिति में ही हो सकता था। पाटलिपुत्र के पौर का जो वर्णन मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि सार्वजनिक हित की बातों का निर्णय अधिक सदस्यों की उपस्थिति में ही होता था। समस्त नगर-मणिस्ट्रोटों की सम्मिलित सभा रामायण में बतलाए हुए पौर के आम्यंतर अंग से मिलती-जुलती है। आम्यंतर सभा के तो तीस

* पाणिनि ५. १. ५८ और ५९ पर पतंजलि का भाष्य।

ॐ त्रयः पंच वा कार्याः [समूहहितवादिनः] ।

कर्तव्यं वचनं तेषां ग्रामशेषिणगणादिभिः ॥

- —वीरमित्रोदय पृ० ४२७ ।

‡ महाबगा ६. ४. १. पंच संघा । चतुवगो भिक्खु-संघो पंचवगो भिक्खुसंघो दसवगो भिक्खुसंघो वीसति-वगो भिक्खुसंघो अतिरेकवीसतिवगो भिक्खुसंघो । साथ ही देखो ६. ३. ५. आदि ।

सदस्य होते थे और बाह्य या सार्वजनिक सभा के अवश्य ही यथेष्ट अधिक सदस्य होते होगे ।

६२५८. जैसा कि ऊपर बतलया जा चुका है, ग्राम को वर्गिन् या वर्गा कहा गया है । वर्ग का अर्थ है—सभा या वर्ग गण-पूर्ति । पाणिनि ने भी इस अर्थ में इस शब्द का व्यवहार किया है

(५. १. ६०. देखो इस पर काशिका—पंचको वर्गः, दशको वर्गः) । दूसरी सामूहिक सभाएँ भी वर्गिन् कही गई हैं; अर्थात् जिनका कार्य वर्ग या सभा की प्रणाली पर होता था । मित्र मिश्र (बीरमित्रोदय पृ० ११) द्वारा उद्धृत एक धर्मशास्त्र (भूगु) के वचन में पौर, ग्राम और गण को वर्गिन् कहा गया है । [मिलाओ नीलकठ द्वारा उद्धृत कात्यायन का वचन—

लिगिनः शेणिपूर्णाश्च वणिजातास्तथापरे ।

समूहस्थाश्च ये चान्ये वर्गस्तानब्रवीद्भूगुः ॥]

महाभाष्य ४. २०. २. में वासुदेव और अक्षुर के वर्गों का उल्लेख है । गौतम के धर्मशास्त्र अध्याय ११ के बीसवें और इक्कीसवें सूत्रों में वर्ग का सामूहिक सभा के रूप में उल्लेख है । यथा—

देशजातिकुलधर्माश्चामनायैरविश्वाः प्रमाणम् ।

कर्षक-वणिक-पशुपाल-कुसीदि-कारवः स्वे स्वे वर्गे ॥

अर्थात् कर्षको, वणिको, पशुपालकों, महाजनो और

कारीगरों के बगों या सभाओं में स्वयं उन्हीं के बनाए हुए नियम ही मान्य या प्रभाग हैं ।

यहों इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि गौतम के समय में कृषकों तक की अपनी सभाएँ हुआ करती थीं ।

६ २४६. अर्थशास्त्र (पृ० ८८) के अनुसार पौर संस्था अपने सिक्के राजकीय टकसाल में ढलवाया करती थी । उसका यह कार्य या तो राष्ट्र-विधान की दृष्टि से इस विचार से होता होगा कि जिसमें राजकीय टकसाल में खराब सिक्के न ढल सके और या केवल आर्थिक विचार से होता होगा । परंतु अधिक संभावना इसी बात की है कि यह कार्य केवल आर्थिक विचार से होता होगा* । पुर या राजनगर में नगर के व्यापारियों की भी एक सभा हुआ करती थी, जिसे नैगम कहते थे† । यह नाम विशेष रूप से नगर के

* बहुत हाल तक इस देश में यह प्रथा थी कि व्यापारी लोग सरकारी टकसाल से अपने सिक्के ढलवाया करते थे ।

† नैगमाः पौरवणिजाः । मित्र मिश्र, वीरमित्रोदय पृ० १२०. साथ ही नगराणि कर्वजिंतानि निगमवणिजां स्थानानि । शाम शास्त्री द्वारा उद्घृत प्रश्न-व्याकरण-सूत्र-व्याख्यान'। अर्थशास्त्र पृ० ४६, पाद-टिप्पणी । धर्म-

व्यापारियों के सघ के लिये ही व्यवहृत होता था। अब तक साधारणतः यही समझा जाता रहा है कि यह शब्द संघ में संघटित व्यापारियों के लिये प्रयुक्त होता था। परंतु ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है। ऐसे व्यापारियों या उनके सघ के लिये श्रेणी और पूर्ण इन दो शब्दों का व्यवहार होता था। परंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन दोनों में क्या अंतर था*। हों अब ऐसा जान पड़ता है कि राजनगर की यह नैगम संस्था ही वास्तव में पौर संस्था की जननी थी। पौर का विकास या तो नैगम से हुआ होगा और या उसके आस-पास की परिस्थिति से

शास्त्रकारों ने नैगम को सामूहिक संस्थाओं की सूची में रखा है। यथा—

पाषण्ड-नैगम-श्रेणि-पूर्ण ब्रातगणादिषु । विवादरकाकर में उद्धृत नारद का वचन पृ० १८० ।

श्रेणि-नैगमपाषण्डगणानामप्यं विधिः । याज्ञवल्क्य, (उक्त ग्रंथ) पृ० १७६ । यहों पाषण्ड से अभिप्राय बौद्धों और जैनों की धार्मिक संस्थाओं—गणों और संघों—से है।

* जो कारीगर दक्ष नहीं होते थे, वे ब्रात्यों में रखे जाते थे। देखो पाणिनि ५. २. २१. पर पतंजलि का माण्ड्य ।

हुआ होगा (६२६). । जातकों और पाली श्रिपिटिक में नैगम (नेगम) शब्द का व्यवहार पौर के लिये ही मिलता है* । आधुनिक अनुवादकों ने इसका अनुवाद “नगर” किया है, परंतु वास्तव में इसका अभिप्राय राजधानी से है । धर्मशास्त्रों के हिंदू टोकाकार नैगम और पौर का समानार्थी ही बतलाते हैं† । पाली ग्रंथों में ‘‘नैगम’’ शब्द उसी प्रकार जानपद के साथ आता है, जिस प्रकार सस्कृत ग्रंथों में जानपद के साथ पौर आता है । राजनगर के व्यापारियों के संघ और राजनगर की व्यवस्थापिका संस्था में इतना अधिक सबध था कि दोनों को लोग एक ही समझने लगे थे । यही कारण है कि पौर में व्यापारियों और उनके हितों की प्रधानता रहती है‡ ।

* जातक खंड १. पृ० १४६—सब्जे नेगमजानपदे ।
कूटदन्त सुत्त, दीध निकाय, पैरा १२. नेगमा च एव
जानपदा च ते भवं राजा आमन्तयत ।

† चंडेश्वर, विवादरत्नाकर पृ० १७७-१८०. नैगमाः
पौराः, नैगम पौरसमूहः ।

‡ मिलाओ “श्रेष्ठिन्” जो सदा धनवान् व्यापारी
हुआ करता था । देखो नीचे पौर संस्था के संघटन
का विवेचन ।

रामायण में नैगम का उल्लेख सदा पौर के साथ मिलता है, पर उनका उल्लेख इस प्रकार हुआ है कि दोनों अलग होने पर भी परस्पर सबद्ध जान पड़ते हैं*। नैगम का अपना निजी अधिवेशन-भवन और कार्यालय होता था, जिसे “सभा” कहते थे, जहाँ उसके अधिवेशन होते थे; और पौर-जानपदों की अपनी सभाएँ और चत्वर हुआ करते थे, जिनमें उनके अधिवेशन होते थे†। एक स्थान पर हमें यह उल्लेख मिलता है कि एक धनवान् और उदार व्यापारी ने नैगम सभा के अधिवेशन में यह लिखवाया था कि गोवर्धन नगर के कुछ श्रेणियों के पास मेरा जो धन है, वह अमुक अमुक दान-कार्यों में लगाया जाय। इस वाक्य का अनुवाद मिं सेनर्ट ने इस प्रकार किया है—‘यह सब निगम सभा के कार्यालय में नियम के अनुसार लिखा दिया गया

* रामायण, युद्ध काढ, १२७, १६।

† गुणैः समुदितान् दृष्ट्वा पौराः पाणुसुतास्तदा।

..

कथयन्ति स्म सम्भूय चत्वरेषु सभासु च ॥

—वीरमित्रोदय पृ० ४० में मित्र मिश्र द्वारा उद्धृत महाभारत का वचन ।

है और इसकी रजिस्टरी करा दी गई है*।” इस प्रकार जान पड़ता है कि नगर की श्रेणियों के साथ नैगम का संबंध था और नैगम कदाचित् श्रेणियों से ऊपर होता था।

॥ २६० इस प्रकार पौर का व्यापारिक स्वरूप बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है, और सरकारी टकसाल में पौर जो अपने सिक्के ढलवाता था, उसका हेतु हम केवल आर्थिक

* नासिक गुहा शिलालेख। Epigaphia Indica द. ८२. मूल इस प्रकार है—गोवर्धन-वाथवासु श्रेणिसु कोलीकनिकाये २००० वृथि पड़िकशत् । एत च सर्व स्वावित निगमसभाय निबध च फलकवारे चरित्रोति । ‘चरित्र’ पुस्तकों में लिखा जाता था । देखो अर्थशास्त्र २. २५ पृ० ६२ यहाँ चरेतो का अर्थ हो सकता है—जिस प्रकार चरित्र लिखा जाता था । धर्म-शास्त्रों के अनुसार ‘श्रावित’ का अर्थ होगा—जिसे सुन कर मान्य और हस्ताक्षरित किया गया हो । सब प्रकार के लेन देन निगम सभा में ‘श्रावित’ होते थे, अर्थात् वहाँ उनकी रजिस्टरी होती थी । हिंदुओं में रजिस्टरी की यही प्रथा थी कि लिखा हुआ कागज पहले सुन लिया जाता था और तब उस पर हस्ताक्षर तथा गवाही होती थी ।

ही मान सकते हैं। नैगम सिक्को से साधारणतः यही अभिप्राय समझा जाता है कि ये शेणियो द्वारा ढलवाए नैगम सिक्को हुए होते थे। परन्तु मैं समझता हूँ कि इनसे उन सिक्को का अभिप्राय लेना चाहिए जो राजधानी में राज्य की ओर से पौर अथवा नगर के व्यापारियों की सभा के लिये ढाले जाते थे॥ । जिन सिक्कों पर मुख्य मुख्य नगरों के नाम अंकित होते थे, जैसे उजैनिया†, वे पौर सिक्के समझे जा सकते हैं।

§ २६१. पाणिनि ३. ३. ११६ के अनुभार निगम शब्द का, जिससे नैगम शब्द निकला है, शब्दार्थ होता

* मिलाओ अर्थशास्त्र पृ० ८९. सौविंशिकः पौरजान-पदाना रूप्यसुवर्णमावेशनिभिः कारयेत् ।

† कनिधम कृत A. S. R. खड १४. पृ० १४८ ।

‡ जिस “दोजक” सिक्के पर नैगम शब्द अंकित मिलता है (कनिधम कृत Coins of Ancient India पृ० ६४ फलक ३.) उससे यह सूचित हो सकता है कि राजधानी का नाम दोजक था। साथ ही देखो “एरन” सिक्का (A. S. R. खड १४. पृ० १४८. C. A. I पृ० ६६—१०२.)

है—वह स्थान या गृह जिसमें लोग जाते हैं। वह राज-
धानी का ऐसा स्थान रहा होगा जहाँ व्यापारी और व्यवसायी
लोग जाकर आपस में एक दूसरे से मिलते-जुलते होगे।
उसी निगम से सबद्ध लोगों की संस्था नैगम कहलाती थी।

अद्वाइसवाँ प्रकरण

जानपद और पौर के राजनीतिक कार्य

६ २६२. ऐसा जान पड़ता है कि जानपद का संबंध मुख्यतः राष्ट्र-सघटन और राजनीति के मामलो से था।

जानपद और सिक्कों की ढलाई केवल एक दो बातो को छोड़कर, जैसे वे राजकीय टकसाल के अधिकारी से सोने के सिक्के ढलवाया करते थे*, उनके संबंध में और जितने कामों का उल्लेख हुआ है, वे सब प्रायः इसी प्रकार के हैं। उनका यह एक काम आर्थिक स्वरूप या ढंग का जान पड़ता है। मालुम होता है कि जानपद को इस बात का निर्णय करना पड़ता या कि देश में लेन-देन का काम चलाने के लिये कितने सिक्कों की आवश्यकता है, और कदाचित् उन्हें सिक्कों की तौल और शुद्धता के संबंध में भी कुछ देख-रेख रखनी पड़ती थी, क्योंकि एक दो स्थानो में इस बात का भी उल्लेख मिलता

* अर्थशास्त्र २ १४ ३२

है कि प्रजा को इस बात की शिकायत करनी पड़ी थी कि सरकार ने सिक्को में कुछ खोट मिलाया है।

₹ २६३. राष्ट्र-संघटन सबंधी सभी बातों में जानपद के साथ सदा पौर का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार

यह सिद्ध होता है कि पौर के हाथ में पौर और जान-पद के राष्ट्र-संघटन सबंधी कार्य के स्थानिक स्वराज्य की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और दूसरे वह राष्ट्र संघटन

सबंधी विषयों की व्यवस्था करनेवाली संस्था या समाजी। जैसा कि हम आगे चलकर बतलावेगे, ऐसी संस्थाएँ अपना यह अंतिम कार्य विशेषतः ग्रातीय राजधानियों में स्वयं ही करती थीं। अधिक महत्व के विषयों का विचार और निर्णय जानपद और पौर दोनों संस्थाओं के सम्मिलित अधिवेशन में हुआ करता था। उस समय वे दोनों संस्थाएँ मिलकर इस प्रकार बिलकुल एक हो जाती थीं कि दोनों एक ही समझी जाती थीं और उनका उल्लेख एक-वचन में होता था। यह एकता इस कारण होती थी कि जानपद के अधिवेशन का स्थान और कार्यालय स्वयं राजधानी में ही होता था।*

* देखो आगे ₹ २८० में मृच्छकटिक में आए हुए उल्लेख का विवेचन तथा दूसरे ऐसे उल्लेख

६२६४. इन सत्याओं को जिस प्रकार के कार्य संपन्न करने पड़ते थे, उनके कुछ उदाहरण लीजिए। युवराज की नियुक्ति के सबंध में निर्णय करने के लिये पौर और जानपद दोनों आकर आद्यो तथा नेताओं या जनसुख्यों के साथ मिलते हैं*। आपस में विचार और परामर्श करने के उपरांत वे राजा से निवेदन करते हैं कि आप उन राजकुमार का राज्याभिषेक करें, जिन्हें हम लोग चाहते हैं।

जिनसे यह सूचित होता है कि उनका स्थान राजधानी में ही होता था।

* रामायण अयोध्या कांड २. १६-२२।

ब्राह्मणो जनसुख्याश्च पौरजानपदैः सह।

समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतागतशुद्धयः ॥

ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम् ।

...

सरामं युवराजानमभिषिङ्गत्वं पार्थिव ॥

इच्छामो हि महाबाहु रघुवीर महाबलम् ।

† उक्त ग्रथ और काढ, श्लोक २६-५१।

ते तमूचुर्भवत्मानं पौरजानपदैः सह ।

बहवो नृप कल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते ॥

...

राजा कुछ चकित होते हैं और पूछते हैं—“आप लोग

इच्छाकुम्भोऽपि सर्वेष्यो ह्यतिरिक्तो विशापते ।

.. बभूव भरताग्रजः ॥

... ..

यदा ब्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा ।

गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते ॥

पौरान्स्वजनवज्ञित्यं कुशलं परिपृच्छति ।

..

उत्सवेषु च सर्वेषु पितेषु परिद्धिति ।

प्रजापालनतत्त्वजो न रागोपहतेन्द्रियः ।

आशासते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा ।

आभ्यन्तरश्च वाहश्च पौरजानपदो जनः ॥

(कुंभकोणम् संस्करण)

संस्था के सामूहिक अर्थ में “जन” शब्द का व्यवहार देखने के लिये मिलाओ अशोक का ‘जन धम्मयुतं’ (स्तंभ लेख-माला ७.) ।

आधुनिक रामायण का रचना-काल जानने के लिये रामायण के संबंध में जैकोबी का विवेचनात्मक निबंध (दास-रामायण) देखना चाहिए । जान पड़ता है कि मूल ग्रंथ

राजकुमार राघव को युवराज और रक्षक बनाना चाहते हैं। परतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है जिसकी आप लोग कृपा कर निवृत्ति करे। हे शासको या राजाओं (राजानः), यद्यपि मैं धर्म के अनुसार इस देश का शासन करता हूँ, फिर भी क्या कारण है कि आप सब महानुभाव मेरे पुत्र का यौवराज्याभिषेक कराना और उसे उच्च अधिकारों से युक्त कराना नाहते हैं!“ पौर-जानपद के सदस्यों के साथ और प्रतिनिधि लोग अपने कारण बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त इच्छाकुओं में योग्यता के विचार से राम सर्वश्रेष्ठ है, उनका जन्म भरत से पहले हुआ है, वे बीर हैं; और वे सदा पौरों का कुशल-मगल पूछा करते हैं। समस्त उत्सवों और पर्वों आदि में वे प्रधान रूप से सम्मिलित होते हैं; वे शासन आदि के सिद्धातों से भली-माति परिचित हैं, देश उन्हें अपना स्वामी बनाने का इच्छुक है; और केवल राज्य या राजधानी के लोग ही नहीं, बल्कि पौर-जानपद भी—उनके आभ्यंतर और वाह्य दोनों अग—उनकी प्रशंसा करते हैं। वे लोग जिन कारणों से ज्येष्ठ

की रचना ई० पू० ५०० के लगभग हुई थी, और ई० पू० २०० के लगभग वह फिर से दोहराई गई थी। (J B O R S ४. २६२)

राजकुमार को युवराज बनाना चाहते हैं, उनसे राजा का सतोष हो जाता है। जब राजा इस बात का वचन देते हैं कि आप लोगों की कामना पूर्ण की जायगी, तब सब लोग उस उत्तर से अपनी प्रसन्नता सूचित करने के लिये घोष करते हैं*। इसके उपरात राजा का भाषण होता है जिसमें वे यह बतलाते हैं कि यह निश्चय किस प्रकार कार्य रूप में परिणत होना चाहिए। इसके उपरात राजा को यह परामर्श देनेवाले पौर लोग बहुत अधिक सतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं†। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित

* उक्त ग्रथ और काढ, अध्याय ३ श्लोक २-५।

अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम।

यन्मे ज्येष्ठं प्रिय पुत्र यौवराजस्थमिन्छ्रुय॥

... ...

यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम् ।

राजस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत ॥

शनैस्तस्मिन्प्रशान्ते च जनघोषे नराधिप ॥

† उक्त ग्रथ, काढ, और अध्याय, श्लोक ४६।

ते चापि पौरा नृपतैर्द्वचस्तन्त्रूत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु ।

नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान्समानचुर्मिप्रहृष्टाः ॥

उक्त ४. १।

हो जाती है कि पौर शब्द पौरो और जानपदों दोनों का सूचक और बोधक है।

§ २६५. यही पौर-जानपद फिर एक समूह में अभिषेक के कृत्य में सम्मिलित होने के लिये आते हैं। यद्यपि

अभिषेक में समस्त सस्था की उपस्थिति मान ली जनता के प्रतिनिधि- गई थी, तथापि वास्तव में व्यक्तिशः स्वरूप उनकी उपस्थिति; वे उत्तराधिकार में बाधक हो विभागो या अगो के प्रधान या मुख्य ही उपस्थित थे। जैसा कि धर्मपाल के ताम्रलेख में उल्लिखित है[†], समस्त पाचाल देश के केवल वृद्ध लोग ही कान्यकुञ्ज में राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित हुए थे। गज्याभिषेक के

गतेष्वय नृणो भूयः पौरेणु सह मन्त्रिभिः ।

मन्त्रित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम् ॥

* उक्त ग्रंथ और काढ, अध्याय १४. श्लोक ५२।

उपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिषेचनम् ।

पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताङ्गलि ॥

† उक्त; श्लोक ४०।

पौरजानपदश्चेष्टाः नैगमश्च गर्णैः सह ।

‡ Epigraphia Indica. खंड ४. पृ० २४८।

सब कृत्य समाप्त हो जाने पर राजा केवल श्रेणियों के मुख्यों की पक्षियों को ही अभिवादन करता है* ।

अन्यान्य राजकीय कृत्यों में भी पौर के बड़े और प्रतिष्ठित लोग या पौर-वृद्ध ही सम्मालित होते थे।

साथ ही पौर-जानपद उत्तराधिकार में बाधक हो सकते थे, और जो राजकुमार उन्हे अभिप्रेत न होता था, उसका राज्यरोहण वे लोग रोक सकते थे† ।

६२६. मृच्छकटिक नाटक में जो राज्यक्राति दिखाई गई है, उससे पौर-जानपद के राष्ट्र-संघटन संबंधी अधिकारों के एक और अग पर भी प्रकाश पड़ता है। राजा के कुशासन के कारण श्रेष्ठियों के संघ के प्रधान या मुख्य पर अत्याचार होता है; और इसलिये राजा राज्यच्युत कर दिया जाता है+। राज्यच्युत राजा का भाई पौरों को विश्वास

* वीरमित्रोदय रत्नाकर ११४ ।

+ वीरमित्रोदय ६० ४१७. देवयात्रा में—ततोर्चास्त्वपन-
स्याते पौरैर्वृद्धपुरःसरैः ।

† महाभारत, उद्योगपर्व, १४६, २२-२३ ।

+ देखो “चारूदत्त का अभियोग” का C. W. N.
१६. पृ० २. में अनुवाद ।

लोग इस बात का पता लगावें कि पौरों और जानपदों के आतरिक भाव क्या हैं। उदाहरणार्थ वे गुप्तचर अपने विषय की चर्चा इस प्रकार आरम्भ करें—

‘हम लोग सुनते हैं कि राजा मे सभी आवश्यक गुण वर्तमान हैं। परतु हम लोग उनमें वे गुण नहीं पाते, क्योंकि राजा सेना और कर के लिये (धन मॉगकर) पौरों और जानपदों का पीड़ित करता है# ।’

यदि इस वाद-विवाद मे सभासद लोग राजा का पक्ष लेते और उसकी प्रशसा करते थे, तो गुप्तचर या गूढ़ पुरुष राजा और प्रजा के मध्य के पुराने इकरार और उसके सब ध के हिंदू सिद्धात का स्मरण दिलाते थे, जिससे राजत्व प्रथा का आरम्भ हुआ था और जो राजत्व का मूल आधार था। वे कहते थे—

* अर्थशास्त्र १. १३. ६ ।

गूढ़पुरुषप्रणिधिःकृतमहामात्यापसर्पः पौरजानपदानपसर्पयेत्
सत्रिणो द्वन्द्वनस्तीर्थसभाशालापूर्गजनसमवायेषु विवाद कुर्या ।
सर्वगुणसम्पन्नश्चाय राजा श्रूयते । न चास्य कश्चित् गुणो
दृश्यते य. पौरजानपदान् दण्डकराम्या पीड़यतीति ।

दण्डकराम्या के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये अर्थशास्त्र
१३. ५. १७६ (पृ० ४०७) का दण्ड शब्द मिलाओ।

“(क्या यह बात नहीं है कि) जिस समय अरगजकता फैली और उससे प्रजा पीड़ित हुई, उस समय प्रजा वैवस्वत के पुत्र मनु के पास गई थी ! वहाँ उन लोगों ने कर के रूप में राजा का अंश निश्चित कर दिया था कि राजा फसल का छठा अंश ले और व्यापार-व्यवसाय की चीजों के मूल्य का नगद दसवाँ हिस्सा ले । प्रजा के योगक्षेम के लिये राजाओं का इतना ही अंश निश्चित है* ।”

६ २६८. महाभारत में कहा है कि राजा उसी मंत्री को मंत्र या राज्य की नीति और शासन या दंड का अधिकार प्रदान करे, अर्थात् उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनावे, जिसने धर्म के अनुसार पौर-जानपद का विश्वास संपादित

* तत्र येऽनुप्रशसेयुः तानितरस्तं च प्रतिषेधयेत् ।
मास्यन्यायाभिभूताः प्रजा मनुं वैवस्वत राजानं चक्षिरे ।
घान्यष्टम्भाग परयदशभागं हिरण्य चात्य भागधेयं प्रकल्प-
यामासुः । तेन भूता राजानः प्रजाना योगक्षेमवहाः तेषां
किञ्चिष्मदगङ्करा हरन्ति ।

अर्थ शास्त्र (पृ० २३)

‘भूत’ शब्द के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये मिताद्वारा (विशानेश्वर) में का इस शब्द का अर्थ मिलाओ ।

किया हो* । जब राजा अपने मंत्रियों की सभा में राज्य की नीति या मन्त्र के सब धर्म में वाद-विवाद करके निश्चय प्रधान मंत्री की कर लिया करता था, तब वे निश्चय नियुक्ति और पौर-राष्ट्र अर्थात् जानपद के समक्ष उनकी जानपद सम्मति के लिये (यहाँ दर्शयेत् शब्द है, जिसका शब्दार्थ है—दिखलाने के लिये) उपस्थित किए जाते थे; और यह काम राष्ट्र या जानपद के प्रधान के द्वारा, जिसे राष्ट्रीय कहते थे, किया जाता था† । यह बात विशेषतः इसलिये आवश्यक होती थी कि असाधारण करो आदि की स्वीकृति, जैसा कि हम अभी आगे चलकर बतलावेगे, उन्हीं लोगों के हाथ में होती थी ।

६ २६६. मंत्रियों की अवस्थिति एक बहुत बड़ी सीमा तक पौर-जानपद की प्रसन्नता और विश्वास पर ही निर्भर

* महाभारत (कुम्भकोणम् वाला सस्करण) शांति पर्व द३. ४५-४६ ।

तस्मै मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमाघित्सता नृप ।

पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धर्मतो गताः ॥

† उक्त ग्रन्थ और पर्व, द४. ११-१२ ।

अष्टाना मन्त्रिणा मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत् ।

ततः सप्रेषयेद्राष्ट्रे राष्ट्रीयाय च दर्शयेत् ॥

करती थी। मंत्री चक्रपालित, जो पश्चिमी प्रात में स्कंदगुप्त का प्रांतीय प्रधान शासक था, एक सार्वजनिक लेख में इस बात का उल्लेख करता है कि मैंने योड़े ही समय तक शासन करके प्रेजा तथा नागरों का विश्वास सम्पादित किया है और मैंने पौर-वर्गों या पौरों की सभा को सब प्रकार से प्रसन्न किया है*। अत मैं वह इस बात की प्रार्थना करता है कि नगर की वृद्धि हो और वह पौर के प्रति निष्ठ हो।

ई २७०. बडे बडे साम्राज्यों में प्रांतीय राजधानियों हुआ करती थीं। जान पढ़ता है कि इस प्रकार की प्रत्येक राजधानी में एक स्वतंत्र पौर-संस्था हुआ करती थी। ऐसी अवस्थाओं में केवल पौर का ही उल्लेख पाया

* विश्रम्भमल्पेन शशाम योऽस्मिन्कालेन लोकेषु स
नागरेषु। यो लालयामास च पौरवर्गान् ॥

ईसी सन् ४५७-५८ का जूतागढ़वाला शिलालेख।
फ्लीट कृत C. I. I. (G. I.) खंड ३. पृ० ७। फ्लीट
के पाठ में “अल्पे” और “काले” से जो “न” पृथक किया
गया है, वह व्याकरण की दृष्टि से असम्भव है।

† फ्लीट कृत उक्त ग्रंथ, पृ० ६१।

नगरमपि च भूयादवृद्धिमत्पौरुषम्।

जाता है। वहाँ कोई अलग जानपद संख्या नहीं होती थी; और ऐसा जान पड़ता है कि प्रधान राजधानी में ही जानपद-

संख्या होती थी जो समस्त देश का पौर और प्रांतीय प्रतिनिधित्व करती थी। यदि मन्त्री का सरकार कोई व्यवहार अनुचित होता था, तो

पौर उस पर दुरत विगड़ जाते थे। अशोक के समय में उत्तरापय की राजधानी तक्षशिला थी; और इस बात का उल्लेख मिलता है कि केवल तक्षशिला के पौर विशद्ध हो गए थे या बिगड़ खड़े हुए थे। पिता सम्राट् अशोक ने अपने पुत्र कुण्डल को उन्हें शात करने के लिये भेजा था। राजकुमार का स्वागत और अभिनन्दन करते समय पौरों ने आकर उससे कहा था—“हम लोग श्रीमान् सम्राट् के प्रतिनिधि के विशद्ध नहीं हुए हैं और न महाराज अशोक के ही विशद्ध हुए हैं, बल्कि हम लोग दुष्ट मन्त्रियों के विशद्ध हुए हैं, जो यहाँ आए हैं और जो हम लोगों के प्रति उद्द ड हैं (हम लोगों का अपमान करते हैं*)।

* दिव्यावदान पृ० ४०७-०८।

राजोऽशोकस्योत्तरापथे तक्षशिलानगरं विशद्म्।
श्रुत्वा च राजा स्वयमेवाभिप्रस्थितः । ततोऽमात्यैर-
भिहितः । देव कुमारः प्रेष्यता स संनामयिष्यति । अथ

श्रीशोक के शिलालेखो से हमें इस बात का पता चलता है कि उसने यह आज्ञा दे रखी थी कि तक्षशिला में मन्त्री-गण प्रति तीसरे वर्ष अपना पद छोड़ तक्षशिला के पौर दिया करें; और उनके स्थान पर नए मंत्री मेजे जाया करें*। दूसरी प्रांतीय राजधानियों के मंत्री लोग प्रति पाँचवें वर्ष बदले जाया

राजा कुनालमाहूय कथयति—वत्स कुनाल गमिष्यसि तक्षशिलानगरं सनामयितुम्। कुनाल उवाच—परं देव गमिष्यामि.....अनुपर्वेण तक्षशिलामनुप्राप्तः। श्रुत्वा च तक्षशिलापौरा अर्धत्रिकानि योजनानि मार्गशोभा नगरशोभा च कृत्वा पूर्णकुम्भैः प्रत्युदृगताः। वद्यति च—
श्रुत्वा तक्षशिलापौरा रदपूर्णघटादिकान्।

गृह्य प्रत्युजगामाशु बहुमान्या नृपात्मजम्॥

प्रत्युदृगम्य कृताङ्गलिरुवाच । न वर्यं कुमारस्य विरुद्धा न राजोऽशोकस्यापि तु दुष्टात्मानोऽमात्या आगत्यास्माकम-पमानं कुर्वन्ति । यावत्कुनालो महता सन्मानेन तक्षशिला प्रवेशितः ।

* नगलजनस अकस्मा पलिबोधे व अकस्मा पलिकि-लेसे व नो सिया ति एताये च अठाये हकं धंमते पचसु पंचसु वसेसु निखामयिसामि ए अखखसे अचड... सखिनालम्भे

करते थे। परंतु तद्विला और उज्जिनी के संबंध में इस नियम का अपवाद हुआ करता था। कलिंग के जिन शिलालेखों को शिलालेख-विद् लोग “विशिष्ट आशाएँ” कहते हैं, उनमें यह कहा गया है कि महाराज अशोक ने भंत्रियों के परिवर्तन के नियम पर इसलिये जोर दिया था कि जिसमें “नगरजन” अर्थात् पौर-संस्था सहसा उत्तेजित न हो जाय और संकट में न पड़ जाय। (नगलजनस श्राकस्मा पलिबोधे व श्राकस्मा पलिकिलेसे व नोस्त्रियाति)। स्पष्ट ही है कि यह उल्लेख पौरों के उस प्रकार सहसा उत्तेजित होने के संबंध में है, जैसा कि दिव्यावदान में वर्णित तद्विला का आंदोलन है।

हेसति एवं अठं जानितु तथा कलंति अथ मम अनुसथी ति
उज्जेनिते पि चु कुमाले एतायेव अठाये निखामयिस...
हेदिस मेव वगं नो च अतिकामयिसति तिनि वसानि
हेमेव तखसिलाते पि अदा अ...ते महामाता निखमिसति
...इत्यादि इत्यादि ।

—धौली संस्करण, एंकियों ०—२५. मैंने J. B.
O. R. S. के खड़ ५ (१९१८) पृ० ३६ में इस
शिलालेख के महत्व का विवेचन किया है।

अभाग्यवश हमें ऐसे राष्ट्र-संघटन सबंधी अपमानों के ब्योरे नहीं मिलते, जिनके कारण पौर लोग विरोधी या शत्रु हो गए थे और जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि उनका अराज-भक्ति होना ठीक और न्यायसंगत था । जो हो, पर पौर इतने प्रखर राजनीतिज्ञ थे कि वे राजा के प्रति राजभक्ति और मंत्रियों के प्रति अराज-भक्ति का अंतर समझ सकते थे ।

६ २७० (क) कर या राजस्व के सब घ में पौर-ज्ञानपद का प्रायः उल्लेख मिलता है । कर साधारण नियम या कर कानून के अनुसार निश्चित होते थे । परंतु प्रायः ऐसी आवश्यकताएँ पड़ती थीं और अवसर आते थे जिनमें राजा को प्रजा से विशिष्ट कर देने के लिये कहना पड़ता था । ये कर या तो प्रणय और प्रेमोपहार के रूप में होते थे या जबरदस्ती बसूल किए जाते थे और या इसी प्रकार के और किसी रूप में हुआ करते थे* । यह प्रकट होता है कि इस प्रकार के करों का प्रस्ताव सब से पहले पौर-ज्ञानपद के सामने उपस्थित किया जाता था । अर्थ-शास्त्र के अनुसार राजा को पौर-ज्ञानपद

* इंडियन एन्टीकवेरी १९१८ पृ० ६० में जायसवाल का लेख ।

से ऐसे करो की भिन्ना माँगनी पड़ती थी* । अभी ऊपर हम बतला चुके हैं कि जब राजा बहुत अधिक कर लगाता था, तब पौर और जानपद की उपसमितियों में उससे होनेवाले कष्टों का विवेचन होता था और उस पर वाद-विवाद हुआ करता था । कौटिल्य ने कहा है कि एक परास्त और अधीनस्थ देश के शासक ने पौर-जानपद को अपने ऊपर कुपित कर लिया था और पौर-जानपद ने अपने राजा के लिये धन और सेना एकत्र करके उस विद्रोही राजा का पराभव किया था† ।

यदि कोई प्रांतीय शासक या शून्यपाल युद्ध के लिये कर उगाहने की धमकी देता था, तो उसके परिणाम-स्वरूप जनता में असतोष भी फैला करता था । अर्थशास्त्र से सूचित होता है कि जिस समय कोई शत्रु राजा अपनी सेना लेकर युद्ध-द्वेष में जाता था, उस समय कौटिल्य के दूत किसी प्रांतीय शून्यपाल के नौकर बनकर पौर-जानपदों से गुप्त रूप से मित्र बनकर कहा करते थे कि शून्यपाल ने

* अर्थशास्त्र ५. २. ६० ।

एतेन प्रदेशेन राजा पौर-जानपदान् भिन्नेत् ।

† अर्थशास्त्र १३. ५. १७६ ।

कोशदण्डानमवस्थाप्य यदुपुरुष्वाणः पौरजानपदान्
कोपयेत् ।

कुपितैस्तैरेन घातयेत् प्रकृतिमिरुपकृष्टमपनयेत् ॥

आशा दी है कि ज्यों ही राजा लौटकर आवें, त्यो ही प्रजा से कर वसूल किए जायें। और जब इस विषय पर मत देने के लिये पौरा की सार्वजनिक समा होती थी, तब रात के समय गुप्त रूप से उनके नेताओं का काम तमाम कर दिया जाता था और दूत लोग यह अफवाह फैला देते थे कि ये हत्याएँ इसी लिये हुई हैं कि ये लोग शून्यपाल के प्रस्ताव का विरोध करते थे॥ । यह आशा की जाती थी कि इससे

* अर्थशास्त्र १२०. २. १६३ ।

दुर्गेषु चास्य शून्यपालासन्नास्त्रिणः पौरजानपदेषु
मैत्रीनिमित्तमावेदयेयुः । शून्यपालेनोक्ता योधाश्च अधिकर-
णस्याश्च कृच्छ्रागतो राजा जीवन्नागमिष्यति, न वा प्रसद्य
वित्तमार्जयच्चमित्राश्च हत इति । बहुलीभूते तीक्ष्णाः
पौराज्ञिशास्वाहारयेयुः सुख्याश्चाभिहन्युः एवं क्रियन्ते ये शून्य-
पालस्य न शुश्रूषन्ते इति । शून्यपालस्यानेषु च सशोच्यि-
तानि शब्दवित्तबन्धनान्युत्सज्जेयुः । ततस्त्रिणः शून्यपालो
घातयति विलोपयति च हत्यावेयायुः ।

उक्त उद्धरण में के “बहुलीभूते” का जातक २. ४५ के “एबहुल” और मछिम निकाय के गोपक मगगलान सुन्त में के “संबहुलेहि” के साथ मिलान करना चाहिए, जहाँ “सबहुल” से ऐसी समा का अधिवेशन करना सूचित होता है जिसमें किसी विषय का बहुमत द्वारा निरकरण होता हो ।

शत्रु के देश में मतभेद और विरोध उत्पन्न होगा और वह दुर्बल हो जायगा ।

खदामन् ने, जैसा कि उसने अपने शिलालेख में कहा है, अपने मंत्रियों के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि मौर्यों के विशाल जलाशय सुदर्शन ताल का जोरोद्धार करा दिया जाय । परंतु उसके मंत्रियों ने उसका वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था । इस पर खदामन् ने अपने निज के घन से उसकी मरम्मत कराई थी । वह कहता है कि इस काम के लिये मैंने आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये पौर-जानपद जन या सत्या को कष्ट नहीं दिया * । इससे ठीक पहले उसने यह भी कहा है कि मैं अपनी प्रजा से उतना ही कर उगाहता हूँ, जितना कि मुझे (हिंदू-धर्मशास्त्रानुसार) प्राप्त्य है † ।

* Epigraghia Indica खण्ड ८, पृष्ठ ४४ ।

अपीडवित्वा करविष्टिप्रणयक्रियमिः पौर-जानपद जन स्वस्मात्कोशा (न्) महता धनौघेन अनतिमहता च कालेन सेतुं ... कारितम् । ... आस्मिन्नर्थे महाक्षत्रपत्थ मतिरचिवकर्मसचिवैरमात्यगुणसमुद्युक्तैर्यतिमहत्वाऽदस्यानु साहविमुखमतिमिः प्रत्याख्यातारंभ इत्यादि ।

† यथावत्पापैर्बलिशुल्कभागैः १ १४ ।

सुदर्शन एक बहुत बड़ा ताल था जिससे खेतों की सिन्चाई का काम लिया जाता था। राजधानी पहाड़ी के ऊपर स्थित थी और उस जलाशय से सबसे अधिक लाभ उन्हीं जानपद लोगों को होता था। जब तक हम यह बात न मान लें कि पौर और जानपद दोनों मिलकर व्यय स्वीकृत करते थे, तब तक इस बात का कोई ठीक-ठीक खुलासा नहीं हो सकता कि राजा पौरों को इसके लिये क्यों कष्ट देता।

॥ २७१. महाभारत में एक ऐसे वक्तव्य का उदाहरण पाया जाता है जो राजा के द्वारा उस समय उपस्थित किया जाता था जिस समय पौर-जानपद से कुछ पौर-जानपद के समक्ष राजकीय भाषण विशिष्ट और नए कर माँगे जाते थे। मैंने यह वक्तव्य या भाषण सन् १६१२ में ही उद्धृत किया था; परंतु खारबेल के शिलालेख से पौर और जानपद की सम्मिलित स्थिति का स्वरूप विदित होने से पहले उसका राष्ट्र-संघटन संबंधी ठीक-ठीक स्वरूप प्रकट नहीं हो सका था। इस वक्तव्य या भाषण से ठीक पहले जो पद है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है; क्योंकि उससे यह प्रकट होता है कि पौर-जानपद से व्यय के लिये धन स्वीकृत कराने के बास्ते राजा को किन उपायों का अवलम्बन करना पड़ता था। जानपद की सभा में बहुमत प्राप्त करने का उपाय दिया गया है और जानपद को परात्त बरने में राजा

की वैर्हमानी का भड़ा-फोड़ किया गया है। साथ ही उस उपाय से यह भी प्रमाणित होता है कि पौर-जानपद का अधिकार और वल धर्मशास्त्रानुमोदित था*। (महाभारत के अनुसार) किसी मावी आपत्ति से बचने का उपाय करने के लिये राजा लोग धन एकत्र करके रखते हैं। समस्त पौर-जानपदों (अर्थात् समस्त सदस्यों) को, जो अधिवेशन में सम्मिलित या संश्लिष्ट हो अथवा जो विश्राम कर रहे हों (अर्थात् उपाधित हों), अर्थात् उनमें से प्रत्येक को, चाहे वे धनवान न भी हो (राजकीय) अनुकम्पा या सहानुभूति विदित करा दी जानी चाहिए। उनके बाद्य जनों में भेद उत्पन्न किया जाना चाहिए और मध्य जनों को भली भाँति अपनी ओर मिला लेना चाहिए। जब

* महाभारत, शातिपर्व, अ० ८७, श्लोक २३-२५।
(कुंभकोणम् स०) ।

आपदर्थं च निचयानाजानो हि विचिन्वते ।
राष्ट्रञ्ज्ञं कोशभूतं स्यात्कोशो वेश्मगतस्तथा ॥
पौरजानपदान् सर्वान्सश्रितोपाधितास्तथा ।
यथा शत्र्यनुकम्पेत सर्वान्स्वल्पधनानपि ॥
बाद्य जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यमः सुखम् ।
एवं नास्य प्रकुप्यन्ति जनाः सुखितदुःखिताः ॥

राजा इस प्रकार कार्य करेगा, तब लोग उचेजित या कुपित नहीं होंगे, चाहे वे (उस भार को) हल्का समझे या भारी । तब धन माँगने से पहले राजा को उनके पास जाना चाहिए और उन्हें सम्बोधन करके भाषण के द्वारा राष्ट्र (जानपद) को इस प्रकार बतलाना चाहिए कि देश पर यह आपत्ति आ रही है* ।

* उक्त ग्रथ, पर्व और अ०, श्लोक २६-३४ ।
प्रागेव तु धनदानमनुभाष्य ततः पुनः ।
सञ्जिपत्य स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदशयेत् ॥ २६ ॥
इयमाप्तस्मुत्थाप्ता परचक्रभयं महत् ।
अपि चान्ताय कल्पन्ते वेणोरिव फलागमाः ॥ २७ ॥
अरथो मै समुत्थाय बहुभिर्दस्युभिः सह ।
इदमत्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम् ॥ २८ ॥
अस्थामापदि धोरया संप्राप्ते दाख्ये भये ।
परित्राणाय भवतः प्रार्थयिष्ये धनानि वः ॥ २९ ॥
प्रतिदास्ये च भवता सर्वं चाहं भयक्षये ।
नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्वर्त्येवलादितः ॥ ३० ॥
कलत्रभादितः कृत्वा सर्वं वो विनशेदिति ।
शरीरपुत्रदारार्थमर्थसञ्चय इष्यते ॥ ३१ ॥

“देखो, यह एक भय उत्पन्न हुआ है। शत्रु की बड़ी भारी सेना आई है। इससे हमारे अत की उसी प्रकार सूचना मिलती है, जिस प्रकार बॉस मे फल का आगम होने पर उसके अत की सूचना मिलती है॥ । हमारे शत्रु लोग दस्युओं (विदेशी जातियों) की सहायता से हमारे राज्य को हानि पहुँचाना चाहते हैं। परंतु उनका यह प्रयत्न

नदामि वः प्रभावेण पुत्राणामिव चोदये ।
 यथाशक्युपगृह्णामि राष्ट्रस्थापीडया च वः ॥ ३२ ॥
 आपत्स्वेव निवोढव्यं भवद्धिः सगतैरिह ।
 न वः प्रियतरं कार्यं धनं कस्याचिदापदि ॥ ३३ ॥
 इति वाचा मधुरया श्लङ्घया सोपचारया ।
 स्वरश्मीनभ्यवसुजेद्योगमाधाय कालवित् ॥ ३४ ॥

* हमारे यहाँ के गाँवों मे जब बॉस फलता है, तब उसका मालिक बहुत चितित होता है, क्योंकि इससे यह सूचित होता है कि सारी बॉसवाड़ी या सब बॉस नष्ट हो जायेंगे। बॉस का फूल देखने में धन की बाल की तरह होता है।

† मनु (१०-४५) और महाभारत शांतिपर्व (६५-१३-१७) दोनों में ‘दस्यु’ एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जो विदेशी जातियों का सूचक है।

स्वयं उन्हीं के लिये आत्मवध के तुल्य प्रमाणित होगा । हे महाशयो, यह घोर और दार्शण भय प्राप्त होने के कारण इससे आप लोगों का परित्राण करने के लिये मैं आप लोगों से धन की प्रार्थना करता हूँ । जिस समय इस विपत्ति का श्रत हो जायगा, उस समय मैं आप लोगों का समस्त धन पूरा-पूरा लौटा दूँगा । युद्ध में यदि शत्रु लोग बलपूर्वक यहाँ से कुछ उठा ले जायेंगे, तो वह वे नहीं लौटावेंगे । कलत्र या परिवार से लेकर और जो कुछ आप लोगों के पास है, वह सब वे लोग नष्ट कर देंगे । केवल शरीर, सतान और दारा की रक्षा के लिये ही धन की आवश्यकता है । आप लोगों की सुख-समृद्धि से मैं उतना ही आनंदित होता हूँ जितना कि स्वयं अपने पुत्रों की सुख-समृद्धि से होता हूँ । बिना आप लोगों को या राष्ट्र को पीड़ित किए हुए मैं आप लोगों से उतना ही धन लूँगा, जितना आप लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार दे सकेंगे । आपत्तियों के समय मान्य सभा (भवदूभिः सगतैः) को भार वहन करना चाहिए । आपत्ति के समय आप लोगों को धन अधिक प्रिय न होना चाहिए ।”

इस प्रकार मधुर और सद्भावपूर्ण बातों से और सजनता दिखलाते हुए (सोपचारो) राजा लोग धन प्राप्त करने के लिये (धनादान) अपना वक्तव्य उपस्थित किया करते थे । जब धन माँगने और उसके लिये अपना वक्तव्य

उपस्थित करने का समय आता था, तब प्रत्येक पौर और प्रत्येक जानपद अर्थात् प्रत्येक सदस्य की ओर विशिष्ट रूप से ध्यान देकर राजा को उसे प्रसन्न करना पड़ता था॥ । पौर-जानपदों के बाह्य अंग से हम लोग पहले ही परिचित हो चुके हैं । जैसा कि हम अभी बतला चुके हैं, रामायण में भी यही पारिभाषिक शब्द आता है । परंतु मध्य अंग से क्या अभिप्रायः है ? यहों इससे उसके आम्यतर अंग का अभिप्राय है । उनके अधर्मयुक्त आचरण के कारण उनका उपयोग या भोग किया जाता था और वे पुरस्कृत किए जाते थे । राजा अपने प्रस्ताव का समर्थन कराने के लिये उन्हें अपनी और मिला लेता था ।

यहों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौर-जानपद को संबोधन करते समय बहुत ही शिष्ट और मधुर भाषा का व्यवहार किया जाता था । उसमें भवत् और भवद्दिः संगतैः आदि सर्वनामों का व्यवहार किया जाता था, जिनका अभिप्राय है—आप महानुभाव और आप महानुभावों का समूह ॥

* उक्त ग्रंथ, पर्व और अध्याय; श्लोक २६ ।

† जैसा कि हम अभी बतला चुके हैं, उस समय की अन्यान्य सार्वजनिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली से भी यही

६२. पौर-जानपद प्राय. अनुग्रह (रिआयत) की याचना करते थे और अनुग्रह प्राप्त करते थे। खारबेल

पौर - जानपद और अनुग्रह या रिआयतें अपने शिलालेख में कहता है कि एक विशिष्ट वर्ष में मैंने पौर और जानपद को बहुत से अनुग्रह प्रदान किए थे।

कौटिल्य के अनुसार शत्रु के देश के पौर-जानपदों (नेताओं) को अपने गुप्त दूतों के द्वारा यह परामर्श दिलाना चाहिए कि आप लोग अपने राजा से अनुग्रहों की याचना करें। परन्तु ऐसा प्रायः उन्हीं देशों में हो सकता था, जिनमें शकाल, चोरियों और अटवियों (सीमार की जंगली जातियों) के आक्रमण हुआ करते थे। याज्ञवल्क्य २. ३६* के साथ इसका मिलान होना चाहिए, जिसमें यह

सूचित होता है कि जानपद और पौर में व्यक्तिगत सम्मति लेने की प्रथा प्रचलित थी। उपर के उद्धरण में बाध्य अग में भेद-भाव उत्पन्न करने और मध्य अंग को अपनी ओर मिलाने का जो आदेश है, उसमें भी यही भाव निहित है।

* याज्ञवल्क्य २. ३६।

देयं चौर हृतं द्रव्यं रक्षा जानपदाय तु ।

अददद्धि समाप्तोति किल्विषं यस्य तस्य वत् ॥

कहा गया है कि चोरों के धन हरण करने से जानपद (एक-वचन) की जो इानि हो, उसकी पूर्ति राजा को करनी चाहिए (साथ ही देखो ६२८) । कौटिल्य का मत है कि पौर-जानपद को अनुग्रह की याचना करते समय साथ में यह भी कहना चाहिए कि यदि हमें अनुग्रह न प्रदान किया जायगा तो हम यह देश छोड़कर शत्रु के देश में चले जायेंगे* ।

६२७३. कौटिल्य के आदेश से यह भी सूचित होता है कि जिन अनुग्रहों की याचना की जाती थी, वे आर्थिक हुआ करते थे; क्योंकि उसने कहा है कि केवल वही

याज्ञवल्क्य का यह श्लोक मनु ८. ४०. से मिलता है ।
देखो मेघातिथि की टीका । मिलाओ—

प्रत्याहृतुमशक्त्सु धनं चौरैहृतं यदि ।
स्वकोशाच्छिद्धि देय स्यादशक्तेन महीभृता ।
—मितान्नरा में द्वैपायन ।

* अर्थशास्त्र १३. १. १७१. (पृ० ३६४)

दुर्भिक्षस्तेनाटव्युपघातेषु च पौरजानपदानुत्साहयन्तः
सत्रिषो ब्रूयुः राजानमनुग्रहं याचामहे निरनुग्रहाः परत्र
गच्छाम इति ।

† अर्थशास्त्र २. १. १६. (पृ० ४७)

अनुग्रहपरिहारौ चैम्यः कोशवृद्धिकरौ दद्यात् । कोशोप-
पातिकौ वर्जयेत् । अल्पकोशो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते ।

अनुग्रह और परिहार (आर्थिक रिआयतें) प्रदान किए जाने चाहिए जिनसे राजकीय कोश की वृद्धि हो; और जिनसे कोश द्वीण होता हो, उनके प्रदान से बचना चाहिए; क्योंकि पौर-जानपद को वही राजा ग्रसता है जिसके पास धन कम होता है ।

वह कहता है कि अकाल के समय परिहार प्रदान करना चाहिए, और बतलाता है कि जब सिचाई के लिये ताल आदि बनवाने की आवश्यकता हो, तब अनुग्रह प्रदान करना चाहिए^४ । अशोक अपने स्तम्भाभिलेखों में कहता है कि मेरे द्वारा स्वतंत्र किए हुए राजुकों या शासक-मन्त्रियों को चाहिए कि वे जानपद संस्था को अनुग्रह प्रदान करें (६३१८) । रुद्रदामन् ने सुदर्शन ताल का जो जीर्णोद्धार कराया था, उसे वह पौर-जानपद के प्रति अपना अनुग्रह-प्रदान बतलाता है ।

* उक्त ग्रंथ तथा प्रकरण आदि ।

निवेशसमकालं यथागतकं वा परिहारं दद्यात् । निवृत्त-परिहारान् पितेवानुगृहीयात् । आकरकर्मान्तद्रव्यहस्तिवन-ब्रजविणिक्पथप्रचारान्वारिस्थज्ञपथपर्यपत्तनानि च निवेशयेत् । सहोदकमाहार्योदकं वा सेतु बन्धयेत् । अन्येषा वा बभता भूमिमार्गवृक्षोपकरणानुग्रहं कुर्यात् ।

† Epigraphia Indica खंड ८, पृ० ४५ ।

₹ २७४। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों से भी यह प्रमाणित होता है कि जिस समय राजा कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने का

बड़े यज्ञ के लिये विचार करता था, उस समय वह अपने राजा का नैगम-ज्ञान-राष्ट्र-विधान के नियमों के अनुसार नवीन पद से स्वीकृति लेना कर* प्राप्त करने के लिये जानपद और

नैगम या पौर से प्रार्थना करता था। उस अवसर का जो राजकीय वक्तव्य या भाषण दिया गया है, उसमें भी नम्रता और सजनता बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। याचना का रूप इस प्रकार का हुआ करता था—

“मैं एक बड़ा यज्ञ करने का विचार करता हूँ। महानुभाव लोग (माननीय लोग, रहीस डेविड्स) उस कार्य के लिये मुझे अपनी स्वीकृति दें जो मेरे लिये कल्याणकारी होगा।”

पुनः सेतुबन्धनैराश्याद् हाहाभूतासु प्रजासु इहाविष्ठाने पौरजानपदजनानुग्रहार्थं पार्थिवेन—इत्यादि ।

* रहीस डेविड्स, दीघ निकाय, कूटदन्त सुत्त; ₹ ११ Dialogues of Buddha खड २, पृ० १५५।

† दीघ निकाय, कूटदन्त सुत्त ₹ १२।

इच्छामहं भो महायज्ञं यजितुं अनुजानन्तु मे भोन्तो यं मम अस्ति दीघरत्तं हिताय सुखायाति ।

यदि इस पर पौर-ज्ञानपद अपनी अनुमति दे देता था,
तो राजा वह यज्ञ करता था और देश को उसके लिये कर
देना पड़ता था ।

₹ २७५. इस प्रकार पौर-ज्ञानपद के समक्ष जाकर उनसे
असाधारण कर देने के लिये प्रार्थना की जाती थी, और
पौर-ज्ञानपद राजा से अनुग्रह या आर्थिक रिक्वायते माँगते
और प्राप्त करते थे । यह बात बिलकुल निश्चित तो नहीं
है, परंतु फिर भी बहुत कुछ संभव जान पड़ती है कि बड़ी
बड़ी सेनाएँ खड़ी करने में राजा पौर-ज्ञानपद का उपयोग
करता था अथवा उनसे सहायता लेता था । ऊपर अर्थ-
शास्त्र के जो उद्धरण दिए गए हैं, और जिनमें करों के
साथ सेनाएँ खड़ी करने का भी उल्लेख है, उनसे डसी बात
की समावना सूचित होती है ।

₹ २७६. अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को नित्य
अमुक इतने समय तक पौर-ज्ञानपदों का काम देखना चाहिए* ।

* अर्थशास्त्र द. १६. १६. (पृ० ३७)

द्वितीये पौरज्ञानपदानां कार्याणि पश्येत् ।
मिलाश्चो महाभारत शातिपर्व, ४०. १६ ।

पौरज्ञानपदानां च यानि कार्याणि नित्यशः ।
राजानं समनुशास्य तानि कार्याणि धर्मतः ॥

इससे प्रमाणित होता है कि पौर-जानपदों का काम कोई ऐसा साधारण नहीं था जो कभी-कभी किसा विशेष

राजा के साथ आवश्यकतावश उपस्थित हुआ करता पौर-जानपद का नैत्य है। अर्थात् उनके मामले नित्य राजा कार्य के सामने जाया करते थे। उनके ये

सब काम अवश्य ही आर्थिक विपयों से सबंध रखते होंगे; और यदि उन्हें राजकीय सेनाएँ खड़ी करने के लिये धन संग्रह भी करना पड़ता होगा, जो बहुत कुछ सभाव्य जान पड़ता है, तो अवश्य ही सैनिक मामले भी उनके काम के अतर्गत रहे होंगे। राजा के सामने नित्य उनके मामले उपस्थित होने से सूचित होता है कि कम से कम पौर-जानपद के आम्भं तर अंग या स्थायी समवाय को उतने समय तक बहुत ही व्यस्त रहना पड़ता होगा।

‘ ६२७. ऊपर जो काम बतलाए गए हैं, केवल उन्हीं से पौर-जानपदों का संबंध नहीं था। हमें इस बात का

अशोक का नया धर्म और जानपद भी प्रमाण मिलता है कि बोध गया की यात्रा के उपरात अशोक ने जानपद स्थापना से अपने नए धर्म के संबंध में बाद-चिद किया था*। समाज के लिये अशोक एक नई

* प्रधान शिलाभिलेख ८ (गिरनार)

त्राल्लास्तमणान दसणे च दाने च थैरानं दसणे च

व्यवस्था करना चाहता था और पुरानी या सनातन व्यवस्था का अंत कर देना चाहता था । वह जो क्रांति करना चाहता था, उसके संबंध में वह लोगों के भाव जानना चाहता था । वह पौर-जानपद को अपने पक्ष में करना चाहता था और उसने सर्व साधारण में इस बात की धोषणा कर दी थी कि मैंने जानपद के दर्शन करके उनसे धर्म के संबंध में बाद-विवाद किया था । इससे यह सूचित होता है कि वे केवल कर और आर्थिक उन्नति सबंधी विषयों के ही साधन नहीं थे, बल्कि देश के हित की प्रत्येक महत्वपूर्ण बात से उनका संबंध था ।

₹ २७८. हमें इसका भी उल्लेख मिलता है कि पौर को राजा की ओर से ऐसे कार्य संपादित करने का आदेश मिला करता था जो महत्वपूर्ण होने के पौर का महत्व; पौर और शासन कार्य अतिरिक्त वास्तव में शासन कार्य या दड़ विभाग से संबंध रखते थे । अशोक की रानी तिष्यरक्षिता ने समाट के नाम का एक

हिरंण्यपटिविधानो च जानपदस च जनस दसनं धमानुसस्टी
च धमपरिपुच्छा च ।

देखो आगे स्तभामिलेख ७ में जानपद का उल्लेख (हिंदू मंत्रिपरिषद्)

जाली पत्र बनाकर और उस पर हाथीदौत की मोहर करके तक्षशिला के पौर के नाम भेजा था। दिव्यावदान में इस सबंध में जो कथा दी गई है वह चाहे ठीक हो या न हो, परंतु इतना अवश्य है कि जिस समय दिव्यावदान की रचना हुई थी, उस समय तक यदि लोगों को यह बात न मालूम होती कि राजा की ओर से पौरों को इस प्रकार और इस आशय के पत्र भी भेजे जाते हैं, तो यह कथा इस रूप में और इतने विस्तार के साथ न लिखी जाती। उस पत्र में पौर से कहा गया था कि राजप्रतिनिधि राजकुमार को दड दो; क्योंकि वह राजकुल का शत्रु और द्रोही है*। मृच्छकटिक से पता चलता है कि जो संस्थानक न्यायालय से निर्दोष सिद्ध हुआ था, उसके संबंध में लोगों ने पौरों

* राजा ह्यशोको बलवान् प्रचण्ड आशापयत् तक्षशिलाजनं हि
उद्धार्यता लोचनमस्य शत्रोर्मैर्यस्य वंशस्य कलङ्क एषः ॥

—दिव्यावदान पृ० ४१०.

यहों “जन” शब्द का जो व्यवहार किया गया है, वह व्यान देने योग्य है; और उसका मिलान अशोक के शिला-लेख के “जानपद जन” तथा रामायण के “पौर-जानपदो जनः” से होना चाहिए। भाव के विचार से यह शब्द समूह का सूचक है।

से कहा था कि वास्तव में यही संस्थानक दोषी है और आप इसे प्राणदण्ड दें। यहाँ समवतः पौरों से पौर-ज्ञानपद का अभिप्राय है, ज्योकि उनका उल्लेख जनपद समवाय के उपरात हुआ है।

₹ २७६. यह माना जाता था कि राजकुमार राजप्रतिनिधि उनकी सभा में जाता था*। महाभारत के एक श्लोक से

राजा और शासक का पौर-ज्ञानपद में यह भाव सूचित होता है कि स्वयं राजा भी पौर-ज्ञानपद सभा में जाया करता था। उन लोगों के आने पर अशोक उनका बहुत आदर-स्तकार करता था।

₹ २८०. महाभारत में राजनीतिक दार्शनिक वामदेव का जो उद्धरण दिया गया है, उसमें पौर और जनपद का

पौर-ज्ञानपद राज्य उसके बना सकते थे और नष्ट कर सकते थे समस्त महत्त्व के बल इतना कहकर बतला दिया गया है कि पौर-ज्ञानपद यदि चाहें, तो राज्य को बना सकते हैं; और यदि चाहें, तो नष्ट भी कर सकते हैं। यदि वे लोग संतुष्ट हो, तो उनके द्वारा राज्य का

* पश्यामि कुमालं...पौरं प्रविष्टः ।

—दिव्यावदान पृ० ४१०.

सब काम भली भाँति होता रहेगा । और यदि वे सतुष्ट
न हों, तो वे शासन का कार्य असभव कर देंगे; क्योंकि
वे विरोधी बन जायेंगे । इसलिये राजा को अपने आचरण
से उन्हें प्रसन्न या अनुरक्त रखना चाहिए और उन्हें किसी
प्रकार पीड़ित नहीं करना चाहिए* ।

जिस प्रकार पौर संस्था राजधानी में दरिद्रो और
अनाथों की सेवा करती थीं, उसी प्रकार जानपद संस्था
मी अपनी सीमा के अंदर उनकी सेवा करती थी । वामदेव
ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे यह सूचित होता है कि
जिस समय जानपद और पौर संस्थाएँ दरिद्रो और अनाथों

* महाभारत, (कुंभकोणम्) शातिपर्व, ६४. १६ ।

पौरजानपदा यस्य स्वनुरक्ता श्रीपीडिताः ।

राष्ट्रकर्मकरा ह्येते राष्ट्रस्य च विरोधिनः ॥

[पाठ की संगति और व्याकरण के विचार से १६वें
श्लोक १८वे श्लोक से ठीक पहले होना चाहिए । परन्तु
वह वहाँ से हटाकर अपने वर्तमान स्थान पर रख दिया गया
है । १७वें श्लोक की संगति वास्तव में १५वें श्लोक के
साथ बैठती है ।]

† तथानाथदरिद्राणा संस्कारो यजनक्रिया । इत्यादि ।
देखो पृष्ठ १३५ की अंतिम टिप्पणी ।

के प्रति अपना कर्तव्य छोड़ देती थीं, उस समय राजा की सरकार संकट में पड़ जाती थी। उक्त दोनों संस्थाओं के जो जो कार्य हमने ऊपर बतलाए हैं, उन्हे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि ये संस्थाएँ चाहतीं तो अनेक प्रकार से शासन कार्य असंभव कर सकती थीं। दरिद्रों और अनाथों की सहायता न करने से भारी कठिनाइयों उपस्थित हो सकती थीं; और इसलिये उनका यह काम भी बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। वामदेव का कथन है कि यदि पौर-जानपद सब जीवों पर दयालु रहे, (इस काम के लिये) धन और धान्य से युक्त रहे, तो राजसिंहासन का मूल बहुत दृढ़ हो जाता है* ।

* पौरजानपदा यस्य भूतेषु च दयालवः ।

सधना धान्यवन्तश्च दृढ़मूलः स पार्थिवः ॥ महा०,
शा० प० (कुंभ०) ६४. १८ ।

पौर और जानपद संस्थाओं के हाथ में धन-संपत्ति होने के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन संस्थाओं के पास केवल धन और संपत्ति ही नहीं होती थी, बल्कि जैसा कि बृहस्पति और कात्यायन के धर्मशास्त्रों से विदित होता है, वे कानून के अनुसार धन शृण भी ले सकती थीं ।

॥ २८१. यदि राजा उचित रूप से व्यवहार नहीं करता था, तो पौरज्ञानपद एक और प्रकार से उसके शासन कार्य

में कठिनता उत्पन्न कर सकते थे।
राजा से क्षति- पूर्ति की याचना यदि वे असतुष्ट हो जाते थे, तो राजा से कहते थे कि चौरियों, छकैतियों तथा इसी प्रकार के दूसरे उपद्रवों के कारण हम लोगों की जो आर्थिक क्षति हुई है, उसकी पूर्ति राजा अपने कोश से करे। इस विलद्धणश्च माँग या कारवाई का समर्थन हिंदू धर्मशास्त्रों से भी होता है। यदि हम कर सबधी हिंदू सिद्धांत का ध्यान रखें, तो यह बात बहुत सहज में हमारी समझ में आ सकती है। राजा को वेतन या पारिश्रमिक के रूप में ही कर दिया जाता था; और वह वेतन या पारिश्रमिक प्रजा की रक्षा के लिये होता था (देखो आगे ॥ ३३८)। इसमें फलित या तर्कजन्य सिद्धात यह था कि यदि आम्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की पूर्ण रक्षा न प्राप्त हो, तो नियोजक को इस बात का

* श्रीयुक्त (अब स्व०) गोविंददास जी लिखते हैं—
“मैं समझता हूँ कि अभी बहुत हाल तक अनेक राजपूत राज्यों में यह प्रथा प्रचलित थी कि प्रजा के यहाँ जो चौरियों होती थीं, उनकी पूर्ति राजा के कोश से की जाती थी ।”

अधिकार है कि वह नियुक्त व्यक्ति के बेतन या पारिश्रमिक में से उसका कुछ अंश काट ले। याज्ञवल्क्य के अनुसार कृतिपूर्ति के चिठ्ठे जानपद के द्वारा उपस्थित किए जाते थे; क्योंकि वह कहता है कि राजा का कर्तव्य है कि वह जानपद को कृतिपूर्ति की रकम दे*। ऊपर अर्थशास्त्र का एक उद्धरण दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी शत्रु राज्य में सीमात बर्बर आक्रमण करें, तो गुप्तचर लोग उस शत्रु राज्य के पौरों और जानपदों से कहें कि अपने राजा से अनुग्रहों की याचना करों। इससे भी यही सूचित होता है कि उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि लोग राजा से अपनी कृति की पूर्ति करने के लिये कहा करते थे।

कृष्ण द्वैपायन ने कहा है—“यदि चोरों के द्वारा हरण हुए द्रव्यों का राजा पता न लगा सके, तो वह अशक्त राजा

* देय चौरहृत द्रव्यं राजा जानपदाय तु ।
अदद्विं समाप्तोति किल्खिषं यस्य तस्य वत् ॥

—याज्ञवल्क्य २. ३६.

साथ ही मिलाओ नीचे के और उद्धरण ।

† अर्थशास्त्र १३. २ १७१. (पृ० ३६४)

उसकी पूर्ति अपने निज के कोश से (स्वकोशात्) करें ।”
 रुद्रदामन् के शिलालेख से सूचित होता है कि स्वकोश से अभिप्राय राजा के व्यक्तिगत और निजी धन का है, न कि राजकोश या सार्वजनिक कोश का । द्वैपायन का भी यही आशय है; इसलिये प्रजा की कृति की जो पूर्ति इसी से मिलते-जुलते याज्ञवल्क्य के नियम के अनुसार जानपद को धन देकर की जाती थी, वह मानो स्वयं राजा पर एक प्रकार का व्यक्तिगत अर्थदण्ड या जुरमाना हुआ करता था ।

* प्रत्याहर्तुं मशक्स्तु धनं चौरैर्हृतं यदि ।

स्वकोशात्तद्विं देय स्यादशक्तेन महीभृता ॥

—याज्ञवल्क्य २. ३६. के सबंध में मितान्त्रा में
 उद्धृत ।

† मनु द. ४०. दातव्य सर्ववर्णोभ्यो राजा चौरैर्हृतं
 धनम् ।

नंदन के अनुसार इसका अभिप्राय यह है कि चोरी आदि के कारण सब वर्णों की जो कृति हुई है, उसकी पूर्ति राजा करे । उद्घट टीकाकार मेधातिथि ने भी यही अर्थ दिया है ।

६२८. महाभारत में मिलनेवाले प्रमाण से हमें यह पता चलता है कि जानपद और पौर के सदस्य साधारणतः

धनवान् लोग हुआ करते थे । जो
जानपद का लोग धनवान् नहीं होते थे, वे भी कम निर्वाचन-क्षेत्र से कम गरीब नहीं होते थे ।

दशकुमारचरित* में इस प्रकार का एक उल्लेख है कि जानपद के प्रधान या मुख्य से राजा ने यह नियम-विशद और अनुचित प्रार्थना की थी कि अमुक ग्राम्य सभा के मुख्य या ग्रामणि को तुम पीड़ित करो । इसमें भी जानपद सदस्य का सर्वध ग्राम्य संस्था से ही दिखलाया गया है । अर्थशास्त्र के अनुसार जानपद का सघटन ग्रामों और नगरों से होता था । श्रतः यह मान लेने में कोई हानि नहीं है कि जानपद का निर्वाचन ग्राम्य संस्थाओं के द्वारा भी होता था और नगर-संस्थाओं के द्वारा भी ।

ग्रामणि साधारणतः धनवान् पुरुष हुआ करता था और वह वैदिक उल्लेखों के अनुसार† वैश्य तथा पाली धर्म-ग्रन्थों

* दशकुमारचरित, ३ ।

† अर्थशास्त्र २ १. १६ ।

‡ मैत्रायणी सहिता १. ६. ५. और ४. ३. ८ ।

के* अनुसार क्षत्रिय हुआ करता था । इससे जान पड़ता है कि जानपद के जो सदस्य निर्वाचित होते थे, वे संभवतः ग्रामणि वर्ग के ही लोग हुआ करते थे ।

पाली सूत्र† (दीघ निकाय का कूटदन्त सूत्र) से, जो प्रायः महात्मा बुद्ध के समय का ही रचा हुआ माना जाता है, संभवतः यह बात विस्तृत रूप से जानी जा सकती है कि नैगम या -पौर और जानपद का संघटन किस प्रकार होता था । राजा उन क्षत्रियों को अपने जनपद में (रज्जो जनपदे) निमंत्रित किया करता था जो उस समय के नैगम या जानपद हुआ करते थे (अनुयुक्ता नैगमा चेव जानपदा च) । वह उन नैगमों और जानपदों को भी निमंत्रित करता था जो पौर और जानपद के अधिकारी और मंत्री हुआ

* देखो “हिंदू राज्यतंत्र” पहला भाग, पृ० १४३ की दूसरी पाद-टिप्पणी ।

† दीघ निकाय, कूटदन्त सुत्त १२ आदि ।

ये भौतो रज्जो जनपदे खत्तिया अनुयुक्ता नैगमा चेव जानपदा च ... ये भौतो (इत्यादि) अमच्चा पारिसज्जा नैगमा चेव जानपदा च ... ये भौतो (इत्यादि) ब्राह्मण-महासाला नैगमा चेव जानपदा च ... ये भौतो (इत्यादि) गहपतिनेचयिका नैगमा चेव जानपदा च ...

करते थे और नेगम और जानपद ब्राह्मणों को, जिनके पास बड़े बड़े गृह होते थे और उन गृहपति नेगमो और जानपदों को, जो नेचयिक वर्ग के होते थे, निर्मनित करता था। गृहपति वर्ग में साधारण नागरिक वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, जो बिल्कुल स्वतंत्र होते थे और कृषि या व्यापार आदि करते थे; अर्थात् वे लोग अपनी अपनी गृहस्थी के स्वामी हुआ करते थे। नेचयिक कदाचित् धनवान् गृहपति सदस्यों का सूचक है और महाभारत में बतलाए हुए पौर और जानपद के स्वत्यधन या थोड़ी संपत्तिवाले सदस्यों के वर्ग का विपरीत वर्ग है। इससे सूचित होता है कि पौर और जानपद में प्रायः सभी प्रकार के लोग हुआ करते थे। कदाचित् दरिद्र परतु बुद्धिमान् ब्राह्मण उनमें नहीं लिए जाते थे, क्योंकि उनके सम्पत्तिशाली होने की शर्त लगाई गई है। जिन वृत्तस्थ ब्राह्मणों का हम आगे चलकर उल्लेख करेंगे और जो उपनिषदों तथा धर्मसूत्रों में बतलाए हुए आदर्शों के अनुसार जीवन निर्वाह करते थे, वे कदाचित् उन स्थानों में नहीं लिए जाते थे जिनके सदस्य होने के लिये सम्पत्तिशाली होने की शर्त होती थी। यदि हम इस तत्त्व का ध्यान रखें, तो हम समझ सकेंगे कि रामायण में जहाँ युवराज की नियुक्ति के संबंध में परामर्श करने के लिये पौर-जानपद एकत्र हुए हैं, वहाँ ब्राह्मणों का एक अलग वर्ग के रूप में क्यों उल्लेख हुआ

हैं*। इससे यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि जानपद संस्था समस्त देश की प्रतिनिधि हुआ करता थी। उसे स्वयं राष्ट्र और देश कहा गया है। सदस्यों के विचार से पौर एक अच्छी और बड़ी संस्था थी; और जानपद, सख्त्या के विचार से, संभवतः उससे भी और बड़ी संस्था होती थी।

₹ २८३ पौर के संघटन के संबंध में हमें एक और भी स्पष्ट चिन्ह मिलता है। पाटलिपुत्र के पौर की कार्य-

पौर का सघटन कारिणी अथवा शासक सभाओं का मेगास्थिनीज ने जो वर्णन किया है†, वह यदि देश की सार्वजनिक संस्थाओं की कार्य-प्रणाली के प्रकाश में देखा जाय, तो उससे सूचित होता है कि पौर संस्था कई छोटी छोटी सभाओं या समितियों में विभक्त यी जो राजधानी के भिन्न भिन्न अंगों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थीं। पौर संस्था वास्तव में अन्यान्य संस्थाओं के लिये एक प्रकार से मातृ-संस्था के रूप में

* ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सह ।

समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतदुष्टयः ॥

—रामायण, अयोध्या काण्ड, २०१६-२०। (कुभ०)

† देखो ₹ २५६.

थी। पाणिनि और समवतः कात्यायन ने भी संघ शब्द केवल राजनीतिक सघ के संकुचित या परिमित अर्थ में ही व्यवहृत किया है; परंतु पतंजलि ने संघ शब्द का बहुत अधिक विस्तृत अर्थ में व्यवहार किया है और उसे एक समूह या सभा के रूप में लिया है। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, पतंजलि ने कहा है कि सघ पाँच, दस और बीस आदमियों के हुआ करते हैं*। पाठकों को यह भी स्मरण होगा कि पतंजलि की मौति कौटिल्य ने भी संघ शब्द का साधारण समूह के अर्थ में व्यवहार किया है†, यद्यपि पाणिनि के पारिमाणिक अर्थ से ये दोनों ही भली भाँति परिचित थे। जब हम महाबग (६. ४. १.) को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि सघ की गणपूर्ति पाँच, दस, बीस या और अधिक सदस्यों की उपस्थिति से हो सकती है, तो इस शब्द की विशिष्टता या महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो

* देखो ५२५७ की पाद-टिप्पणी।

† अर्थशास्त्र ३. १४. ६६ (पृ० १८५) तेन सघभृता व्याख्याताः। २. १. १६ (पृ० ४८.) सजातादन्य संघः। ३. ३. ६२. (पृ० १७३) देशजातिकुलः-सघानाम्।

जाता है। अतः पतंजलि ने जिस पञ्चिक संघ का उल्लेख किया है, वह पौच्छ सदस्यों की गणपूर्ति^१ है। मेगास्थिनीज ने पाँच पौच्छ सदस्यों की जो समितियों बतलाई है, वे यही पञ्चिक संघ थीं। यदि पौच्छ सदस्यों की समितियों पञ्चिक संघ थीं, तो वे अलग-अलग स्वतंत्र संस्थाओं की प्रतिनिधि रही होगी और उन सबका सम्मिलित अधिवेशन प्रधान या मातृ-सभा का अधिवेशन होता होगा। हमने इसका यहाँ जो अर्थ किया है, उसका समर्थन इस बात से भी होता है कि पौर के एक से अधिक मुख्य या श्रेष्ठ होते थे॥। और मेगास्थिनीज ने कहा है कि नगर में कई कई मजिस्ट्रेट होते थे। मुद्राराज्ञस^२ में जब महामंत्री चाणक्य (कौटिल्य) चंदनदास को अपने पास बुलाता है, तब वह उसका बहुत अधिक आदर-सत्कार करके उससे पूछता है कि नगरनिवासी नए राजा के प्रति भक्ति और निष्ठा तो रखते हैं। उस

* रामायण, अयोध्या काण्ड, १५. ५. २. मुख्य ये निगमस्य च। १४. ५. ४०. पौरजानपदश्रेष्ठः।

^१ देखो ६२४।

^२ पहला अक। मुद्राराज्ञस (लगभग ४२० ई०) के समय के लिये देखो इंडियन एंटिकवेरी १६१३, पृ० २६५ और १६१७, पृ० २७५ में जायसबाल के लेख।

समय चंदनदास कहता है कि सारा देश राजभक्त है; परंतु वह वास्तव में केवल जौहरियों की सभा का प्रधान या मणिकार श्रेष्ठी है। दशकुमारचरित* में जिन दो पौर मुख्यों का उल्लेख है, उनमें से एक उन व्यापारियों का मुख्य है जो केवल विदेशी से व्यापार करते थे। अर्थशास्त्र में जहाँ पौर-ज्ञानपदों के राजनीतिक विचार जानने के लिये गुप्त दूत मेजने का उल्लेख है, वहाँ कहा गया है कि वे लोग तीर्थों, सभा-शालाओं, पूर्गों और सर्वसाधारण के समवायों में जायें। केवल अंतिम समवाय को छोड़कर इनमें के शेष सब समवाय प्रायः वही हैं, जिनका मेगास्थि-नीज ने उल्लेख किया है (जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है) और जो सार्वजनिक भवनों, मंदिरों, देश में बननेवाली चीजों और वाणिज्य-व्यापार आदि की देख-रेख किया करते थे। हम गौतम का प्रमाण भी दे चुके हैं, जिससे सिद्ध होता है कि शूद्र सदस्य भी हुआ करते थे†। संभवतः वे लोग जाति-संघों के द्वारा निर्वाचित होते थे अथवा कुछ

* दशकुमारचरित, ३।

† अर्थशास्त्र १. १३. ६. (पृ० २२)

‡ देखो पृ० १३४ की पाद-टिप्पणी।

कारीगरों के संघों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। जान पड़ता है कि पूरा संघ या सभा में व्यापारियों और व्यवसायियों के प्रतिनिधि हुआ करते थे और वे मध्यम श्रेणी के संपन्न व्यक्ति होते थे। इस प्रकार राजधानी में रहनेवाले भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से पौर का संघटन होता था।

६२३(क). रामायण में कुछ ऐसी अलग स्थाओं का विस्तृत विवरण मिलता है जिनसे संभवतः ५० पू० ५०० में नैगम का संघटन हुआ करता था। जिस प्रकार राम के यौवरज्याभिषेक के संबंध में पौर-जानपद नैगम के साथ आते हैं, उसी प्रकार जब आगे चलकर दूसरे अवसर पर राम के राज्यारोहण का प्रश्न उपस्थित होता है, तब पौर-नैगम या जानपद अथवा कदाचित् वे सब के सब सामने आते हैं। छठे या युद्ध काढ में (१२७. ४.) जब रामचंद्र अयोध्या को लौटते हैं, तब सब श्रेणीमुख्य और गण या पार्लिमेंट (सभवतः जानपद) के सदस्य उनका स्वागत करने के लिये नगर के बाहर जाते हैं। १६वे श्लोक से सूचित होता है कि भरत के साथ जहाँ मंत्री लोग हैं, वहाँ वे भी उनके साथ हैं और वहाँ वे लोग श्रेणीमुख्य और नैगम कहे गए हैं। नैगम लोग वैश्यों और शूद्रों के प्रतिनिधि-वरूप राम का अभिषेक करते हैं (अ० १२८. श्लोक ६२)। जब दशरथ की मृत्यु होने पर भरत अपने मामा के यहाँ से बुलाए जाते हैं, तब श्रेणी लोग भरत के

प्रस्तावित उत्तराधिकार का समर्थन करते हैं, जिसकी उन्हें सूचना दी जाती है (अयो० कां० ७६. ४) । राम टीका में “श्रेण्यः” का अर्थ करते हुए “पौराः” लिखा गया है और गोविंदराज ने उसके स्थान पर “नैगमाः” लिखा है । संभवतः “श्रेण्यः” (श्रेणियाँ) का व्यवहार उसी प्रकार उसके प्राथमिक अर्थ में किया गया है, जिस प्रकार ६. १२७ में गणों का किया गया है, अर्थात् वह पौर और जानपद दोनों सभाओं का सूचक है । इसके उपरात जब रामचंद्र को बनवास से लौटाने के लिये भरत जाते हैं, तब मन्त्रियों के सिवा “गण के प्रिय” भी उनके साथ जाते हैं (८१. १२) । कुछ और आगे चलकर (८३. १०) गणों के इन प्रियों या निर्वाचित शासकों का फिर उल्लेख आया है । वहाँ उनका उल्लेख नागरिकों * (नैगमों), संमत होनेवालों (संमता ये) और सब मंत्रियों के साथ आया है । इसके उपरात दुरंत ही (श्लोक १२ आदि) व्यापार और कला आदि के उन भिन्न भिन्न वर्गों या सभाओं आदि का विस्तृत विवरण है, जिनसे नैगम का सघटन होता था । उनमें

* यहाँ नागरिकों से पौरों का ही अभिप्राय जान पड़ता है ।

जौहरियों, हाथीदॉत का काम करनेवालो, अस्तरकारो, सुनारो, लकड़ी पर नकाशी करनेवालो, मसाले आदि बेचनेवालो तथा इसी प्रकार के और लोगों का उल्लेख है*। ये सब लोग नगरो और ग्रामों के मुख्यो (ग्राम-घोषमहत्तराः) के साथ मिले हुए हैं (श्लो० १५) और राम टीकां में “ग्रामघोषमहत्तराः” की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वे लोग उस समय गाँवों और घोषों के मुख्य या प्रधान थे। नैगम का सघटन बतलाते हुए जिस प्रकार भिन्न भिन्न पेशो और कलाओं आदि का उल्लेख है, उसी प्रकार जानपद (संमता ये) का सघटन बतलाते हुए कहा गया है कि उनमें गाँवों और घोषों के मुख्य या महत्तर लोग थे। परंतु ये मुख्य मुख्य लोग राजनगर से निकले थे। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, गाँवों और नगरों आदि के प्रतिनिधियों की सभा का केंद्र राजघानी में ही हुआ करता था। नैगम का

* व्यापारों और व्यवसायों के पारिभाषिक नामों के लिये गोविंदराज की टीका देखो।

† ग्रामे घोषे च वर्तमाना महत्तराः। गोविंदराज ने महत्तराः की व्याख्या करते हुए लिखा है—प्रधानभूताः; अर्थात् जो लोग प्रधान बनाए गए हों।

कें भी राजधानी में ही होता था, परतु वे लोग केवल राजधानी के भिन्न भिन्न पेशो और व्यापारो आदि के प्रति-निधि हुआ करते थे, समस्त देश के व्यापारो और पेशो के नहीं। टीकाकारों की टीकाओं से भी यही भाव निकलता है और उसका समानार्थक पौर शब्द भी यही सूचित करता है।

६ २८४ साहित्यिक उल्लेखों और ग्रंथों आदि से जो यह निष्कर्ष निकाला गया है, उसका समर्थन उन कई मुद्राओं से भी होता है जो अभी हाल में वैशाली के भग्नाव-शेष बसाढ़ में मिली हैं। ये मुद्राएँ खुदाई की रिपोर्टों के पृष्ठों में भारी पहेलियों के रूप में ज्यो की त्यों पड़ी रह गई हैं; और ऊपर हमने साहित्य के आधार पर जो बातें कही हैं, उनका उन पृष्ठों में कोई उल्लेख नहीं है। उनका अभिप्राय उसी दशा में समझ में आ सकता है, जब कि वे ऊपर दिए हुए प्रमाणों के प्रकाश में देखी जायें। एक मुद्रा पर का लेख इस प्रकार है—“श्रेष्ठी निगमस्य” और दूसरी पर लिखा है—“श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निगम”। एक और मुद्रा पर लिखा है—“कुलिक हरि:” या “प्रथम कुलिक हरि:”। जिन मुद्राओं के लेखों के अंत में

* Archeological Survey Report १६१३-१४. पृ० ३६, १४० और १५३ मुद्रा सं० २८२

निगम शब्द है, वे मुद्राएं निगम या पौर की सर्व-प्रधान या मातृ-सभा की मुद्राएँ हैं। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं*, कुलिक वास्तव में पौर का एक जज या न्यायाधीश हुआ करता था। अतः प्रथम कुलिक उस पौर न्यायालय का पहला या सर्व-प्रधान जज या न्यायाधीश हो सकता है। जान पड़ता है कि श्रेष्ठी या प्रधान उनकी सार्वजनिक सभा का प्रधान हुआ करता था। जिस मुद्रा पर “श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निगम” लिखा है, वह निगम के भिन्न भिन्न विभागों या समवायों के तीन प्रधानों की सूचक है। अलग अलग मुद्राएँ उन संस्थाओं के अलग अलग कुलिक या जज की न्याय विभाग सब भी मुद्राएँ हैं।

६ २८५. जैसा कि हम पिछले प्रकरण में बतला चुके हैं, पौर के धर्म या कानून और जानपद के धर्म जानपद और पौर या कानून हिंदू धर्मशास्त्रों में मान्य के धर्म किए गए हैं। वे धर्म या कानून वास्तव में इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत निश्चय हुआ

बी, ३२० ए, ३१८ ए और २७७ ए। इन मुद्राओं के विवेचन के सर्वधर्म में देखा पृ० १२४ आदि।

* देखो हिंदू राज्यतंत्र, पहला भाग ₹ ४४-५० पृ० ८१ द४; और ₹ १२०; पृ० २०१-२०४।

करते थे। जो सदस्य उन नियमों या निश्चयों का भंग करते थे, उनसे न्यायालय उन नियमों का बलपूर्वक पालन कराया करते थे। इन निश्चयों के द्वारा मुख्यतः उन सभाओं या समवायों के समस्त कार्यों का संचालन होता था। उन्हे “समय” कहा करते थे, अर्थात् वे ऐसे नियम या निश्चय थे जो सब लोगों के समूह में स्वीकृत हुआ करते थे (सम्+अय)। मनु और याज्ञवल्क्य में इन समयों को धर्म या कानून कहा गया है*।

* मनु, अ० ८, २१६ २२।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयमेदिनाम् ॥
यो ग्रामदेशसङ्घाना कृत्वा सत्येन संविदम् ।
विसवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥
निगद्या दापयेचैव समयव्यभिचारिणम् ।

.....

ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥

—याज्ञवल्क्य संविद्-व्यतिक्रम प्रकरण, २. १८६ ।
निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत् ।
सोऽपि यत्नेन सरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥
अन्यान्य धर्मशास्त्रो में दी हुई ‘समय’ की व्याख्या के लिये देखें पहला भाग ६ १२१, पृ० २०४ ।

हम यहाँ पाठकों का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट कर देना चाहते हैं कि अब तक मिले हुए समस्त धर्मशास्त्रों के लेखकों में से सबसे अधिक प्राचीन आपस्तव ने भी यह माना है कि समस्त धर्मों का मूल “समय” है* ।

इन सत्याश्रो के एक और प्रकार के निश्चय हुआ करते थे, जो स्थिति (शब्दार्थ—निश्चित, जो बदला न जा सके) या “देशस्थिति”† (शब्दार्थ—देश या देश की सभा की स्थिति) कहलाते थे और जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये कर्त्तव्य था । स्थिति में भी सभवतः उसी प्रकार के निश्चय या नियम आदि हुआ करते थे, जिन्हे संविद् कहते थे और जिसका अर्थ “करार” या “करार करके बनाए

* आपस्तव १. १. १. अथातः सामयाचारिकान्ध-
र्मान्व्याख्यास्यामः ॥ १

धर्मज्ञसमयः प्रमाणम् ॥ २

वेदाश्च ॥ ३

† वीरमित्रोदय पृ०, १२० ।

देशस्थित्यानुमानेन नैगमानुमतेन वा ।

क्रियते निर्णयस्तत्र व्यवहारस्तु वाव्यते ॥

— वृहस्पति ।

“हुए नियम” होता है। ये संविद्* जानपद द्वारा स्वौकृत होते थे और संवित्त पर लिखे जाते थे। कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार शपथ करके सदस्य लोग वे निश्चय करते थे। उनका पालन समस्त राज्य के लिये आवश्यक होता था। इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि ये संविद् राजा के हित के विरोधी भी हुआ करते थे; क्योंकि कुछ धर्मशास्त्रकारों ने यह अपवाद भी कर रखा है कि न्यायालयों द्वारा केवल उन्हीं संविदों का पालन कराया जायगा, जो राजा के हित के विपक्ष न होंगो। “समय” भी एक विशिष्ट पत्र पर लिखे जाते थे†।

ये समय (समय-क्रिया) और संविद् उसी प्रकार के निश्चय होते थे, जिन्हें आज-कल हम लोग कानून कहते हैं।

* ग्रामो देशश्च यस्त्वर्यात्सत्यलेख्यं परस्परम् ।

राजाऽविरोधधर्मार्थं संवित्यन्न वदन्ति तत् ॥

—वीरमित्रोदय पृ० १८८ में वृहस्पति । धर्मार्थ—
“कानून और राजनीति सबंधी नियम !”

† देखो ऊपर की पाद-टिप्पणी; और साथ ही याज-वल्क्य का—“निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत् ।”

‡ यत्रैतत्त्वित्पत्रे धर्म्या सा समयक्रिया ।

—वीरमित्रोदय, पृ० ४२५ ।

ये उस प्रकार के साधारण नियम नहीं होते थे, जिनका हिंदू धर्मशास्त्रों में समावेश है। वे शासन-कार्य के लिये बने हुए कानून होते थे, जिनका स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक होता था।

॥ २८६. यह भी ध्यान रखने योग्य महत्व की बात है कि संविद् वर्ग के नियमों का उल्लेख केवल जानपद और पौर के संबंध में ही आता है। व्यापारियों और व्यवसायियों के संघ और विजित गण (प्रजातत्र) अथवा उस प्रकार की और सत्याएँ संविद् नहीं बना सकती थीं। इससे सिद्ध होता है कि पौर-जानपद के सब प्रकार के निश्चयों में संविद् वर्ग के नियम सबसे अधिक महत्व के होते थे। सभवतः उन्हीं के द्वारा देश को कोई काम करने की सूचना दी जाती थी। अर्थात् उन्हीं के द्वारा लोगों से कहा जाता था कि अमुक नया कर दो अथवा अमुक कार्य करो।

॥ २८७. ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका संक्षेप में आशय यह है कि हमारे यहाँ पौर-जानपद नाम का एक सघटन या द्वैष सघटन था जो राजा को राज्यच्युत कर सकता था, जो राजसिंहासन के लिये उत्तराधिकारी निर्वाचित करता था, जिसका राजवश के जिस व्यक्ति के प्रति सदृभाव या प्रसन्नता होती थी, उसके राज्यारोहण के लिये अधिक अवसर मिल सकता था, जिसके प्रधान को राजा अपनी

त्रि-परिषद् द्वारा निश्चित राज्य की नीति सूचित किया करता था, जिससे राजा परम नम्रतापूर्वक नवीन कर लगाने की अनुमति माँगा करता था, जिसका किसी मन्त्री पर विश्वास होना उसके प्रधान या महामन्त्री बनने के लिये परम आवश्यक हुआ करता था, जिससे किसी नए धर्म का प्रचार करने की आकाञ्छा रखनेवाले राजा का परम आदर-पूर्वक परामर्श करना आवश्यक हुआ करता था, जो देश के लिये कला-कौशल, व्यापार और अर्थ संबंधी अनुग्रह या रिआयते माँगा और प्राप्त किया करता था, सावेजनिक घोषणाओं में जिसकी प्रशंसा और खुशामद की जाती थी, जिसके कोप से प्रातीय शासकों का सर्वनाश हो जाता था और जो राजा के हित के विरुद्ध भी कानून बना सकता था। तात्पर्य यह कि वह एक ऐसा संघटन था जो राजा का शासन समवय असंभव कर सकता था। राष्ट्र-संघटन-संबंधी इतने अधिकारों से युक्त यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे हम हिंदुओं की समस्त अधिकारों से युक्त पार्लिमेंट भी कहें तो कुछ अनुचित न होगा।

राजा के अधिकारों को सीमा का उल्लंघन करने से रोकने के लिये पौर-ज्ञानपद एक बलवान् साधन था। इसके साथ ही कुछ और प्रकार के भी प्रभाव थे जिनके कारण राजा अपना ठीक ठीक उत्तरदायित्व समझता रहता था और उसके अनुसार कार्य करता था।

— — —

उन्तीसवाँ प्रकरण

विचारशीलों का और सार्वजनिक मत

६२८. पौर-जानपद के संघटन से तो राजा का अधिकार मर्यादित रहता ही था। इसके अतिरिक्त उसे मर्यादित रखने के लिये विचारशीलों और बुद्धिमानों का भी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव होता था।

जो विचारशील त्यागी और विरक्त, तपस्वी और विद्वान् ब्राह्मण आदि समाज से बिलकुल अलग बनो मे*

* अर्थशास्त्र २. २. (पृ० ४६) प्रदिष्टाभयस्था-
वरजगमानि च ब्राह्मणेभ्यो ब्रह्मसेमारण्यानि तपोवनानि च,
तपस्विभ्यो गोत्रपराणि प्रयच्छेत् ।

तपोवनो के नाम सात मूल गोत्रों के नाम पर रखे गए थे। अपना घर-बार छोड़कर महात्मा बुद्ध इसी प्रकार के एक आश्रम में गए थे। रामायण में गोत्र-आश्रियों के नाम के जिन आश्रमों का उल्लेख है, वे भी

रहा करते थे, उनका भी हिंदू जीवन पर बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ता था। वे तपोवन समस्त आर्य समाज के प्रतिनिधि हुआ करते थे। साथ ही वे तपोवन सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों के प्राचीन अनुभव के आगार या कोश हुआ करते थे और सष्टुतथा निष्पत्ति विचार के मुख्य स्थान समझे जाते थे। राजधानी या दूसरे छोटेखोटे नगरों के बाहर पास ही कुछ विशिष्ट एकात्म स्थान हुआ करते थे जिनमें लोग तीसरे या बानप्रस्थ आश्रम में पहुँचने पर जाकर रहते थे*। यद्यपि हिंदू त्यागी और विरक्त लोग घरबार छोड़कर बनो में चले जाया करते थे, परंतु फिर भी वे समाज तथा राजनीतिक क्षेत्र से बिलकुल ही अलग नहीं हो जाते थे। अपनी बुद्धिमत्ता तथा निष्पत्ति के कारण वे लोग शासन की कठिनाइयों ठीक तरह से समझ सकते थे; और उसके संबंध में बिना कोई बात छिपाए या बिना किसी प्रकार के भय के राजा को उपयुक्त परामर्श दे सकते थे।

इसी प्रकार की संस्थाएँ थीं। उन नामों से यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि उस समय वे मूल गोत्र-ज्यूषि जीवित थे और वहाँ वर्तमान रहते थे।

* देखो पृ० २०८ की पाद-टिप्पणी।

इनके अतिरिक्त इनसे भी अधिक बृद्ध, बुद्धिमान्‌
 और चतुर्थ आश्रम में पहुँचे हुए लोग होते थे जो किसी
 भूल करनेवाले को अधिकारपूर्वक रोक सकते थे और जिन
 पर कोई सांसारिक शक्ति अपना अधिकार नहीं जतला
 सकती थी। वे जो कुछ कहते थे, वह नीति के नाम पर
 कहते थे और उनकी बाते सब लोगों को सुननी पड़ती थीं।
 उन्हे इस बात का अधिकार प्राप्त था कि किसी के बिना
 पूछे भी वे अपनी सम्मति प्रकट कर सके। साहित्य में
 इस प्रकार के अनेक उल्लेख भरे पड़े हैं जिनसे सूचित होता
 है कि हिंदुओं के ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों आदि का
 उनके समय की राजनीति पर कितना अधिक प्रभाव था।
 बहुत प्राचीन काल के पाली लेखों आदि से अब यह बात
 प्रमाणित हुई है कि भिन्नुओं का एक वर्ग था जो ‘‘नारद’’
 कहलाता था। इसी वर्ग के एक नारद से कृष्ण को गण-
 राज्य सबधी कठिनाइयों में समय समय पर सहायता और
 परामर्श मिला करता था। इसके उपरांत जब हम
 ऐतिहासिक काल में आते हैं, तब देखते हैं कि लिङ्गवियो
 पर आक्रमण करने से पहले अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से
 परामर्श लिया था। कोशल के विद्वरम ने एक बार केवल
 बुद्ध के मना करने पर ही शाक्यों के प्रति शुद्ध की घोषणा
 करने का विचार क्षेत्र दिया था। सिकंदर ने भारत में
 आकर देखा था कि यहाँ के एकातवासी साधु और



त्यागी॥ बहुत विकट राजनीतिज्ञ हैं। सिकंदर भी स्वतंत्र विचारों

* मिलाओ मैक्रिंडल कृत मेगास्थिनीज नामक ग्रथ के
पृ० १२४-२६।

“परमेश्वर, जो सबका स्वामी है, कभी कैर्ड भूल या
अनुचित काम नहीं करता। वह प्रकाश, शांति, जीवन,
जल, मानव शरीर और आत्मा सबका स्वष्टा है; और जब
मृत्यु हन सबको दुष्ट कामनाओं से मुक्त करके स्वतंत्र कर
देती है, तब वह इन्हें ग्रहण करता है। मैं केवल उसी
ईश्वर के आगे सिर मुकाता हूँ जो हत्याओं को निंदनीय
समझता है और युद्धों की प्रेरणा नहीं करता। परंतु सिकंदर
ईश्वर या देवता नहीं है; क्योंकि उसके लिये मृत्यु अवश्य-
मावी है। और फिर जो अभी तक टिकरोबोअस नदी के
उस पार तक न पहुँचा है और जो अब तक समस्त विश्व
के साम्राज्य के सिंहासन पर न बैठा है, वह समस्त संसार का
स्वामी कैसे हो सकता है? यदि उसके वर्तमान राज्यों
से उसकी कामना पूर्ण न होती हो, तो उसे गगा नदी के
उस पार जाना चाहिए। यदि हमारी और का यह देश
उसके आदमियों के लिये पर्याप्त न हो, तो वहाँ उसे ऐसा
विस्तृत देश मिलेगा जो उसके आदमियों के लिये यथेष्ट
होगा। समझ रखो कि सिकंदर मुझे जो कुछ देना ‘चाहता

का बड़ा भारी शत्रु था, इसलिये ऐसे लोगों का अस्तित्व वह

है और जो कुछ मुझे देने का वचन देता है, वह सब मेरे लिये नितांत निरर्थक है।.... जिस प्रकार माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पृथ्वी मुझे सब कुछ देती है।.....यदि सिकंदर मेरा सिर काट डाले, तो भी वह मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकता। केवल मेरा सिर ऊप होकर पड़ा रहेगा, पर मेरी आत्मा अपने स्वामी के पास चली जायगी और इस शरीर को इसी पृथ्वी पर पुराने और फटे शब्द की भाँति छोड़ जायगी। उस समय मैं सूक्ष्म शरीर धारण करके ईश्वर के पास पहुँच जाऊँगा.....वह समस्त अभिमानियों और पापियों का न्यायकर्ता है; क्योंकि पीड़ितों के मर्ममेदी, दुःखपूर्ण शब्द पीड़िक के लिये दंड स्वरूप हो जाते हैं। इसलिये सिकंदर से कहा कि इस प्रकार की धमकियों से वह उन्हीं लोगों को भयभीत करे, जिन्हें स्वर्ण और धन की कामना है और जो मृत्यु से डरते हैं; क्योंकि हम लोगों के लिये तो ये दोनों ही शब्द निरर्थक हैं। हम ब्रगमन (ब्राह्मण) लोग न तो स्वर्ण से प्रेम करते हैं और न मृत्यु से ही डरते हैं।”

- इस पर यदि यूनानियों ने यह कहा कि—“वृद्ध और नन् ढंडमी (दड़ी) ही ऐसे निकले जो अनेक राष्ट्रों पर विजय

सहज में सहन नहीं कर सकता था; और इसलिये उसने उनमें से कई त्यागियों का वध करा दिया था। एक बार ऐसे ही त्यागियों में से एक से पूछा गया था कि अमुक राष्ट्र के नेता से तुम सिकंदर का विरोध करने के लिये क्यों आग्रह करते हो ! उसने उत्तर दिया था—“मैं यह चाहता हूँ कि या तो वह प्रतिष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत करे और या प्रतिष्ठापूर्वक मर जाय” (प्लूटा० ६४) । यूनानी लेखकों ने एक और ऐसे सन्यासी का उल्लेख किया है जिसने सिकंदर को राजनीति सबधी एक बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। उसने सिकंदर के साम्राज्य की तुलना सखे चमड़े के टुकड़े से की थी और कहा था कि उसमें आकर्षण का कोई बँद्र नहीं है। जब तुम उसके पक्के सिरे

प्राप्त करनेवाले सिकंदर के घेर शत्रु थे और जिनके सामने वह किसी प्रकार नहीं ठहर सकता था ।” तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है ।

कदाचित् पाठकों को यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता न होगी कि उस सन्यासी ने उपनिषद् की ही सब बातें कही थीं। उसने कहा था कि ब्राह्मण वही होते हैं जो न तो स्वर्ण की कामना करते हैं और न मृत्यु से ढरते हैं। उसका यह कथन हमारे आगे के कथन (१२६०) के बिलकुल अनुरूप है ।

पर खड़े होते हैं, तब दूसरे सिरे के लोग विद्वाह करके उठ खड़े होते हैं। तद्विशिला में एक बृद्ध दड़ी रहा करता था। जब ओनेसिकेटीस ने उससे कहा कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ देवता जुस के पुत्र और समस्त ससार के स्वामी सिकदर की सेवा में उपस्थित हो; और साथ ही उसे यह भी धमकी दी कि यदि तुम इनकार करोगे, तो सिकंदर तुम्हारा सिर कटवा डालेगा, तो वह दंडी खिल-खिलाकर हँस पड़ा और बोला कि जिस प्रकार सिकंदर जुस का पुत्र है, उसी प्रकार मैं भी जुस का पुत्र हूँ। मैं अपनी भारतभूमि से परम संतुष्ट हूँ जो माता के समान मेरा पालन करती है। साथ ही उसने व्यंग्यपूर्वक यह भी कहा था कि गंगातट के निवासी (नंद के सैनिक) इस संघ में सिकदर का संतोष कर देंगे कि वह अभी तक समस्त संसार का स्वामी नहीं हुआ है*। अर्थशास्त्र में राजा से कहा गया है कि दुष्ट शासन से बानप्रस्थ और परिव्राजक कुपित होते हैं†। महाभारत में जहाँ राजनीति का विवेचन है,

* देखो पृष्ठ २११ की पाद-टिप्पणी।

† अर्थशास्त्र १. ४. १. (पृ० ६)

दुष्प्रणीतः (दंडः) कामकोधाभ्यामशानाद्वानप्रस्थ
परिव्राजकानपि कोपयति ।

वहाँ राजा का यह कत्तव्य बतलाया गया है कि वह राज्य के समस्त कार्यों की सूचना तपस्वियों को दिया करे और उन त्यागियों से परामर्श लिया करे जो अनुभवी और बहुश्रुत हैं, जिनका इतिष्ठित कुल में जन्म हुआ है और जो अब सब प्रकार के अर्थों का त्याग कर चुके हैं*।

६ २८६. यह परंपरा समस्त हिंदू-इतिहास में चली आई थी। यह इतनी दृढ़ी थी कि जब फिर से हिंदुओं का

विद्वान् ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ, तब इसने फिर एक बहुत बड़ा कार्य कर दिखलाया।

गुरु रामदासजी शिवाजी के लिये उतने ही बड़े पथ-प्रदर्शक थे, जितने बड़े पथ-प्रदर्शक शिवाजी के प्राचीन पूर्वजों के लिये कोई नारद रहे होंगे।

६ २९०. वानप्रस्थों और सन्यासियों के वर्ग में हमें वृत्तस्थ ब्राह्मणों को भी लेना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति पठन-

* महाभारत, (कुम्भकोणम् सस्करण) शान्तिपर्व,
अ० द६, श्लोक २६-२८।

आत्मानं सर्वकार्याणि तापसे राष्ट्रमेव च ।
निवेदयेत्ययत्नेन तिष्ठेत्प्रहृश्च सर्वदा ॥

.... **

सर्वार्थत्यागिन राजा कुले जातं बहुश्रुतम् ।
पूजयेत् तादृशा द्वष्टा.....*.....||

पाठन, चितन और यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणों का सच्चा सामाजिक महत्त्व न समझे, तर तक उसे हिंदू इतिहास का ठीक ठीक ज्ञान हो ही नहीं सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ज्ञान-भाँडार बराबर बढ़ता ही जाता था और उनका मानसिक बल चरम सीमा तक पहुँच गया था। यदि वे लोग सब ग्रकार के स्वार्थों से रहित और दरिद्र न होते, तो बहुत संभव था कि वे समस्त हिंदू समाज को उदरस्थ कर लेते; और अत में उनका उदर भी फूलकर फट जाता और स्वयं उनका भी नाश कर देता। वे लोग किसी ऐसे काम में हाथ ही न डालते थे जिससे घन का उपर्जन हो सकता था। उन्हे अपने निर्वाह के लिये बहुत ही अल्प मात्रा में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, वे वस्तुएँ वे उसी समाज से मिज्जा रूप में मौंग लेते थे जिसकी सेवा का व्रत वे धारण करते थे। वे वास्तव में हिंदू समाज के स्वामी और नेता होते थे, और उनमें एक ऐसी विशेषता होती थी जो सार के और किसी समाज के नेताओं में नहीं होती थी। वे सब के स्वामी भी रहते थे और साथ ही साथ परम दरिद्र भी रहते थे। दरिद्रता का व्रत धारण करके बुद्धि-बल के विचार से वे ऐसा अविनश्वर अस्तित्व प्राप्त करते थे जिसकी जड़ आत्मिक स्वतंत्रता तथा सद्गुणमूलक श्रेष्ठता के ज्ञान में होती थी। जिस जाति में उनका संवर्धन होता था, वह

जाति सदा निष्ठापूर्वक उनका साथ देती थी और जान तथा गुण के उन विशाल माड़ों का पालन पोषण करती थी।

समाज और राज्य के अदर तथा पौर और जानपद के बाहर छोटी कुटी में रहकर यजन-क्रिया करनेवाले ब्राह्मणों को अपने समय की राजनीति की इतनी अधिक चिंता रहती थी, जितनी कदाचित् और किसी को न रहती होगी। जातकों में स्थान स्थान पर ऐसे ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है जो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के ही समान रूप से पंडित हुआ करते थे। रामायण और महाभारत आदि के विशिष्ट और वामदेव उन्हीं लोगों में से थे जो, जब चाहते थे, तब राजन्दरवार में जा पहुँचते थे, राजा को परामर्श देते थे और उसे बतलाते थे कि तुम्हारे शासन में अमुक अमुक दोष हैं। वही लोग थे जो रामायण में पौर-जानपद के नेताओं को अपने साथ लेकर युवराज के अभिषेक के सबूध में राजा को राष्ट्र का निर्णय बतलाने के लिये गए थे; और राजा उन्हें तथा पौर-जानपदों को राजन् या शासक कहकर सबोधन करता था। वृहस्पति और कौटिल्य के वर्ग के लोग वेचल राजनीति सबधी सिद्धातों का ही नियमन नहीं करते थे, बल्कि वे अपने देश की राजनीति से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध भी रखते थे। कौटिल्य एक श्रोत्रिय या वैदिक ब्राह्मण

था* । पर जिस समय भारत में सिकंदर का आगमन हुआ और कैटिल्य ने नवोत्थित (नव) नंद की शासन-व्यवस्था में दोष देखे, तब वह वेदाध्ययन छोड़कर तुरंत राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़ा । उसने अपने समय की शासन व्यवस्था को आदि से अत तक ठीक करके सुसंधित करना आवश्यक समझा । वह दरिद्र स्वामी बार-बार यही कहता था कि राष्ट्र एक ऐसा जीवन है, जिस पर समस्त सामाजिक, व्यक्तिगत और आत्मिक सुख निर्मर करते हैं । ऐसे ही लोग जनता को बार बार इस बात का स्मरण करते थे कि राष्ट्र की सभ्यता का आधार राजनीति है और जनता की रक्षा करनेवाली तलबार ही सभ्यता का गर्भाशय है ।

* चाणक्य इति विख्यातः श्रोत्रियः सर्वधर्मवित् ।
तैलग का मुद्रा-राक्षस, उपोद्घात, पृ० ४४ ।

येन शास्त्रं च शास्त्रं च नदराजगता च भूं ।

अर्थर्षेणोद्धतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

—अर्थशास्त्र (पृ० ४२६) ।

† महाभारत (कुंभकोणम् संस्करण) शातिपर्व.
अ० १६४, श्लोक ६६-६८.

असि धर्मस्य गोप्तारं ददौ सत्कृत्य विष्णुवे ।

विष्णुर्मरीचये प्रादान्मरीचि र्मार्गवाय तम् ॥

ब्राह्मणो ने इस आर्यवर्त को जिस प्रकार धार्मिक हृषि से आदर्श और पूज्य बनाया था, उसी प्रकार राजनीतिक हृषि से भी बनाया था* ।

६ २९१. सन्यासियो, तपस्वियो और वृत्तस्थ ब्राह्मणों की सुसंघटित संस्थाओं के अतिरिक्त शासनकर्त्ताओं को सर्वसाधारण की सम्मति या विचारों सार्वजनिक मत का भी पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता था । देश में एक वास्तविक सार्वजनिक मत होने का प्रमाण महाभारत, शातिपर्व, अ० द९, श्लोक १५-१६ में मिलता है† । उसका आशय इस प्रकार है—

महर्षिभ्यो ददौ खङ्गमृषयो वासवाय च ।
महेन्द्रो लोकपालेभ्यो लोकपालास्तु पुत्रक ॥
मनवे सूर्यपुत्राय ददुः खङ्ग सुविस्तरम् ।
ऊचुश्चैनं तथा वाक्यं मानुषाणां त्वमीश्वरः ॥
असिना धर्मगर्भेण पालयस्व प्रजा इति ।

* उदाहरण के लिये मनु २. २२ की व्याख्या करते समय मेघातिथि की की हुई 'आर्यवर्त' की व्याख्या देखो । आर्या वर्तन्ते तत्र पुनः पुनरुद्धवन्त्याक्रम्याक्रम्यापि न चिरं तत्र म्लेच्छाः स्थातोरो भवन्ति... ... इत्यादि ।

† अतीते दिवसे वृत्त प्रशासन्ति न वा पुनः ।
गुरैश्चारैरलमतैः पृथिवीमनुसारयेत् ॥

“राजा को उचित है कि वह अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को समस्त राज्य में इस बात का पता लगाने के लिये भेजे कि प्रजा उसके गत या अतीत दिन के व्यवहार की प्रशासा करती है या नहीं।

“वह इस बात का पता लगावे कि प्रजा उसके किस व्यवहार की प्रशासा करती है और किस व्यवहार की नहीं करती; उसके कौन से काम देशवासियों को पसद हैं और राष्ट्र में उसका कैसा यश है।”

देश में राजा की नीति और आचरण तथा व्यवहार आदि की आलोचना होती थी और राजा को उन आलोचनाओं से परिचित होने की चिंता रहती थी। राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण में उस स्थान पर यह आदर्श कुछ उग्र परतु प्रबल-रूप में दिखलाया गया है, जहाँ यह बतलाया गया है कि राम ने सीता का क्यों परित्याग किया था। यद्यपि स्वयं रामचन्द्र यह बात बहुत भली भाँति जानते थे कि सीता बिलकुल निर्दोष है, तथापि लोगों के विचार देखकर ही उन्हें उसका परित्याग करना पड़ा था।

₹ २६.१क. बृहस्पति सूत्र में राजा के लिये कहा गया है कि यदि जनता किसी छोटे से छोटे काम के भी विरुद्ध हो,

जानीत यदि मे वृत्ता प्रशसन्ति न वा पुनः ।
कञ्चिद्रोचेजनपदे कञ्चिद्राष्ट्रे च मे यशः ॥ (कुभको०)

तो राजा को वह छोटा सा काम भी न करना चाहिए॥
यदि जनता विस्द्ध हो तो राजा को धर्मयुक्त काम भी न
करना चाहिए॥

— —

* वृहस्पति सूत्र, (एफ० डब्ल्यू० थामस बाला
सत्करण) १. ६५ ।

जनघोषे सति ज्ञानकर्म न कुर्यात् ।

† उक्त ग्रथ , १. ४. ।

धर्ममपि लोकविकुष्टं न कुर्यात् ।

तीसवाँ प्रकरण

मंत्रि-परिषद्

₹ २६२. क्या हिंदू राजा एक व्यक्तिगत शासक हुआ करता था ? इस प्रश्न का उचर जानने के लिये हमें हिंदू मंत्रि-परिषद् की स्थिति की जाँच करनी चाहिए। राष्ट्र-संघटन में मंत्रि-परिषद्

का जो स्थान था, उसका ठीक-ठीक महत्व समझने के लिये उस परिषद् के पूर्व इतिहास के संबंध में कुछ बातें बतला देना आवश्यक जान पड़ता है। हिंदू मंत्रि-परिषद् वास्तव में एक ऐसी संस्था थी जो प्राचीन वैदिक काल की राष्ट्रीय सभा से, उसकी शाखा के रूप में, निकली थी। जैसा कि हम अभी ऊपर बतला चुके हैं*, अर्थर्व वेद से सूचित होता है कि राजकर्ता लोग उस समूह का अश होते थे, जो राजा को राजपद प्रदान करने के लिये उसके चारों

* देखो ऊपर ₹ २०४।

ओर एकत्र होता था। आगे चलकर राजा बनानेवाले यही राजकृत् या राजकर्ता लोग रही, उच्च पदाधिकारी, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका पूजन राजा अपने राज्याभिषेक से पहले करता था^३। उन रक्तियों की पूजा करके वह मानो राज्य के उन अधिकारियों का भी। राज्यारोहण अथवा राजपद प्राप्त करने से पहले जिस प्रकार समाज के अन्यान्य प्रतिनिधियों की स्वीकृति माँगी जाती थी, उसी प्रकार उन रक्तियों की स्वीकृति भी माँगी जाती थी। इसका अभिग्राय यह है कि वे लोग राजा के बनाए हुए पदाधिकारी नहीं होते थे, बल्कि समाज के अंग के रूप में पदाधिकारी होते थे। उनकी सामूहिक सत्या का सूचक जो पारिभाषिक शब्द है, उससे उनके इस मूल का और भी समर्थन होता है।

§ २६३. अर्थशास्त्र^{*} में मत्रियों की समा को परिषद् और जातकों†, महावस्तु ‡, तथा अशोक के

* देखो ऊपर § २१२।

† अर्थशास्त्र १. १५।

‡ जातक, खण्ड ६, पृ० ४०५ और ४३१।

‡ महावस्तु खण्ड २, पृ० ४१६ और ४४२।

शिलालेखो* में उसे ‘‘परिषद्’’ कहा गया है। इसी प्रकार का अर्थ देनेवाले जो और कई शब्द हैं, उनके साथ (बहुत बाद तक) इस नाम का मिश्रण नहीं होता, न उन शब्दों के लिये इसका व्यवहार होता है और न इसके लिये उन शब्दों का। इसके अतिरिक्त वैदिक हिंदुओं की राष्ट्रीय सभा का भी एक दूसरा नाम परिषद् था। जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है, बृहदारण्यक उपनिषद् में समिति को परिषद् कहा गया है†। मत्रियों की परिषद् जब इस प्रकार समिति परिषद् से अलग हुई, तब उसे समिति परिषद् के समान ही नाम प्राप्त हुआ। नाम के साथ ही साथ उस परिषद् को पुरानी परपरा और उत्तरदायित्व भी प्राप्त हुआ।

₹ २६४. जिन दिनों हिंदू राजा बहुत बलवान् हो गए थे, उन दिनों भी परिषदों की वैदिक मर्यादा नष्ट नहीं हुई थी। आरंभिक राष्ट्र-संघटन में जिस प्रकार उनके सदस्य ‘राजकृत्’ और ‘राजा’ बने थे, उसी प्रकार पाली सूत्रों और राष्ट्रीय महाकाव्य में भी वे ‘राजकृत्’ और ‘राजा’ ही बने रहे। पाली धर्मग्रन्थों में

* प्रधान शिलाभिलेख ३ और ′६।

† देखो पहला खण्ड ₹ ६, पृ० १६।

‘राजकृत्’ शब्द मंत्री के पर्याय के रूप में आया है* । जिन मन्त्रियों ने भरत के सामने अपना प्रस्ताव रखा था, उन्हें भी रामायण में राजकर्ता ही कहा गया है । प्रातिमोक्ष सूत्र में महामन्त्रियों को राजा कहा गया है† । अशोक अपने महामन्त्रियों को (राज्य की) “बाग हाथ में रखनेवाले राजुक” अर्थात् ‘शासक मंत्री’ कहता है + ।

* दीग्धनिकाय महागोविद सुचन्त ६२. राजकत्तारो ।

† अयोध्या काढ अ० ७६ स्लोक १ समेत राजकर्त्तारो भरतं वाक्यमनुवन् । कुंभकोणम् संस्करण में उद्धृत टीका, राजकर्त्तारः—मन्त्रिणः ।

+ राजानो नाम पठव्या राजा पदेसराजा मण्डलिकरजा अतरमोगिका अवखदस्सा महामत्ता ये वा पन छेजमेजं अनुसासंति एते राजानो नाम । चाइल्ड्स द्वारा उद्धृत, पृ० ३६७ ।

— प्रधान शिलाभिलेख ३ और स्तंभ शिलाभिलेख ४ में राजुक शब्द देखो, जिसमें राजुक मन्त्रियों को शासन के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं (दड) । देखो J. B. O. R. S. खंड ४, पृ० ४१ में जायसवाल का लेख । साथ ही देखो ऊपर दूसरा खड़, पृ० २८ की दूसरी पाद-टिप्पणी ।

॥ २६५. हिंदू राष्ट्र-सघटन का यह एक निश्चित नियम और सिद्धात है कि बिना मंत्रियों की परिषद् की स्वीकृति और सहयोग के राजा कोई काम नहीं परिषद् और राजा कर सकता। इस सबध में धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति सब धीं सभी ग्रंथ एकन्मत हैं। स्वयं ही सब शासन कार्य करने का प्रयत्न करनेवाले राजा को मनु ने मूर्ख कहा है। वह ऐसे राजा को अयोग्य समझता है*। उसने यह विधान किया है कि राजा को अपने साथी या मंत्री अवश्य रखने चाहिएँ, और राज्य के साधारण तथा असाधारण कार्यों पर उन्हीं के मध्य में बैठकर और उन्हीं के साथ मिलकर विचार करना चाहिएँ। समस्त राज्य के कामों का तो कहना ही क्या है, एक साधारण काम भी उसे अकेले नहीं करना चाहिएँ। याज्ञवल्क्य

* देखो ऊपर ॥ २४५। मनु ७. ३०-३१।

† मनु ७. ५४-५७।

‡ मनु ७. ३०-३८ और ५५-५६।

सोऽसहायेन मूढेन लुच्छेनाङ्गतद्विद्विना ।

न शक्यो न्यायतो नेत्रुं सक्तेन विषयेषु च ॥३०॥

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

दण्डः प्रणयितुं शक्तः सुसहायेन धीमता ॥३१॥

का भी यही मत है* और दूसरे धर्मशास्त्राधिकारी भी यही कहते हैं। कात्यायन तो यहाँ तक निर्देश करता है कि राजा को अकेले बैठकर किसी सुकदमे या अभियोग आदि का भी निर्णय नहीं करना चाहिए और अमात्यों तथा सम्मो आदि के साथ बैठकर निर्णय करना चाहिए। कौटिल्य भी, जो एकराज प्रशाली का सबसे बड़ा समर्थक है, कहता है कि राजा को मंत्रि-परिषद् में बैठकर ही राज्य संबंधी समस्त क्षियों का विवेचन और निर्णय करना चाहिए, और बहुमत से जो कुछ निश्चित हो, उसी के अनुसार उसे काम करना चाहिए। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रि-परिषद् से भिन्न मंत्रियों की और कोई समा या मंडल

अपि यत्सुकर कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।
विशेषतोऽसहायेन किमु राज्य महोदयम् ॥५४॥
तैः सार्धे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।
स्थानं समुदय गुसि लब्धप्रशमनानि च ॥५५॥

* याज्ञवल्क्य १. ३११ ।

तैः सार्धे चिन्तयेद्राज्यं, आदि ।
† वीरमित्रोदय पृ० १४.

सप्राह्विवाकः सामात्यः सत्राहणापुरोहितः ।
ससम्यः प्रेक्षको राजा स्वर्गे तिष्ठति धर्मतः ॥

हो, तो भी इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करने का विधान किया गया है। अर्थशास्त्र में कहा है—

“जब कोई असाधारण या विशेष विषय आकर उपस्थित हो, उस समय समस्त मंत्रियों और मन्त्रि-परिषद् का आवाहन करना चाहिए और उन्हें उसकी सूचना देनी चाहिए। उस समय में बहुमत द्वारा जो कुछ करना निश्चित हो, वही (राजा को) करना चाहिए*।”

एक महत्व की बात यह भी है कि राजा को मंत्रियों का निर्णय रद्द करने का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कौटिल्य ने परिषद् का महत्व बतलाते हुए कहा है कि केवल दो आँखें रहते हुए भी इंद्र को इसलिये सहस्राक्ष कहा जाता है कि उसकी मन्त्रि-परिषद् के एक हजार बुद्धिमान् सदस्य थे जो उसके नेत्र समझे जाते थे।

* अर्थशास्त्र १. १५. ११ (पृ० २९)

आत्मायिके कार्ये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदञ्चाहूय ब्रूयात् ।
तत्र यद्युपिष्ठाः कार्यसिद्धिकरं वा ब्रूयुस्तात्कुर्यात् ।

देखो इहियन ए टीकवेरी सन् १६१३, पृ० २८२ में जायसवाल का लेख ।

† अर्थशास्त्र १. १५. ११ (पृ० २६)

इन्द्रस्य हि मन्त्रपरिषदषीरणा सहस्र । तच्चकुः ।
तस्मादिम द्वयकां सहस्राक्षमाङ्गः ।

शुक्रनीतिसार में, जो मूल सिद्धांतों के संबंध में पूर्ण रूप से प्राचीन परंपरा का ही अनुसरण करता है, कहा है—

‘राजा चाहे समस्त विद्याओं में कितना ही कुशल और नीति या व्यवहार में कितना ही दक्ष क्यों न हो. परंतु फिर भी उसे बिना मंत्रियों की सहायता के अकेले बैठकर राज्य के किसी विषय पर विचार न करना चाहिए। बुद्धिमान् राजा को सदा अपनी परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों या विभाग-मंत्रियों, उनके सभापति (सम्य ई ३०६) और प्रजा (प्रकृति ई ३०४) की सम्मति के अनुसार चलना चाहिए। उसे कभी स्वयं अपनी सम्मति के अनुसार नहीं चलना चाहिए। जब राजा अपनी परिषद् से स्वतंत्र हो जाता है, तब वह मानो स्वयं ही अपने नाश की कल्पना या योजना करता है। समय पाकर वह अपना राष्ट्र या राज्य और प्रकृति या प्रजा दोनों खो बैठता है॥

* शुक्रनीतिसार २. २-४ ।

सर्वविद्यासु कुशलो नृपो ह्यपि सुमन्त्रवित् ।
मंत्रिभिरु विना मंत्रं नैकोर्थं चिन्तयेत् क्वचित् ॥२॥
सम्याधिकारिप्रकृति सभासत्सुमते स्थितः ।
सर्वदा स्यान्तृपः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥३॥

मनु (७. ४७) के अनुसार राजा को पहले सब मंत्रियों से अलग अलग परामर्श करना चाहिए और तब उन सब को एकत्र करके परामर्श करना चाहिए; अर्थात् जैसा कि मेधातिथि ने उसकी व्याख्या करते हुए बतलाया है, परिषद् में बैठकर उनसे परामर्श करना चाहिए । ठीक यही बात और प्रायः शब्दशः कौटिल्य ने भी कही है* । इस प्रकार परामर्श और विवेचन करके ही राजा लाभ उठा सकता था । कहा गया है कि राजा को अपने सबसे अधिक बुद्धिमान् मंत्री पर, जिसका ब्राह्मण होना आवश्यक है, पूर्ण रूप से निर्भर रहना चाहिए और समस्त निश्चयों को कार्य-रूप में परिणत करने का भार उसी पर छोड़ देना चाहिए† । तात्पर्य यह कि इस प्रकार समस्त कार्य प्रधान मंत्री के हाथ में सौप दिए जाते थे ।

प्रभुं स्वातन्त्र्यमापन्नो ह्यनर्थायैव कल्पते ।

भिन्नराष्ट्रो भवेत्सद्यो भिन्नप्रकृतिरेव च ॥ ४॥

* तानेकैकशः पृच्छेत् समस्ताश्च । अर्थशास्त्र, पृ० ८ ।

तेषा स्वं स्वमभिप्रायमुपलम्य पृथक् पृथक् ।

समस्ताना च कार्येषु विद्याद्वितमात्मनः ।—मनु,

७. ४७ ।

† मनु ७. ४८-४९ ।

बृहस्पति-सूत्र में कहा है कि जो कार्य पूर्ण रूप से धर्म-सम्मत हो, वह भी बुद्धिमानों से सम्मति लेकर ही करना चाहिए*। इसका अभिप्राय यह है कि शासन संबंधी जो कार्य बिलकुल नियमानुमोदित और धर्मसंगत हो, वह भी अनुभवी मंत्रियों की सम्मति और स्वीकृति से होना चाहिए।

₹ २६६. इस अवसर पर हमें विधान संबंधी एक और महत्त्वपूर्ण धर्म या कानून का भी ध्यान रखना चाहिए।

राजा का वित्तदान और मंत्रि-परिषद् धर्मशास्त्रियों ने यह निर्देश कर रखा था कि यदि मंत्री लौग विरोध करे, तो राजा को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को दित्त-दान कर सके। यहाँ तक कि वह ब्राह्मणों को भी इस प्रकार का दान नहीं दे सकता था। यह नियम आपस्तव्य के प्राचीन काल का था। (प्रायः ₹० पू० ४००)

* धर्मपि लोकविकुष्टं न कुर्यात् । करोति चेदाशास्तैनं बुद्धिमन्दिः । बृहस्पति सूत्र १. ४-५ ।

† आपस्तव्य २. १०. २६. १. भृत्यानामनुपरोधेन क्षेत्रं चित्तश्च ददद्ब्राह्मणेभ्यो यथार्हमनन्ताङ्गोकानभिजयति ।

मंत्री के अर्थ में “भृत्य” शब्द के प्रयोग के लिये देखो अर्थशास्त्र पृ० ३२० मंत्रिपुरोहितादिभृत्यवर्गम् । साथ ही देखो पृ० २३२ में दिव्यावदान वाला उल्लेख ।

हिंदू मन्त्रि-परिषद् का यह आरम्भिक इतिहास और विधान संबंधी इन नियमों को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि सम्माट् अशोक के आज्ञा देने पर भी मन्त्रि-परिषद् और प्रधान मंत्री राधागुप्त ने बौद्ध भिक्षुओं को और अधिक वित्त दान देना क्यों और किस प्रकार अख्लीकृत कर दिया था*। यदि हमें मन्त्रि परिषद् के इन अधिकारों का पता

* दिव्यावदन पृ० ४३० और आगे। दिव्यावदान में अशोक के पहले वित्तदान का जो विस्तृत उल्लेख है, उसे मैं तत्त्वतः ठीक समझता हूँ; क्योंकि वह विश्वजित सर्वमेघ की दक्षिणा के रूप में था और अशोक सार्वभौम सम्माट् था; और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार (६ २०६) इस प्रकार का दान करना उसका कर्तव्य था। जैसा कि मीमांसा में कहा है, (देखो ६ ३४५) सम्माट् अपनी भूमि अथवा राष्ट्र को छोड़कर बाकी और सब कुछ दे दिया करदा था। अर्थात् उसके कोष में व्यय से बचा हुआ और जितना धन होता था, वह सब दान दे दिया करता था। इस प्रकार के किसी विशिष्ट दान का मन्त्री लोग विरोध नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा दान करने का सम्माट् को अधिकार था। परंतु यदि वह फिर इसी प्रकार कोई और दान करना चाहता था, तो मन्त्री लोग उसका विरोध करते थे;

न होता तो हम यही कहकर छुट्टी पा जाते कि ये सब बातें पौराणिक और बौद्धों की कपोल-कल्पना हैं।

अशोक ने अपने प्रधान शिलाभिलेखों की छठी धारा में कहा है कि यदि मैं किसी दान या धोषणा के संबंध में कोई आज्ञा दूँ और मंत्रि-परिषद् में उसके संबंध में किसी प्रकार का विवाद उपस्थित हो, तो मुझे उसकी सूचना तुरंत मिलनी चाहिए। यदि परिषद् में मेरे प्रस्ताव के संबंध में मतभेद हो अथवा वह प्रस्ताव बिलकुल अस्वीकृत हो, तो उसकी मुझे तुरंत सूचना मिलनी चाहिए*। इससे यह सूचित होता है कि मंत्री लोग समय समय पर सम्राट् की आज्ञा का भी विरोध करते थे।

* २६७. इसी प्रकार जब रुद्रदामन् ने सुदर्शन ताल की मरम्मत की आज्ञा दी थी, तब उसके मंत्रियों ने भी उसका विरोध किया था। सुदर्शन ताल की मरम्मत के संबंध में मंत्री लोग राजा के प्रस्ताव के विरोधी थे। उन लोगों ने उसके लिये धन देना अस्वीकृत कर दिया था, जिस पर

और ऐसा ही करना अशोक के मंत्रियों ने भी अपना कर्तव्य समझा था।

* इंडियन एन्टीक्वरी, १६१३, पृ० २४२।

सौभाग्यवश भारतीय इतिहास के लिये रुद्रदामन् का शिला-लेख बहुत ही स्पष्ट है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारे यहाँ के राष्ट्र-सघटन संबंधी नियम निर्जीव और शुभ मावना के ही रूप में नहीं थे, बल्कि वे उसी प्रकार सजीव और वास्तविक थे, जिस प्रकार पौरो आदि के संबंध के नियम और कानून थे। हमें इस संबंध में बौद्ध ग्रथो का उपकृत होना चाहिए जिन्होने अशोक के शासन के संबंध की राष्ट्र-सघटन संबंधी इस महत्वपूर्ण घटना को इस दुःखद और करणा-पूर्ण रूप में रक्षित रखा है कि समस्त भारत का सम्राट् अपने मंत्रियों के द्वारा अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया था^{*}। दिव्यावदान में जो गाथा उद्धृत है, वह उसके

* देखो ऊपर २७० और Epigraphia Indica द. ४४. (शिलालेख की पक्तियाँ १६-१७.)

† दिव्यावदान पृ० ४३०. कुकुटाराम को अशोक जो दान देना चाहता था, उसे पूरा करने के लिये उत्सुक होकर उसने कहा था—“राधागुप्त, मैं अपने द्रव्य या राज्य या अधिकार के नाश की परवा नहीं करता।”

राजाह। राधगुप्त, नाह द्रव्यविनाश न राज्यनाशनं न
चाश्रयवियोगं शोचामि।

...

रचना-काल से बहुत पहले की है और वह गाथा उस

तस्मिंश्च समये कुनालस्य सम्पदिनामपुत्रो युवराज्ये
प्रवर्तते । तस्याभात्यैरभिहितम् । कुमार, अशोको राजा
स्वल्पकालावस्थायी, इदं च द्रव्यं कुरुठारामं प्रेष्यते,
कोशबलिनश्च सजानो, निवारयितव्यः । यावत् कुमारेण
भारदागारिकं प्रतिषिद्धः ।

उस समय कुणाल का पुत्र सम्पदि युवराज-पद पर
अवस्थित था । अमात्यो ने उससे कहा था—‘कुमार,
महाराज अशोक का अवस्थान तो थोड़े ही समय तक रहेगा,
पर वे अपना घन कुरुठाराम में भेज रहे हैं । राजा का
बल कोष ही है । उन्हें इससे निवारण करना चाहिए ।’
इस पर कुमार ने भारदागारिक को प्रतिषेध कर दिया ।

(देखो आगे ६३१२ जिसमें यह बतलाया गया है
कि युवराज ही प्रधान अमात्य हुआ करता था और मन्त्रि-
परिषद् के दूसरे मंत्री सब प्रस्ताव उसके पास भेजा
करते थे ।)

..

अथ राजाशोकः सविग्नोऽमात्यान् पौराश्च सञ्जिपात्य
कथयति । कः साम्प्रतं पृथिव्यामीश्वरः । ततोऽमात्य
उत्थायासनाद् येन राजाशोकस्तेनाङ्गलि प्रणम्योवाच ।

घटना के कई शताब्दियों के बाद नहीं बन सकती थी। फिर

(पृ० ४३१) देवः पृथिव्यामीश्वरं । अथ राजाशोकः
साशुदुर्दिननयन-वदनोऽमात्यानुवाच—

दाक्षिण्यादनृतं हि कि कथयथ भ्रष्टाधिराज्या वयम् ।

उद्धिन राजा अशोक ने अमात्यों और पौरों को बुलाया। और उनसे पूछा—‘इस समय देश का स्वामी कौन है?’ प्रधान अमात्य ने उठकर और राजा अशोक के पास पहुँचकर हाथ जोड़र प्रणाम करते हुए कहा—‘देव (श्रीमान्) ही इस समय पृथ्वी के स्वामी हैं।’ इस पर राजा अशोक ने अशुपूर्ण नेत्रों से मन्त्रियों से कहा—‘केवल शिष्टाचार के विचार से मिथ्या बात क्यों कह रहे हो? हम तो राज्याधिकार से अष्ट हो चुके हैं।’

...

त्यागशूरो नरेन्द्रोऽसौ अशोको मौर्यकुञ्जरः ।

जम्बुद्वीपेश्वरोभूत्वा जातोद्धामलकेश्वरः ॥

भृत्यैः सभूमिपतिरद्य द्वाताधिकारो दानं प्रयच्छति किला-
मलकार्धमेतत् ।

त्यागशूर और मौर्यकुञ्जर अशोक, जो जबूद्वीप का अधीश्वर था, अब आधे आमलक का अधीश्वर रह गया। मन्त्रियों के द्वारा अधिकार अपहृत हो जाने पर अब वह राजा आधा आमलक ही दान देता है।

मिन्नु लोग किसी ऐसी कहानी की भी कल्पना नहीं कर सकते थे जो उनके धार्मिक इतिहास के एक महान् व्यक्ति पर किसी प्रकार का लालून लगानेवाली हो। वे किसी ऐसी कहानी की भी कल्पना नहीं कर सकते थे जो परवर्ती ऐसे राजाओं के लिये नजीर बन जाती, जो मौर्य सम्राट् का अनुकरण करके इस प्रकार का कोई बड़ा दान 'करना' चाहते।

६२८. मंत्रि-परिषद् के मंत्रियों की सख्त्या सदा एक सी नहीं रहती थी, वह बराबर घटती-बढ़ती रहती थी।

मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की सख्त्या वृहस्पति ने अपने राजनीति संबंधी ग्रथ मे, जिसका उद्धरण कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दिया है, कहा है कि मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की सख्त्या सोलह होनी चाहिए। मानव अर्थशास्त्र में कहा है कि मंत्रि-परिषद् में बारह मंत्री होने चाहिए। (मंत्रि परिषद द्वादशामात्या* कुर्वतिति मानवाः ।) एक दूसरे प्राचीन आचार्य उशनस् ने अपने समव में बीस मंत्री बतलाए हैं; परन्तु कौटिल्य ने कोई

* कौटिल्य-कृत अर्थशास्त्र १. १५. ११. (पृ० २६) अर्थशास्त्र मे अमात्यन् छुपा है, पर वह अमात्यम् होना चाहिए। वह 'मंत्रि-परिषद्' का विशेषण है।

निश्चित संख्या नहीं बतलाई है*। इससे और पहले की मन्त्रि-परिषदें और भी बड़ी हुआ करती थीं। महाभारत में वर्तीस मन्त्रियों की एक परिषद् का उल्लेख है (§ ३२१)। पर आगे चलकर सदस्यों की संख्या घटाने की ओर ही प्रवृत्ति रही।

§ २६६. हम फिर मन्त्रि-परिषद् और मन्त्रियों की सामूहिक शक्ति का विचार करते हैं। अब हम भिन्न भिन्न मन्त्रियों के पदों के नाम बतलाते हैं। मनु (७. ४४) में कहा है कि मन्त्रि-परिषद् में मन्त्रियों की संख्या सात या आठ होनी चाहिए। जिस समय शुक्रनीति लिखी गई थी, उस समय आठ की संख्या प्रायः निश्चित सी हो गई थी; और उसी के अनुसार शिवाजी ने अष्ट-प्रधान या आठ मन्त्री बनाए थे। कुछ आचार्यों के अनुसार शुक्रनीति में बतलाए हुए आठ मन्त्री इस प्रकार हैं—

* उक्त ग्रन्थ और प्रकरण आदि।

† शुक्रनीति २. ७१-७२.

अष्टप्रकृतिभियुर्को नृपः कैश्चित्स्मृतः सदा ।
सुमन्त्रः परिद्वतो मन्त्री प्रधानः सचिवस्तथा ॥
अमात्यः प्राद्यविवाकश्च तथा प्रतिनिधिः स्मृतः ।

- (१) सुमंत्र या अर्थ-मंत्री ।
- (२) पंडितामात्य या धर्मशास्त्र का ज्ञाता मंत्री ।
- (३) मंत्री या गृह-विभाग का मंत्री ।
- (४) प्रधान या मन्त्रि-परिषद् का सभापति ।
- (५) सचिव या युद्ध-मंत्री ।
- (६) अमात्य या भूकर और कृषि विभाग का मंत्री ।
- (७) प्राद्विवाक या न्याय विभाग का मंत्री और प्रधान न्यायाधीश ।

(८) प्रतिनिधि—इसके संबंध में आगे विवेचन किया गया है ।

इसके अतिरिक्त कुछ और आचार्यों के अनुसार नीचे लिखे दें और मंत्री भी होते थे ।

- (९) पुरोहित या धार्मिक कृत्यों का मंत्री ।
 - (१०) दूत या राजनीतिक विभाग का मंत्री* ।
-

* शुक्रनीतिसार २-८४-८७ ।

सर्वदर्शीं प्रधानस्तु सेनावित् सचिवस्तथा ॥
 मंत्री तु नीतिकुशलं परिषद्वितो धर्मतत्त्ववित् ।
 लोकशास्त्रनयनस्तु प्राद्विवाकः स्मृतः सदा ॥
 देशकालप्रविज्ञाता ह्यमृत्यु इति कथ्यते ।
 आयव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः स च कीर्तिंत ॥

[इन दोनों को भी मन्त्रि-परिषद् में बैठने का स्थान
मिलता था ।]

इङ्गिताकारचेष्टाज्ञः स्मृतिमान्देशकालवित् ।
षाढगुणयमन्विद्वाग्मी वीतभीदूर्त इष्यते ॥
अहितज्ञापि यत्कार्ये सद्यः कर्तुं यदोचितम् ।
अकर्तुं यद्वितमपि राज्ञः प्रतिनिधिः सदा ।
वोधयेत्कारयेत्कुर्यान्न कुर्यान्न प्रबोधयेत् ॥
सत्यं वा यदि वासत्यं कार्यजातज्ञ यत्किल ।
सर्वेषां राजकृत्येषु प्रधानस्तद्विचिन्तयेत् ॥
इत्यादि श्लोक १०६ तक ।

मिलाओ शिवाजी के अष्ट-प्रधान। जिलो की नागरिक व्यवस्था वास्तव में केंद्रस्थ अधिकारियों की अधीनता में हुआ करती थी, जिनमें से दो अधिकारी पत अमात्य और पत सचिव होते थे। ये दोनों क्रमशः वही अधिकारी होते थे जिन्हें आजकल अर्थमंत्री और लेखा विभाग के प्रधान अधिकारी या आय-व्यय के निरीक्षक कहते हैं। जिलो का सब हिसाब किताब इन्हीं अधिकारियों के पास मेजा जाता था। वहाँ सब हिसाब एक में मिलाए जाते थे और उनकी भूलें आदि जाँची जाती थीं और भूल करनेवालों को दड़ दिया जाता था। ये

प्रतिनिधि का ठीक-ठीक स्वरूप अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जान पड़ता है कि उसका पद बहुत महत्व का होता था; क्योंकि उसे प्रधान और मंत्री से पहले सान दिया गया है। जो काम करना अत्यंत आवश्यक होता था, वह चाहे राजा को प्रिय हो और चाहे अप्रिय हो, उसे करने के लिये राजा को विश्वा करना उसका काम होता था। यह निश्चित है कि वह राजा का प्रतिनिधि नहीं होता था। संभव है कि वह पौर जानपद के प्रतिनिधि के

अधिकारी अपने यहों के आदमियों को जिले के अधिकारियों के कामों की जाँच करने के लिये भेज सकते थे। नागरिक विभाग के सबसे बड़े अधिकारी पेशवा होते थे; और पत सचिव तथा पंत अमात्य के पद उनके उपरात हुआ करते थे। माल के महकमे के कामों के सिवा इनके अधिकार में सेनाएँ भी रहती थीं। ये दोनों शासन-सभा के मुख्य सदस्य होते थे और वह शासन सभा “आष-प्रधान” कहलाती थी। राजा के उपरात पेशवा या प्रधान मंत्री का पद हुआ करता था। पेशवा नागरिक तथा सैनिक दोनों विभागों का प्रधान होता था और राजसिंहासन के नीचे दाहिनी ओर सबसे पहले उसी का आसन रहता था। सेनापति सैनिक विभाग का

रूप में मंत्रि-परिषद् मे आकर बैठता हो; अथवा राजा के पास आने-जाने के लिये वह मंत्रि-परिषद् का प्रतिनिधि हो। इसमे सदेह नहीं कि उसका पद बहुत अधिक, और कदाचित् सबसे अधिक, महत्व का होता था।

₹ ३००. युवराज को मंत्रि-परिषद् के सदस्यो में नहीं गिनाया गया है; परंतु यह निश्चित है कि वह भी युवराज, राज-एक मंत्री होता था। वह साधारणतः कुमार और अमात्य राजवश का ही राजकुमार होता था और राजा का चाचा, भाई, भतीजा, पुत्र, दत्तक पुत्र

प्रधान अधिकारी होता था और सिंहासन के बाएँ और सबसे पहले उसका आसन रहता था। पेशवा के उपरात अमात्य और सचिव बैठते थे और सचिव के बाद मंत्री का आसन होता था जिसके अधिकार में महाराज के निजी और व्यक्तिगत सब काम होते थे। सुमंत परन्नाष्ट विमाग का मंत्री हुआ करता था और बाएँ और सेनापति के नीचे बैठता था। इसके उपरात पडित राव का स्थान था जो धार्मिक विषयों का अधिकारी होता था और उसके नीचे बाईं और न्यायाधीश बैठता था। —रानडे कृत Rise of Maratha Power पृ० १२५-६.

अथवा पौत्र हुआ करता था* । अन्यान्य मंत्रियों की भाँति वह भी राजा का सहायक होता था । युवराज की मुद्रा होती थी और उसकी पदवी का सूचक एक निश्चित पद होता था जिसका व्यवहार वह हस्ताक्षर करते समय करता था । दिव्यावदान के अनुसार[†] अशोक के शासन-काल में उसका पौत्र सम्प्रति युवराज था और कुणाल तद्विला का प्रातीय प्रधान शासक था । यह तद्विला उत्तरी प्रात की राजधानी थी ।

जब राजवंश का कोई राजकुमार किसी पद पर नियुक्त रहता था, तब वह पदाधिकारी ही समझा जाता था । भृत्य भास्कर ने उसे कुमार अध्यक्ष कहा है; अर्थात् किसी विभाग का प्रधान अधिकारी राजकुमार जिसके हाथ में शासनाधिकार होँ† । अशोक के शिलालेखों में प्रातीय

* शुक्रनीतिसार २०. १५ ।

स्वकनिष्ठ पितृव्य वानुज वाग्रजसम्पवम् ।

पुत्र पुत्रीकृत दर्ता यौवराज्येऽभिषेचयेत् ॥

क्रमादभावे दौहित्र स्वप्रिय वा नियोजयेत् ।

† दिव्यावदान पृ० ४३० । देखो ऊपर इसी खड़ के पृ० २३४ की दूसरी पाद-टिप्पणी ।

† देखो ऊपर इसी खड़ के पृ० २८ की दूसरी पाद-टिप्पणी ।

सरकारों के नाम जो खरीते आदि हैं, वे कुमार और महामात्रों को संबोधित करके लिखे गए हैं। महामात्रों का समूह “वर्ग” कहलाता था*। जान पढ़ता है कि ऐसे ही कुमार को भट्ट भास्कर ने हाथ में बाग रखकर (रज्जुभिः) नियंत्रण करनेवाला (नियता) कहा है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को एक स्थान पर तक्षशिला का शासक और दूसरे स्थान पर उच्चैन (पश्चिमी प्रात की राजधानी) का शासक कहा है। मौर्य राजवंश के राजकुमार दक्षिण में अपने वर्गों या काउन्सिलों के साथ शासन करते थे† और कलिंग का विजित प्रात के बल महामात्रों के वर्ग के अधीन था। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि ब्रेद्रस्थ सरकार से भेजे जानेवाले खरीते, जिनकी प्रतिलिपियाँ शिलालेखों में हैं, कभी कुमार के नाम से संबोधित नहीं हैं। जैसा कि अशोक के दो स्थानों के शासक होने से सूचित होता है, राजकुमार भी महामात्रों की भाँति, जिनके संबंध में

* देखो J. B. O. R. S. ४, पृ० ३६, में उड़ीसा के “पृथक् प्रशागन”।

† दिव्यावदान पृ० ३७२; महावश ५, ४६।

‡ देखो जौगङ्ग और घौली के “पृथक्” प्रधान शिलालेख और सिद्धपुर का शिलालेख।

हम अभी विवेचन करेंगे, कदाचित् एक स्थान से दूसरे स्थान को बदले जाते ये। ऐसी दशा में खरीतो आदि का किसी व्यक्ति-विशेष के नाम न होना बिलकुल ठीक ही है।

६३०१. भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों के पद-नाम समय समय पर बदलते रहे हैं। मानव धर्मशास्त्र* में सचिव शब्द का व्यवहार किया गया है, जिसका शब्दार्थ मंत्रियों के पद-नाम होता है—सहायक या साथी, और अर्थशास्त्र में मंत्री के लिये साधारणतः अमात्य शब्द आया है (जिसका शब्दार्थ[†] है—एक साथ रहनेवाले)। रामायण में भी साधारणतः अमात्य शब्द का ही व्यवहार हुआ है; परंतु सचिव लोग मंत्रियों से भिन्न बतलाए गए हैं।

प्रधान मंत्री को “मंत्री” कहा गया है जिसका शब्दार्थ है मन्त्रणा या परामर्श देनेवाला। अर्थशास्त्र में सर्व-प्रधान मंत्री को मंत्री ही कहा गया है। अर्थशास्त्र में

* मनु ७. ५४।

† युद्ध काढ, १३०. १७-२०. (कुंभकोणम्)
गोविंदराज।

इस मंत्री के उपरांत पुरोहित आता है; और उसके उपरांत सेनापति और तब युवराज आता है* ;

मानव धर्मशास्त्र में प्रधान मंत्री को केवल “अमात्य” कहा गया है। शासन या दंड का समस्त अधिकार उसी के हाथ में रहता था†। मानव (७.५८ और १२. १००) में विशेष रूप से यह कहा गया है कि अमात्य सदा ब्राह्मण होना चाहिए। आरंभिक समय में पाली धर्मग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु का प्रधान मंत्री अग्र महामात्र या सर्व-प्रधान मंत्री कहा गया है। दिव्यावदान में अशोक का प्रधान मंत्री (राधागुप्त) अमात्य कहा गया है। शुक्रनीति में उसी को मंत्री कहा है। गुप्त-काल में सभवतः उसी को महादंडनायक कहते थे (देखो ६३२२)।

मानव धर्मशास्त्र में पुरोहित का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। पर सभवतः वह मनु के सात या आठ मंत्रियों के अंतर्गत ही है। इस मंत्री का भी सब जगह वही पद-नाम (पुरोहित या पुरोघस् या नेता) आया है; परन्तु उसका कार्य तथा अधिकार-क्षेत्र बराबर बढ़ता हुआ

* अर्थशास्त्र ५. २. ६१. (पृ० २४५)

† मनु ७. ६५ ।

ही जान पड़ता है। जातको और धर्मदूतों में कहा गया है कि उसे धर्म और राजनीति दोनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपस्तव में कहा गया है कि जिन अपराधों में प्रायशिक्त का विधान होता है उनका निर्णय उसी को करना चाहिए। ब्राह्मणों के अभियोगों का विचार भी राजा की ओर से वही करता था। अर्थशास्त्र⁺ कहता है कि उसे वेदों और वेदागों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अर्थव्व वेद के धर्मकृत्यों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए; क्योंकि जब राष्ट्र पर कोई भारी दैवी विपत्ति आती थी, तब सर्व साधारण्य को संतुष्ट करने के लिये वे कृत्य भी किए जाते थे। शुक्रनीति में + कहा है कि पुरोहित को युद्ध-विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए।

* जातक, खंड १, पृ० ४३७ और खंड २, पृ० ३० ;
आपस्तव धर्मसूत्र २. ५. १० और १३-१४।

† आपस्तव धर्मसूत्र २. ५. १० और १३-१४ आदि।

‡ अर्थशास्त्र १. ८. ५. (पृ० १५)

+ शुक्रनीतिसार २. ८०—नीतिशास्त्राभ्यूहादिकुशलस्तु पुरोहितः।

मानव धर्मशास्त्र में राष्ट्रो से संबंध निश्चित करनेवाले कूटनीतिज्ञ मंत्री को “दूत”* कहा गया है। अन्य राष्ट्रों के साथ संधि और विभ्रह आदि वही निश्चित करता था और आवश्यकता पड़ने पर उनसे संबंध-विच्छेद करता था। रामायण (२. १००. ३५) और शुक्रनीति में भी उसका यही नाम मिलता है। पर आगे चलकर गुप्त-काल के शिलालेखों, बृहस्पति के धर्मशास्त्र तथा अन्यान्य स्थानों में उसे “संधि-विभ्रहिक” कहा गया है। यह एक विलक्षण बात है कि अर्थशास्त्र में इस मंत्री का उल्लेख नहीं मिलता। सभवतः यह काम प्रधान मंत्री के ही हाथ में रहता होगा। मौर्य-काल में यह पद बहुत ही महत्व का था।

मानव धर्मशास्त्र में कहा गया है कि राजा अपने राजकोष के सब काम अपने ही हाथ में रखता है, अर्थात् अर्थमंत्री के सब काम वह स्वयं ही करता है। मानव-धर्मशास्त्र में इस संबंध में प्रत्यक्ष रूप से राजा का कोई उल्लेख नहीं है, परतु इस विभाग के उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसी “समाहर्ता” नाम से उल्लिखित है, जो

* मनु ७, ६४-६६—दूते सन्धिविपर्ययो । दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्येव च सहतान् ।

† उक्त ग्रंथ—नृपतौ कोषराष्ट्रे च (६५) ।

नाम उसके लिये अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र में
इसी से भिलता-जुलता एक और विभाग बतलाया गया
है जिसका नाम सञ्जिधान् या सञ्जिधाता है (§ २११)।
आगे चलकर ये दोनों विभाग एक में मिल जाते
हैं। शुक्रनीति में अर्थ विभाग के मंत्री को “सुमंत्र”
कहा गया है। गोविंदराज (§ ३०६) ने इसका
दूसरा नाम ‘अर्थसंचयकृत्’ या “अर्थसंचयकर्ता”
दिया है।

यह स्पष्ट ही है कि सेनापति सेना विभाग का मंत्री
होता था। चंद्रगुप्त के शासन-काल में उसका महत्व
बहुत अधिक दिखलाई देता है; क्योंकि उसे तीसरा स्थान
दिया गया है और युवराज से पहले रखा गया है।
शुक्रनीति में वह सचिव कहा गया है। जैसा कि रामायण
२. १००. ३१ से सूचित होता है, सेनापति युद्ध-क्षेत्र में
सेना का संचालन भी करता था और मन्त्रिपरिषद् में सैनिक
सदस्य भी होता था। पर कौटिल्य के समय में ये दोनों
दो अलग पद थे (§ ३०६) और परवर्ती काल में भी
वे दोनों अलग ही बने रहे। शुक्रनीति में वह सैनिक
विभाग का नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारी ही माना गया
है; क्योंकि मंत्री लोग एक विभाग से दूसरे विभाग में बदले
जाते थे और उन सबके पद तथा मर्यादा समान ही होती
थी (§ ३२०)।

(अर्थशास्त्र पृ० २७) का यही मत था ; और मानव धर्मशास्त्र (७. ५८) का भी यही मत जान पड़ता है । विशालाक्ष ने एक मंत्री के गण की निंदा की है (अर्थशास्त्र पृ० २७) ; और रामायण ने भी इसे अनुचित ही ठहराया है, जिसके अनुसार (२. १००. १८.) गण में न तो एक मंत्री होना चाहिए और न बहुत से । जैसा कि महाभारत और नीतिषाक्यामृत* के उद्धरणों से सूचित होता है, आगे चलकर इनकी संख्या तीन या तीन से अधिक निश्चित हो गई थी । इनका ताक या विषम होना उन्हीं कारणों से अन्डा माना गया था, जिन कारणों से मित्र मिश्र ने जूरियों की संख्या का ताक या विषम होना ठीक बतलाया है । (संख्यावैषम्यन्तु भूयोऽल्पविरोधे भूयसां स्थात् ।) विषम संख्या इसलिये होनी चाहिए कि यदि किसी समय मतमेद हो तो वहमत से निर्णय किया जा सके ।

* एको मंत्री न कर्त्तव्यः । एको निरवग्रहश्चरति मुद्यति च कार्यकृच्छ्रेष्ठु । द्वावपि मंत्रिणौ न कर्त्तव्यौ तौ संहतौ चरंतौ भक्षयंतौ गृहीतौ च विनाशयतः । त्रयः पञ्च सप्त वा मंत्रिणः कार्याः । अ० १० ।

† वीरमित्रोदय, पृ० ३५ ।

॥ ३०४. अशोक के जिन राजुक मन्त्रियो (॥ ३१८)
को प्रजा पर शासन करने का पूर्ण अधिकार था, जिन्हें
प्रजा को अनुग्रह प्रदान करने का अधिकार था और जिनकी
रक्षा में राजा अपनी प्रजा को उसी प्रकार छोड़ दिया करता
था, जिस प्रकार किसी सुपरिचित दाई के हाथ में माता
अपनी शिशु-संतान को छोड़ देती है (स्तभाभिलेख ४)
और जो दंड या शासन तथा अभिहार या शत्रुवा घोषित
करने के लिये सर्वप्रधान अधिकारी माने जाते थे, वे यही
मंत्रधर या मंत्रग्रह जान पड़ते हैं । शासन करनेवाले मंत्री
को राजुक कहते थे, जिसका शब्दार्थ होता है—जिसके हाथ
में (शासन की) रज्जु या बाग हो । भट्ट भास्कर का
'रज्जुभिर्नियन्ता' और महाभारत का "मन्त्रग्रह" भी इसी
प्रकार का शब्द है । उनके सब ध में 'राजा' शब्द का भी
व्यवहार किया जाता था । इस सब ध में हमें इस बात का
ध्यान रखना चाहिए कि चाहल्हस ने अपने पाली शब्दकोष
में (राजा शब्द का विवेचन करते हुए) प्रालिमोक्त्व सूत्र
का जो उद्धरण दिया है, उसमें कहा है कि महामात्र लोग
'राजा' कहलाते थे । यह निश्चित है कि अशोक के राजुकों
की संख्या एक से अधिक होती थी ; क्योंकि साधारणतः
उनका उल्लेख बहुवचन में ही हुआ है ।

॥ ३०५. मंत्रि-परिषद् के इतिहास में हम देखते हैं कि
उनकी संख्या बढ़ती और बदलती गई थी, वे एक से अनेक

हो गए थे। एक मंत्रीवाला नियम परंपरा तथा समस्त राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था के विपरीत पड़ता था।

ई ३०६. वास्तविक शासनाधिकार तो मंत्रधरो की स्थापना के हाथ में ही था, पर जैसा कि हम अभी बतला-

मंत्र परिषद् का संघटन तुके हैं, एक मंत्र-परिषद् या मंत्र-परिषद् भी हुआ करती थी। मंत्र-परिषद् में केवल मंत्री ही नहीं होते

थे। कौटिल्य के अनुसार इस सभा के अधिवेशन में मंत्री या मंत्र धारणा करनेवाले अधिकारी निमंत्रित किए जाते थे। इस परिषद् में नीचे लिखे लोग होते थे — (१) मंत्रधर या अतरंग सभा के सदस्य, (२) अन्य विभाग मंत्री, (३) वे मंत्री जिनके हाथ में कोई वभाग नहीं होता था और (४) कुछ अन्यान्य लोग। साधारणतः इन लोगों की सख्त्या अधिक हुआ करती थी, जैसा कि महाभारत की ३२ या दूसरे आचार्यों की २० या १६ वाली सख्त्या अथवा कौटिल्य के उस उदाहरण से सूचित होता है जो उसने इद्र की बहुसंख्यक सदस्योवाली सभा का दिया है। इस प्रकार इनकी सख्त्या गण के सदस्यों की सख्त्या से बढ़ी हुई होती थी।

ई ३०७. इस सबंध में हमें निश्चित रूप से बुँद्ध भी शात नहीं है कि उक्त चार वर्गों में से चौथे वर्ग में कौन लोग होते थे। जिस समय मंत्रियों ने

अशोक का किया हुआ दान देना अस्वीकृत कर दिया था, उस समय अशोक ने जिस परिषद् का आवाहन किया था, उसमें पौर (देखो अङ्गाईसवों पौर-जानपद और मन्त्रि-परिषद् प्रकरण) और अमात्य लोग थे। दूसरे प्रभाणो से यह सूचित होता है कि परिषद् में पौर और जानपद के नेताओं के लिये कुछ स्थान रक्षित रहते थे। महाभारत (शाति० अ० द३) और शुक्लीति (२. ३)* से यह बात सूचित होती है। शुक्लीति (२. ३) के अनुसार राजा जिनकी सम्मति-मानने के लिये बाध्य है, वे इस प्रकार हैं—(अ) सम्य, (आ) अधिकारी और (इ) प्रकृति या वे लोग जो परिषद् में सभासद् के रूप में उपस्थित हो। गोविदराज द्वारा उद्धृत आचार्य के मत से (६३०६) सम्य वही कहलाता था जो परिषद् का प्रधान होता था अथवा जो कौटिल्य की मन्त्र-परिषद् का प्रधान होता था। अधिकारी लोग अधिकरणों या विभागों के प्रधान कर्मचारी हुआ करते थे अर्थात् वे मन्त्री होते थे। अतिम (प्रकृति) लोग अवश्य ही प्रजावर्ग के होंगे (देखो पृ० १२६) अर्थात् वे प्रजा के

* सम्याधिकारि-प्रकृति-सभासत्सु मते स्थितः ।

-सर्वदा स्यान्तृपः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥

—शुक्लीतिसार ।

प्रतिनिधि और पौर या जानपद के प्रधान होगे (§ २६५)। रामायण [अयो० का० अ० द१ (१२) और द२ (१,४)] में कहा गया है कि प्रजा के प्रतिनिधियों और मन्त्रियों ने मिलकर एक आत्याधिक (“असाधारण या विशेष” मिलाओ अर्थशास्त्र पृ० २६) कार्य का विचार करने के लिये “प्रग्रहा” नामक शासक सभा की थी ।

महाभारत* में जहाँ सभा का विवरण दिया गया है (१२. द३, श्लोक १-२), वहाँ नीचे लिखे तीन वर्ग गिनाए गए हैं ।

(१) सहाय, जिनसे उसका अभिप्राय है, अमात्य सहाय अथवा वे श्रेष्ठ मंत्री जिनके हाथ में शासन के कुछ विशिष्ट विभाग होते थे (श्लोक ३-४) ।

(२) परिच्छुद अमात्य, जिनके लिये यह आवश्यक था कि बहुत अधिक विद्वान्, कुलीन, उसी देश के निवासी, गमीर, बुद्धिमान् और राजनिष्ठ हो । उनका नाम “परिच्छुद” यह सूचित करता है कि वे संभवतः बहुत मान्य और श्रेष्ठ होते थे और राजा के यहाँ

* सभासदः सहायाश्च सुहृदश्च विशापते ।

परिच्छुदास्तथाऽमात्याः कीदृशाः स्युः पितामह ॥

—महाभारत ।

ही पालित-पोषित हुआ करते थे। उनमें से एक दौवारिक भी था जो राजप्रासाद का सर्वप्रधान अधिकारी होता था और जिसका पद बहुत श्रेष्ठ होता था (देखो ५ ३०६)। उन सबके अलग अलग अधिकरण या विभाग हुए करते थे (देखो ५ ३०६)। उन्हींमें से राजा अपने वे मंत्री चुना करता था (श्लोक ७-८) जिनका शुक्रनीति के ऊपर उद्धृत किए हुए श्लोक से पहलेवाले श्लोक (२. २) में उल्लेख है। महाभारत के इस अध्याय के शेषांश में मन्त्रियों के विषय का ही वर्णन है; और फिर कुछ ही अंतर पर अध्याय ८५ में दोबारा उनका उल्लेख है, जहाँ ३२ मन्त्रियों की सूची दी गई है। उनमें से आठ मन्त्रियों को राजा गण के लिये मंत्री चुना करता था। यह निर्देश किया गया है कि वे जो नीति निर्धारित करें, वह राष्ट्र और राष्ट्र के प्रधान अर्थात् जानपद के समक्ष सम्मति के लिये उपस्थित की जानी चाहिए।

(३) राष्ट्र। यह तीसरा नया तत्व शुक्रनीति की प्रकृति के ही तुल्य है*।

* अध्याय ८३ के पहले श्लोक में जिस “सुहृद्” वर्ग के समासदो का उल्लेख है और जिसके साथ सहाय

इस प्रकार महाभारत का राष्ट्र और शुक्रनीति मे की प्रकृति दोनो वही हैं जिन्हें अशोक की बुलाई हुई परिषद् में पौर और रामायण (अयो० का० द२. ४. १७.) में प्रकृति-समाजद कहा है ।

इस प्रकार यह सूचित होता है कि परिषद् के केवल वैदिक नाम मे ही सावर्जनिकता के चिह्न नहीं थे, बल्कि वह वास्तव में सावर्जनिक तत्त्व से युक्त होती थी । यद्यपि आगे चलकर उसका सबंध मंत्र या मन्त्री के साथ स्थापित

तथा परिच्छाद वर्ग भी उल्लिखित है, सभवत उस सुदृढ़ वर्ग से यह राष्ट्र वर्ग मिलता हुआ है अथवा उसी के स्थान पर है । यह स्पष्ट नहीं होता कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों को सुदृढ़ क्यों कहा गया है । राजनीतिक लेखको ने ऐसे दो विभाग बनाए हैं जिनमें से एक मे वे राजाओं के स्वाभाविक मित्रों को और दूसरे में स्वाभाविक शत्रुओं को स्थान देते हैं । राष्ट्र के प्रतिनिधि कदाचित् इसी लिये राजा के मित्र या सुदृढ़ कहे गए हैं कि वे लोग राजवश के अन्यान्य लोगो की भाँति अपने लिये कोई उच्च आकाश या कामना नहीं रखते थे, बल्कि वे स्वभावतः राजा के पक्ष का समर्थन करने मे ही अपना हित समझते थे ।

हो गया था, तो भी उसमें वैदिक काल से परपरा द्वारा आई हुई सार्वजनिक सभा का कुछ न कुछ भाव अवश्य सम्मिलित था ।

₹ ३०८. इस मंत्रि-परिषद् को मंत्रियों की परिषद् या भंत्रि-मंडल न मानकर राष्ट्र-परिषद् मानना अधिक उत्तम जान पड़ता है । इस सबध में हमें मंत्रि-परिषद् शब्द पर ध्यान देना चाहिए जिसका कौटिल्य ने 'द्र की मंत्रि-परिषद् के लिये प्रयोग किया है और जिसका अर्थ होता है—राष्ट्र के कार्यों का विवेचन करनेवाली परिषद् । बहुत बड़ी अर्थात् हजार सदस्योवाली परिषद् का उल्लेख कौटिल्य में भी है और रामायण में भी (२. १०० जहाँ उसकी कुछ निंदा सी भी की गई है) । संभवतः यह वैदिक परिषद् का अवशिष्टाश थी ।

₹ ३०९. एक और प्राचीन वर्ग था जिसे “अष्टादश तीर्थ” कहते थे । रामायण (२. १०० ३६) में उसका तीर्थ उल्लेख है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन है और “तीर्थ” का अर्थ “महा अमात्य” बतलाया गया है (पृ० २१-२२) । वे उच्च और निम्न दोनों वर्गों के प्रधान अधिकारी हुआ करते थे । उनमें से दो राजप्रापाद के भी अधिकारी होते थे । यह वर्ग बहुत पुराना था और दिन पर दिन -इसका

अस्तित्व मिटता जाता था। महाभारत में जहाँ राजनीति का विवेचन है, वहाँ कदाचित् इसका उल्लेख नहीं है।

सोमदेव सूरि* ने एक उद्धरण दिया है जिसमें तीर्थों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वह धर्मशास्त्र तथा शासन-कार्य करनेवाले अधिकारियों की एक स्थाया या वर्ग था। यह निश्चित जान पड़ता है कि तीर्थ का अर्थ किसी विभाग का प्रधान अधिकारी था; क्योंकि अर्थशास्त्र में जितने तीर्थों का वर्णन है, उन सबके अधिकार में कोई न कोई विभाग अवश्य था। तीर्थ का शब्दार्थ है—वह स्थान जहाँ से होकर जाना पड़े; अर्थात् मार्ग। मंत्रियों और विभागों के प्रधान अधिकारियों का यह नाम कदाचित् इसलिये पड़ा था कि उन्हीं के द्वारा होकर भिन्न भिन्न विभागों में आज्ञाएँ पहुँचा करती थी। इस तीर्थ वर्ग से विशिष्ट कार्याधिकारियों के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। वे इस प्रकार थे—

* नीतिवाक्यामृत अ० २. धर्मसमवायिनः कार्यसमवायिनश्च पुरुषाः तीर्थम्।

† अर्थशास्त्र १. १२. ८. (पृ० २०-२१) साथ ही मिलाओ उक्त ग्रंथ ५. २. ६१. (पृ० २४५)

- (१) मन्त्री ।
- (२) पुरोहित ।
- (३) सेनापति या सेना विभाग का मन्त्री । (आगे देखो न० ११ में “नायक” ।)
- (४) युवराज ।
- (५) दौवारिक या राज-प्रासाद का प्रधान अधिकारी ।
- (६) अतरवाशक या राजवंश के गृह-कार्यों का प्रधान अधिकारी ।
- (७) प्रशास्त्र या प्रशास्ता । जान पड़ता है कि यह प्रधान प्रशास्ता हुआ करता था, क्योंकि इस नाम के कई अधिकारी भी होते थे । गोविन्दराज ने जो गिनती गिनाई है, उसके अनुसार यह मन्त्री कारागारों का प्रधान अधिकारी था ।
- (८) समाहर्ता या माल विभाग का मंत्री ।
- (९) सन्निधाता या राजकोष का मंत्री ।
- (१०) प्रदेषा, जिसके कार्य स्थष्ट रूप से ज्ञात नहीं हैं ।
- (११) नायक या सैनिकों का प्रधान अधिकारी ।
- (१२) पौर या राजधानी का प्रधान शासक ।
- (१३) व्यावहारिक (शब्दार्थ—न्यायकर्ता ; अथवा गोविंद-राज के अनुसार सर्वप्रधान न्यायाधीश) ।
- (१४) कार्मन्तिक या खानों और कारखानों आदि का प्रधान अधिकारी ।

(१५) मंत्रि-परिषद् का अध्यक्ष या परिषद् का प्रधान।
गोविंदराज के अनुसार सभ्य।

(१६) दंडपाल या सेना के निर्वाह आदि का काम करने वाला प्रधान अधिकारी।

(१७) दुर्गपाल या शत्रुघ्नी से देश की रक्षा करनेवाला अधिकारी। और

(१८) अतपाल या राष्ट्रपाल अर्थात् सीमा प्रांतों का प्रधान अधिकारी।

(अर्थशास्त्र पृ० २४५.)

इस सूची से यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सेना-पति युद्ध-क्षेत्र में सेना का संचालन करनेवाला प्रधान अधिकारी नहीं था, बल्कि वह सेना-विभाग का मन्त्री था। सेनाओं का संचालन करनेवाला नेत्रा नायक था। प्रधान न्यायाधीश को आगे चलकर प्राढविवाक कहने लगे थे; पर यहाँ उसे व्यावहारिक कहा गया है। मंत्रि-परिषद् के जिस अध्यक्ष का इसमें उल्लेख है, वह शुक्रनीति में का प्रधान है। उसे नागरिक विभाग में से वेतन मिलता था (अर्थशास्त्र, पृ० २४५)। गोविंदराज ने अठारह तीर्थों की व्याख्या करते हुए (रामायण २. १००. ३६) नीतिशास्त्र संबंधी बिना नामवाले एक ग्रंथ का उद्धरण दिया है और परवर्ती काल में व्यवहृत होनेवाले नाम भी दिए हैं,

जिनमें से कुछ इन नामों से भिन्न हैं। अर्थशास्त्र में तो प्रशास्ता के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता; पर गोविदराज ने उसके स्थान पर कारागार-अधिकृत् नाम दिया है, जिससे उसका कार्य स्पष्ट हो जाता है। इसे जेलखानों का इंसपेक्टर-जनरल कह सकते हैं (इसका शब्दार्थ होता है—दंडित अपराधियों का सुधार करनेवाला*)। अर्थशास्त्र में दिए हुए आठवें और नवें तीर्थों के स्थान पर गोविदराज ने अर्थ-सचय-कर्त्ता का नाम दिया है। प्रदेश को (अर्थशास्त्र पृ० २४५) अमात्यों में स्थान नहीं दिया गया है, पर गोविदराज ने उसे कार्य-नियोजक कहा है और बतलाया है कि वह राजाज्ञाओं का प्रचार करनेवाला था (राजाज्ञायाः बहिः प्रचारकर्त्ता)। व्यावहारिक के स्थान पर गोविंदराज ने बाद का प्रचलित शब्द प्राङ्गविवाक दिया है। (पाली धर्म-ग्रंथों में केवल वैदिक शब्द ही मिलता है।) अर्थशास्त्र में जो नायक सेना का प्रधान संचालक बतलाया गया है, उसके बदले में गोविदराज में सेनानायक और पौर के स्थान में नगराध्यक्ष मिलता है। मत्रि-परिषद् का अध्यक्ष वही है जो 'सभ्य' है (जिसे गोविंदराज ने भूल

* श्रीयुक्त शाम शास्त्री ने जो व्याख्याएँ दी हैं, उनमें से अधिकाश ठीक नहीं हैं। देखो उनका अनुवाद पृ० २३

से सभा-भवन से सबद्ध कर दिया है)। गोविदराज ने एक और नए अधिकारी धर्मावक्ता का भी उल्लेख किया है जो हमारी समझ में शुक्रनीति का पहिला अमात्य ही है। अर्थशास्त्र की जो सूची ऊपर दी गई है, उसकी आठवीं संख्या के उपरात गोविदराज की सूची में थेंडा सा परिवर्तन देखने में आता है।

॥३१०. पाली त्रिपिटक, रामायण और शुक्रनीति के अनुसार मत्री लोग तीन विभागों या वर्गों में विभक्त होते थे। रामायण में वे मुख्य, मध्यम मत्रियों के तीन वर्ग और जघन्य इन तीन विभागों या वर्गों में विभक्त कहे गए हैं। शुक्रनीति में भी उनका यही विभाग है*।

॥३११. अर्थशास्त्र में राज्याधिकारियों की जो सूची दी गई है, उसमें भी अठारह तीर्थ तीन भागों में विभक्त राज्याधिकारियों किए गए हैं। उस सूची में राजा की सूची और राजा से लेकर राजकीय इतिहास-लेखक का वेतन और मत्रियों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों आदि तक के वेतन दिए गए हैं। आपस्तव

* अयोध्या काढ, १००. २५-२६—मुख्य, मध्यम, जघन्य। शुक्रनीतिसार २. १०८-११०।

के अनुसार राजा का वेतन अमात्यों और धार्मिक उपदेश देनेवाले गुरुओं के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए*। अर्थशास्त्र में दी हुई सूची देखने से यह विधान और भी स्पष्ट हो जाता है। कौटिल्य कहता है कि राजा के समान योग्यता रखनेवाले (समान-विद्य) अधिकारियों को जो वेतन मिलता हो, उसकी अपेक्षा राजा को तिगुना वेतन मिलना चाहिए†। प्रधान मंत्री और सेनापति को हम राजा का समान-विद्य समझ सकते हैं। सूची में प्रथम श्रेणी के जो धार्मिक अधिकारी रखे गए हैं, वे असूत्रिकृ और आचाय हैं। ये दोनों और पुरोहित ही आपस्तब के गुरु हैं। इन तीनों को मिलाकर जितना वेतन मिलता हो, आपस्तब के अनुसार राजा का वेतन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात् हम कह सकते हैं कि दोनों के विधान एक-से ही हैं। गुरुओं

* आपस्तब धर्मसूत्र २. ६. २५. १०. गुरुनमात्याश्च नातिजीवेत्।

† अर्थशास्त्र ५. ३ ६१ (पृ० २४६)।

समानविद्यम्यन्विगुणवेतनो राजा।

और अमात्यों को प्रति वर्ष ४८००० (रौप्य) पण वेतन मिलता था*। राजमाता तथा अभिपिक्त महारानी के लिये भी इतना ही वेतन निर्धारित था ।

मन्त्रियों की दूसरी श्रेणी वह है जिसमें हमारी सूची के ५ से ६ तक के अधिकारी आते हैं। इन लोगों को २४००० रौप्य पण वार्षिक वेतन मिलता था। तीसरी श्रेणी के मन्त्रियों को १२००० वार्षिक मिलता था। इस श्रेणी में वे लोग आते थे, जो हमारी उच्च सूची में १^१ से १८ तक दिए गए हैं। इसी श्रेणी में कुमार और उनकी माताएँ भी रखी गई हैं ।

— — —

‘

* श्रीयुक्त शाम शास्त्री ने अर्थशास्त्र का जो अनुवाद किया है, उसमें राजा के वेतन का उल्लेख विलकुल छोड़ ही दिया है ।

इकतीसवाँ प्रकरण

मंत्रि-परिषद् (, क्रमागत)

शासन

₹ ३११क. मंत्रियों का पूरा पूरा कर्तव्य इस प्रकार बतलाया गया है—“यदि ‘राज्य, प्रजा, बल, कोश, सुशासन मंत्रियों का कर्तव्य या सुराजत्व (सुनृपत्व) का वर्द्धन न हो और मंत्रियों की नीति या मंत्रणा से शान्त्र का नाश न हो, तो ऐसे मंत्रियों के रहने से ही क्या लाभ” ! (अर्थात् ऐसे मंत्रियों का रहना ठीक नहीं है*) सुराजत्व या सुनृपत्व के संबंध में हमारे यहाँ जो सिद्धांत निश्चित था, वह उसी ग्रंथ के आधार पर यहाँ दिया जाता

* शुक्लनीतिसार २. ८३ ।

राज्यं प्रजा बलं कोशः सुनृपत्वं न वद्धितम् ।
यन्मत्रतोऽरिनाशस्तैर्मन्त्रिभिः कि प्रयोजनम् ॥

है। इस संबंध के श्लोक उक्त श्लोक से ठीक पहले दिए गए हैं। उनमें कहा है—“राजा पर किसी प्रकार का बंधन या नियंत्रण नहीं होता, इसी नियंत्रण के लिये मंत्रियों की आवश्यकता होती है।” इसके आगे के श्लोक में नीति में कहा है—“यदि मंत्री लोग राजा को नियंत्रण में न रख सके, तो क्या ऐसे मंत्रियों से राज्य का सर्वद्वन्द्व कभी सम्भव है? ऐसी अवस्था में वे वास्तविक मंत्री न रह जायेंगे और उनकी अवस्था उन्हीं अलकारों और भूषणों के समान हो जायगी जो खियों के शरीर पर रहते हैं॥” इसलिये सुराजत्व या सुनृपत्व का अर्थ है—“नियन्त्रित एकराजत्व”।

मंत्री को राज-राष्ट्रभूतां कहा गया है, अर्थात् वह राजा और राष्ट्र देनों का भार और उत्तरदायित्व वहन करनेवाला है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, राजा सदा मंत्रि-परिषद् के निर्देश के अनुसार चलने के लिये बाध्य

* शुक्रनीतिसार २. ८१, ८२।

रोधन न भवेत्तस्माद्ब्रह्मस्ते स्युः सुमन्त्रिणः ॥
न विभेति नृपो येभ्यस्तैः स्यात्कि राज्यवर्द्धनम् ।
यथालङ्कारवस्त्रादैः , खियो भूष्यास्तथा हि ते ॥

† उक्त ग्रन्थ २. ७४।

रहता था; और नहीं तो राष्ट्र-संघटन सवधी नियमों के अनुसार वह वास्तविक राजा नहीं रह जाता था*। जैसा कि महाभारत में कहा गया है, वह सदा दूसरों (मंत्रियों) के शासन और नियंत्रण में रहता था†।

ई ३१२. इम अर्थशास्त्र के आधार पर ऊपर यह बतला चुके हैं कि असाधारण और विशेष कार्यों पर मंत्रि परिषद्

मंत्रि परिषद् का कार्यक्रम की पूरी वैठक में विचार होता था। इससे यह खबर निकलती है, कि साधारण कार्य अलग अलग मंत्री स्वयं ही किया करते थे। इसके लिये सब वार्तों का लेखा लिखकर रखने की आवश्यकता होती होगी। इस वात का प्रमाण मिलता है कि वास्तव में सब वार्ते लिखकर रखी जाती थीं। अशोक अपने शिलालेखों में मौखिक आशाओं का भी उल्लेख करता है‡, जिससे यह खबर निकलती

* नीतिवाक्यामृत १० में उद्धरण। न खल्वसौ राजा यो मंत्रिणोऽतिक्रम्य वर्तते।

† शान्ति० (कुंभ०) ३२५. १३६-४०—परतन्त्रः सदा राजा..... सन्धि-विग्रहयोगे च कुतो राज्ञः स्वतन्त्रता... मन्त्रे चामात्यसहिते कुतस्तस्य स्वतन्त्रता ॥

‡ प्रधान शिलाभिलेख ६. य पि चाकिछि मुखते आ-नपयामि हकं दापक वा सावकं वा, इत्यादि। (कालसी)

है कि साधारणतः आज्ञाएँ लिखित हुश्रा करती थीं। अर्थशास्त्र भी कहता है कि जो मन्त्री राजा के समक्ष उपस्थित नहीं होते, वे राजा की जानकारी के लिये सब बातें लिख रखते हैं*। अभी तक हमें कोई ऐसा लेख नहीं मिला, जो किसी मन्त्री के कार्यालय से निकला हो। परंतु फिर भी इस संबंध में शुक्रनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण और विस्तृत विवरण मिलता है। यह स्पष्ट है कि वह विस्तृत विवरण ईसवी आरंभिक शताब्दियों के समय का है; क्योंकि उसमें दूत का उल्लेख है; और आगे चलकर गुप्त काल में वह “दूत” नाम उठ गया था और इसके स्थान पर साधि-विग्रहिक शब्द का व्यवहार होने लगा था। राष्ट्र सघटन के विचार से यह बात बहुत ही महत्व की है। किसी विषय के मंत्रियों के यहाँ से होकर राजा के पास पहुँचने और तब मंत्रिपरिषद् में निश्चय का रूप प्राप्त करने में जिस क्रम का व्यवहार होता था, वह इस प्रकार है—

बिना किसी लेख्य के राज्य का कोई काम नहीं होता था। सबसे पहले मन्त्री (प्राढ़विवाक), पठित और दूत

* अर्थशास्त्र १. १५. ११. (पृ० २६)।
अनासन्नैस्सह पत्रसप्रेषणेन मन्त्रयेत्।

नामक मंत्री उस पर एक निश्चित प्रकार से लिख देते थे कि इस लेख्य के सबंध में हमारे विभाग को कोई आपत्ति नहीं है (स्वाविरुद्ध लेख्यमिद) । इसके उपरात अमात्य उस पर लिखता था—यह लेख्य बिलकुल ठीक है (साधु) । फिर उस पर अर्थमंत्री लिखता था—इस पर सम्यक् रूप से विचार हो चुका है ; और तब सब के अत में प्रधान अपने हाथ से लिखता था—यह वस्तुतः यथार्थ है । इसके उपरात प्रतिनिधि लिखता था—यह अगीकृत करने के योग्य है , और तब युवराज लिखता था—इसे अगीकृत करना कर्तव्य है । पुरोहित लिखता था—यह मेरे लिये अभिमत है ; अर्थात् मैं इससे सहमत हूँ । प्रत्येक मंत्री अपने हाथ से लिखता था और उसके अंत में अपनी मुद्रा अकित करता था । और तब सबके अत में राजा उस पर “अंगीकृत” लिखकर अपनी मुद्रा अकित कर देता था । समस्त लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना राजा के लिये सभव नहीं था ; अतः युवराज या और कोई मंत्री उस पर राजा की ओर से लिख देता था और राजा को दिखला देता था । इस आरभिक कृत्य के उपरात सब मंत्री ‘गण’ के रूप में उस लेख्य पर हस्ताक्षर करते थे और उस पर गण या परिषद् की मुद्रा अंकित की जाती थी । इन सब कृत्यों के उपरात फिर वह लेख्य ‘बिना विलंब’ राजा के समुख उपस्थित किया जाता था और राजा उसे आलोचनात्मक दृष्टि से

देखने में सक्षम नहीं होता था ; इसलिये वह उस पर लिख देता था —मैंने इसे देख लिया (दृष्टिमिति*) ।

* शुक्रनीतिसार २. ३६२-३६६ ।

लेखानुपर्वं कुर्याद्दि दृष्टा लेख्य विचार्य च ॥
मन्त्री च प्राढविवाकश्च परिडतो दूतसज्जकः ।
स्वाविकद्धं लेख्यमिदं लिखेयुः प्रथमं त्वमे । ३६३ ॥
अमात्यः साधु लिखनमस्येतत्प्राग्लिखेदयम् ।
सम्यग्विच्चारितमिति सुमन्त्रो विलिखेत्ततः ॥३६४॥
सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत् स्वयम् ।
अङ्गीकर्त्तुं योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिखेत् ॥३६५॥
अङ्गीकर्त्तव्यमिति च युवराजो लिखेत् स्वयम् ।
लेख्यं स्वाभिमत चैतद्विलिखेच्च पुरोहितः ॥३६६॥
स्वस्वमुद्राचिह्नित च लेख्यान्ते कुर्युरेव हि ।
अङ्गीकृतमिति लिखेन्मुद्रयेच्च ततो नृपः ॥३६७॥
कार्यान्तरस्याकुलत्वात्सम्यग्द्रष्टुं न शक्यते ।
युवराजादिभिर्लेख्यं तदनेन च दर्शितम् ॥३६८॥
समुद्रं विलिखेयुं सर्वे मन्त्रिगणास्ततः ।
राजा दृष्टिमिति लिखेद् द्राक् सम्यग्दर्सनाक्षमः ॥३६९॥
स्वीकृति लिखने की समस्त निश्चित प्रणालियाँ सस्कृत में हैं । इससे यह घनि निकलती है कि यह कार्यक्रम उस

॥ ३१३. यहाँ राजा की जिस 'अक्षमता' का उल्लेख है, वह अक्षमता शारीरिक नहीं है, बल्कि वह अधिकार और परिषद् के प्रस्तावों शक्ति सबंधी अक्षमता है। हम को आलोचना के ऊपर बतला चुके हैं कि जो बात परिषद् सबंध में राजा की में बहुमत से निश्चित हो जाती थी, उसे 'अक्षमता' अस्वीकृत करना या उसके विरुद्ध आशा देना राजा की शक्ति के बाहर हाता था (अर्थशास्त्र) । जिन साधारण कामों के लिये राजा को समस्त परिषद् का आवाहन नहीं करना पड़ता था और जो केवल किसी एक मन्त्री के द्वारा सपन्न होते थे, उन पर जब समस्त मन्त्रियों का 'गण' विचार करके उसे निश्चय के रूप में स्वीकृत और मुद्राकृत कर देता था, तब, जैसा कि शुक्रनीति में कहा है, राजा

समय का था, जिस समय संस्कृत का फिर से व्यवहार होने लगा था और जिसका समय शुंग राज्यकालि का इतिहास देखते हुए ईसा पूर्व १२० से लेकर ईसवी सन् १०० तक ठहरता है। (J. B. O. R. S. ४ पृ० २५७-६५) ।

दिव्यावदान (पृ० ४०४ और ४२९) में भी "अमात्य-गण" पद आया है जिससे सूचित होता है कि वह भी मन्त्रियों की सभा या परिषद् के संबंध में 'गण' शब्द मान्य करता है ।

वास्तव में उस पर टीका-टिप्पणी करने में अक्षम हो जाता था। जब मंत्री व्यक्तिगत रूप से पहले राजा के समुद्र लेख्य उपस्थित करते थे, तब मानो राजा को पहले इस बात का अवकाश दिया जाता था कि वह यह चाहे, तो उस सबंध में मंत्रियों से कोई बात पूछ सके, उस पर बाढ़-विवाद कर सके और उचित समझे तो उस सब घ में अपनी सम्मति या सूचना भी दे सके।

६३१४. अब वह लेख्य राष्ट्र के निश्चय और राजाजा का रूप प्राप्त कर लेता था और राष्ट्र-संघटन सब धी

राजाजा से शुक्त निश्चय राजा का रूप होता था। इस सबंध में शुक्लनीति में कहा है*—

“जिस लेख्य पर राजा के हस्ताक्षर और मुद्रा अंकित हो, वही लेख्य राजा है; स्वयं राजा कुछ नहीं है।” राज्य के अधिकारी या कर्मचारी लोग राजा की किसी ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करते थे जो लिखित नहीं होती थी। जिस आज्ञा पर गजा के हस्ताक्षर और मुद्रा अंकित होती थी, वह आज्ञा वास्तव में मन्त्र-परिषद् की

* शुक्लनीतिसार २. २६२।

नृपसचिवित लेखः नृपस्तन्न नृपो नृपः।

होती थी और वही आशा वास्तव में “राजा” होती थी । इसलिये उसे छोड़कर जो कोई अस्थि-मांस के राजा की आशा का पालन करता था, वह राष्ट्र-संघटन सबंधी नियमों की दृष्टि में बाहरी आदमी की आशा का पालन करता था , अथवा शुक्रनीति के शब्दों में* वह चोर था और बाहरी आदमी या चोर की आशा का पालन करता था ।

“जो राजा अथवा उसका कोई भूत्य बिना किसी लेख्य के मौखिक आशा देता है, अथवा राज्य का और मौखिक आशा कोई काम करता है, वे दोनों (राजा और भूत्य) सदा चोर हैं ।”

ई ३१५. निश्चित क्रम के अनुसार लिखित आशा या लेख्य ही वास्तव में मन्त्र-परिषद् की आशा होता था ; इसलिये जो राजा अपनी व्यक्तिगत आशाओं का पालन करना चाहता था, वह मौखिक आशाएँ देता और प्रार्थनाएँ करता था, और जब कोई मौखिक आशा दी जाती थी। तब ऊपर दिए हुए नियम से निकलनेवाली घनि के अनुसार राजा का जो भूत्य उस आशा का पालन करता था, वह मानो धर्मतः एक चोर की आशा का पालन करता था ;

* शुक्रनीतिसार, २. २६१ ।

अलेख्यमाज्ञापयति ह्यलेख्यं यत्करोति यः ।
राजकृत्यमुभौ चोरौ तौ भूत्यनृपती सदा ॥

और इसलिये अस्थि-मास के राजा के लिये उसके परिणाम-स्वरूप कुछ कठिनता भी उपस्थित होती थी। इमें अशोक के शिलाभिलेखों का इस बात के लिये उपकृत होना चाहिए कि उनमें इस प्रथा का अविनश्वर प्रमाण मिलता है कि इस प्रकार की आज्ञाओं का प्रचार करने से राजा को किस कठिनता का सामना करना पड़ता था। अपने प्रशापनों, उपदेशों (सावकं) और दानों (दापकं) के सबध में अशोक ने मौखिक आज्ञाएँ दी थीं। परिणाम यह हुआ कि “परिसा” या परिषद् ने उन आज्ञाओं पर विचार किया और तब उन्हें रोक दिया। इसी लिये कुछ राजा आज्ञा देता है कि जब कभी मेरी मौखिक आज्ञाएँ अस्वीकृत की जायें, तब तुरंत मुझे उस अस्वीकृति की सूचना दी जाया करें*।

§ ३१६. शुक्रनीति में राजा और मन्त्रियों के अधिकार तथा कर्तव्य आदि के संबंध में जो बाते बतलाई गईं

हैं, उन सबका साराश यह है कि मन्त्रियों के अधिकार के संबंध में मेरा- स्वयं राजा के हाथ में कोई शक्ति नहीं थी। शासन सब धी समस्त कार्य परिषद् के हाथ में थे†।

* इंडियन एटीक्वेरी, १८८३, पृ० २८२।

† § ३११ में महाभारत का जो उद्धरण दिया गया है, उससे इसका समर्थन होता है।

मेरास्थिनीज ने भारत का जो विवरण लिखा था, वह अब छोटे छोटे टुकड़े में ही प्राप्त है। वे टुकडे हमें जिस रूप में मिलते हैं, उससे सूचित होता है कि वास्तव में शासन सबंधी समस्त कार्य मंत्रि-परिषद् के हाथ में रहता था, उस परिषद् का बहुत अधिक आदर होता था और उसकी श्रेष्ठता तथा बुद्धिमत्ता परपरा से प्रसिद्ध थी। वह सार्वजनिक विषयों का विचार और निर्णय करती थी, प्रातो के शासक (प्रधान उपशासक), जल तथा स्थल-सेना के नायक और सेनापति तथा कृषि-विभाग के प्रधान अधिकारी चुनती और नियुक्त करती थी।

(अ) “सातवों वर्ग मन्त्रियों और असेसरों का है जो सार्वजनिक विषयों पर विचार और निर्णय करते हैं। सख्या की दृष्टि से यह जाति या वर्ग देखने में बहुत छोटा जान पड़ता है, पर अपने सदस्यों के आचरण की श्रेष्ठता तथा बुद्धिमत्ता के कारण सबसे अधिक प्रतिष्ठित और मान्य है* ।”

(आ) “इस सातवें वर्ग में राजा के मंत्री और असेसर लोग हैं। राज्य के ऊँचे से ऊँचे पद, न्यायालय-

* डायोडोरस कृत Epitome of Megasthenes २ ४१, मैकूकिडल कृत Megasthenes, पृ० ४३।

और सार्वजनिक विषयों की साधारणा व्यवस्था सब उन्हीं के हाथ में है * ।”

(इ) “सख्या के विचार से यह वर्ग छोटा है, पर अपनी विशिष्ट बुद्धिमत्ता तथा न्याय के कारण इसने श्रेष्ठता प्राप्त कर रखी है, और इसी लिये इसे प्रातो के प्रधान शासक, उप-शासक, कोषाध्यक्ष, सेनापति, नौसेनापति तथा कृपि विभाग के निरीक्षक और प्रधान आदि निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त है† ।”

६ ३१७. मन्त्रियों आदि के अधिकार के सबंध में जो वर्णन ऊपर दिया गया है, उसका समर्थन हमारे यहाँ
में लेखा और ग्रन्थों आदि से भी होता है। हिंदू राजनीतिशास्त्र के सब धर्मों में भारद्वाज एक प्रतिष्ठित और मान्य आचार्य हैं और उनका मत महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र दोनों में उद्धृत है। उन्होंने मन्त्रियों के अधिकार के सब धर्मों में जो कुछ लिखा है, वह इस प्रकार है—

* स्ट्रैबो १५. ४८, मैक्रिडल कृत Megasthenes पृ० ८५।

† एरियन १२, मैक्रिडल कृत Megasthenes पृ० २१२।

“राजा के व्यसनो में लिस होने की अपेक्षा मंत्रियों का व्यसनो में लिस होना बहुत बुरा है। (१) राष्ट्र के कार्यों के सबंध में मंत्रणा, (२) उस मंत्रणा के फल की प्राप्ति, (३) कार्यों का अनुष्ठान, (४) आय-व्यय संबंधी सब कार्य, (५) सेना, (६) उसका संचालन, (७) शत्रुओं और जंगलियों से रक्षा, (८) राज्य की व्यवस्था, (९) दुर्योगों से प्रजा की रक्षा और (१०) कुमारों की रक्षा तथा पदों पर उनका अभिषेक सब कुछ मंत्रियों के ही हाथ में है* ।”

* स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीय इति । मन्त्रो-
मन्त्रफलावातिः कर्मानुष्ठानमायव्ययकर्मदंडाप्रणयनमित्राटवी-
प्रतिषेधो राज्यरक्षण व्यसन-प्रतीकारः कुमाररक्षणमभिषेकश्च
कुमारणामायन्तममात्येषु । कौटिल्य द. १. १२७. (पृ.
३२०) मे उद्धरण । यद्यपि कौटिल्य ने कहा है कि
मन्त्र-परिषद् और विभागों की रचना राजा ही करता है और
वही उन्हे पतित होने से रोकता है, इसलिये राजा का महत्व
अधिक है; परंतु फिर भी उसने मंत्रियों के अधिकारों में
कोई परिवर्तन नहीं किया है। श्रीयुक्त शाम शास्त्री ने
“आयत्त” का अर्थ करने में भूल की है। धर्मशास्त्रो मे-
उसका जो पारिभाषिक अर्थ है, वही यहाँ दिया गया है ।
(देखो ६३२२)

(१) भारद्वाज की नीति या मन्त्र मेगास्थिनीज के सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था से मिलता है। उसका (२), (३) और (८) मेगास्थिनीज के प्रजा के शासन की व्यवस्था से मिलता है। उसका (५), (६) और (७) मेगास्थिनीज के सेनापतियों और नौसेनापतियों के निर्वाचन से मिलता है। उसका (१०) मेगास्थिनीज के प्रातीय शासकों आदि के निर्वाचन से मिलता है और उसका (४) मेगास्थिनीज के कोष तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के निर्वाचन से मिलता है।

मेगास्थिनीज ने जिन्हें असेसर कहा है, वे या तो तीर्थ हैं और या क्षोटे मन्त्री (₹ ३०६-१०); और उसके काउसिलर या मंत्री लोग मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं।

इस प्रकार मंत्रि-परिषद् के कार्यों और अधिकारों का क्षेत्र ज्ञात हो गया। ऊपर हमने शासन सबधी जो कानून और नियम आदि बतलाए हैं, उनका इस कार्य और अधिकार-क्षेत्र से समर्थन हो जाता है।

₹ ३१८. यदि इस प्रकार का शासन-सघटन रहते हुए भी राजा स्वेच्छाचार करने लगे, तो उसका परिणाम यही

अशोक के समय में होति हो जाय।
में इसके अनुसार कार्य या तो राजा को अपना आचार-विचार बदलना पड़े और या शासन-सघटन बदल दिया जाय, और मंत्री लोग या तो कारागार में भेज

दिए जायें और या उन्हे प्राण दंड मिले । पर मंत्रियों के समर्थन के लिये पौर और जानपद उनके साथ होते थे और साथ ही धर्म-शास्त्र तथा प्रचलित प्रथा और परंपरा भी उन्हीं के पक्ष में होती थी॥ । हिंदू संस्थाओं में सहज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता; और जब शासन संबंधी नियम एक बार स्थापित हो गए और शास्त्रों द्वारा पुनीत कर दिए गए, तब उनका उल्लंघन करके आपत्ति से बचना सहज काम नहीं था । अशोक ने, धार्मिकता के विचार से ही सही, जो स्वेच्छाचार करना चाहा था, उसका लिखित उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है । पर उसका परिणाम क्या हुआ था ? क्या मन्त्र-परिषद् का अत हो गया था और शासन-संघटन संबंधी नियम रह हो गए थे ? या स्वेच्छाचारी राजा राजसिंहासन से नहीं तो राजत्व से ही वंचित कर दिया गया था ? इस संबंध में अशोक का शिलालेख और दिव्यावदान दोनों ही प्रमाण हैं जो इसके विपरीत पक्ष में साक्षी देते हैं. और इसी लिये जो पूर्ण रूप से विश्वसनीय हैं

* किसी राजा को राज्यन्वय करने और उसके स्थान पर दूसरा राजा अभिषिक्त करने के संबंध में प्रजा का अधिकार जानने के लिये देखो महा० अश्व० ४, ८-११ ।

ऊपर जिस शिलालेख का उल्लेख किया गया है, वह हिंदू भारत के शासन-संघटन संबंधी इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, इसलिये उसकी कुछ अतिम पंक्तियों को छोड़कर, जिनका हमारे विषय से कोई संबंध नहीं है, शेष शिलालेख हम यहाँ अविकल देकर साथ ही उसका आशय भी दे देना चाहते हैं। जिन लोगों ने अशोक के शिलालेखों के अनुवाद किए हैं, उनके लिये यह लेख्य एक पहेली ही रहा है और वे इसके संबंध में अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएँ करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी इस बात का ध्यान ही नहीं हुआ कि अशोक के प्रशापनों में धार्मिक विषयों के अतिरिक्त और भी कोई विषय है। यदि शब्दों के स्वामाविक भाव के साथ किसी प्रकार का बल-प्रयोग या खीच-तान न की जाय, तो उनका अर्थ बिलकुल स्पष्ट है। जिन लोगों ने इन शिलालेखों का पहले अनुवाद किया था, (और अशोक के प्रशापनों का पहले-पहल अनुवाद करने के लिये भारत को उन लोगों का कृतज्ञ होना चाहिए) उन लोगों ने इस विवादास्पद प्रशापनके के शब्द तो ले लिए थे, पर उनका भाव नहीं ग्रहण किया था अर्थात्

* स्तभाभिलेख ४. (दिल्ली-शिवालिक) । मिलाओ
दिव्यावदान. पृ० ४३० ।

उन्होने कहा कि अशोक ने राजुक नामक अधिकारियों के स्वतंत्र कर दिया था। पर जिन परिस्थितियों में वह विवादास्पद स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, उन परिस्थितियों तथा स्वयं उस स्वतंत्रता का स्वरूप वे नहीं जान सके थे। वह मूल इस प्रकार है—

देवानं पिये पियदसि लाज हेव आहा सङ्घवीसतिवस
अभिसितेन मे इथ धमलिपि लिखापिता लजूका मे
बहूसु पानसतसहसेसु जनसि आयता तेस ये अभिहाले वा
दडे वा अतपतिये मे कटे कि ति लजूका अस्वय
अभीता

कंमानि पवतयेवू जनस जानपदसा हितसुख
उपदहेवू।

अनुगहिनेवु चा सुखीयन दुखीयनम् जानिसति
धमयुतेन च

वियोवदिसति जनं जानपदं किति हिदत च पालत च
आलाधयेवू ति लजूका पि लघंति पटिचलिटवे
म पुलिसानि पि मे छुदनानि पटिचलिसति ते पि
चकानि वियोवदिसति येन म लजूका
चघंति आलाधयितवे अथा हि पज वियताये धातिये
निसिजितु

अस्वये होति वियतधाति चघति मे पज सुखं पलिहट-
वेति

हेवं ममा लज्जूका कटा जानपदस् हितसुखाये येन एते
अभीता

अस्वय सर अविमना क्रमानि पवतयेवृति एतेन मे
लज्जूकानं ।

अभीहाले व ढडे वा अतपतिये कटे इच्छितविये हि
एसा किति

वियोहान्तसमता च सिय ठङ्समता चा अव हते पि च
मे आवृति*

इसका आशय इस प्रकार है—

“देवताओं का प्रिय गजा प्रियदर्शी (अशोक का दूसरा
नाम) इस प्रकार कहता है—(प्राचीन काल मे राजाओं

* आवृति या प्रार्थना यह है—

व धनवधानं मुनिसानं तीलितदंडान पतवधान तिनि
दिवसानि मे यीते दिने नातिका व कानि निभपयिसति जीवि-
ताये तान नासंतं व निभपयितवे दानं दाहंति पालतिक
उपवासं व कछुंति इछु वि मे हेव निलुधसि पि कालसि
पालत आलाधयेवृति जनस च बढति विविधे वमचलने
सयमे दानसविभागेति । मठिया का पाठ Epigraphia
India २ २५३ ।

के प्रज्ञापनों या धोषणाओं के साथ यह लिखने की प्रथा थी—“इस प्रकार कहता है।” अर्थशास्त्र पृ० ७१)

‘मेरे राज्याभिषेक के छुब्बीसवें वर्ष में यह धर्मलिपि (मेरे द्वारा) लिखाई गई थी—

“मेरे राजुकों को/* मेरी प्रजा पर, जिसकी सख्ति बहुत अधिक है, लाखों है अधिकार है। जो राजुक अभिहार (युद्ध या दड़), आतिक शासन के विभागों के अधिकारी हैं, वे मेरे द्वारा स्वयं ही सरक्कर बनाए गए हैं (राजा के अधिकार से युक्त किए गए है, आत्म-पतिये)। ऐसा क्यों होता है ? इसलिये कि जिसमें राजुक लोग निश्चित और निर्भय होकर (बिना किसी प्रकार के भय के) सब कार्य कर सकें, अपने आपको जानपद के लिये प्रिय और सतोषकारी बना सकें और उन्हें अनुग्रह प्रदान कर सके ।

“वे सुखी और दुःखी सब आदमियों को जानेंगे । वे जन जानपद को धर्माधिकारियों द्वारा परामर्श दिलावेंगे । इस प्रकार वे राजुक लोग यह लोक और परलोक प्राप्त करेंगे ।

“और राजुक लोग मेरी आशाओं का उक्खधन (लघन्ति = लघन्ति) करेंगे, तो मेरे अधीनस्थ कर्मचारी (पुरुष

* देखें ३०४ ।

मिलाओ अर्थशास्त्र पृ० २४५) मेरे विचारो ओर आजाओ
को कार्य में लावेगे (कुदं अनानि । मिलाओ आणम्
जातक १.३६८ ।) और वे (राजुक) उन प्रातो
(चकानि०) को परामर्श देगे जो राजुको की सेवा में रहना
चाहते हैं और मेरी सेवा में नहीं । इसलिये मैं यथार्थ में
अपनी संतान (प्रजा) [यहों “पञ्च” शब्द है, जो शिलष्ट
है] वियता दाईं (यह “वियता” शब्द भी शिलष्ट है
जिसका अर्थ है—“उत्सुक”, “बाहु पसारे हुए”, “अपने

* बुहलर ने “च कानि” लिखकर उसका अर्थ बतलाया
है—“कुछ लोग” । इसका शुद्ध पाठ श्रीयुक्त प्रो०
(अब स्व०) रामावतार शर्मा ने सूचित किया है ।
(पियदर्शि-प्रशस्तयः पृ० ३३) ।

† ये न मं लजूक चघंति आलाधयितवे (मठिया) ।
पहले का पाठ येन म लजूका हत्यादि है । अतिम शब्द
लजूका माना गया है । मठिया के ताम्रलेख (Epigraphia
Indica २, पृ० २५०) में एक अनुस्वार भी
मिलता है । बिना अनुस्वार के इसका अर्थ कुछ परिवर्तित
हो जायगा और इस प्रकार होगा—“और वे प्रातो को
परामर्श देगे, वे राजुक लोग, जो मेरी सेवा में नहीं रहना
चाहते ।”

को अलग करने के प्रयत्न में”, अर्थात् मुझसे) के हाथ सौंपता हूँ । वह उत्सुक दाई स्वस्थ और शात होती है । वह मेरी प्रजा का भली भाँति रक्षण करना चाहती है । [यहों “सुखं पलिहटवे” भी शिलाण है—अच्छी तरह मेरी संतान को गोद में लेती है ।]

“इस प्रकार मेरे राजुको ने जानपद की तुष्टि और कल्याण के लिये कार्य किया है ।

‘जिसमें वे लोग स्वस्थ होकर निर्भयतापूर्वक मन में किसी प्रकार का दूषित भाव लाए हुए (अविमना) सब कार्यों का निर्वाह कर सके । मैं अपने राजुको को अभिहार और दंड की व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र करता हूँ ।’

“मेरी यह वास्तविक कामना है कि व्यवहार और दंड में समानता रहे । पद से च्युत होने पर भी (अब इते=अब रित*) मेरी प्रार्थना है कि (आदि आदि) ।”

* मिलाओ वाजसनेयी सहिता मे का यही रूप ।
भाषा-विज्ञान की निवात अवहेलना करते हुए बुहलर ने
इसका अनुवाद किया है—“यहाँ तक मेरी आशा है” ।

† प्रार्थना के अर्थ मे “आवत्ति” शब्द वैदिक और परबर्ती साहित्य में भी आया है । देखो मानियर विलियम्स का कोष १८६६, पृ० १५६, आ—३ ।

जिस नवयम के पालन का सप्ताह प्रारंभ करता है, वह यह है कि जिन क्रीड़िया का प्रागृद्ध यिला हो, उन्हें शामिक कृत्य करने का आज्ञा दो जाय। यहाँ एक महत्व-पूर्ण और व्यान दर्शन का बात यह है कि अब गजा प्रारंभ करता है, जिस प्रकार अन्यान्य लंबों में आज्ञा दर्शन है, उस प्रकार इसमें आज्ञा नहीं करता। अपने अगले शास्त्र वर्ष में, समवेत इस लंबे पर हमताज्जर करने के कुछ ही महीनों के बाद अग्राक ने गजुका के सबंध का उक्त प्रजापन निकालने के समय तक का अपने समस्त आनन का एक विद्यावलीकर प्रस्तुत किया था। इसमें यह नान छढ़ता है कि उनसे समय को उसने अपने शास्त्र-कान का एक विगत अग्रणी प्रकरण समझ लिया था, और आगे आ जा काल के बल शास्त्र का था, उसमें इस आनंद कर दिया था।

इस सबंध में दिव्यावटान में जो कुछ लिखा है, वह ऊपर बतलाया हो जा चुका है। उसके कर्ता यह वान नष्ट रूप में कहने हैं कि मन्त्रिया ने जिनमें युवराज भी समिलित था मिलकर मौय सप्ताह के अधिकार में च्युन कर दिया था।

जानपद का प्रजा और लोक में अलग उल्लेख किया गया है, जैसा कि न्तमाधिलेख ८ और ६ में है; आगे उन्हीं जानपदों के कल्याण के नियंत्रण गजुक लोग स्वतंत्र होना

चाहते थे । इससे यह सूचित होता है कि जानपद मंत्रियों के पक्ष का समर्थन करते थे । भारत के सम्प्राट् के ऐश्वर्य से व्युत हो जाने पर बौद्ध भिन्न लोग बावेला मचा सकते थे । परंतु वे लोग इसके लिये मंत्रियों के किसी प्रकार दोषी नहीं ठहरा सकते थे । सम्प्राट् ने देश के कानून के आगे सिर मुकाया था । विनयशील परंतु दृढ़ राधागुप्त* के नेतृत्व में राजनीतज्ञों ने और दिव्यावदान के अनुसार पैरा ने भी सम्प्राट् के कट्टु वचन सुन लिए थे (और यह कट्टुता सम्प्राट् के शिलालेख की भाषा से मी सूचित होती है) और उन्होंने सम्प्राट् को अपने राज-सिंहासन और पदबी आदि का भेग करने के लिये तथा अपनी मृदु मूर्खता का प्रचार करने के लिये छोड़ दिया था । परंतु राजनीति-शास्त्र के लेखकों ने मिक्कुओं और साधुओं आदि की वृत्ति धारण करने को यो ही नहीं छोड़ दिया था । एक ने कह ही डाला—“राजा का धर्म दुष्टों का निग्रह और शिष्टों का पालन करना है, सिर मुँडाना (बौद्ध भिन्न बनना) और जटा धारण करना नहीं है ।

* सभवतः यह विष्णुगुप्त (कौटिल्य) का वंशज था ।

† राजो हि दुष्टनिग्रहः शिष्टपरिपालन च धर्मो न पुनः शिरोमुडनं जटाधारणं च ।—नीतिवाक्यामृत अ० प्र ने उद्धरण ।

₹ ३१६. हिंदू मन्त्रि-परिषद् का यह सचिस सिहावलोकन समाप्त करने से पहले हम उनके संबंध में कुछ और बातें

छोटे मंत्री या भी बतला देना चाहते हैं। प्रत्येक उपमंत्री मंत्री के अधीन दो और छोटे या उपमंत्री भी रहा करते थे*।

इन तीनों में जो प्रधान होता था, वह महामात्र कहलाता था।

गुप्त-काल के शिलालेखों में भी इन पदाधिकारियों के नामों के साथ महा और कुमार आदि शब्द मिलते हैं। यथा दंडनायक, महादंडनायक और दडनायक कुमारामात्य। महादंडनायक के अधीनस्थ दो छोटे मन्त्रियों में से एक दडनायक कहलाता होगा और कुमारामात्य दडनायक सबसे छोटा होता होगा। दूसरा मंत्री महाकुमारामात्य कहलाता होगा अर्थात् वह वह उपमंत्री होता होगा। गुप्त-काल के अन्यान्य शिलालेखों में जो महाप्रधान, महासाधिविग्रहिक

* शाक्तनीतिसार २. १०६-११०।

एकस्मच्छिकारे तु पुरुषाणा त्रय सदा ।
नियुक्तीत प्राज्ञतम मुख्यमेक तु तेषु वै ॥
द्वौ दर्शकौ तु तत्काये ॥.....

और महादंडनायक आदि शब्द आए हैं*, उनके संबंध में भी यही अर्थ लगाया जा सकता है।

§ ३२०. मत्रियों की एक विभाग से दूसरे विभाग में बदली भी हुआ करती थीं। प्रति तीसरे, पौचवें, चातवें या दसवें वर्ष बदली होती थीं। क्योंकि कहा गया है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में बहुत दिनों तक अधिकार नहीं रहने देना चाहिए। योग्य मंत्री को किसी दूसरे विभाग का अधिकारी बना देना चाहिए और किसी नए योग्य आदमी को उसके स्थान पर नियुक्त करना

* देखो फ्लीट इत Corpus Inscriptionum Indicarum खंड ३. पस्तिम। मि० शुक्रनी० २. १११-१३।

† शुक्रनीतिसार २. १०७-१३।

परिवर्त्य नृपो ह्येतान्युञ्जयादन्योऽन्यकर्मणि ।

नाधिकार चिर दद्याद्यस्मैकस्मै सदा नृप ॥

x x x

अतः कार्यक्रम हृष्टा कार्येऽन्ये तं नियोजयेत् ।

तत्कार्ये कुशलं चान्यं तत्पदानुगतं खलु ॥

‡ उक्त अंय १०*** · · · हायनैत्वन्निवर्त्तयेत् ।

त्रिभिर्वा पञ्चभिर्वापि सप्तभिदेशमिश्च वा ।

चाहिए। घौली और जौगङ्क के पृथक् प्रश्नापनोंवाले अशोक के शिलालेखों में त्रैवार्षिक और पञ्चवार्षिक बदलियों को धर्म या कानून कहा गया है। सम्राट् अशोक के शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रति तीसरे या पाँचवें वर्ष महामात्रों का समस्त वर्ग हट जाता था, बहिक यो कहना चाहिए कि हटा दिया जाता था। इस क्रिया के लिये पारिभाषिक शब्द ‘अनुसंयान’ या जिसका अर्थ होता है—निश्चित प्रयाण। ऊपर शुक्रनीति के उद्धरण में आए हुए अनुगत शब्द और रामायण में आए हुए अनुसयान्तु शब्द से इसका मिलान करना चाहिए। रामायण में यह शब्द उन रक्षकों के प्रस्थान के संबंध में आया है जो भरत के जाने के मार्ग पर आगे आगे चलने को थे।

२. ७६. १३. कोनो A. S. I. १६१३-१४,
पृ० ११३।

वने वस्त्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति । १२

क्रियता शिल्पभिः पन्थाः समानि विषमाणि च ।

रक्षणश्चानुसयान्तु पथि दुर्गविचारकाः ॥

(शिल्पयों के बाद) रक्षकों को जाने दो जो मार्ग के विषम स्थान जानते हैं ।

६ ३२१. राज्याभिषेक आदि अन्यान्य कार्यों की भाँति शासन-कार्यों में हिंदू समाज के चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व परिषद् में वर्णों होता था। नीलकठ और मिश्र मिश्र का प्रतिनिधित्व ने राज्याभिषेक के जो विवरण दिए हैं, उनसे सूचित होता है कि हिंदू शासन-काल के अतिम दिनों तक चारों वर्णों में से मन्त्री लिए जाते थे। महाभारत में सैंतीस मंत्रियों की एक सूची दी है, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ण के प्रतिनिधित्व के सिद्धात पर है। वह सूची इस प्रकार है—चार ब्राह्मण, आठ क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य और तीन शूद्र; और साथ में एक सूत भी है जो मिश्र वर्ण का होता था। इसमें मार्कं की बात यह है कि जो वैश्य वर्ण सबसे बड़ा था, उसी वर्ण के सबसे अधिक मन्त्री परिषद् में होते थे। शूद्रों और ब्राह्मणों के प्रतिनिधि ग्रायः बराबर ही बराबर हैं। जैसा कि उसमें कहा गया है, वास्तविक मंत्रि-परिषद् केवल आठ सदस्यों की होती थी*।

६ ३२२. गुप्त काल में मंत्रियों के नाम बदल गए थे। हम ऊपर बतला चुके हैं कि पुराने शब्द 'दूत' के स्थान पर

* महाभारत (कुंभ०) शांतिं अ० ८५, श्लोक ७-११।

‘साधिविग्रहिक’ शब्द प्रचलित हो गया था। जान पड़ता है कि यह परिवर्त्तन इसलिये किया गया था कि जिसमें

कूट नीति विभाग के मंत्री और दूसरे
राजाओं के यहाँ मेजे हुए राजदूत के
नामों में गढ़वड न हो। उस समय
के शिलालेखों में हमे ‘मन्त्री’ शब्द नहीं मिलता। यहाँ भी
एक स्पष्ट शब्द का व्यवहार करने की इच्छा ही काम करती
हुई जान पड़ती है। मालूम होता है कि उसके बदले
में दंडनायक या महादंडनायक शब्द का व्यवहार होने
लगा था। मनु (११ १००) में सेनापत्य से दण्डनेतृत्व
पृथक् रखा गया है और वहाँ उसका अर्थ है—शासन-
व्यवस्था का नेतृत्व। मनु ने अमात्य के अधिकारों की
जो व्याख्या की है (अमात्ये दण्ड आयत्तः मनु ७. ५६)
उसे देखते हुए इस दण्डनेतृत्व से प्रधान मंत्री का अधिकार
सूचित होता है। इसलिये महादंडनायक दण्ड के नेतृत्व से
युक्त और शासन विभाग का मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री
होगा। फ्लीट ने (C. I. I. ३. पृ० १६ की पाद-
टिप्पणी) इसका अर्थ दिया है—सेनाओं का नेता।
परंतु इस अर्थ की अपेक्षा हमारा ऊपर किया हुआ अर्थ
अधिक स्वाभाविक जान पड़ता है; क्योंकि शिलालेखों में
जिन मन्त्रियों के नाम के साथ यह उपाधि मिलती है, वे,
जैसा कि उनकी और दूसरी उपाधियों से सूचित होता है,

नागरिक विभाग के अधिकारी थे, सैनिक विभाग के नहीं थे। इसके अतिरिक्त उन दिनों जो सैनिक मंत्री होता था, वह बलाधिकृत् (उक्त ग्रंथ पृ० २१०) और महाबलाधिकृत् (पृ० १०६) कहलाता था।

जार बदली या अनुसंयान के संबंध में जो नियम बतलाया गया है, उसके उदाहरण उस समय के लेखों में आए हुए मंत्रियों के पदनामों में भी मिलते हैं। समुद्र गुप्त के बड़े शिलालेख (C. I. I. ३ १०) में हरिषेण के संबंध में, जिसका समाद् से बहुत अधिक संबंध था और जिसका उसी की संगति के कारण काव्य करने की ओर प्रेरित होना उल्लिखित है, कहा गया है कि वह महादंडनायक था। वह पहले कूट नीति विभाग का छोटा मंत्री था। परंतु जिस समय हरिषेण का काव्य शिला पर खोदा गया था, उस समय वह महादंडनायक नहीं रह गया था। उस समय उस पद पर तिलमट्टक नामक एक और विद्वान् था। पुराने मंत्रियों के साथ इतना सौजन्य दिखलाया जाता था कि राजकीय लेखों आदि में उन्हे अपनी पुरानी राजकीय पदवियों का व्यवहार करने दिया जाता था। पहले किसी समय हरिषेण का पिता महादंडनायक था; और समुद्रगुप्त के लेख में उसके नाम के साथ वह पदवी लगी हुई है।

६२३। गुप्त काल के राजाओं के दानों के सबध में जो लेख हैं, उन पर राजा के हस्ताक्षर के साथ-साथ सांघि-

विग्रहिक मत्री के भी हस्ताक्षर हैं।

दानपत्रों पर वृहस्पति ने कहा है कि दानपत्रों पर मत्रियों के हस्ताक्षर सांघिविग्रहिक के हाथ का लिखा होना

चाहिए—ज्ञातं मया*, अर्थात् मैंने इसे जान लिया। वृहस्पति का धमशास्त्र उसी समय का लिखा हुआ है और उसका यह विधान महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जिन दानपत्रों पर उस मत्री या उसके पद का नाम है, वे वास्तव में उसके विभाग में पहुँचे थे और उसे ज्ञात थे। इस प्रणाली से उस समय के मत्रियों की राष्ट्र-सघटन संबंधी स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। बहुत क्लॉटे से दान के लिये भी मत्रि-परिषद् की स्वीकृति की आवश्यकता होती थी; और उसकी ओर से वह स्वीकृति सांघि-विग्रहिक देता था, जिसे कदाचित् इस बात का विचार करना पड़ता था कि वह दान पर-राष्ट्र विभाग की दृष्टि से ठीक है या नहीं। दान के गृहीता लोग विदेशों से आए हुए भी हो सकते थे। वे शत्रु-पक्ष के गुप्तचर भी हो

* वीरमित्रोदय पृ० १६२ में उद्धरण।

ज्ञातं मयेति लिखित सन्धिविग्रहलेखकैः।

सकते थे। इसलिये परन्नाष्ट्र विभाग को इस बात का अधिकार प्राप्त होता था कि वह किसी दान को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सके। उसके स्वीकृत करने पर परिषद् के और सदस्य तो उसे स्वीकृत कर ही लेते थे। दानपत्रों आदि पर राजा के अतिरिक्त उस मंत्री या उसके सहायक के भी हस्ताक्षर होते थे जो अतिम बार उसे मान्य करता था। उसे “दूतक” या खाना करनेवाला कहा गया है। सन् ५१० ईसवी के मुताबिक सबत् में राजा हस्तिन्* ने दान सब धी जो ताम्रलेख लिखवाया था, वह पहले तो महा सान्धि-विग्रहिक विश्वदत्त के द्वारा स्वीकृत हुआ, और तब महाबलाधिकृत नागसिंह ने उसे स्वीकृत किया है, जिसने दूतक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। हस्तिन् के समय के एक और राजा का दानलेख मिला है† जिस पर एक आदमी के हस्ताक्षर तो हैं, पर उसकी सरकारी पदवी नहीं लिखी है। उस पर राजा के अतिरिक्त किसी मंत्री के भी हस्ताक्षर नहीं हैं और लिखा है कि यह राजा की मौखिक आज्ञा से लिखा गया है। इस दान-लेख पर किसी दूत के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है

* C. I. J. ३. १०८।

† उक्त ग्रंथ, पृ० ११५।

कि इस दान के संबंध में राजा ने कोई लिखित आशा नहीं दी थी और इसी लिये इसका लेख्य मंत्रि-परिषद् में भी नहीं गया था । सभव है कि यह दान राजा ने अपनी निजी भूमि में से दिया हो ।

॥ ३२४. यह बात प्रायः सभी लोग जानते हैं कि सिंहल में भी भारत के समान ही बहुत सी संस्थाएँ थीं । वास्तव

सिंहल में इस प्रथा में दोनों की सम्मता या संस्कृति एक के उदाहरण ही थी और इस दृष्टि से सिंहल भी

भारत का ही एक अश था । हमारे एक सिंहल-निवासी मित्र ने हमसे कई बार कहा है कि बिना सिंहल के इतिहास के भारत का इतिहास कभी पूरा हो ही नहीं सकता । यह मानना पड़ेगा कि उनका यह कथन सत्य है । हमारे सामने इस बात का एक उदाहरण भी है । बाहर की ओर से दबाव पढ़ने और अदर की ओर से ढीण होने के कारण यहाँ भारत में तो हमारी बहुत सी संस्थाएँ नष्ट हो गईं, पर चारों ओर समुद्र से धिरे हुए सिंहल द्वीप में वे संस्थाएँ अपेक्षाकृत अधिक समय तक बनी रहीं । यहाँ तक कि बहुत परवर्ती काल में अर्थात् ईसवी दसवीं शताब्दी के मध्य में भी वहाँ के राजा की प्रकाशित की हुई जो आशाएँ हैं, वे राजा और उसकी सभा या परिषद् दोनों के नामों से युक्त हैं । उन पर परिषद् के सभी मन्त्रियों के हस्ताक्षर हैं । उदाहरण के लिये पाठक हमारे मित्र

श्रीयुक्त विक्रमसिंह जी द्वारा संपादित वे प्राचीन लेख आदि
देख सकते हैं जो महाराज अभासलभेवन के संबंध के हैं
और जो Epigraphia Zeylanica के दूसरे खंड के
पहले पृष्ठ में प्रकाशित हैं। उसमें समस्त परिषद् मिलकर
वह दान स्वीकृत करती है। उसमें लिखा है—

“स-परिषद् राजा द्वारा आजा होने के कारण हम सब
लोग अर्थात् मनितिल किलियेम और गंगुलहुसु अगवो-
यिम और कवसिलंगा गवयिम उपयुक्त कृत्य करते
हुए (अभिषेकादि) स्वीकृत करते हैं (असुक जिले के
इलस्गम नामक ग्राम के लिये नीचे लिखी हुई रिक्त्रायते
.....”(पृ० ५.)

— — —

बत्तीसवाँ प्रकरण

धर्म और न्याय की व्यवस्था

ई ३२५. राजा को अभिषेक के समय प्रतिशा तो करनी ही पड़ती थी और पौर-जानपद तथा परिषद् की ओर से उसके लिये अनेक प्रकार के व्यवस्था राजा पर धर्म-शाल का अधिकार और नियंत्रण आदि भी होते ही थे पर इन सब से अधिक शक्तिशाली हिंदुओं का धर्मशास्त्र था जिसके बहुत में बार बार यह कहा गया है कि वह धर्म राजा से भी बढ़कर और सब राजाओं का राजा है*। मनु ने तो राजा पर अर्थ दण्ड या जुरमाना तक करने की व्यवस्था की है†। धर्म-सूत्रों और धर्मशास्त्रों

* देखो व्यवस्थादर्पण में का उद्धरण।

† “यह एक निश्चित नियम है कि जहाँ साधारण आदमी को एक कार्षीपण दंड हो सकता हो, वहाँ राजा को एक हजार कार्षीपण अर्थ-दंड होना चाहिए”। द. ३३६।

में राजा के अधिकारों और कर्तव्यों का इस प्रकार निरूपण हुआ है, मानो वह धर्म का एक अंग ही है— उनमें राजधर्म या राजाश्रो के लिये निरूपित धर्मों के प्रकरण ही अलग हैं। जिन दिनों हिंदू एकराजता अपने सर्वोच्च शिखर पर थी, उन दिनों भी न तो मानव धर्मशास्त्र ने और न अर्थशास्त्र ही ने राजा को धर्म से उच्च स्थान दिया था। अर्थशास्त्र के अनुसार तो राजा को नए कानून या धर्म बनाने का अधिकार था, पर मनु के अनुसार उसे यह अधिकार भी नहीं प्राप्त था। परंतु अर्थशास्त्र भी यही कहता है कि राजा केवल व्यवस्था स्थापित करनेवाले धर्म या कानून बना सकता है*; पर ऐसे धर्म या कानून नहीं बना सकता, जो स्थापित धर्म के विरुद्ध हो अथवा जिनसे उसे मनमाना कार्य करने का अधिकार मिल सकता हो।

कैबिसेस के समय फारस के न्यायाधीशों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसके अनुसार फारस का “राजा या

कार्षपणः भवेहरज्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।

तत्र राजा भवेहरज्यो सहस्रमिति धारणा ॥

* अर्थशास्त्र १. ३. ३. (पृ० ११)

बादशाह जो कुछ चाहता था, वह कर सकता था*।” पर हिंदू न्यायाधीशों और धर्मशास्त्रकारों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था देना असभव था। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र का कर्ता कौटिल्य भी अपने राजा से कहता है कि स्वेच्छाचारी राजा का नाश हो जाता है†।

₹ २२६. हिंदू एकराजत्व शासन-प्रणाली में न्याय-विभाग सदा शासन विभाग से पृथक् रहता था। साधारणतः

न्याय और शासन
पृथक् पृथक् थे

उसका रूप तो स्वतन्त्र होता ही था, भावतः भी वह स्वतन्त्र ही था। इसका कारण यह था कि धर्मशास्त्र के ज्ञाता लोग ही न्यायाधीश बनाए जाते थे और धर्मशास्त्रकार या धर्मशास्त्री लोग ब्राह्मण ही होते थे। बहुत प्राचीन काल (ई० पू० १०००—ई० पू० ५००) में हिंदू राजा ने एक नया रूप धारण किया था; और उसी समय ब्राह्मणों ने भी ब्राह्मण ग्रथों का पाठ करनेवाला अपना नम्र स्वरूप छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। केवल धर्मकृत्य करनेवाले ब्राह्मण उन ब्राह्मणों से पृथक् हो गए थे, जो राजनीतिक क्षेत्र में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करते थे।

* रालिन्सन कृत Herodotus २, ६० ४६८।

† अर्थशास्त्र १. ३. ३. ६० ११।

शतपथ ब्राह्मण में ये दोनों विभाग स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, राज्याभिषेक हो जाने के उपरात पहले पुरोहित या धर्माधिकारी राजा को अभिवादन करता हुआ उसकी अधीनता सूचित करता है; और तब समाज के क्षत्रिय आदि दूसरे वर्णों के साथ साधारण ब्राह्मण अलग ऐसा करता है। पुरोहित और अ-पुरोहित ब्राह्मणों के मध्य में जो वर्ग था, वह “महाशाल” कहलाता था (§ २८२) और वह अध्ययन तथा कर्म करनेवाला था। इस वर्ग के ब्राह्मण धर्म, राजनीति तथा इसी प्रकार के और शास्त्रों के अध्ययन में अपना समय लगाते थे। जातको मैं हमें पुरोहित, राजनीतिश और ब्राह्मण मंत्री मिलते हैं, जो राजनीति के भी बहुत अच्छे शाता होते थे और जिनका नैतिक आचरण भी बहुत श्रेष्ठ होता था। न्यायाधीश लोग इसी वर्ग के हुआ करते थे। साधारण कानून के अनुसार जो अपराधी कोई अपराध करता था, वह उसके लिये राजा द्वारा दण्डित होता था। परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार वह उस पाप के लिये भी दण्ड का भागी होता था, जो उस अपराध के साथ लगा होता था*। अतिम

* इसका विवेचन मेरे “टैगोर व्याख्यान” (Tagore Lectures) १० मे हुआ है।

प्रकार का दंड देने का अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में था। यह व्यवस्था केवल इसलिये नहीं थी कि वह इस विषय में निष्पात होता था, बल्कि इसलिये थी कि अपराधियों में ब्राह्मण भी हुआ करते थे; और उनका न्याय उन्हींके समान तथा ऐसे लोगों के द्वाया होना आवश्यक था जो उन्हे धर्म से च्युत होने पर निर्भय रूप से दंड दे सकते थे। इसलिये धर्म सबंधी शासन या व्यवस्था के लिये ब्राह्मणों का होना नितान्त आवश्यक था। जातको से पता चलता है कि इस विषय का अधिकार पुरोहितों के हाथ में था। इसके सिवा ब्राह्मण न्यायाधीश अन्यान्य न्यायाधीशों के साथ, जो सभवतः अ-ब्राह्मण होते थे, बैठकर लौकिक व्यवहार या मुकदमे भी देखा और सुना करते थे। शासन में साधारण कानून और धर्म सबंधी कानून दोनों मिलकर धीरे धीरे एक हो गए और ब्राह्मण न्यायाधीश के हाथ में चले गए; और अब उस ब्राह्मण पर राजा का किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव नहीं पड़ सकता था।

§ ३२७. कानूनी अदालत का वही पुराना वैदिक नाम ‘सभा’ था। जिस प्रकार मंत्रि-परिषद् में उसकी मौलिक

सभा

स्वतंत्रता के चिह्न बत्तमान थे, उसी प्रकार सभा में भी थे। न्याय कार्य

में न्यायाधीशों को सदा समाज से सहायता मिला करती थी। न्यायाधीशों और समाज के लोगों के योग से सभा का संघटन

होता था, जिसे आजकल की भाषा में अदालत के “ज्यूरी” कह सकते हैं।

सम्मतियों का निराकरण करने के लिये उनकी संख्या ताक या विषम हुआ करती थी (देखो पहला खंड, ६ १०६, पृ० १७६ की दूसरी पाद-टिप्पणी) और धर्म या कानून के अनुसार अपनी सम्मति देने के लिये वे बाध्य होते थे । जो ज्यूरी या “वृद्ध” कुछ नहीं बोलता था, या धर्म के विशद्ध सम्मति देता था, वह नीतिग्रष्ट समझा जाता था* ।

मृच्छकटिक में न्यायालय का जो दृश्य है और जिसे हम ईसवी तीसरी शताब्दी का रचित समझते हैं, उसमें ज्यूरी का उल्लेख है। ज्यूरी के कार्यों का विवरण

* नारद (प्रस्ता०) ३. १८. (न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् ।)

“ या तो न्याय सबंधी सभा में बिलकुल जाना ही न चाहिए और या वहाँ जाकर धर्म से युक्त सम्मति देनी चाहिए । जो मनुष्य मौन रहता है या धर्म के विशद्ध सम्मति देता है, वह पाप करता है । ” नारद (प्रस्ता०) ३. १० जाली द्वारा संपादित ।

[†] मृच्छकटिक, नवाँ अक ।

चितासक्कनिमग्नमन्त्रिसलिलं ।

शुक्रनीति में भी आया है ; और वृहस्पति तथा नारद में भी आया है* । उसकी मुख्य बातें ध्यान देने चाहिएँ, और कहा गया है कि ज्यूरी ७.५ या ३ होने चाहिएँ, और यह भी कहा गया है कि वे लोग मुकदमे की जांच करनेवाले या कार्यपरीक्षक होते हैं और उनका अध्यक्ष, जो न्यायाधीश

* शुक्रनीतिसार ४. ५. २६-२७ ।

लोकवेदज्ञधर्मज्ञा । सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा ।
यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसद्वरी सभा ।
ओतारो वर्णिजस्त्वत्र कर्तव्याः सुविचक्षणा ॥

+ + + +

साथ ही देखो उक्त ग्रथ—१४, १७ ।

यदा विप्रो न विद्वान्स्यात् क्षत्रिय तत्र योजयेत् ।
वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं शूद्रं यज्ञेन वर्जयेत् ॥
राजा नियोजितव्यास्ते सम्याः सर्वासु जातिषु ।
वक्ताध्यक्षो नृपः शास्ता सम्याः कार्यपरीक्षकाः ॥

उक्त ग्रंथ ४० । वीरामत्रोदय पृ० ४२ में वृहस्पति ।
मिलाओ नारद (प्रस्ता०) २. ४५ । “जो न्यायाधीशो द्वारा अपराधी प्रमाणित हो चुका हो, वह धर्मशास्त्रानुसार राजा के द्वारा दण्डित होगा । न्याय ज्यूरी पर ही निर्भर करता है ।”
नारद, (प्रस्ता०) ३. ६ ।

† शुक्रनीतिसार ४. ५. २६-२७ ।

होता है, “वक्ता” कहा गया है। यह भी कहा गया है कि राजा शास्ता या दड़ देनेवाला होता है। मृच्छकटिक से न्यायाधीश कहता है—हम लोगों को तो केवल यही अधिकार है कि यह निर्णय कर दें कि यह अपराधी है या नहीं। बाकी सब बातें तो राजा के हाथ में हैं*। न्यायालय के सामने जो मुकदमे आते थे, उनकी सत्यता अथवा असत्यता की जाँच करना ज्यूरी का एक पृथक् कार्य था (कर्म प्रोक्त पृथक् पृथक—बृहस्पति)। इस प्रकार यद्यपि न्याय राजकीय न्यायाधीशों के द्वारा ही होता था, तथापि इस बात की पूरी व्यवस्था रहती थी कि न्यायाधीश किसी के साथ पक्षपात न कर सके।

§ ३२८. हम ऊपर बतला चुके हैं कि स्वयं राजा मुकदमे नहीं सुन सकता था। वह अपनी परिषद् के साथ

बैठकर मुकदमे सुनता था, जिसमें सर्व

स-परिषद् राजा प्रधान न्यायाधीश भी हुआ करता था।

न्यायाधीश अपील के लिये यही सबसे बड़ा न्यायालय होता था और इसमें केवल अपीले ही सुनी जाती

* आर्य चारुदत्त। निर्णये वयं प्रमाणम्। शेषे तु राजा। नवां अक।

† नारद, प्रस्ता० १-३५—प्राणविवाकमते स्थितः। बृहस्पति, १. २४। सभ्यशास्त्रमते स्थितः। (स्मृतिच्छद्रिका)

थीं*। यह बात नीचे दिए हुए आचार्यों के उद्धरणों
तथा और भी स्पष्टतापूर्वक उस मुकदमे से सूचित होती
हैं जिसका निर्णय राजा यशस्कर ने किया था और
जिसका उल्लेख राजतरगिणी (अ० ६) मे है । अपील
करनेवाला सभी नीचे की अदालतो में हारता गया था
और अब उसने राजा यशस्कर के दरबार में अपील की थी ।
उसने अपनी परिषद् तथा राजधानी के उन जजों के साथ
बैठकर वह मुकदमा सुना था, जो पहले भी वह मुकदमा
सुन चुके थे । ऐसा जान पड़ता है कि राजा द्वारा नए
मुकदमे बिल्कुल शुरू से सुनने की प्रथा बहुत आरंभिक
काल मे ही परिस्थित कर दी गई थी , और इस बात के
बहुत ही थोड़े प्रमाण मिलते हैं कि वैदिक काल के उपरात
कभी ऐसा हुआ था ।

जिस प्रकार राजा स्वयं व्यक्तिशः शासन नहीं कर
सकता था, उसी प्रकार, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका
है, वह स्वयं अकेला न्याय भी नहीं कर सकता था । यह
केवल धर्मशास्त्रकारों की ही सम्मति नहीं है, राष्ट्र-सघटन
सबधी नियम बनानेवाले नीतिकारों की भी यही सम्मति

* नारद, प्रस्ता० १. ७. वृहस्पति, १. २६. याज्ञ-
वल्क्य, २-३० ।

है, जिन्होंने राजा द्वारा अभियोगों का निर्णय होने का निषेध किया है* ।

॥ ३२६. सिद्धातवः यही माना जाता था कि राजा सदा न्यायालय में उपस्थित रहता है, चाहे वह वहाँ उपस्थित रहता था और चाहे नहीं रहता था। जिस लिखित निर्णय पर नाम पर होता था न्यायालय की मुद्रा होती थी, वह निर्णय-पत्र राजा द्वारा दिया हुआ माना जाता था। जिस समय किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बुलाया जाता था, उस समय भी यही माना जाता था कि उसे राजा ने बुलाया है। समस्त धर्मशास्त्रों में बगावर यही लिखा मिलता है कि सब कानूनी कार्रवाइयाँ राजा करता है, और

* शुक्लनीतिसार ४. ५. ५६ ।

धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ।

सप्राङ्गविवाक् सामात्य सन्नाहणपुरोहितः ॥

समाहितमतिं पश्येद्व्यवहाराननुक्रमात् ।

नैकः पश्येच्च कार्याणि वादिनोः शुण्याद्वचः ॥

रहसि च नृपः प्राजः सम्याश्वैव कदाचन ॥

+ वीरमित्रोदय, पृ० ३६-४२ । मनु द. १. १६ ।

टीकाकार उसकी व्याख्या करते हुए बतलाते हैं कि यहाँ राजा से अभिप्राय राजकीय अधिकारी का है।

§ ३३०. मुकदमो की सब कार्रवाइयाँ लिखकर रखी जाती थीं। इस प्रकार के लेखों का उल्लेख जातको तक कार्रवाई लिखी जाती थी पृ० २६२ में “विनिश्चय पुस्तक” का उल्लेख है। जातक खड ३, १२५ में स्वर्ण-फलको पर खुदे हुए कार्रवाइयों के नियमों का उल्लेख है। स्वयं धर्मशास्त्रों से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि उनके समय में इस प्रकार के “विनिश्चय” लिखकर रखे जाते थे*।

§ ३३१. जातको के “समय में न्याय व्यवस्था का जो आदर्श था, उसके परिणाम-स्वरूप मुकदमों की स्वत्ता बहुत उचित निर्णय घट गई थी। यदि न्यायालयों में और मुकदमों की कमी अन्याय होता, तो भी उसका ठीक यही परिणाम होता। परन्तु इस प्रकार की बातों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उस

* वशिष्ठ, पृ० ५५।

† जातक, दूसरा खड, पृ० २।

समय धर्मशास्त्रानुमोदित जो व्यवस्था प्रचलित थी, उसे देखते हुए सुकदमों में अन्याय होना असंभव था* ।

- ६३२. पाली त्रिपिटक में प्रसगवश एक सुकदमे के फैसले का कुछ जिक्र आ गया है । उससे न्याय की सुदृढ़ता और कुमार शुद्धता पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है और सूचित होता है कि कानून के जेत सब धर्म में वास्तविक नियम क्या था ।

विनयपिटक, चुल्हवग्ग ३. ४ ६. में उस अभियोग का उल्लेख है जो अनाथपिण्डिक ने राजकुमार जेत के विरुद्ध उपस्थित किया था । इसका निर्णय उस समय के अवधि की राजधानी श्रावस्तो में हुआ था । चुल्हवग्ग में इस सुकदमे का उल्लेख यह दिखलाने के लिये नहीं हुआ है कि न्यायालयों में किस प्रकार के असाधारण न्याय हुआ करते थे, वल्कि यह दिखलाने के लिये हुआ है कि अनाथपिण्डिक में महात्मा बुद्ध के प्रति कितनी अधिक अद्भुत और भक्ति थी । सुदृढ़ नामक एक व्यक्ति था, जो अनाथों पर दया करने के कारण अनाथपिण्डिक कहलाता था । वह एक साधारण नागरिक था

* मनु ७ २८. वृहस्पति २ २८. मिलाश्चो मृच्छकटिक में उल्लिखित राज्यक्रान्ति ।

गृहपति था और बहुत सम्पन्न व्यापारी था । उधर जेत राजवश का एक कुमार था । जेत का एक उपवन या बाग था, जो न तो नगर से बहुत दूर था और न बहुत पास । वहाँ सहज में आना-जाना हो सकता था . . .

एकात वास के लिये वह बहुत अच्छा स्थान था । अनाथ-पिंडिक ने महात्मा बुद्ध को राजगृह से निर्मनित करके बुलाया था; और वह चाहता था कि मैं उनके लिये जेत का यह उपवन खरीद लूँ । उसने कुमार जेत के पास जाकर कहा—“कुमार, आप अपना उपवन मुझे आराम बनाने के लिये दे दे ।” जेत ने उत्तर दिया—“हे भद्र, जब तक उस पर करोड़ो (मुद्राएँ) न बिछें, तब तक वह विक नहीं सकता ।” अनाथपिंडिक बोला—“अच्छी बात है । मैं उसे इस मूल्य पर लेता हूँ । अब वह मेरा हो गया ।”

जेत ने कहा—“नहीं गृहपति, इतनी सी बात से वह तुम्हारे हाथ विक नहीं गया ।”

इस पर दोनों में विवाद हुआ । सुदृढ़ कहता था कि वह उपवन विक गया, और मैंने उसे ले लिया । पर जेत कहता था कि मैंने उसे नहीं बेचा । इस पर वे दोनों प्रधान न्यायाधीशों के पास गए और उनसे कहा कि इस बात का निर्णय होना चाहिए कि इतनी बात-चीत हो चुकने पर वह उपवन विक गया या नहीं । प्रधान न्यायाधीशों ने निर्णय

किया कि जब कुमार ने उसका मूल्य निर्धारित कर दिया,
तब वह बिक गया* ।

* चुक्षवग्ग ६. ४. ६ ।

उपसङ्केमित्वा जेतं कुमारं एतद् अवोचः देहि मे अथ्यपुत्त
उद्यान आराम कात्पुत्र ति । अदेय्यो गृहपति आरामो अपि
कोटिसन्थरेना ति । गहितो अथ्यपुत्त आरामो ति । न
गृहपति गहितो आरामो ति । गहितो न गहितो ति वैद्यारि-
के महामत्ते पुच्छिसु । महामत्ता एवं आहंसु यतो तथा
अथ्यपुत्त अभ्यो कतो गहितो आरामो ति ।

श्री रहीस डेविट्स और श्रोल्डेनवर्ग ने Sacred Books of the East २०, पृ० १८७-१८८ में इसका
अनुवाद इस प्रकार दिया है—‘वह कुमार जेत के पास
गया और उससे उसने कहा—‘आर्यपुत्र, आप अपना उद्यान
मुझे आराम बनाने के लिये दे दे ।’ ‘गृहपति, वह उसके
बराबर धन देने पर भी (यदि उसकी सारी भूमि पर
बिछाने भर को भी मुद्राएँ मिले, तो भी) नहीं मिल
सकता ।’ ‘आर्यपुत्र, मैं उसे इसी मूल्य पर लेता हूँ ।’
‘नहीं गृहपति, मैं तुमसे सौदा नहीं करना चाहता था ।’
इसके बाद उन लोगों ने न्यायाधीशों के पास जाकर
पूछा कि इन बातों से सौदा हो गया था नहीं । न्यायाधीशों

जब इस प्रकार अनाथपिंडिक के पक्ष में निर्णय हो गया, तब उसने उस उपवन के कुछ अश पर स्वर्ग-मुद्राएँ बिछा दीं। इस पर उस उपवन का जो बाकी बचा हुआ अश था, वह कुमार जेत ने बिना मूल्य लिए ही अनाथपिंडिक को दे दिया।

एक राजकुमार और एक साधारण नागरिक में विवाद उपस्थित होता है। वे दोनों न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय राजकुमार के विरुद्ध निर्णय करता है और राज-कुमार वह निर्णय मान लेता है। ये सब तो बिलकुल साधारण सी बातें हैं। इस अभियोग पर लोगों का ध्यान इसलिये नहीं आकृष्ट हुआ था कि इसमें किसी चीज का दाम लगाया गया था और वह दाम देना मजूर कर लिया गया था, न इसलिये ध्यान आकृष्ट हुआ था कि इससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सूचित होती थी; बल्कि, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, इसलिये इसे अधिक महत्व दिया गया था कि इससे एक उदार नागरिक की महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती थी। इसमें जिस कानूनी कार्रवाई का जिक्र है, वह बहुत ही साधारण और नित्य होने-

ने निर्णय किया —‘आपने जो मूल्य नियत कर दिया, उस पर वह आराम बिक गया।’

बाली बात है। हिंदुओं में असंख्य गेस्कोएन* हो गए हैं; परंतु इसलिये उनका कहीं उल्लेख नहीं है कि अपने सम-कालीनों की दृष्टि में बड़े बड़े न्याय करके भी उन्होंने कोई असाधारण कार्य नहीं किया था। जो कुछ किया था, वह विलकुल साधारण और कर्तव्य समझा जाता था।

६३३८ क. प्राहौविवाक दो हैसियतों से काम करता था। एक तो वह सर्वप्रधान न्यायाधीश होता था; और धर्म और न्याय दूसरे वह न्याय विभाग का मन्त्री विभाग के मन्त्री होता था। धर्म-शास्त्र विभाग का मन्त्री “पढ़ित” हुआ करता था। उसके कार्यों से

* सर विलियम गेस्कोएन एक बहुत प्रसिद्ध अँगरेज न्यायाधीश हो गए हैं, जो हेनरी चतुर्थ के शासन-काल में सन् १४०१ में इँग्लैण्ड के सर्वप्रधान न्यायाधीश बनाए गए थे। वे बहुत स्वतंत्र प्रकृति के न्यायाधीश थे। कहते हैं कि एक बार स्वयं प्रिंस आफ वेल्स या राजकुमार ने, जो बाद में राजा हेनरी पंचम हुआ था, गेस्कोएन के न्यायालय में कुछ अशिष्ट व्यवहार किया था, जिसके लिये उन्होंने उसे कारावास का दण्ड दिया था। परंतु यह किंवदंती सी ही है और अनेक इतिहासश इस घटना की सत्यता में सदैह करते हैं।—अनुवादक।

तुलना करते हुए हम यहाँ पर न्याय विभाग के मंत्री के कार्यों का कुछ दिग्दर्शन करते हैं।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि न्याय विभाग के मंत्री और धर्म या कानून विभाग के मंत्री को क्रम आदि में अन्यान्य नागरिक अधिकारियों की अपेक्षा छेष्ठता दी जाती थी। परिषद् में प्रमुख स्थान प्रतिनिधि को मिलता था। उसके उपरात प्रधान का स्थान होता था, जो परिषद् का अध्यक्ष होता था। इसके उपरात क्रम से युद्धमंत्री या सचिव और पर-राष्ट्र-विभाग के मंत्री का स्थान होता था, जो युद्ध और शांति के लिये उत्तरदायी होते थे। और तब धर्म या कानून विभाग के मंत्री या पठित का और फिर न्याय विभाग के मंत्री का स्थान होता था।

प्राङ्गविवाक एक तो प्रधान न्यायाधीश के रूप में राजधानी के सर्व-प्रधान न्यायालय के आसन पर बैठता था, और दूसरे न्याय विभाग के मंत्री के रूप में ज्यूरी का बहुमत जानकर धर्म या कानून के अनुसार यह बतलाता था कि अभियुक्त वास्तव में अपराधी है या नहीं और तब उसके अनुसार राजा को परामर्श देता था। शुक्रनीति में इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है—

“प्राङ्गविवाक को ज्यूरी या सम्मो के साथ सभा में उनकी सम्मति के बहुमत से स्वयं अपने बनाए हुए और परंपरा से प्राप्त धर्म के अनुसार व्यवस्था देनी चाहिए।

उसे यह निश्चय करना चाहिए कि किस स्थान पर मानुष प्रभाग यथा साक्षी, लेख्य, भूत-काल और भोग आदि का व्यवहार होना चाहिए, किस अवस्था में शपथ या दिव्य आदि का व्यवहार होना चाहिए, किस अवस्था में युक्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान आदि का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ बहुमत का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ न्याय-सिद्धात काम में लाया जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके और सब बातों का पता लगाकर तब प्राढ़विवाक राजा को संबोधन करे—परामर्श दे* .”

इसके विपरीत धर्म या कानून विभाग का जो मन्त्री होता था, जिसे और स्थानों में धर्माधिकारी कहा गया है और शुक्रनीति में जिसे पंडित कहा गया है, उसके कर्तव्य इस प्रकार बतलाए गए हैं—

* साक्षिभिलिंखितैर्भोगैश्छ्लैभूतैश्च मानुषान् ।

स्वेनोत्पादितसप्रातव्यवहारान् विचिन्त्य च ॥

दिव्यसाधनाद्वापि केषु कि साधन परम् ।

युक्तिप्रत्यक्षानुमानोपमानैलोकशास्त्रतः ॥

बहुसम्भवसंसिद्धान् विनिश्चित्य समास्थितः ।

ससम्यः प्राढ़विवाकस्तु नृप सबोधयेत् सदा ॥

शुक्रनीति २. ९६-९८ ।

“पंडित को इस बात का विचार करना चाहिए कि लोक में किन प्राचीन तथा अर्वाचीन धर्मों का व्यवहार होता है, उनमें से कौन धर्मशास्त्रों में मान्य हैं और कौन से धर्म या कानून न्याय-सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हैं और कौन से धर्म समाज तथा न्याय-सिद्धांत के विरुद्ध हैं, और तब राजा से उसे ऐसे धर्मों या कानूनों की सिफारिश करनी चाहिए जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुख-कर हो।”

इन बातों से पता चल सकता है कि हिंदुओं में कानून
 • या धर्म में किस प्रकार सुधार किए जाते थे। हिंदू धर्म या कानून साधारणतः परपरागत माना जाता था ; और ऐसी दशा में सिद्धांत की दृष्टि से राज्य स्वयं और प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के परिवर्त्तन आदि नहीं कर सकता था। समय समय पर प्रत्यक्ष रूप से नए कानून बनाकर, पुराने कानूनों में परिवर्त्तन किया जाता था, साधारणतः उनके

* वर्तमानाश्च प्राचीना धर्माः के लोकसंश्लिष्टाः ।

शास्त्रेषु के समुद्दिष्ट विवर्यन्ते च केऽधुना ॥

लोकशास्त्रविरुद्धा. के परिषदस्तान् विचिन्त्य च ।

वृषं सबोधयेत् तैरच परत्रैह सुखप्रदैः ॥

शुक्लनीति २. ६६-१०० ।

† देखो परिशिष्ट “घ” ।

नए और स्पष्ट अर्थ किए जाते थे, और प्राचीन शृंखियों आदि के नाम पर नई नई सृंखियों आदि बनाई जाती थीं, यथा नारद सृंखि । इन सबके अतिरिक्त कानून विभाग के दो मंत्री हुआ करते थे । समाज की परिस्थितियों और कल्याण के विचार से जो कानून काम में लाए जाने के योग्य नहीं समझे जाते थे, उन्हें वे मंत्री लोग अस्वीकृत कर देते थे । प्रचलित धर्मों या कानूनों के संबंध में वे सर्वसाधारण के विचारों का भी ध्यान रखते थे । कानूनों की जोंच की इस प्रथा और सार्वजनिक सम्मति के आदर का यह परिणाम होता था कि पुराने कानूनों में सुधार होते थे और तब वे नए कानून के रूप में काम में लाए जाते थे । बहुत समय है कि हिंदू धर्मशास्त्रों पर एक दूसरी से मिल और प्राचीन धर्मों में सशोधन आदि करनेवाली जो अनेक टीकाएँ आदि हैं, वे धर्माधिकारियों या पढ़ितों द्वारा बनी हो ।

६३३०. हिंदू राज्यतत्र में सबसे बड़ी और महस्त्र की बात यह है कि उसके समस्त इतिहास में धर्म के सर्वप्रधान सभा स्थान दिया गया है । जिन दिनों

समाज या प्रजा की सभा के द्वारा न्याय होता था, उन दिनों यही बात थी, और बाद में जब न्याय का काम राजकीय सभा के द्वारा होने लगा, तब भी बरबर यही बात बनी रही । सभा का इतिहास ऐसा नहीं है, जैसा

राज-दरबार का है। सभा का जन्म राजा के यहाँ से नहीं हुआ था, बल्कि वह वैदिक-कालीन सार्वजनिक सभा से निकली थी। स्वयं इतिहास के कारण ही इस बात की कोई समावना नहीं रह जाती थी कि राजा सभा को अपनी अनुचरी बना सके अथवा उसे पद-दलित कर सके। जिस समय न्याय की व्यवस्था करना राजा का अधिकार और कर्तव्य हो गया, उस समय भी वह अपने इस कर्तव्य का पालन राज्याभिषेक के समय की और मानी हुई प्रतिशा के अनुसार करता था। उसे देश के धर्म की व्यवस्था बहुत ही सचेत होकर करनी पड़ती थी। फिर ब्राह्मण-मठली भी वही उपस्थित रहती थी, जो शारीरिक या आर्थिक बल को धर्म से आगे नहीं बढ़ाने देती थी। जहाँ किसी अनुचित हस्तक्षेप की आशका होती थी, वहाँ के लिये यह विधान प्रस्तुत रहता था कि राजा को सदा प्राह्लिवाक की सम्मति के अनुसार चलना चाहिए*।

* प्राह्लिवाकमते स्थितः ।—नारद । देखो ऊपर इस खंड का पृ० २३८ । न्याय-व्यवस्था की और विस्तृत बातें जानने के लिये हम पाठको से अनुरोध करेंगे कि वे इस ग्रंथ के स्वयिता के टैगोर ला लेक्चर्स (Tagore Law Lectures) देखें ।

तेंतीसवाँ प्रकरण

राज कर

६ ३३४. राष्ट्र-सघटन की दृष्टि से राज-कर के संबंध में हिंदू सिद्धात बहुत अधिक महत्व का है। राज-कर धर्मशास्त्रों के अनुसार निश्चित था और पवित्र निश्चित राज-कर सार्वजनिक धर्म के अनुसार यह भी निश्चित था कि कौन कौन सा कर किस हिसाब से लिया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह होता था कि शासन-व्यवस्था चाहे जिस प्रकार की होती थी, परंतु राज-कर के सबध में राजा या शासक का मन कभी विचलित न होता था। इसलिये राज-कर के सबध में राजा और प्रजा में कोई झगड़ा ही खड़ा नहीं हो सकता था। झगड़े और अत्याचार की जो खास जड़ थी, उसका बचाव इस प्रकार कर दिया गया था।

ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात सिद्ध होती है कि राज-कर संबंधी जो नियम थे, उनका सब अवस्थाओं में पूर्ण

रूप से पालन होता था। उदाहरण के लिये शातवाहन राजवंश की महायानी बलश्री¹ का शिलालेख देखना चाहिए, जिसमें यह घोषित किया गया है कि कानूनी प्रभाव उसका पुत्र पवित्र धर्म-व्यवस्था के अनुसार राज-कर लिया करता था। दूसरे अनेक शिलालेखों से भी यही बात सूचित होती है²। साहित्य में ऐसे कई विलक्षण उदाहरण मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि राज-कर के संबंध में धर्म द्वारा निश्चित जो सिद्धात थे, उनका उल्लंघन नहीं होता था। सम्राट् चद्रगुप्त को सेत्यु-कस के साथ युद्ध करने के लिये धन की आवश्यकता थी। उसने और उसके महामात्य कौटिल्य ने धन संग्रह करने के लिये अपना सारा बुद्धि-बल लगा दिया। धर्म के

* Archaeological Survey Report of Western India खड ४, पृ० १०८। Epigraphia Indica खड ८, पृ० ६०। धर्मोपजितकर विनियोग करस। १,५. पृ० ४४, पंक्ति १४। साथ ही मिलाओ महाभारत, शान्तिपर्व, ७१.१५. का यह कथन—“जो लोमी राजा ऐसे कर एकत्र करने के लिये, जो शास्त्रों से अनुमोदित नहीं हैं, मूर्खतापूर्वक अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, वह स्वयं अपने ही साथ अन्याय करता है।”

अनुसार जो राजकर प्राप्त होता था, वह इस कार्य के लिये यथेष्ट नहीं था। जैसा कि अर्थशास्त्र से प्रमाणित होता है, उन लोगों को कुछ और विलक्षण उपायों का आश्रय लेना पड़ा था। इससे एक और तो धर्म का महत्व सूचित होता है और दूसरी ओर यह सिद्ध होता है कि धर्म द्वारा निश्चित राजकर के सबध में कितनी कठिनाइयाँ थीं। चद्रगुप्त ने अपनी प्रजा से प्रणय की भिन्ना की थी, अर्थात् कहा था कि आप लोग मुझ पर अपना प्रेम सूचित करने के लिये धन दें। उसने देव-मदिरों से भी धन उगाहा था*। पुष्यमित्र के समय में पाणिनि (५. ३. ६६) पर भाष्य करते हुए पतंजलि ने परिहासपूर्वक लिखा है कि मौर्य लोग पूजन के लिये देवताओं की प्रतिमाएँ स्थापित करके धन एकत्र करना चाहते थे। जैनों में परंपरा से यह प्रवाद चला आता है कि चाणक्य ने राजकोष की पूर्ति करने के लिये घटिया चाँदी के आठ करोड़ कार्षपण बनवाए थे। इन सब घटनाओं से एक बहुत बड़ी आवश्यकता और साथ ही धर्म के संबंध में पूरा पूरा आदर प्रकट होता है।

* अर्थशास्त्र, पृ० २४१-४२।

† इंडियन एन्टिक्वरी, सन् १६१८, पृ० ५१ में जायस-चाल का लेख।

§ ३३५. राज-कर से जो आय होती थी, उसपर मंत्रि-परिषद् का पूरा पूरा अधिकार होता था; और उसी को राज-कर एकत्र करने का भी अधिकार प्राप्त था। ई० प० चौथी शताब्दी तक मैं मेगास्थिनीज के कथन के आधार पर (§ ३१६) हम देखते हैं कि आय-व्यय आदि पर मंत्रि-परिषद् का अधिकार था, जिसका इतिहास वहाँ से आरम्भ नहीं होता है, बल्कि वैदिक काल के राज्यों और राजी कोषाध्यक्ष से होता है। भारद्वाज का प्रमाण भी बिलकुल स्पष्ट है (§ ३१७) और वह ई० प० चौथी शताब्दी से भी पहले का है। उसके कथनानुसार भी मंत्रि परिषद् ही राज-कर एकत्र करती थी और समस्त व्यय भी उसी के हाथ में था।

§ ३३६. यदि राज-कर के मान और सग्रह का प्रश्न छोड़ दिया जाय, तो भी हिंदू राजनीति-शास्त्र के अनुसार राजा को जो कर दिया जाता था, वह वेतन होता था उसकी शासन संबंधी सेवाओं का वेतन माना जाता था। महाभारत में

कहा है—

बलिष्ठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम् ।

शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम् ॥

अर्थात् “बष्ठाश बलि कर (शुल्क अथवा आयात और निर्यात कर), अपराधियों से मिलनेवाला जुरमाना

और उनका अपहृत धन आदि जो कुछ शास्त्रों के विवानों
के अनुसार प्राप्त हो, वे सब तुम्हारे वेतन के रूप में होंगे
और वही तुम्हारी आय के द्वारा या राज-कर होगे* ।”

नारद ने भी व्यवस्था दी है—

“राजाओं को निश्चित प्रथाओं के अनुसार जो कुछ
धन प्राप्त हो और भूमि की उपज का जो षष्ठा प्राप्त हो,
वह सब राज-कर होगा और प्रजा की रक्षा करने के पुरस्कार-
स्वरूप राजा को मिलेगा† ।”

यह सिद्धांत उतना ही पुराना है, जितना कि स्वयं कौटिल्य
का अर्थशास्त्र है (३०० ई० पू०); वहिंक यों कहना
चाहिए कि वह ई० पू० ३०० से भी अधिक पुराना है, क्योंकि
वह अर्थशास्त्र में उद्घृत किया गया है । राज-कर राजा
का वेतन समझा जाता था; और यह वेतन उस सिद्धांत के
अनुसार निश्चित या जिसका ऊपर (₹ २६७) उल्लेख
हो चुका है प्रौर जिसके अनुसार राजा तथा प्रजा में पारस्परिक
संबंध ठीके के रूप में निश्चित होता था । उस सिद्धांत
के अनुसार दोनों में वह ठीका करनेवाला दलाल स्वयं

* महाभारत, शांतिपर्व ७१. १० ।

† नारद १८, ४८ (जोली द्वारा समादित) ।

नहीं ले सकता था; क्योंकि उसे अधिक लेने का अधिकार ही नहीं था। प्रजा, जो वास्तव में स्वामी थी, राजा का रखण करने के लिये बाध्य थी; क्योंकि राज्याभिषेक के समय उसकी ओर से पुरोहित ने राजा को वचन दिया था (§ २२४)—“हम तुम्हारे निर्वाह के लिये तुम्हारा उचित अंश (स्वभाग) तुम्हें दिया करेगे ।”

मानव धर्मशास्त्र में दी हुई युक्तियाँ यहाँ ऐसे रूप में कर दी गई हैं जिससे राजा के सेवकत्व को दैवी उद्गम का रूप प्राप्त हो गया है। हीरे से ही हीरा कठता है। उशनस् और भारद्वाज के देश में वह सिद्धात कभी ठहर ही नहीं सकता था, जिसके अनुसार राजा में दैवी व्यक्तित्व स्थापित होता था और जिसके कारण उसे स्वेच्छाचार करने का बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त हो जाता था। वह प्राचीन इतिहास की प्रवृत्ति के विकद्ध पड़ता था। इसलिये मनुष्यों के गुरु मनु की बात काटने के लिये हिंदुओं ने देवताओं के गुरु शुक्र को हूँढ़ निकाला।

§ ३३८. रक्षा के बदले में वेतन के रूप में राजन्कर देने का सिद्धात राष्ट्र-संघटन में इतना पैवस्त हो गया था कि यदि उस रक्षा के कार्य में कुछ रक्षा और राजनिष्ठा भी त्रुटि होती थी, तो यह माना जाता था कि प्रजा की जितनी हानि हो, उतना ही वह राजा के वेतन के अंश में से वापस पाने की अधिकारिणी है। जैसा

कि हम पहले बतला चुके हैं, यह वापसी या तो अनुग्रह के रूप में होती थी और या नगद धन देने के रूप में (§ २८१)। प्रजा समझती थी कि सेवक राजा ने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन नहीं किया है। वह समझती थी कि हमारी पूरी पूरी रक्षा नहीं की गई है; और जैसा कि अर्थशास्त्र (१३. १, पृ० ३६४) में कहा है, राजा को इस बात की धमकी देती थी कि हम तुम्हारा देश छोड़कर शत्रु राजा के देश में चले जायेंगे। दूसरे शब्दों में प्रजा अपने राजा को यह धमकी देती थी कि हम तुम्हारी निष्ठा छोड़कर दूसरे राजा के प्रति निष्ठ होगे। महाभारत भी जहाँ प्रजा की ठीक ठोक रक्षा न कर सकनेवाले राजा को छोड़ने की स्वीकृति देता है, वहाँ यही बात कहता है*। “ऐसा राजा उस जहाज के समान है, जिसमें छेद हो

* राजानं प्रथमं विन्देत् ततो भार्या ततो धनम् । ४१।

× × × ×

प्राचेतसेन मनुना श्लोकौ चेमाणुदाहृतौ ।
राजधर्मेषु राजेन्द्र ताविहैकमनाः शृणु ॥ ४३ ॥

षडेतान् पुरुषो जह्याद्विज्ञा नावमिवार्थवे ।
अप्रवक्तारमाचार्यमनधीयानमृत्विजम् ॥ ४४ ॥

गया हो और जिस पर बैठे रहने से आपत्ति की आशका हो। वह ऐसे नापित के समान है, जो वन में जाने की कामना करता हो (संभवतः साधु होने के लिये)। उस नापित ने अपने स्वामी और जजमानी को छोड़ दिया है और अपनी नौकरी का ठीका तोड़ दिया है। वह नापित छोड़ देने के योग्य है और उसके स्थान पर दूसरा नापित लगा लिया जाना चाहिए ।” इसी प्रकार जो राजा अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन नहीं करता, वह भी छोड़ देने के योग्य है। ज्यो ही राजा अपने कर्तव्य के पालन में अयोग्य सिद्ध होता है, त्यो ही यह बात प्रमाणित हो जाती है कि राजा और प्रजा के सबध का विच्छेद हो गया। जिस क्षण राजा रक्षा संबंधी अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होता है, उसी क्षण राजनिष्ठा के बधन का

अर्क्षतारं राजान् भार्या चाप्रियवादिनीम् ।
ग्रामकामं च गोपाल वनकामं च नापितम् ॥ ४५ ॥

१२, ५७ (= कुंभकोणम् सस्करण का ५६)

यहों जिस मनु का उल्लेख है, वह राजनीति शास्त्र के राजधर्म नामक ग्रथ का कर्ता जान पड़ता है। यह ग्रंथ संभवतः किसी शास्त्र का या और कौटिल्य ने इसी को मानव के नाम से उद्धृत किया है।

अन्त माना जाता है और प्रजा को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह अपने लिये दूसरा सेवक-स्वामी चुन ले । राज-कर संबंधी सिद्धांत और राजा की धर्म-शास्त्रानुमोदित स्थिति को देखते हुए स्वभावतः इसके अतिरिक्त और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता था ।

§ ३३६. धर्मशास्त्रकारो ने राज कर संबंधी जो सिद्धात या नियम निश्चित किए हैं, वे उन उद्देश्यों से बिलकुल मिलते हैं, जिन उद्देश्यों से हिंदू राज्य राज-कर संबंधी की सृष्टि हुई थी । और वे उद्देश्य नियम इस प्रकार हैं—पोषण, कृषि, सपन्नता और क्षेम या कल्याण (§ २२७.) ।

राजा के लिये मुख्य राज-कर उसका वही निश्चित भाग या अंश था जो उसे कृषि की उपज में से दिया जाता था । बाजार में बिकनेवाले माल मे से उसका अश एक दशमांश अथवा परिस्थितियों के अनुसार इसी के लगभग होता था* । इसके अतिरिक्त राज-कर के कुछ और भी साधन होते थे, जिन्हें आजकल आयात और निर्यात संबंधी आय

* मिलाओ मनु ७. १३०-३२ । गौतम १० २४-२७ । वशिष्ठ १६. २६-२७ । आपस्तव २. १०. २६. ६ । विष्णु. ३. २२-२५ । बौद्धायन १. १०. १८. १ ।

कहते हैं और जिन्हे ग्राचीन काल में शुल्क कहते थे।
 इनकी दर आदि निश्चित करने में राजा को थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता अवश्य थी। परवर्ती धर्मशास्त्रों में कुछ नियम निश्चित करके इसका भी नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया था। लेकिन फिर भी वे कोई पूरी सूची नहीं बना सकते थे; और कोई लोभी या अर्थ-संकट में पड़ा हुआ राजा अपने निकास के लिये कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेता था। नंदों पर इस बात का अपवाद लगाया जाता है कि उन्होंने चमड़े और परों पर भी कर लगाया था। इससे यह स्पष्ट है कि पहले इन पदार्थों पर कर नहीं लगता था। जैसा कि अर्थशास्त्र से प्रमाणित होता है*, मगध साम्राज्य और हिमालय के प्रदेशों में चमड़े और परों का बहुत बड़ा व्यागर हुआ करता था। जब देश में आनेवाले इन पदार्थों पर चबूत्र के पूर्खजो ने कर लगाया, तब लोग उनपर लोभी होने का अपवाद लगाने लगे। जान पड़ता है कि साधारणतः ऐसे ही अवसरों पर और विशेषतः राजा के माग संग्रह करने पर राजन्कर संबंधी नियमों का विकास और निश्चय हुआ था।

हिंदू राज-कर के सिद्धांत साधारणतः इस प्रकार हैं—

(१) राज-कर एकत्र करने में राजा को कभी लोभ या तृष्णा के वश होकर स्वयं अपने तथा दूसरों के मूल का उच्छ्रेद नहीं करना चाहिए* ।

(२) प्रजा पर इस प्रकार कर लगाना चाहिए, जिसमें आगे चलकर उसमें और भार बहन करने और आवश्यकता पड़ने पर अधिक भारी भार बहन करने की शक्ति बनी रहे । कहा है—“हे भारत, यदि बछड़े को अधिक दूध पीने दिया जाय, तो वह बलवान् होकर अधिक (भारी भार) बहन करने और कष्ट सहने के योग्य होता है । राजा को उक्त सिद्धांत का ध्यान रखकर प्रजा-रूपी गौ से कर-रूपी दूध दुहना चाहिए । बहुत अधिक दूध दुहना मानों बछड़े को दुर्बल बनाना है, जिससे अंत में स्वयं दूध दुहनेवाले की ही हानि होती है† ।”

* महाभारत १२. ८७. १८ ।

नोच्छ्रिद्यादात्मनो मूलं परेपा चापि तुष्णया ।

† उक्त ग्रन्थ और पर्व, ८७. २०-२१ ।

वत्सौपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीणबुद्धिना । १०

भृतो वत्सो जातवलः पीढा सहति भारत ॥

(३) जिस राज्य की प्रजा पर बहुत अधिक करो का भार होता है, वह बड़े बड़े काम नहीं कर सकता । बड़े बड़े काम वही राज्य कर सकता है, जिस पर कर का साधारण भार होता है और जिसका राजा अपने राज्य की रक्षा का ध्यान रखता हुआ किफायत से शासन की सब व्यवस्था करता है* । प्रजा उस राजा का विरोध करती है, जो शासन में बहुत अधिक व्यय करता है (बहुत अधिक खाता है†) ।

(४) सब से अधिक जोर इस सिद्धात पर दिया गया है कि राज-कर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को भारी न जान पड़े । राजा को अपना आचरण उस मधु-

न कर्म कुरुते वत्सो भृशा दुर्घो युविष्ठिर ।

राष्ट्रमप्यतिदुर्घ इ न कर्म कुरुते महत् ॥

* उक्त ग्रंथ और पर्व, ४१. २२ ।

यो राष्ट्रमनुगृह्णाति परिरक्षन् स्वय नृपः ।

संजातमुपजीवन्स लभते सुमहतफलम् ॥

† उक्त ग्रंथ और पर्व, ८७. १९ ।

प्रद्विषन्ति परिव्यातं राजानमतिखादिनम् ।

ब्राह्मण काल तक में “खादन” शब्द का व्यवहार पारिभाषिक रूप में राज-कर के लिये होता था ।

मक्खी के समान रखना चाहिए, जो वृक्षों को बिना कष्ट पहुँचाए उनसे मधु एकत्र करती है*।

(५) जब राज्य अधिक संपन्न होने लगे, तब धीरे धीरे राज-कर बढ़ाए जाने चाहिएँ।

यह क्रिया इतनी सौम्य या केमल होनी चाहिए जिसमें राज्य में किसी प्रकार की विकलता न उत्पन्न होने पावे।

राज-कर संग्रहीत करने के सबंध में नीचे लिखे सिद्धांत थे—

(६) कर उपयुक्त स्थान, उपयुक्त काल और उपयुक्त रूप में लगाए जाने चाहिएँ†। उनके संग्रह का ढग कष्ट-

* महाभारत १२, अ० ८८. ४।

मधुदोहं दुहेद्राण्यं भ्रमरा इव पादपम्।

† उक्त ग्रंथ और पर्व ८८. ७-८।

अल्येनाल्येन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत्।

ततो भूयस्त्वतो भूयः क्रमवृद्धिं समाचरेत्॥

दमथन्निव दम्यानि शश्वद्वारं विवर्धयेत्।

मृदुपूर्वे प्रयत्नेन पाशानभ्यवहारयेत्॥

‡ उक्त ग्रंथ और पर्व, अ० ३८. १२।

न चास्थाने न चाकाले करास्तेभ्यो निपातयेत्।

आनुपूर्वेण सान्त्वेन यथाकाल यथाविधि॥

दायक नहीं होना चाहिए। गौ दुह लो, पर उच्चके
त्वन मत नोचो॥

शित्प आदि पर कर लगाने के संबंध में ये
सिद्धात थे—

७) बिना इस बात का विचार किए कि कोई माट तैयार
करने में कितना परिम लगता है और कितना जाल
तैयार होता है, कभी कर नहीं लगाना चाहिए। इस
बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि बिना उपयुक्त
लाभ से प्रेरित हुए कोई किसी उद्योग में नहीं लगता।
शित्प की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस बात का
ध्यान रखना चाहिए कि कितना लाभ होने पर कारंगर
कोई चीज तैयार करने में लग रहे गा, जिससे उजा
को भी लाभ होता रहे गा +।

* उच्च ग्रंथ और पर्व द८. ४।

वत्सापेक्षी दुहच्चैव त्वनाश्च न विकुञ्जयेत्।

† उच्च ग्रंथ और पर्व, द७. १६। श्रीयुक्त एम० एन०
दत्त का अनुवाद।

फलं कर्म च सम्प्रेक्ष्य ततः चर्वं प्रकृत्पयेत्।

‡ उच्च ग्रंथ, पर्व और अ०, फलं कर्म च निर्वेतु न
कश्चित्सप्रवर्तते ॥

+ मनु ७. १२६।

(८) प्रत्येक शिल्प के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कितना सामान लगता है, कितनी लागत पड़ती है, शिल्पी को वह वस्तु बनाते समय अपने निर्वाह के लिये कितने धन की आवश्यकता होती है और उस शिल्पी की अवस्था या परिस्थिति क्या है* ।

आयात पर कर लगाने के संबंध में ये सिद्धात थे—

(९) वाणिज्य की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज की किंकी का दाम क्या है, खरीद का दाम क्या है, कितनी दूर से आई है, उसके आने में कितना व्यय पड़ा है, कुल लागत कितनी आई है और

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।
तथा वेद्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत् सततं करान् ॥
यथा राजा च कर्त्ता च स्यातां कर्मणि भागिनौ ।
संवेद्य तु तथा राजा प्रणेयाः सततं कराः ॥

* महाभारत १२. ३७ ।

उत्पत्ति दानवृत्तिं च शिल्पं सम्प्रेक्ष्य चासकृत् ।
शिल्पं प्रति करानेवं शिल्पिनः प्रति कारयेत् ॥

उसके लिये व्यापारी को कितनी जोखिम उठानी पड़ी है* ।

(१०) जो वस्तुएँ राष्ट्र के लिये: दुःखदायक हों अथवा जो निरर्थक और केवल शौक के लिये हों, उन पर अधिक कर लगाकर उनका आयात कम करना चाहिए† ।

(११) जिन आनेवाली वस्तुओं से राष्ट्र को बहुत अधिक लाभ होता हो, उन्हें शुल्क से मुक्त कर देना चाहिए‡ ।

(१२) जो वस्तुएँ अपने देश में बहुत ही कम मिलती हो और जो आगे और अधिक उत्पन्न करने में बीज रूप के काम देनेवाली हो, वे भी बिना शुल्क लिए अपने देश में आने देनी चाहिए+ ।

(१३) कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जिनका निर्यात वर्जित था और देश में जिनका अधिक आयात करने के लिये

* उक्त ० १३. साथ ही मिलाओ मनु ७. १२७ ।

विक्रयं क्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम् ।

योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजा कारयेत् करण् ॥

† अर्थशास्त्र २. २१ (पृ० ११२) ।

राष्ट्रपीडकर भाग्नमुच्छुन्द्यादफलं च यत् ।

महोपकारमुच्छुलक कुर्याद्वीज तु दुलेभम् ॥

‡ और + देखो ऊपर की टिप्पणी ।

किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था ।
उदाहरणार्थ—

(१) अच्छ-शब्द आदि ।

(२) धातु ।

(३) सेना के काम में आनेवाले रथ आदि ।

(४) अप्राप्य या दुष्प्राप्य पदार्थ ।

(५) अनाज ।

(६) पशु आदि* ।

(१४) कुछ अवस्थाओं में बहुत अधिक विशिष्ट कर भी लगाए जाते थे । जो लोग विदेश से अच्छी सुराएँ आदि लाते थे अथवा घर में अरिष्ट आदि बनाते थे, उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता था जिससे राज्य में बनेवाली ऐसी चीजों की कम बिक्री का हरजाना निकल आता था† ।

* शस्त्र-वर्म-कवच-लोह-रथ-रत्न-धान्य-पशुनामन्यतमम-
निर्वाद्यम् आदि । अर्थशास्त्र २. २१. ३६ (पृ० १११) ।

† अर्थशास्त्र २. २५, पृ० १२१ ।

अराजपण्याः पञ्चकं शतं शुल्कं दद्युः ।

सुरकामेदकारिष्ट-मधुफलाम्लाम्लशीघूना .च ॥

अहश्च विक्रयं व्याजौ ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः ।

तथा वैधरण कुर्यादुचित चानुवर्तयेत् ॥

तात्पर्य यह कि आर्थिक परिस्थितियों का सब स्थानों
में ध्यान रखा जाता था। उत्पादक बल दबाया या घटाया
नहीं जाता था। मूल धन पर नहीं, बर्त्त्व क लाभ पर कर
लगता था। जिन वस्तुओं से नए-नए शिल्पों का विकास
होने की सभावना होती थी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था।
जिन निर्यातों के कारण मूल्य बहुत बढ़ जाता था और इस
प्रकार कृत्रिम सपन्नता बढ़ती थी, उनका निर्यात घटाने का
प्रयत्न किया जाता था। साधारण शिल्पों के लिये कोई
विशेष सरक्षण नहीं होता था और कर धीरे धीरे तथा
शक्ति के अनुसार बढ़ाए जाते थे, कष्टदायक रूप में नहीं
बढ़ाए जाते थे।

चौंतीसवाँ प्रकरण

शासन में अर्थनीति और भूस्वामित्व का सिद्धांत

₹ ३४०. धर्मशास्त्रो में कर संबंधी जो प्रकरण हैं, उनमें कुछ इस तरह की बातें भी बतलाई गई हैं कि कुछ विशिष्ट लोगों का, जो आर्थिक शत्रु आर्थिक शत्रु समझे जाते हों, दमन करना चाहिए।

महाभारत में कहा गया है कि वेश्याओं, जूए के अड्डों और जुआरियों, नाट्यशालाओं तथा इसी प्रकार दूसरों का मनोविनोद करके धन कमानेवालों पर पूरा शासन रखना चाहिए*, भिज्जुको और चोरों को देश से निकाल देना चाहिए†; और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें महाजन

* महाभारत १२. द८. १४-१७ ।

† महाभारत १२. १७-२४ ।

लोग बहुत अधिक सूद न लेने पावें* । कृष्णको की ऐसे लोगों से विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए† ।

भिन्नक और उनके मठ आदि भी आर्थिक हृषि से आपत्तिजनक और विनाशक समझे जाते थे ।

“वानप्रस्थो के अतिरिक्त इधर-उधर धूमनेवाले और लोग, सजातो या गाँववालों को छोड़कर और कोई (सघ) , अर्थात् बौद्धों आदि के सघ) व्यापारियों के अतिरिक्त और लोगों के बनाए हुए समूह या संघ आदि देश में स्थित या स्थापित नहीं होने दिए जायेंगे और न आगाम या विहार (धर्म सबधी भवन) आदि बनने दिए जायेंगे‡ ।” जो लोग अपने परिवारवालों के भरण-पोषण और निर्वाह आदि की बिना पूरी

* महाभारत, १२. ८८. २६ ।

† नटनर्त्तन-नायन वादक-वाग्जीवन-कुशीलवा वा न कर्मविन्न द्युर्युः । अर्थशास्त्र २. १. (पृ० ४८)

‡ वानप्रस्थादन्यः प्रब्रजितभावः सजातादन्यः सञ्चस्सा-
मुत्थायकादन्यस्तमयानुबन्धो वा नास्य जनपदमुपनिवेशेत ।
न च तत्रामविहारार्था. शालास्त्युः २. १, पृ० ४८ ।

भिलाओं १२३२ में राज्याभिषेक के प्रकरण में का “सजात” ।

व्यवस्था किए ही समाज को छेड़कर साधु या भिन्नु आदि हो जाते थे, उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाता था। उन्हें पकड़कर दंड दिया जाता था। जो लोग धर्मानुसार गृहस्थ धर्म का पालन कर चुकते थे, केवल उन्हीं लोगों के प्रब्रज्या ग्रहण करने का अधिकार होता था॥

§ ३४१. शासन-कला में शासक को सबसे पहले यह शासन में वार्ता बतलाया जाता था कि देश का शासन और स्वतंत्रता अर्थनीति या वार्ता पर निर्भर करती है।

(क) “कृषिपाशुपाल्ये वशिष्या च वार्ता । . . .
तथा स्वपद्मं परपद्मं च वशीकरोति कोशदंडाभ्याम् ।”
—अर्थशास्त्र पृ० ३ ।

* पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रब्रजतः पूर्वस्साहसदण्डः; स्त्रिय च प्रव्राजयतः (जो लोग स्त्रियों के प्रब्रज्या दिलाते थे, उन्हें भी कठोर-तम दंड दिया जाता था)। लुप्तव्यवायः प्रब्रजेदावृश्च्य धर्मस्वान् । अन्यथा नियम्येत । अर्थशास्त्र पृ० ४८ । गृहस्थी का परित्याग करने के संबंध में धर्मसूत्रों में कुछ विशिष्ट बंधनकारक नियम दिए गए हैं ।

और स्थानों में भी कहा है—

(ख) “अर्थानर्थौ वार्तायाम् ।”

(ग) ‘वार्तया धार्यते सर्वम् ।’

(घ) ‘वार्ता वै लोकसंश्रया ।’

(क) कृषि, पशुपालन और वाणिज्य-व्यवसाय सब मिलकर वार्ता शास्त्र या विज्ञान हैं। कोश और दंड या सैनिक बल के द्वारा ही स्वयं अपने राज्य में तथा शत्रुओं के राज्य में सफलता होती है अर्थवा वे वश में किए जा सकते हैं।

(ख) अर्थानर्थौ वार्तायाम् । (अर्थशास्त्र २, पृ० ७) वार्ता में ही अर्थ भी है और उसके विपरीत अनर्थ भी है ।

(ग) वार्तया धार्यते सर्वम् । (महाभारत वनपर्व १. ५०) वार्ता ही सब राजनीतिक संघटन को धारण करती है ।

(घ) वार्ता वै लोकसंश्रया । (कामदंक ४. २७,) वार्ता ही समाज का आश्रय है ।

इसलिये शास्त्रको को वार्ता पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता था । वार्ता शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार शासन करना उनका कर्तव्य होता था । वास्तव में यह उनका सबसे पहला कर्तव्य होता था ; और

राज्याभिषेक के समय राजा से जो नीचे लिखी वात कही जाती थी, उसके अनुसार ऐसा होना बिलकुल ठीक ही था—

“तुम्हें यह राज्य कृषि, क्षेम, सपन्नता और पालन के लिये दिया जाता है।”

हमारे यहों के प्राचीन साहित्य में जो ‘पालन’ शब्द आया है, वह राजा के दो कर्तव्यों का सूचक है—अभिवृद्धि करना और सब प्रकार से रक्षा करना। वैदिक मन्त्र में केवल अभिवृद्धि का भाव है और सब प्रकार से रक्षा करना उसका स्वाभाविक परिणाम होता है। इसी लिये वार्ता शास्त्र के सिद्धातों के अनुसार सब काम करने की नीति का विधान किया गया था।

₹ ३४२. देश को आर्थिक दृष्टि से सपन्न करने के विदिकों के प्रति नीति लिये विशिष्टों को और व्यापारियों के प्रति विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। इस संबंध में ये विधान किए गए थे—

“व्यापारियों की उत्पादन-शक्ति के सदा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। वे लोग राज्य के बलवान् बनाते हैं, कृषि की वृद्धि करते हैं और व्यापार बढ़ाते हैं। इसलिये बुद्धिमान् राजा लोग उनके साथ बहुत

ही दया और प्रीति का व्यवहार करते हैं।
राज्य में व्यापारियों और वर्णिकों से बढ़कर और कोई
सपत्ति नहीं होती॥ १ ॥

यह भी कहा है—

“जिन लोगों ने धन अर्जित किया हो, राजा को
उनका सदा सम्मान करना चाहिए। उन्हें भोजन, पान
और आच्छादन आदि प्रदान किए जाने चाहिए।
प्रत्येक राज्य में धनी वर्ग उसका एक अंग होता है॥ २ ॥

* अजस्तमुपयोक्तव्य फलं गोभिषु भारत ।

प्रभावयन्ति राष्ट्रं च व्यवहारं कृष्णं तथा ॥ ३८ ॥

तस्माद् गोभिषु यदेन प्रीतिं कुर्याद्विचक्षणः ।

दयावानप्रमत्तश्च करान् सप्रणयन्मृदून् ॥ ३९ ॥

× × × ×

न ह्यतः सद्दश किञ्चिद्दनमस्ति युधिष्ठिर ।

—महाभारत १२. द७. ३६-४० ।

^१ महाभारत १२. द८. २६-२० ।

घनिनः पूजयेन्नित्यं पानान्चादनभोजनैः.....

अङ्गमेतन्महद्वाज्ये धनिनो नाम भारत ।

॥ ३४३. प्रायः बड़े बड़े शिल्प राज्य के हाथ में होते थे । उनका संचालन राजकीय विभागों द्वारा होता था ।

अर्थशास्त्र और मानव धर्मशास्त्र दोनों में
राजकीय शिल्प आकर (खान) और कर्मांत (चीज़ें
बनाने का काम) का उल्लेख है । देश के आर्थिक शासन
के लिये राज्य को उनसे शिल्प संबंधी प्रत्यक्ष अनुभव
प्राप्त होता था और साथ ही उनसे राज्य की आय
भी बहुत अधिक बढ़ जाती थी । कम से कम
इतना तो अवश्य होता था कि इस व्यवस्था से राजनीतिशास्त्रों
को युद्ध की तैयारी करने अथवा इसी प्रकार के और
कामों के लिये प्रजा से प्रणय (कर) की भिज्ञा नहीं
करनी पड़ती थी ।

॥ ३४४. हिंदू राजनीतिश लोग प्रत्यक्ष कर लगाना
पसंद नहीं करते थे । उत्पन्न पर जो कर लगता था, उसके

नीति का मूल
सिद्धांत अप्रत्यक्ष कर
था

अतिरिक्त वे और किसी प्रकार का
प्रत्यक्ष कर नहीं लगाते थे, उनके यहाँ
इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं
थी । यदि बहुत सूख्म रीति से विवेचन

किया जाय, तो अंत में यही सिद्ध होता है कि उत्पन्न पर
लगनेवाला कर भी अप्रत्यक्ष ही था । उत्पन्न कर के बाद
जो दूसरा बड़ा और अप्रत्यक्ष कर था, वह आयात संबंधी
शुल्क था । निर्यात संबंधी शुल्क बहुत कम थे और वे

कर की दृष्टि की अपेक्षा शासन की दृष्टि से ही अधिक लगाए जाते थे। साधारणतः जिन पदार्थों का देश से बाहर जाने देना अभीष्ट नहीं होता था, उन्हीं पर कर लगाया जाता था। राजकीय आय का दूसरा बहुत बड़ा साधन आकर या खानों का व्यवसाय था। चद्रगुप्त के समय में और

उससे पहले खानों का सब काम प्रायः
आकर या खाने राज्य ही करता था। पर मानव धर्मशास्त्र द. ३६. में खाने सर्व-साधारण के लिये छोड़ दी गई है। पर हाँ, उनके लिये कर की जो व्यवस्था है, वह अवश्य कठोर है—अधिक कर लगाया गया है। खानों की उपज पर प्रति शत ५० कर की व्यवस्था की गई है; और इसके लिये सिद्धात यह रखा गया है कि खान एक ऐसा कोष है जिस पर राजा का भी उतना ही अधिकार है, जितना उसे छूँढ़ निकालनेवाले का है। अन्यान्य विषयों की भाँति इस विषय में भी संरक्षण के बदले में कुछ कर होना उचित और नियमानुसारित है; क्योंकि राजा ऊपर की भूमि का भी अधिपति है और उसके नीचे की भूमि का भी (भूमेरधि-पतिहि सः—मनु द. ३६)। मानव धर्मशास्त्र की व्याख्या करते हुए मेधातिथि ने कहा है कि यद्यपि कोई यह नहीं जानता कि भूमि के अंदर क्या है और सरकार को उसकी बहुत ही थोड़ी रक्षा करनी पड़ती है, तथापि समस्त भूमि की प्रबल शत्रु द्वारा अपहृत होने की समावना रहती है, इसलिये

उसकी रक्षा करने के बदले में राजा अपना अश पाने का अधिकार है ॥

६३४५. इसके द्वारा हम भूस्वामित्र संवंधी महत्वपूर्ण हिंदू सिद्धात पर पहुँचते हैं जो कर से संबद्ध है। हिंदू

भूस्वामित्र के राजनीति में तो इन दोनों में कुछ भी संबंध नहीं रखा गया है, परंतु भारतीय राजनीति आठि की विवेचना करनेवाले आधुनिक विद्वानों ने जो विवाद उठाया है, उसमें ये दोनों विषय परस्पर संबद्ध कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ लोकोंने यह बात बहुत ही दृढ़तापूर्वक कही है कि हिंदू राजनीति के अनुसार भूमि पर सदा हिंदू राजा का स्वामित्र रहता था। पर वास्तविक बात यह है कि उन लोगों का

* बुह्लर ने (S.B.E. २५, पृ० २६० की पादटिप्पणी) मेघातिथि का एक अपूर्ण वाक्य दिया है और उसका ऐसा अभिप्राय बतलाया है जो वास्तव में उसका अभिप्राय नहीं है। उसका मुख्य अंश उसने लेड दिया है। समत्त वाक्य इस प्रकार है—अत्र हेतूक्षणादिति यद्यपि क्षितौ निहतस्य केनचिदजानान् राजकीयरक्षोपयुज्यते तथापि तस्य बलवतापहारः संभाव्यते अतोस्त्वेव रक्षाया अर्थवत्त्व एतदर्थमेवाह भूमेरविपत्तिहि सः ।

यह कथन तत्सवंधी हि दू सिद्धात के बिलकुल विपरीत है। उन लेखकों ने अनजान में हिंदू न्याय-सिद्धात में त्वयं अपने ही यहाँ के सरदारी विधान (Feudal law) की छाया देखी है। पर हि दू धर्मशास्त्र से यह सिद्धात जितनी दूर पड़ता है, उतनी दूर और कोई सिद्धात नहीं पड़ता। राष्ट्र-संघटन सबंधी हि दू धर्मशास्त्र के सिद्धातों की साधारण प्रवृत्ति का जिसे ज्ञान है, उसके सामने यदि युरोप के सरदारी सिद्धात (Feudal Theory) का समर्थन करनेवाला कोई क्षेत्र लाकर रख भी दिया जाय, तो भी वह यही समझेगा कि मेरी आँखे मुझे धोखा दे रही हैं—वह उस पर कभी विश्वास न करेगा। आरंभिक साहित्य से लेकर इधर हाल तक के साहित्य से इस बात के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि लोग व्यक्तिगत रूप से भूमियों का दान और विक्रय आदि किया करते थे। धर्म-शास्त्रों में भूमि के विक्रय और उस पर मालिकाना हक या स्वाम्य प्राप्त करने के विधान दिए हुए हैं। इस समय भी ऐसे बहुत से शिलालेख मिलते हैं जिनसे यह बात भली भाँति प्रमाणित होती है कि भूमि लोगों की निजी संपत्ति मानी जाती थी*। और सबसे बढ़कर बात यह है कि यह

* इंडियन एन्टिक्वेरी १८१०, पृ० ११६।

सिद्धात स्पष्ट रूप से और जोर देकर घोषित किया गया है कि भूमि पर राजा का कोई स्वामित्व नहीं है; और यह बात स्वयं मीमांसा दर्शन तक में कही गई है। कोलब्रूक ने नीमासा पर जो निबंध लिखा है, उसमें हस्त सबंध में जो विवेचन है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है।

“भारत में भूमि के स्वामित्व के संबंध के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मनोरजक प्रश्न का छठे प्रवचन में

कोलब्रूक का मत विवेचन किया गया है। विश्वजित् आदि कुछ यज्ञो में ऐसा विधान है कि

जिस यजमान के कल्याण के लिये वह यज्ञ किया जाता है, वह अपनी समस्त सपत्नि पुरोहितों को दान कर देता है। यह प्रश्न किया जाता है कि क्या कोई बड़ा राजा अपनी समस्त भूमि, जिसमें पशुओं के चरने की जगह, राजमार्ग और जलाशय आदि हैं, दान कर देगा? क्या कोई सार्वभौम सम्राट् समस्त पृथ्वी दान कर देगा? अथवा कोई अधीनस्थ कुमार वह समस्त प्रात दान कर देगा, जिस पर वह शासन करता है? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि न तो राजा को पृथ्वी पर और न कुमार को भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त है। युद्ध में विजय प्राप्त करके राजत्व का अधिकार प्राप्त किया जाता है और शत्रु के घरों तथा खेतों पर अधिकार किया जाता है। धर्मशास्त्र का यह सिद्धांत है कि पुरोहितों की सपत्नि

को क्षेत्रकर राजा और समस्त संपत्ति का स्वामी है। इस सिद्धांत का अभिप्राय केवल यही है कि राजा को दुष्टों के शासन तथा सज्जनों के सरक्षण का ही अधिकार प्राप्त है। उसका राजकीय अधिकार केवल राज्य के शासन और दोषों तथा अपराधों के दमन के लिये है। और इसी के लिये वह कृषक गृहस्थों से राज-कर तथा अपराधियों से जुरमाना लेता है। पर इतने से ही उसे स्वामित्व का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। नहीं तो उसके राज्य में बसनेवाली प्रजा के घरों और खेतों पर भी उसे अधिकार प्राप्त हो जायगा। पृथ्वी राजा की नहीं है, बल्कि वह सब लोगों की है; और सब लोग परिश्रम करके उसके फलों का भोग करते हैं। जैमिनि का मत है कि भूमि समान रूप से सब लोगों की है*। इसलिये यद्यपि भूमि का कोई

* जैमिनि के जिस सूत्र से कोलब्रूक का अभिप्राय है, वह इस प्रकार है—

न भूमिः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् । ६. ७. ३ ।

इससे पहले इस बात का विवेचन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व (स्व) दान करता है, उस समय वह कानून के अनुसार या धर्मतः क्या दान करता है। इस सूत्र का शब्दार्थ यह है—“(किसी देश की) भूमि

खड़ दान-स्वरूप किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, पर फिर भी राजा न तो समस्त पृथ्वी किसी को दान कर सकता है और न कोई कुमार अपना प्रांत दान कर सकता है। हाँ, जो घर और खेत आदि क्रय करके अथवा इसी प्रकार के और साधनों से प्राप्त किए गए हों, वे ही दान किए जा सकते हैं*।”

(राजा द्वारा) किसी को दान नहीं की जा सकती ; क्योंकि वह समान रूप से सब लोगों की है।*

* कोलब्रूक कृत Miscellaneous Essays पहला खंड, पृ० ३२०-३२१। मीमांसा दर्शन का सबसे बड़ा और मान्य भाष्य शब्दर का है और इस सबंध में उसका मत भी वही है जो ऊपर उद्धृत कोलब्रूक का है। जैमिनि ६.७.३ पर शब्द-भाष्य इस प्रकार है—

अत्रैव सर्वदाने संशयः । किं भूमिदेया न इति । का पुनर्भूमिः अत्राभिप्रेता । यदेतन्मृदारबधं द्रव्यान्तर पृथिवी-गोलक न क्षेत्रमात्र मृत्तिका वा । तत्र किं ग्रासम् । अविशेषादेया प्रमुत्त्वसम्बन्धेन हि तत्र स्वशब्दो वर्त्तते शक्यते च मानसेन व्यापारेण स्वता निर्वर्त्तयितुम् । इति । एव प्राप्ते ब्रूमः न भूमिदेया इति । कुतः । क्षेत्राणाम् ईशितारो मनुष्या दृश्यन्ते न कृत्स्नस्य पृथिवीगोलकस्य इति ।

मीमांसा के इस विवेचन से ही सूचित होता है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में भूमि पर लोगों का निजी या व्यक्तिगत स्वामित्व माना जाता था; क्योंकि यह विवेचन ही पहले से यह सिद्धात मानकर किया गया है। इस प्रकार की निजी संपत्ति ऐसी होती थी जिसमें राज्य द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जा सकता था। स्वष्टिम शब्दों में यह बात कह दी गई है कि राजा का भूमि पर अपना अधिकार जतलाना किसी प्रकार संभव नहीं है और न वह अधिकार माना जा सकता है। जो हिंदू धर्मशास्त्र स्वयं देवताओं को भी धर्म के अधीन मानते हैं और जो किसी राजा के स्वेच्छाचारी हो जाने पर उसके लिये दंड तक का विधान करते हैं, उनमें इस प्रकार का निराकरण होना स्वाभाविक और युक्तिसंगत ही है।

आह य इदार्नि सार्वभौमः स तद्हि ब्रूमः। कुतः।
 यावता भोगेन सार्वभौमो भूमेरीष्टे तावता अन्योऽस्मि न तत्र
 कश्चिद्दिशेषः सार्वभौमत्वेऽस्य त्वेतदधिकं यत् असौ
 पृथिव्या सम्भूताना ब्रीह्मादीना रक्षणेन निर्विष्टस्य कस्यचित्
 मागस्य ईष्टे न भूमेः वक्षिविष्टाश्च ये मनुष्याः तैरन्यत् सर्व-
 प्राणिनाम् धारणविक्रमणादि यत् भूमिकृत तत्रोशित प्रति न
 कश्चिद्दिशेषः। तस्मात् न भूमिर्देया।

§ ३४६. हिंदू धर्मशास्त्रकार नीलकण्ठ ने यह विवेचन और भी आगे बढ़ाया है; और इस प्रश्न की यहाँ तक सैनिक विजय और भूमि विजयना की है कि जब राजा युद्ध में विजय प्राप्त कर कोई देश जीत लेता है, तो वहाँ की भूमि पर उसका क्या और कैसा अधिकार होता है। उसका विवेचन इस प्रकार है—

एवं क्षत्रियादेर्जयादिरिति तु युक्तम् । जयेऽपि जितस्य यत्र गृहदेवतद्रव्यादौ स्वत्वमासीत्त्रैव जेतुरप्युत्पद्यते ॥ जितस्य करग्राहितायां तु जेतुरपि सैव न स्वत्वम् । अत एव सार्वभौमेन सम्पूर्णा पृथ्वी माणडलिकेन च मण्डलं न देय-मित्युक्त षष्ठे ॥ सम्पूर्णपृथ्वीमण्डलस्य तत्तद्यामक्षेत्रादौ स्वत्वं तु तत्तद्यामिकादीनामेव राजा तु करग्रहणमात्रम् ॥ अत एवेदानीन्तनपारिभाषिकक्षेत्रदानादौ न भूदानसिद्धिः किन्तु वृत्तिकल्पनमात्रमेव ॥ भौमिकेभ्यः क्रीते तु गृहदेवतादौ स्वत्वमप्यस्त्येव ॥

अर्थात्—“इसी प्रकार क्षत्रिय के लिये विजय आदि उपाय भी युक्त हैं। विजय प्राप्त करने पर विजित राजा के गृह, ज्येत्र, द्रव्य और व्यक्तित्व आदि पर ही उसे स्वामित्व प्राप्त होता है। जहाँ विजित राजा को पहुँचे कर आदि लेने का अधिकार प्राप्त था, वहाँ उसे भी कर आदि लेने का उतना ही अधिकार प्राप्त होता है; उसका स्वत्व या स्वामित्व नहीं

प्राप्त होता । इसी लिये षष्ठ (पूर्वमीमांसा) में कहा गया है कि सार्वभौम राजा न तो संपूर्ण पृथ्वी दान कर सकता है और न माडलिक लोग अपना मंडल ही दान कर सकते हैं । संपूर्ण पृथ्वीमंडल के ग्रामों और क्षेत्रों आदि का स्वत्व या स्वामित्व उनके भौमिकों या भूस्वामियों के ही पास रहता है । राजा का अधिकार केवल इतना ही होता है कि उनसे कर ले । इसलिये जिसे पारिभाषिक शब्दों में (राजा का) “पृथ्वीदान” कहते हैं, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसने स्वयं वह पृथ्वी ही दान कर दी, किन्तु उससे वृत्ति मात्र की ही कल्पना होती है । यदि राजा किसी भौमिक या भूस्वामी से धन आदि देकर क्रय करे, तभी उसे गृहों और क्षेत्रों आदि पर स्वत्व या स्वामित्व प्राप्त होता है* ।”

ई ३४७. धर्मशास्त्र संबंधी साहित्य में विज्ञानेश्वर के उपरांत दूसरा स्थान माधव का है । अतः हिंदू धर्मशास्त्र के प्रश्नों के संबंध में उनका कथन भी माधव बहुत आदर-पूर्वक ग्रहण करने के योग्य है । इसी प्रश्न की उन्होंने नीचे लिखे शब्दों में विवेचना की है—

* व्यवहारमयूख (दायनिर्णय) ।

देया न वा महाभूमिः स्वत्वाद्ग्राजा ददातु ताम् ।
 पालनस्यैव राज्यत्वात् स्वभूदीयते न सा ॥
 यदा सर्वभौमो राजा विश्वजितादौ सर्वस्व ददाति तदा
 गोपथराजमार्गजलाशयाद्यन्विता महाभूमिस्तेन दातव्या ।
 कुतः भूमेस्तदीयधनत्वात् राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जमिति
 स्मृतेः । इति प्राप्ते—

ब्रूमः । दुष्टशिक्षाशिष्टपरिपालनाभ्यां राजा ईशितृत्वं
 स्मृत्यमिप्रेतमिति न राज्ञो भूमिधनम् । किंतु तस्यां भूमौ
 स्वकर्मफलं मुक्षानाना सर्वेषां प्राणिनां साधारणं धनम् ।
 अतोऽसाधारणस्य भूखण्डस्य सत्यपि दाने महाभूमेदानं
 नाप्तिः ॥

अर्थात्—“महाभूमि (सार्वजनिक भूमि; मिलाओ नीचे
 “असाधारण भूमि”) जिस पर सर्व साधारण का अधिकार न
 हो, दान रूप में देय है या नहीं ? कह सकते हैं कि राजा उसे
 दान कर सकता है, क्योंकि उस पर उसका स्वत्व होता है ।
 परंतु उस पर उसका कोई स्वत्व नहीं होता, क्योंकि उस पर
 राज्यत्व केवल संरक्षण और पालन के लिये ही होता है ।
 इसलिये वह अदेय है ।

* माघवाचार्य कृत न्यायमाला (आनदाश्रम स्कृत
 सीरीज) पृ० ३५८ ।

“जिस समय कोई सर्वभौम राजा विश्वजित् आदि चक्रों में अपना सर्वस्व दान करता है, उस समय एक शंका उत्पन्न हो सकती है। उस महाभूमि में जितने गोपथ, राजमार्ग या जलाशय आदि हैं, क्या वे सब भी दान कर दिए गए? क्योंकि स्मृति के अनुसार उस भूमि में वह धन है, जिस (धन) की, ब्राह्मणों को छोड़कर और सबके लिये राजा कामना कर सकता है।

“इसका उत्तर यह है कि स्मृति का अभिप्राय यह है कि राजा का राजत्व दुष्टों को शिक्षा या दंड देने और शिष्टों का पालन करने में है। अतः भूमि राजा का धन नहीं है। किंतु उस भूमि में उन सब प्राणियों का साधारण धन है; और वह इसलिये है कि वे लोग परिश्रम करके उसके फल का भोग कर सकें। इसलिये यद्यपि असाधारण (जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार न हो) भूमि-खण्ड तो दान किया जा सकता है, परंतु महाभूमि का दान नहीं हो सकता।”

६३४८. मीमांसा की भट्टदीपिका नाम को टीका भी भट्टदीपिका बहुत मान्य है। उसमें इसकी जो व्याख्या की गई है, वह इस प्रकार है—

सर्वभौमस्थापि न तस्या स्वत्वम्। जयस्थापि च
शत्रुस्वामिकधनगृह्णेत्रादिविषय एव स्वत्वोत्पादकत्वात्।

महापृथिव्यां तु राज्यमात्राधिकारस्यैव जयेन सम्पादनात् राज्य
हि स्वविषयपरिपालनकरण्टकोद्धारणरूपं तज्जिमित्तकं च तस्य
कर्षकेभ्यः करादान दण्डये भ्यश्च दण्डादान इत्येतावन्मात्रम् ।
न त्वेतावता तस्यां स्वत्वम् । परिक्रियादिलब्ध गृहक्षेत्रा-
दिकं तु देयमेव* ॥

अर्थात्—“सार्वभौम राजा कामी उस (महाभूमि) पर
कोई स्वत्व नहीं है । युद्ध में विजय आदि प्राप्त करने पर भी
शत्रु के गृह और क्षेत्र आदि निजी संपत्ति पर ही अधिकार
प्राप्त होता है । विजय से भी महापृथ्वी पर केवल राज्य
या शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है; और वह
शासन का अधिकार भी अपनी प्रजा का पालन करने
और दुष्टों को दमन करने के लिये होता है; और इस
काम के लिये राजा को कृषकों से कर लेने और दण्डित
लोगों से अर्थ-दंड मात्र लेने का अधिकार होता है ।
उस महाभूमि पर उसे और किसी प्रकार का स्वत्व या
अधिकार नहीं प्राप्त होता ।हाँ, जो गृह तथा क्षेत्र
आदि मूल्य देकर क्रय किए गए हो, वे देय या दान करने
की वस्तु हो सकते हैं ।”

* पूर्व मीमांसा दर्शन पर मट्टदीपिका टीका (मैसूर
संस्करण) खण्ड २, पृ० ३१७ ।

धर्मशास्त्रकार कात्यायन ने इस विषय का विवेचन इस प्रकार किया है—

“जब स्मृति में यह कहा गया है कि राजा भूमि का स्वामी है, उसके अन्य द्रव्यों का स्वामी नहीं है, तब उसका फल या परिणाम यही है कि वह भूमि की उपज का छठा अंश ले सकता है, और किसी प्रकार वह उसका स्वामी नहीं है। उसे जो स्वामित्व प्राप्त है, वह इसी लिये है कि उसमें प्राणियों का निवास है; और उनकी शुभ या अशुभ जो क्रियाएँ हैं, उनकी उपज का छठा अंश ही उसका भाग है।”

इस पर टीका करते हुए मित्र मिश्र ने कहा है—

“इसका अर्थ इस प्रकार है—राजा भूमि का स्वामी है। उस भूमि से संबद्ध जो और द्रव्य हैं, उनका वह स्वामी नहीं है। (मूल में जो कहा गया है कि) “और किसी प्रकार नहीं” वह इसलिये कि भूमि पर उसका स्वाम्य नहीं है। भूतों से अभिप्राय प्राणियों का है। उसके निवास से भूमि पर के निवास का अभिप्राय है; स्वामित्व से अभिप्राय राजा के स्वामित्व से है। इसलिये वह उनकी क्रियाओं का केवल षष्ठांश ही प्राप्त कर सकता है॥”

* कात्यायन—

₹ ३४६. धर्मशास्त्रों का यही परपरागत मत है। यही मीमांसा का भी मत है, हिंदू-धर्मशास्त्र के संबंध में जिसका मत निर्विवाद और अंतिम है। यह मत उन राष्ट्र-सघटन शास्त्रकारों का है जो यह निर्णय कर गए हैं कि राजा अपनी प्रजा का केवल भूत्य या सेवक है और अपने वेतन-स्वरूप उनसे कर प्राप्त करता है। सेवक या भूत्य स्वयं उस संपत्ति पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, जिसकी रक्षा के लिये वह नियुक्त किया गया है और जिसकी रक्षा करने के लिये उसे

भूस्वामी तु स्मृतो राजा नान्यद्रव्यस्य सर्वदा ।
तत् फलस्य हि षड्भाग प्राप्नुयान्नान्यथैव 'तु ॥
भूताना तच्चिवासित्वात् स्वामित्वं तेन कीर्तिम् ।
तत् क्रियावलिषष्ट्माग शुभाशुभनिमित्तजम् ॥इति ।

अस्यार्थ । राजा, सुवः स्वामी स्मृतः । अन्यद्रव्यस्य, भूमिसम्बद्धद्रव्यस्य, न स्वामी । अन्यथा, भूमिस्वाम्याभावे । भूताना, प्राणिनाम् । तच्चिवासित्वात् । भूनिवासित्वात् । स्वामित्वं, राज्ञ इति शेषः । इत्यतः तत् क्रियावलिषष्ट्मागं प्राप्नुयात् । वीरमित्रोदय, पृष्ठ २७१ ।

वेतन मिलता है। धर्मशास्त्रकारों और राष्ट्र-सघटन सब धी
लेखकों ने एक मत से राजा की जो यह स्थिति बतलाई है,
वह केवल ग्रंथों तक ही परिमित नहीं थी। यह मत
समस्त देश में सार्वजनिक रूप से मान्य था—इतना अधिक
और सार्वजनिक रूप से मान्य था कि किस्से-कहानियों तक

जातक में इसका प्रचार हो गया था। जातक
में, जिसका कुछ अंश हम अगले

प्रकरण में शब्दशः उद्धृत करेंगे, (और वहाँ वह एक
राजा का कथन है) कहा है कि राजा का अधिकार केवल
शासन सबंधी कार्य करने तक ही परिमित है ; इसके
अतिरिक्त उसका और कोई अधिकार नहीं है और वह
समस्त राज्य या देश का स्वामी नहीं है। इसका समर्थन
राज्याभिषेक सबंधी उन संस्कारों और कृत्यों से भी होता है
जो हिंदू एकराजता का मूल आधार हैं और जिनका हम

राज्याभिषेक के पहले ही विवेचन कर चुके हैं। राज्या-
कृत्य भिषेक के समय जितने कृत्य और
संस्कार आदि होते हैं, उनमें कहीं

नाममात्र को भी यह संकेत नहीं मिलता कि राज्य की
भूमि पर राजा का स्वामित्व होने का किसी प्रकार का विचार
या कल्पना रहती थी। अतः हमारी समस्त व्यवस्था के लिये
ही भूमि पर राजा के स्वामित्व का भाव या विचार
परकीय है।

ताम्रपत्रों पर खुदे हुए गुस्तों के ऐसे अनेक दान-लैख हैं जिनकी उस समय के जिले के अधिकारी के कार्यालय में अभिलेख रजिस्टरी हो चुकी थी और जिनकी मुद्राएँ उनपर अंकित हैं। उन अभिलेखों से भी यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भूमि पर लोगों का निजी और व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। जिस प्रकार और दूसरे पदार्थों, (उदाहरणार्थ चल संपत्तियों) के विक्रय पर राजा को षष्ठाश मिलता था, उसी प्रकार कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में भूमि के विक्रय पर भी केवल षष्ठांश ही मिला करता था॥

* इंडियन एन्टिकवेरी १६१०. पृ० १६६-२०४ (ताम्रलेख बी० और सी०) ताम्रलेख ए० में एक ऐसे भूमि-खंड का उल्लेख है जो पौर संस्था के द्वारा विक्रय किया गया है। उसके विक्रेता प्रधान और उनकी सभा दोनों हैं, जिन्हें उसमें, अमरकोष की भाँति, “प्रकृति” कहा गया है। देखो ऊपर ६२५२. पृ० १२६। इस विक्रय में से समाटू को उसका घर्म षष्ठ-भाग मिला था। ताम्रलेख ए०। इंडियन एन्टिकवेरी १६१०, पृ० १६५।

₹ ३५०. इतना सब कुछ होते हुए भी हम स्व० विसेंट स्मिथ कृत Early History of India सरीखी बहुत प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के भारतीय इतिहास कई कई संस्करणों में उनका दृढ़तापूर्वक के ज्ञाताओं का मत प्रकट किया हुआ यह मत देखते हैं—

“भारतवर्ष के देशी धर्मशास्त्रों या कानूनों में यही माना गया है कि कृषि करने योग्य भूमि राजा की ही संपत्ति होती है।”

परंतु भारतवर्ष के देशी धर्मशास्त्रों या कानूनों का जो विधान स्वयं भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने किया है, वह निर्विवाद है और इसके बिलकुल विपरीत है। यह किसी और देश का देशी कानून हो सकता है, पर यह निश्चय है कि भारतवर्ष का नहीं हो सकता। यह उचित और न्यायसंगत नहीं जान पड़ता कि एक ऐसी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का एकाग्री और अनुचित मत प्रकट किया जाय; और वह भी बिना इस विषय का पूरा पूरा और प्रामाणिक विवेचन देखे हुए किया जाय। विल्सन कृत History of Mysore (मैसूर का इतिहास) सन् १८६६ में प्रकाशित हुआ था। इस संबंध में जितनी सामग्री प्राप्त थी, उन सबका भली भाँति अध्ययन करके उन्होंने इस विषय का बहुत ही विस्तार के साथ विवेचन किया था^१; और वह सब सामग्री श्रीयुक्त

^१ खड़ १, दृक्करण ५, पु० ₹५-१३८।

विंसेट स्मिथ को भी सहज में प्राप्त हो सकती थी। विल्कस ने यह दिखलाया है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में से युरोप का सरदारी सिद्धांत या व्यवस्था (Feudal Theory) छँड निकालने के लिये कुछ भी आधार नहीं है। इसी हिंदू-राज्यतत्र की प्रस्तावना (Introduction to Hindu Polity) में यह बतलाया गया था कि इस संबंध में हिंदू साहित्य में क्या क्या बातें मिलती हैं। उसे देखकर श्रीयुक्त प्रो० मैक्डानल और प्रो० कीथ ने, जो भारतीय इतिहास संबंधी बातों के साथ अत्यधिक उदारतापूर्ण विचार और सहानुभूति रखने के अभियुक्त नहीं ठहराए जा सकते, सरदारी सिद्धांत संबंधी सब तर्कों और सामग्री आदि को देखकर अपने प्रसिद्ध ग्रथ Vedic Index* में जो कुछ लिखा था, वह इस प्रकार है—

“जिस बात को प्रमाणित करना अभीष्ट है, उसे प्रमाणित करने के लिये जो प्रमाण मिलते हैं, वे ठीक नहीं हैं। इस संबंध में यूनानी आलोचकों के मत परस्पर-विरोधी हैं। वैदिक साहित्य तथा मानव धर्मशास्त्र और महाभारत से जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे भी यह सिद्धांत प्रमाणित नहीं होता। जहाँ तक दूसरे आर्य लोगों के

* खण्ड २, पृ० २१४-२५।

प्रमाण मिलते हैं, उनसे भी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं होता कि आरंभ में राजा ही भूमि का स्वामी माना जाता था। जहाँ तक हम एंग्लो सैबसन काल या हेमर के समय के यूनान अथवा रोम में देखते हैं, वहाँ तक हमें यही दिखाई पड़ता है कि भूमि पर राजा का इस प्रकार का स्वामित्व कही नहीं था। विद्वान् लेखक लोग यद्यपि वैदिक भारत की तुलना हूँहने के लिये दक्षिण अफ्रिका तक चले जाते हैं, परंतु जैमिनि की पूर्ण उपेक्षा करते हुए उसके पास से चुपचाप निकल जाते हैं, उसके मत का कुछ भी ध्यान नहीं करते॥¹

* मैक्डोनल और कीथ वृत्त Vedic Index, खण्ड २, पृ० २१४-१५। लेखकगण यह भी कहते हैं—“इस बात से इन्कार नहीं” किया जा सकता कि धीरे, धीरे लोग अनिश्चित रूप से यह समझने लग गए थे कि भूमि पर राजा का स्वामित्व का अधिकार है, जैसा कि अब तक अँगरेज राजा का अधिकार समझा जाता है।¹ इस कथन का भी इसके लिया और कोई आधार नहीं है कि ‘जैशा कि अब तक अँगरेज राजा का अधिकार समझा जाता है’ और जो इस भ्रमपूर्ण सिद्धांत का मूल दोष है। इस सिद्धांत का निर्जीव अवशिष्ट अब तक अनिश्चित रूप से चलता है।

₹ ३५। श्रीयुक्त विन्सेन्ट स्मिथ ने अपनी उक्त पुस्तक
 के दूसरे संस्करण (पृ० १२६) में तो अपने मत के समर्थन
 में किसी आचार्य आदि का उल्लेख
 अर्थशास्त्र के टीका- नहीं किया है, परन्तु अतिम संस्करण
 कार का श्लोक (सन् १६१४, पृ० १३१ की पाद-
 टिप्पणी) में अर्थशास्त्र २. २४. (पृ० १४४) के एक अनुवाद
 में से अनुवादक का ही अनुवाद किया हुआ एक वाक्य
 उद्धृत किया है । उस वाक्य का आशय इस प्रकार है—
 ‘जो लोग शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता हैं, वे यह स्वीकृत करते हैं
 कि राजा स्थल और जल दोनों का स्वामी है और सर्व-
 साधारण इन दोनों वस्तुओं को छोड़कर और सब वस्तुओं
 पर स्वाभित्र का अधिकार रख सकते हैं ।’ यह वाक्य
 राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का
 अनुवाद है, जिसे अर्थशास्त्र के एक टीकाकार ने
 उद्धृत किया है । यह टीका मदरास की ओरिएटल
 गवर्नमेंट लाइब्रेरी में रखित है और श्रीयुक्त प्रो०
 कृष्णस्वामी ऐयगर की कृपा से मुझे उसकी एक
 ऐसी प्रतिलिपि मिली है, जो उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन
 के निरीक्षण में प्रस्तुत हुई है । उसमें मूल श्लोक इस
 प्रकार है—

राजा भूमेः पतिदृष्टः शास्त्रैषदकस्य च ।
 ताम्यामन्यन्न यद्दद्वयं तत्र साम्य कुदुम्बनाम् ॥

जो लोग हिंदू धर्मशास्त्रों से अभिज्ञ हैं, वे इस श्लोक को एक बार देखते ही समझ जायेंगे कि ऊपर इसका जो अनुवाद दिया गया है, वह इस श्लोक का वास्तविक अर्थ या अभिप्राय नहीं है। इस श्लोक का सीधा सादा अर्थ यह होता है—“शास्त्रज्ञों के मत से राजा भूमि और जल का पति (रक्षक) है। इन दोनों के अतिरिक्त और जो कुछ द्रव्य या संपत्ति है, उस पर उसके कुदुम्ब के लोगों का समान रूप से अधिकार है।”

वास्तव में यह मीमांसा का एक सिद्धांत है और उसी को धर्मशास्त्रकारों वथा राष्ट्र-संघटन संबंधी लेखकों ने दोहराया है। फिर राजपरिवार के लोगों के अधिकारों के सबंध में भी यही बात दोहराई गई है। किसी राज्य का विभाग या बँटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राज्य राजा की संपत्ति नहीं है। जैसा कि शास्त्रकारों ने कहा है, भूमि और उसमें के जलाशय केवल इस दृष्टि से राजा के अधिकार में हैं (वह उनका पति है) कि वह उनका रक्षक है; इससे अधिक और कुछ नहीं। वह उन सबका रक्षक मात्र है। इसी लिये उसके परिवार के लोगों का उन पर उस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा सम्मिलित परिवार के लोगों को होता है। रक्षक के रूप में वह कर लेता है और वह भूमि तथा जल का रक्षक है; इसलिये वह इन दोनों की आय से कर लेने का

अधिकारी है। उसके परिवार के लोगों का न तो उस कर से और न कर के साधनों या उद्गमों से किसी प्रकार का सब ध या सरोकार है।

अनुवाद के भाव को मूल श्लोक का भाव बतलाना बहुत ही अनुचित और निंदनीय है। और यह कहना कि यह भाव अर्थशास्त्र के एक टीकाकार का है, मानो हिंदू काल के एक हिंदू लेखक को पागल ठहराना है। जिस व्यक्ति के संस्कार शास्त्रों की सम्यता और परंपरागत बातों से युक्त होंगे, वह दिमाग ठीक रहने की दशा में कभी वह बात नहीं कह सकता, जो जबरदस्ती उस श्लोक के कर्त्ता* के सिर मढ़ी जाती है।

* इस टीकाकार का नाम और काल शात नहीं है।

पैंतीसवाँ प्रकरण

हिंदू राजा की स्थिति

ई २५२. अब हम संक्षेप में यह बतलाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू राजा की क्या स्थिति थी ।

राजा और उसके राज-परिवार की वृत्तियाँ बँधी हुई थीं, जिन्हें वेतन कहते थे । यह वेतन राज्य की आय और

राज-परिवार का वेतन राजा तथा देश की स्थिति के विचार से नियत किया जाता था । समस्त राज-कर उसका वेतन नहीं होता था । पटरानी, दूसरी छोटी रानियों, राजमाता, राजकुमारों तथा राज-परिवार के दूसरे लोगों के वेतन भी नियत थे ।

* अर्थशास्त्र पृ. २. ६१ (पृ० २४५) ।

दुर्गजनपदशत्र्या भृत्यकर्मसमुदयवादेन स्थापयेत् । कार्य-साधनसहेन वा भृत्यलाभेन शरीरमवेदेत् । न धर्मार्थी पीडयेत् । - यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजा भी भृत्यों के ही अंतर्गत है । समानविद्येभ्युच्छिरुणवेतनो राजा । (पृ० २४६)

§ ३४३. प्रजा के विशिष्ट व्यक्तियों पर राजा का कोई अधिकार नहीं होता था। यद्यपि वह स्वामी कहलाता था, तथापि जिस प्रकार लोग यह राजा किसी प्रजा का जानते थे कि सूर्य नित्य उदय होता का स्वामी नहीं था है, उसी प्रकार वे यह भी जानते थे कि अपराधियों को छोड़कर राजा और किसी प्रजा का स्वामी नहीं है। जातकों में न तो दार्शनिक तत्त्व ही हैं और न आदर्श ही, वल्कि जीवन में नित्य प्रति हैनेवाली घटनाओं का उल्लेख है। उन्हीं जातकों में की एक कथा में यह प्रसग आया है कि एक राजा की परम सुदृशी रानी ने उस राजा से कहा था कि मैं समस्त राष्ट्र या प्रजा पर पूर्ण अधिकार चाहती हूँ। इसके उत्तर में उस राजा ने कहा था —

“हे भद्रे, मेरे लिये समस्त राष्ट्र के निवासी कोई चीज नहीं हैं। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ (अर्थात् वे अपने स्वामी आप हैं)। मैं केवल उन्हीं लोगों का स्वामी हूँ, जो शासक के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं या कोई अकर्त्तव्य (नियम-विरुद्ध) कार्य करते हैं। इस कारण मैं तुम्हें अपने समस्त राष्ट्र के निवासियों पर ईश्वरत्व या स्वामित्व प्रदान करने में असमर्थ हूँ*।”

* जातक, खण्ड १, पृ० ३६८। भद्रे मह्य सकलरुद्ध-वासिनों न किञ्च होन्ति नाह तेसा सामिको ये पन राजान

६५४. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ राजा की क्या स्थिति थी, उसके लिये कितने अधिक

राष्ट्र-संघटन की दृष्टि से राजा एक सेवक था

बधन और प्रतिबध थे और वह पौर-जानपद की राष्ट्र-संघटन सब धी शक्ति के कितने अधीन था। आरभ से ही उसके सल्लाह ऐसे होते थे कि उसे

सार्वजनिक मत पर तुरत ध्यान देना पड़ता था। इन सब बातों को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि उसकी स्थिति वास्तव में राष्ट्र के एक सेवक या भूत्य के समान थी, या जैसा कि हमारे पूर्वज लोग कठोरतापूर्वक कह गए हैं, वह घोर परिश्रम करनेवाला दास था। रामायण में तो यहाँ तक आदर्श उपस्थित किया गया है कि यदि प्रजा की हँच्छा देखें, तो राजा अपनी प्रिय पत्नी तक का परित्याग कर दे। यद्यपि राजा का स्थिति व्यक्त करने का यह एक प्रचलित, पर भद्दा, ढग है, तथापि इससे यह बात बहुत ही

कोपेत्वा अकन्तव्यं करोन्ति तेऽन्तेवाह सामिको ति इमिना कारणेन न सक्ता तुद्यं सकलरह्ये इस्तरियन्न आण्ड्व दातुं ति ।

जान पड़ता है कि सुभीते के विचार से राजा को अपने राजप्रासाद में एक उच्च प्रकार का अधिकार प्राप्त होता था (वशं = पूर्ण अधिकार) ।

उत्तमतापूर्वक सिद्ध होती है कि हिंदू राष्ट्र-संघटन अपने राजा से यहाँ तक कह सकता है कि तुम अपने पद के सामने अपने व्यक्तित्व को कोई चीज मत समझो, व्यक्तित्व को पद में लीन हो जाने दो। जहाँ इस प्रकार के सिद्धात हो, वहाँ राजा सचमुच राष्ट्र और उसके संघटन का दास ही होगा। हिंदू एक-राजत्व का सब से बड़ा समर्थक कौटिल्य भी यह नहीं चाहता कि राजा अपनी कोई व्यक्तिगत रुचि या अरुचि रखे। वह कहता है—“राजा को स्वयं अपना कोई हित प्रिय नहीं रखना चाहिए। उसे केवल प्रजा का ही हित प्रिय होना चाहिए*।”

त्याग के इतने उच्च भाव के कारण ही जो व्यक्ति राष्ट्र-संघटन की दृष्टि से राष्ट्र का दास होता था, वही नैतिक दृष्टि से उसका स्वामी भी होता था। वह नैतिक दृष्टि से “एक ऐसा आदमी होता था, जो बहुत से बुद्धिमानों और वीर पुरुषों पर शासन करता था।” महाभारत में कहा है कि “धोड़े या बकरी की भाँति” उसका जन्म भी दूसरों के लिये ही होता

* अर्थशास्त्र १०. १६. १६ (पृ० ३६) ।

प्रजासुखे सुख राज्ञः प्रजाना च हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हित राज्ञः प्रजाना तु प्रिय हितम् ॥

है। जिस व्यक्ति को हिंदुओं के राजा होने का सौभाग्य प्राप्त होता था, उस व्यक्ति के लिये हिंदू राजत्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट आदर्श होता था।

६३५५. राजा की उपयोगिता बहुत अधिक थी। वह मंत्रियों और परिषद् की बदली करता था और शासन के उपयोगिता सब विभागों में सामंजस्य रखता था। उसमें स्वार्थ त्याग का बहुत अधिक भाव होता था; उसकी बहुत उच्च परपरा तथा स्थिति होती थी, और इन सब कारणों से नैतिक हृषि से उसका स्थान मंत्रियों और माडलिंकों आदि से बहुत ऊँचा होता था। यदि कोई प्रांतीय शासक या माडलिंक खराब होता था, तब भी प्रजा अपने राजा से उसके सुधार की पूरी पूरी आशा रखती थी और वह राष्ट्र को छिन्न-भिन्न नहीं होने देता था*। मन्त्री तो आते-जाते रहते थे, पर वह स्थायी रूप से रहता था। जिस समय वह शक्तिहीन हो जाता था, उस समय भी वह, जैसा कि कौटिल्य ने कहा

* अर्थशास्त्र १. १२७ (पृ० ३२०)।

मन्त्रपुरोहितादिभूत्यवर्गमध्यक्षप्रचार पुरुषद्रव्यप्रकृति-
व्यसनप्रतीकारमेघनक्ष राजैव करोति व्यसनिषु वामास्ये-
ष्वन्यानव्यसनिनः करोति ।

है, राज्य का सूचक चिह्न या ध्वज होता था* । लोगों को राजनिष्ठ बनाए रखने के लिये वह राज्य का भट्टा होता था और राष्ट्र को सघटित तथा एक बनाए रखता था । शुक्र के शब्दों में वह “राज्य-रूपी वृक्ष का मूल” होता था । उसने कहा है—

“राजा राज्य-रूपी वृक्ष का मूल है, मन्त्रि-परिषद् उसका धड़ या स्कध है, सेनाधिपति उसकी शाखाएँ हैं, सैनिक उसके पल्लव हैं, प्रजा उसके पुष्प हैं. देश की सपन्नता उसके फल हैं, और समस्त देश उसका बीज है† ।”

यदि राजा न होता, तो शासन के सब काम मन्त्रियों के हाथ में चले जाते ; और उस वृक्ष के फल तथा भावी फलों के बीज उनके हाथ चले जाते और वे अनुचित रूप से उनसे लाभ उठाने लगते ।

* अर्थशास्त्र ५. ६. ६५. (पृ० २५४)---
ध्वजमात्रोऽयम् ।

† शुक्रनीतिसार ५. १२ ।

राज्यवृक्षस्य नृपतिर्मूल स्कन्धाश्च मन्त्रिणः ।
शाखा सेनाधिगा सेनाः पल्लवा कुसुमानि च ।
प्रजा. फलानि भूमागा बीज भूमिः प्रकल्पिता ॥

राजा की उपयोगिता और उसके श्रेष्ठ त्याग का जीवन देखते हुए* हिंदू जगत् ने अपना अतिम वक्तव्य भीष्म के मुख से, जो हिंदू साहित्य में हिंदू राजत्व के प्रतिनिधि हैं, इस प्रकार कहलाया है—

सर्वधर्मपर क्षात्र लोकश्रेष्ठ सनातनम् ।

अर्थात्—‘समाज के सब धर्मों या कर्तव्यों में क्षात्र-धर्म या शासन सदा श्रेष्ठ रहता है ।’

— — —

* महाभारत, शाति॒पर्व, अ० ६३. २६ ।

आत्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा
लोकज्ञानं पालनं मोक्षणम् ।
विषणुनामोक्षणं पीडिताना
क्षात्रे धर्ममें विद्यते पार्थिवानाम् ॥

छत्तीसवाँ प्रकरण

हिंदू एकराजत्व की विशेषता

६ ३५६. ऊपर मीमांसा का जो विवेचन किया गया है, राज-कर सबंधी जो सिद्धात बतलाया गया है और राज्याराज्य एक थाती भिषेक संबंधी जिस प्रतिशा का उल्लेख हुआ है, उन सबको देखते हुए तथा ऊपर जो और बाते बतलाई गई हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदुओं की दृष्टि में एकराज शासन-प्रणाली के अधीन राज्य एक थाती के समान रहता था। इस थाती का उद्देश्य श्रुति के उस वाक्य में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया है, जिसका उच्चारण प्रत्येक राज्याभिषेक के समय होता था और जिसका आशय यह था —“यह राष्ट्र तुम्हें दिया जाता है। तुम इसके संचालक, नियमक और इस उच्चरदायित्व के दृढ़ वहनकर्ता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि (की वृद्धि) कल्याण,

संपन्नता, (प्रजा के) पोषण (अर्थात् सफलता) के लिये दिया जाता है* ।

इस प्रकार राज्य-रूपी जो थाती राजा को सौंपी जाती थी, वह प्रजा की संपन्नता और कल्याण के लिये सौंपी जाती थी । इसका मूल सिद्धात यही है, जो परवर्ती साहित्य में इतने रूपों में व्यक्त किया गया है और जिसके कारण अंत में यह एक निश्चित सिद्धात बन गया था कि राजा अपनो प्रजा का सेवक है और वेतन पाता है । यदि थाती का उद्देश्य पूरा न हो, तो कहा गया है कि जिसे थाती सौंपी गई है, उसे उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, जिस प्रकार समुद्र में वह पोत छोड़ दिया जाता है, जिसके पैदे में छोट हो जाता है† ।

* शुक्ल यजुर्वेद ६. २२ ।

“यह तेरा राज्य है । तू शासक है, तू नियन्त्रण करने-वाला है, तू दृढ़ है और दृढ़निश्चयी है ।”

“तू कृषि के लिये है, तू सुख और शांति के लिये है, तू हमारे द्रव्यों की वृद्धि करने के लिये है ।”

(आर० टी० एच० ग्रिफिथ के ऑगरेजी अनुवाद के आधार पर ।)

† महाभारत, शातिपर्व ५७. ४३ ।

हिंदू एकराजता की इन बातों से हमें उसके महान् और विशिष्ट स्वरूप का ज्ञान होता है। राज्य का चरम उद्देश्य यही होता था कि प्रजा में पूरी शांति बनी रहे और वह खूब सपन्न हो। राजा पर कभी धार्मिक कर्तव्य नहीं लादे जाते थे। वैदिक काल में भी वह कभी पुरोहित का काम नहीं करता था। सपन्नता से वास्तव में ऐहिक सपन्नता का ही अभिप्राय था; क्योंकि राज्य का सघटन कृषि और धन आदि के लिये ही होता था। और जो संपन्नता उपयुक्त और ठीक शासन तथा न्याय से प्राप्त होती थी, वह अपने साथ ही साथ निश्चित रूप से नैतिक सपन्नता या कल्याण लानेवाली भी समझी जाती थी।

६५७. एक बात और है। हिंदुओं का एकराज राज्य वास्तव में एक नागरिक राज्य था। यद्यपि स्थायी

नागरिक राज्य सेनाओं का पता ई० पू० छठी शताब्दी
 से ही लगता है और कदाचित् उनका अस्तित्व और भी कई शताब्दी पहले से रहा हो और यद्यपि समय समय पर एकराज राज्य में सात आठ लाख तक स्थायी सेनाएँ रही हो,* तथापि इसमें सदेह नहीं कि हिंदू राज्य कभी सैनिक राज्य नहीं होता था। प्रांतीय शासक या

* अर्थात् चंद्रगुप्त मौर्य के समय में।

माझलिक लोग सदा नागरिक अधिकारी ही होते थे, सैनिक अधिकारी नहीं होते थे। शिलालेखों में तितनी आज्ञाएँ मिलती हैं, वे सब नागरिक अधिकारियों के ही नाम हैं। प्रधान सेनाध्यक्ष और सेना के दूसरे बड़े-बड़े अधिकारी राष्ट्र परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाते थे जिसमें सेनाध्यक्ष का कोई स्थान नहीं होता था। हमारे यहाँ सेनाएँ कभी किसी को राजा नहीं बनाती थीं और न किसी को राज्यच्युत करती थीं। हमारे यहाँ नागदर्शक, पालक और इन लोगों से भी बहुत पहले वेण आदि कई राजा राज्यच्युत किए गए थे; पर वे सब राजधानी के नागरिकों तथा दूसरी नागरिक जनता के द्वारा राज्यच्युत किए गए थे, न कि सेनाओं द्वारा राज्यच्युत हुए थे। हमारे यहाँ राजा की कई उपाधियाँ थीं, जैसे नरपति, या प्रजा का रक्षक, भूपति या देश का रक्षक, भट्टारक या प्रभु और महाराज आदि, और यद्यपि हमारे यहाँ के राजाओं की व्यक्तिगत वीरता का भी बहुत कुछ उल्लेख मिलता है, तथापि राजा की कोई ऐसी उपाधि नहीं मिलती जो सेना सबंधी या सैनिकता की सूचक हो। सर्वप्रधान शासक होने के कारण वह अवश्य ही सेना का भी सर्वप्रधान अधिकारी था; और वह प्रायः युद्धक्षेत्र में जाकर सेनाओं का सचालन और युद्ध करता था; पर वह एक व्यक्तिगत बात थी। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिद्धात नहीं है जो उसे सैनिक महत्व देता हो। उसे सेना का

संचालन करने और सेनापति बनने का कोई विशिष्ट अधिकार नहीं होता था। वैदिक काल से ही सेनापति का पद राजा के पद से बिलकुल भिन्न हुआ करता था (§ २११)।

इसी प्रकार हमारे यहाँ यह भी सिद्धात था कि जहाँ तक हो सके, युद्ध न किया जाय, और विशेषतः केवल दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिये युद्ध करना तो और भी अनुचित समझा जाता था। हिंदू राजनीति का यह मानो एक प्रकार से निश्चित सिद्धात था*। सैनिकता कहाँ अपने विशिष्ट रूप में नहीं दिखलाई देती।

§ ३५८ इसके विपरीत, जैसा कि हम बतला चुके हैं, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राज्यतत्र में धर्म या कानून का स्थान सबसे बढ़कर और उच्च था। महाभारत में राज्याभिषेक की जो प्रतिशा है, उसमें भी धर्म का बहुत अधिक महत्व हम देख ही चुके हैं। हमारे यहाँ धर्म पर जो इतना जोर दिया गया है, उसी से यह सूचित होता है कि हिंदू एकराज तत्र का विशिष्ट स्वरूप नागरिक ही था, सैनिक नहीं था।

* मनु ७. १६६. महाभारत ६६. २३. “बृहस्पति ने यह विधान किया है कि बुद्धिमान् राजा को केवल दूसरे राजा का देश जीतने के विचार से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए।”

६३५६. युद्ध और विजय के धर्म या नियम आदि नागरिक धर्म के अतर्गत और उसके अन्तर्गत ही होने थे।

विजय और न्याय
का मात्र
यहाँ तक कि प्रायः विजय के प्रश्न पर
पौर धर्म की दृष्टि से विचार किया जाता
था और धर्म की नैतिकता तथा मर्यादा

का ध्यान रखा जाता था। यदि कोई राज्य युद्ध में
जीत लिया जाता था, तो वहाँ का शासन फिर वहाँ के
प्राचीन राजवंश को सौंप दिया जाता था। मनवधर्म-
शास्त्र* में यह विधान एक-ऐसे राज्य का अनुभव करने के
उपरात किया गया था। जो प्रायः समस्त भारत में और एक
राजा के अधीन था और जो एक सागर से दूसरे सागर तक
और मदरास से हिंदूकुश तक विस्तृत था। उसका आधार
उचित उत्तराधिकार का कानूनी सिद्धात था। यह कोई
ऐसा कोरा सिद्धात नहीं था जो एक बार शुभ भावना के
रूप में प्रतिपादित कर दिया जाता था और बाद ने मुला
दिया जाता था। इसकी चौथी से दसवीं शताब्दी तक
इस सिद्धात का बहुत अधिक पालन किया जाता था। गुप्त
राजवंश के महान् विजयी समुद्रगुप्त का प्रयाग ने जो स्तम्भा-

* मनु ७. २०२। दूसरे धर्मशास्त्रों में भी यहीं सिद्धात प्रतिपादित किया गया है।

भिलेख है, उससे भी यही सूचित होता है कि इसी सिद्धात का अनुसरण किया गया था। कालिदास ने भी इस प्रथा का उल्लेख किया है। सबसे पहले मुसलमान यात्री-लेखक सुलेमान ने भी इसकी साक्षी दी है। उसने कहा है—“वे लोग अपने पड़ोसी राजाओं के साथ जो युद्ध करते हैं, वह प्रायः उनके राज्यों पर अधिकार कर लेने के विचार से नहीं करते।... ... जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेता है, तब वह वही के राजवश के किसी व्यक्ति को वहाँ का राज्य और शासन सौप देता है। (सन् ८५१। अबू जैद द्वारा लिखित सुलेमान सौदागर का यात्रा-विवरण Account of the Merchant Sulaiman as recorded by Abu Zaid एवं रेनाडाट कृत अनुवाद १७१८।) हिंदू बुद्धिवाद के समय, जो हिंदू इतिहास का सबसे अच्छा समय माना जाता है, यह सिद्धात उस रूप में प्रचलित था जो यूनानी लेखकों ने हिंदुओं की पर-राष्ट्रनीति के सबध में देखा था। मेगास्थनीज के लेखों के आधार पर एरियन ने अपने Indika नामक ग्रंथ (६) में इस प्रकार लिखा है—

“वे (हिंदू) कहते हैं कि न्यायशीलता किसी हिंदू राजा को भारत की सीमाओं से बाहर जाकर विजय प्राप्त करने से रोकती है।”

६३६०. यद्यपि चद्रगुप्त अपने समय में “सुसार में सबसे अधिक वलशाली राजा” (रहीस डेविड्स) था और उसके दो उत्तराधिकारी भी ऐसे ही वलशाली थे और यद्यपि मौर्य सम्राटों के पड़ोसी सेल्यूक्स का साम्राज्य बहुत ही दुर्बल और छिन्न-भिन्न हो रहा था, तथापि इसी सिद्धात ने उन्हें भारत की उस समय की प्राकृतिक सीमा हिंदूकुश को पार करने से रोका था और उन्होंने कभी उसे जीतने का विचार भी न किया था ।

६३६१. हिंदू राज्यों की आयु असाधारण रूप से दीर्घ हुआ करती थी (६३७१) और राजा तथा प्रजा में कभी नागरिक राज्य तत्र का परिणाम दीर्घायुष्म कोई भीषण सघर्ष नहीं होता था, और हम समझते हैं कि समाज शास्त्र के ज्ञाता इतिहासज्ञ लोग इन बातों का मुख्य कारण यही मानेगे कि हिंदू राज्यतत्र का स्वरूप नागरिक और धर्मयुक्त था ।

सैंतीसवाँ प्रकरण

साम्राज्य-प्रणालियाँ

६३२. ऐतरेय ब्राह्मण मे प्रजातंत्री राज्यो के वर्ग के उपरात एकराज राज्यो का वर्ग रखा है, जिसके नीचे लिखे भेद आधिपत्य और बतलाए हैं—(१) राज्य, * (२) महाराज्य, सार्वभौम (३) आधिपत्य और (४) सार्वभौमाँ।

* राज्य के साथ “पारमेष्ठ्य” विशेषण लगा है जो कदाचित् उसे श्रेष्ठ राज्य सूचित करने के लिये लगाया गया है। “सर्वेषा राजा श्रैष्ठ्यमतिष्ठा परमता गच्छेयम् ।” यह भी संभव है कि पारमेष्ठ्य किसी प्रकार का ऐसा एक-राज्य हो, जिसका शासन-संघटन कुछ भिन्न रहा हो। मिलाओ—राजानं राजपितर परमेष्ठिनं पारमेष्ठ्यम् । (ऐत० द. १२) हमे स्मरण आता है कि हमने महाभारत मे कोई ऐसा पद देखा है जिसमें एक राजा को परमेष्ठी कहा गया है। स्वावश्य (द. १२) का प्रचार बहुत कम था और वह कदाचित् स्वेच्छापूर्ण एकतंत्र शासन प्रणाली का अवशिष्टाश था; और वह महाभारतवाली प्रतिशा में हिंदू एकराजता से विशेष रूप से बहिष्कृत किया गया है।

[†] द. १५. साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य वैराज्यं पारमेष्ठ्य राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमय समतपर्यायी स्यात् ।

महाराज्य की कोई परिभाषा नहीं की गई है। पर उसमें जो विशेषण ‘‘महा’’ लगा हुआ है, उससे आपेक्षिक सबंध सिद्ध होता है, और यह जान पड़ता है कि एक ही प्रकार के एकराज राज्यों में जो अधिक बड़ा और श्रेष्ठ होता था, वह महाराज्य कहलाता था। कदाचित् महाराज्य अपने आस-पास के क्षेत्रे राज्यों से बड़ा होता था और उसके संघटन में कुछ ऐसी विशिष्ट बाते होती थीं जो अभी तक जात नहीं है। ‘‘आधिपत्य’’ शब्द अपने पारिभाषिक भाव में यही सूचित करता है कि उसका राजा कई रक्षित राज्यों का अधिपति हुआ करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में आधिपत्य का उल्लेख करने के उपरात कहा गया है—“मैं अपने आस-पास के राज्यों का राजा होऊँ॥” अत आधिपत्य एक ऐसी साम्राज्य-प्रणाली जान पड़ती है, जिसमें मुख्य राज्य को अपनी सीमा के बाहरी और आस-पास के राज्यों पर विशेष सरक्षण या प्रधानता (आधिपत्य) प्राप्त होती थी। खारवेल का महाराज्याभिषेक हुआ था, पर उसने बहुत से देशों पर विजय प्राप्त की थी और राजसूय यज्ञ किया था और कदाचित् इसी लिये वह अधिपति और चक्रवर्ती कहा गया था।

* ऐतरेय, द. १५. समन्त पर्यायी स्थान्।

† जायसवाल J. B. O. R. S. द. ४३४, ४५६.
और ४. ३७६, ३८६।

सार्वभौम होने की कामना करने का अभिप्राय यह था कि देश की प्राकृतिक सीमाओं और समुद्र तक का देश अपने अधीन हो जाय और सब मनुष्यों पर अपना शासन हो*। यह बड़े एकराज्य का ही एक भेद है, जिसका आधार जातीय या राष्ट्रीय अर्थात् शतपथ ब्राह्मण का जानराज्य नहीं होता था, बल्कि जो सीमा के आधार पर होता था। सार्वभौम होने के लिये यह आवश्यक था कि प्राकृतिक सीमाओं के अद्वार जितनी भूमि हो, उस सब भूमि (सर्व-भूमि) का स्वामित्व प्राप्त हो, अर्थात् प्राकृतिक सीमाओं से युक्त पूरे देश का राज्य हो। कौटिल्य ने यह प्राकृतिक सीमाओंवाला भाव उसे “चातुरत” राज्य कहकर प्रकट किया है, अर्थात् ऐसा साम्राज्य जो चारों सीमाओं तक विस्तृत हो, और इसकी व्याख्या करते हुए उसने कहा है—“यह ऐसा साम्राज्य-क्षेत्र है, जो कन्या कुमारी से लेकर हिमालय पर्वत तक विस्तृत है, अर्थात् समस्त भारतँ।” समुद्र तक विस्तृत एक राजा के

* ऐतरेय ब्रा० द० १८ ।

सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्र-
पर्यन्ताया एकराद् ।

† अर्थशास्त्र ३. १. ५८, पृ० १४६ ।

‡ उक्त ग्रंथ ६. १. पृ० ३३८ ।

साम्राज्य का भाव कदाचित् पहले मगध में उत्तन्न हुआ था, क्योंकि वहाँ से बगाल की खाड़ी तक विजय के लिये खुला मैदान पड़ा था। दोआव के आर्य जनों की जातियों के विपरीत वहाँ अनार्य जातियों का निवास था; और उन अनार्यों को हिंदू साम्राज्यवादी लोग नैतिक दृष्टि से अपने लिये कोई बाधक नहीं समझते थे।

इस प्रकार हमें दो मुख्य प्रणालियाँ मिलती हैं; एक तो आधिपत्य प्रणाली और दूसरी सार्वभौम प्रणाली^{*}। मगध के राजाओं ने, जिन्होंने जानराज्य का सिद्धात छिन्न-भिन्न कर डाला था, आर्य मारत तक अपनी सार्वभौम प्रणाली का विस्तार और प्रयोग किया था। वैदिक काल के प्राचीन राजवशो का नाश करके महापञ्च ने जो एकगज्य और एकछत्र राज्य स्थापित किया था, उसकी हिंदू इतिहास-कारों ने निंदा की थी। (§ ३६३.)

* सार्वभौम से समस्त पृथ्वी का अभिप्राय नहीं है। देखो § ३५१ में देश के अर्थ में “पृथ्वी” शब्द का प्रयोग। अर्थशास्त्र पृ० ३३८ के अनुसार भी पृथ्वी का अर्थ देश ही है।

† देखो Pusan Text (Pargiter) पृ० २५, जायसवाल J. B. O. R. S. १. १११।

§ ३६३. इसके साथ ही साम्राज्य-प्रणाली का भी प्रचार था। यह सार्वभौम प्रणाली में और कठान्चित् आधिपत्य नामान्य प्रणाली प्रणाली से भी पुरानी थी। वैदिक साहित्य में यह प्रणाली बहुत अच्छी मानी गई है। यह वात विशेष महत्व की है कि ऐतरेय व्राह्मण में वह एकराज प्रणालियों से अलग रखी गई है। इसमें भी बढ़कर आश्चर्य की वात यह है कि उक्त व्राह्मण में इस प्रणाली को अ-गज प्रणालियों की सूची में सबसे ऊपर स्थान मिला है। यदि हम इस प्रणाली के सब अंगों को व्यानपूर्वक देखें, तो इसका कारण भी समझ सकते हैं। साम्राज्य शब्द ऐसे अनेक राज्यों के समूह का सूचक है जो किसी एक बड़े राज्य के अधीन हो। आज-कल के शब्दों में इने संघ साम्राज्य-प्रणाली या Federal Imperial System कह सकते हैं। अपने संघात्मक स्वरूप के कारण ही यह एकराज प्रणाली से भिन्न है। ऐतरेय व्राह्मण के अनुसार प्राची दिशा के शासकों ने अपना साम्राज्याभिषेक कराया था, अर्थात् प्राची या मगध में इस साम्राज्य प्रणाली का बैंद्र था। शुक्र अजुवेद में इस वात का उल्लेख है कि भारत के एक दूसरे भाग (पश्चिम) में यह प्रणाली प्रचलित है (१५. १२)। प्राची में जरासंघ के वंशजों का राज्य था, इतिहास में जिसका उल्लेख उसके पूर्वज वृहद्धथ के नाम से है। महाभारत में कहा

है कि जरासंघ ने सम्राट् का पद प्राप्त किया था। जरासंघ उस संघ संस्था का प्रधान या सम्राट् था और चेदि का राजा शिशुपाल उसका सर्वप्रधान सेनाध्यक्ष था। इस विवरण से हमें यह पता चलता है कि उस संघ में कई स्वतंत्र राज्य सम्मिलित थे। महाभारत के पहले पर्व में हमें यह लिखा मिलता है कि बहुत से राजा मिलकर स्वतंत्रतापूर्वक एक सम्राट् का निर्वाचन करते हैं और उसे उप पद पर अनिष्टिक करते हैं*। सभापर्व की और वातो से यह भी ध्वनि निकलती है कि राजाओं ने आत्मरक्षा के विचार से यह प्रथा चलाई थीं। पर जरासंघ ने उसकी अवहेलना करके और राजाओं को दासत्व की स्थिति में कर दिया था।

इस व्याख्या को देखते हुए हम सहज में यह वात समझ सकते हैं कि विदेह सरीखे छोटे से राज्य के राजा जनक ने किस प्रकार सम्राट् पद प्राप्त किया था†। कोई विशिष्ट और प्रधान व्यक्ति उस संघटन का नेता चुना जा सकता था। जान पड़ता है कि इस संघटन या संस्था के स्वरूप के कारण ही ऐतरेय ब्राह्मण ने इसे सार्वजनिक शासन-संस्थाओं की सूची में स्थान दिया था।

* सभापर्व, अ० १६।

† मिलाओ आदिपर्व, अ० १०० ७।

‡ देखो इस खड़ के पृ० ४ की दूसरी पादटिप्पणी।

₹ ३६४. बृहद्रथ के समय के बाद सार्वभौम प्रणाली का अच्छा प्रचार हुआ था*। ई० पू० ५०० के लगभग जब धीरे धीरे जातीय राज्यों का अत होने लगा, तब इस प्रणाली ने रूप धारण करना आरम्भ किया था (₹ २४७)।

पकराज साम्राज्यवाद का परवर्ती इतिहास वैदिक काल से जो प्राचीन राजवश चले आते थे, उनका धीरे-धीरे अत होने लगा। दूसरी शताब्दी में बड़े-बड़े और अ-जातीय एकराज्यों का यथेष्ट विकास होने लगा। उस समय इस प्रकार के प्रायः तीन राज्य थे। इनमें से एक तो मगध था, जिसने उस समय तक उतनी प्रधानता नहीं प्राप्त की थी; दूसरा कोशल का और तीसरा अवती का राज्य था। आगे चलकर इन तीनों राज्यों में प्रतियोगिता होने लगी और अंत में नदवर्धन के समय में मगध पूर्ण विजयी हुआ†। ई० पू० सन् ४५० के लगभग एक स्थायी सार्वभौम की स्थापना

* ई० पू० ७०० के लगभग। जायसवाल J. B. O. R. S ४, पृ० २६।

† पहले वीतिहोत्रों के अधीन और तब प्रद्योतों के अधीन।

‡ जायसवाल J. B. O. R. S, १८७. १०७।

हुई। सौ वर्ष बाद मगध के शूद्र सम्राट् ने प्राचीन राजवशो का नाम इतिहास के पृष्ठों पर से मिटा दिया (६३६२)। एक पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत में एक-छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। हिंदू इतिहास-लेखकों ने इसे एक नए युग का आरभ माना।

ईसा पूर्व ६००-४५० में लोगों में यह प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि पुराने राजवशों को क्यों जीवित रहने दिया जाय? दो स्थानों पर—एक तो अवती में और दूसरे मगध में—सबसे पहले प्राचीन राजवशों के अधिकार छुने गये। एक राजनीतिक विचारक ने इस सवध का एक सिद्धात ही बना डाला कि जो राजवंश दुर्बल और हीन हो गये हो, उनके गल्यों पर अधिकार कर लेना कर्तव्य है*। ऐसा

* मिलाओ कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र ४. ६. ९५, पृ० २५३-५४ में भारद्वाज का उद्धरण जिसका कौटिल्य ने खंडन किया है। कौटिल्य ने कहा है कि यह प्रणाली नीति-विरुद्ध है। इसमें वास्तव में केवल मंत्रियों का ही शासन होता है; और इसमें सबसे बड़ा भय प्रजा द्वारा दहित होने का है।

भारद्वाज हृदयशूल्य और उम्र लेखक था। उसका असली नाम कणिक था। महाभारत के अनुसार उसने

जान पड़ता है कि प्राचीन राजवशो का आपसे आप अत हो गया और वे अपने कर्त्तव्य-पथ से हट गए।

६५. इस प्रकार के हिंदू-साम्राज्यवाद को चक्रवर्तीं प्रणाली भी कहते थे। इसके संबंध में कहा गया है कि

चक्रवर्तीं यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें साम्राज्य-चक्र अवधित रूप से चल सकता है।

इस विचार का मूल आधार भी वही सीमान्य है। पहले तो इसकी व्याख्या आ-समुद्र कहकर की जाती थी; पर अब इसकी नई व्याख्या में यह कहा जाने लगा कि जो राज्य कन्याकुमारी से काश्मीर तक हो, वह चक्रवर्ती राज्य है*। चक्रवर्ती राज्य का विचार लोगों में है० पू० ५७० या कदाचित् इससे भी कुछ पहले से फैल रहा था। बुद्ध ने

पश्चिमी भारत के एक सौवीर राजा को राजनीति का उपदेश किया था। गोविंदराज ने रामायण अथो० का० १००. ३६ में उसकी नीति को “वक्त” कहा है।

* अर्थशास्त्र पृ० ३३८. देशः पृथिवी। तस्य हिमवत्समुद्रातरमुदीचीन योजनसहस्रपरिमाणमतिर्यक् चक्रवर्ति-क्षेत्रम्। अर्थात्—“सारी भूमि या भारत देश है। उसमें हिमालय से समुद्र तक सीधे उत्तर-दक्षिण एक हजार योजन में चक्रवर्ती क्षेत्र है।”

जो अपने धार्मिक साम्राज्य का नामकरण “धर्मचक्र” किया था, वह राजनीतिक परिभाषा के अनुसार ही किया था। ई० पू० ६०० ५०० मे० पूर्वी भारत के हिंदू यही कहते थे कि विजय करो, विजय करो, केवल विजय करो और उस विजय से एकता उत्पन्न करो। महात्मा बुद्ध उस समय अपने आपको चक्रवर्तीं सम्भाट कहते थे; और जैन-धर्म के प्रवर्तक महावीर अपने आप को अपने समय का जिन या विजेता कहते थे। जिस प्रकार मुगल काल में धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में “वादशाही” कायम करने की धुन थी, उसी प्रकार उससे दो हजार वर्ष पहले भी लोग धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में विजय प्राप्त करके समस्त भारत मे० एकता स्थापित करने की ही चिंता करते थे।

इसमें केवल एकता की भावना ही ऐसी थी जिससे इतिहासकार सहमत हो सकते थे। इसके सिवा उस प्रणाली में और कोई ऐसा तत्त्व नहीं था जो देश के अनुभव को पसद हो सकता। इस प्रणाली का उद्देश्य यही था कि विकट बल सम्पादित किया जाय, पर वह बल मादक द्रव्यों से उत्पन्न होनेवाले अस्थायी और कृत्रिम बल के समान था। अत में उसका परिणाम यही हो सकता था कि सुस्ती और यकावट से आदमी गिर पडे। यह प्रणाली कभी सर्वमान्य नहीं हुई थी। धर्मशास्त्र और राजनीतिक

विचारक लोग फिर उसी पुरानी संघात्मक और आधिपत्य प्रणाली के आदर्शों की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि ग्रलग अलग छोटे राज्यों को जीवित रहने का अधिकार है*।

६३६६. मगध साम्राज्य की एक बड़ी विशिष्टता यह थी कि उसमें समस्त अधिकार एक केंद्र में आकर स्थापित हो गया था। न्याय का कार्य राजा या राज्य के हाथ में चला गया था; और यहाँ तक कि कानून या धर्म भी उसी के हाथ में चला गया था। गाँवों का शासन भी राजकीय अधिकारियों के हाथ में हो गया था। सब लहाज भी राज्य के ही होते थे और राज्य से ही लोगों को मिलते थे। केवल अच्छी बातें ही राजा के हाथ में नहीं आ गई थीं, बल्कि बुरी बातों पर भी राज्य का अधिकार या शासन हो गया था। वेश्याएँ एक राजकीय विभाग के अधीन कर दी गई थीं, द्यूत-कीड़ा

* विष्णु ३. ४७-५८। राजा परपुरावाच्चौ तु तत्र तत्कुलीनमभिपिञ्चेत्। न राजकुलमुच्छृन्द्यात्। साथ ही देखो मनु ७. २०२.

† अर्थशास्त्र पृ० १५० धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्।

या तो सरकारी इमारतों में होती थी या उन इमारतों में होती थी, जिनके लिये सरकार से अधिकार-पत्र या लाइसेन्स मिलता था; और भोजनालय तथा मद्य की दूकानें भी राजकीय विभाग के अधीन हो गई थीं। खानों पर भी राज्य का पूरा पूरा अधिकार हो गया था, बल्कि यदि हम उस समय की भाषा में कहें, तो वे “एक-मुख” कर दी गई थीं। अर्थात् उनसे जो कुछ निकलता था, वह एक ही द्वार से बाहर निकलकर सर्वसाधारण तक पहुँचता था। इनमें से कुछ व्यवस्थाएँ तो लाभदायक थीं और कुछ हानिकारिणी थीं।

इस प्रकार का केंद्रीकरण हिंदू जाति की प्रकृति के विरुद्ध था। शुद्ध ने अपना साम्राज्य अवश्य स्थापित किया था, परन्तु उस साम्राज्य में लोगों का स्वराज्य था, और इसी लिये वह साम्राज्य फला फूला था। इसके विपरीत मगध के साम्राज्य में देश की आत्मा मानो साम्राज्य सिंहासन के चारों ओर जकड़कर बांध दी गई थी; और इसी लिये वह साम्राज्य सफल नहीं हुआ।

६३७. इसके उपरात जिस प्रणाली की परीक्षा या प्रयोग किया गया, वह मानो दोनों के बीच की समझौते की

प्रणाली थी। गुप्त साम्राज्य में कुछ समझौते की थोड़े से छोटे छोटे राज्य अधीनता में साम्राज्य-प्रणाली रहने दिए गए थे, पर न तो वह साम्राज्य शुद्ध संघात्मक प्रणाली का था और न वह निम्न

कोटि की आधिपत्य प्रणाली का ही था; बल्कि वास्तव में वह एक बहुत बड़ा एकराज राज्य था। वास्तविक संघात्मक प्रणाली वही हो सकती थी, जिसमें सब राज्यों के साथ समान व्यवहार होता; और अभी उस प्रणाली की स्थापना होने को बाकी थी।

६३८. हमारे राष्ट्र-संघटन से सबध रखनेवाली बातों के अध्ययन के लिये दूसरे^{*} और तीसरे[†] साम्राज्य केवल बड़े बड़े एकराज राज्य ही है। शांति और युद्ध के भेद से समय समय पर उन साम्राज्यों की अधीनस्थ स्थानों का बल घटता-बढ़ता रहा होगा। युद्ध या आपत्ति-काल में वे संस्थाएँ कुछ दुर्बल हो गई होंगी और शांति काल में कुछ बलवान् हो गई होंगी। परं फिर भी सर्वप्रिय प्रणालियाँ उस समय भी प्रचलित ही थीं।

— —

* गुप्तों के साम्राज्य।

† हर्ष, मौखरियों तथा शौरों के साम्राज्य।

अहंतीसवाँ प्रकरण

हिंदू राज्यतंत्र का पुनः स्थापन

₹ ३६६. ई० सन् ७०० के बाद का समय अधकार-
मय है और उसमें हिंदू-राज्यतंत्र छिन्न-भिन्न हो गया था।
उसकी सर्वप्रथम संस्थाओं का अत हो गया था और
हिंदुओं की परंपरा से आई हुई सब बातें मिटने लगी
थीं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इसके कारणों
का अनुसंधान अभी तक नहीं हो सका है।

₹ ३७०. परन्तु फिर जब शिवाजी और सिक्खों के
समय में हिंदू राज्यतंत्र की पुनः स्थापना हुई तब सिक्खों
की नीति विफल हुई। उनकी विफलता का कारण यह
था कि वे अपने देश की प्राचीन बातों के साथ अपना
संबंध स्थापित न कर सके थे। जो प्रणाली उनके आस-
पास चारों ओर प्रचलित थी, उसी का अनुकरण उन्होंने
मी किया; और ऐसा शासन स्थापित किया जिसमें केवल
एक ही व्यक्ति सब कुछ कर्त्ता धर्ता होता था। गुरु

तो थी, परन्तु पौरजानपद संस्था नहीं थी। पर इस बात के लिये उनका श्रेय अवश्य मानना चाहिए कि आधुनिक समय में सबसे पहले उन्हीं की समझ में यह बात आई थी कि हमारे पूर्वजों ने बुद्धिमत्तापूर्वक अनुभव करके यह स्थिर किया था कि एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए और ऐसा शासन हमारे शास्त्रों के भ्रातों के विशद्ध है। उनमें त्रुटि यही थी कि अपने देश के राष्ट्र-सघटन सत्रंघी इतिहास से वे नितात अपरिचित और अधिकार में थे; और वह अंधकार ऐसा था, जिसे हम तीन शताब्दियों के बाद भी पूरी तरह से दूर नहीं कर सके हैं।

— —

उन्तालीसवाँ प्रकरण

उपसंहार

॥ ३७१. यह उस राज्य-तत्र का सन्दिग्ध विवेचन है, बास्तव में बहुत ही सन्दिग्ध विवेचन है, जो इतिहास में स्वतंत्रतापूर्वक कम से कम तीस शताब्दियों तक चला था*; और ससार के अब तक के जितने राज्यतत्र शात है, उन सबकी अपेक्षा इसके प्रचलन का समय बहुत अधिक और

* कुछ ऐसे सिक्के भी पाए गए हैं जिन्हें हिंदू सिक्कों के परम सुयोग्य आलोचक सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रायः ईसा पूर्व १००० वर्ष का बतलाया है। पुराणों और खारवेल के शिलालेख (J. B. O. R. S. ३, पृ० ४३६-४७) से सूचित होता है कि महाभारत का समय ईसा पूर्व १४२५ था। ई० पू० ३१० में मेगास्थिनीज ने देखा था कि हिंदू लोग आरंभिक समय से चब्रगुप्त के समय तक हानेवाले राजाओं की संख्या १५४ बतलाया करते थे।

विस्तृत है। सभव है कि वैविलोन इसकी अपेक्षा कुछ और शारांशियों तक जीवित रहता, पर आभाग्यवश अब उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया है। इसके विपरीत भारत का अस्तित्व अभी तक बना है; और इस विषय में एक चीन का नागरिक राज्यतंत्र ही ऐसा है, जो भारत की बराबरी कर सकता है।

₹ ३७२. किसी राज्यतंत्र की उपयोगिता और उपयुक्तता का प्रमाण यही है कि वह अधिक समय तक जीवित रहकर विकसित हो सके और मानव-जाति के कल्याण तथा संस्कृति के संवर्धन में सहायक हो। यदि इस हाष्ठि से हिंदू-राज्यतंत्र की परीक्षा की जाय, तो वह बहुत ही सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होगा।

₹ ३७३. हिंदुओं ने राष्ट्र-संघटन के देव्र में जो उन्नति की थी, संभवतः उसकी बराबरी और कोई जाति नहीं कर सकी है; उससे अधिक उन्नति करके उससे आगे बढ़ जाना तो बहुत दूर की बात है। साथ ही हिंदुओं के संबंध में सब से-बड़ी एक और बात यह है कि वे अभी तक नष्ट या मृत नहीं हुए हैं। वे कुछ ऐसे निश्चित विचारों और उद्देश्यों को अपने मन में लिए हुए अब तक जीवित हैं, जिन्हें देखते हुए एक बड़े इतिहासवेत्ता (डंकर) ने कहा है कि वे इतने बड़े और चिमड़े हैं कि मुक्त मले ही जायें, पर दूट नहीं सकते। उनके राज्यतंत्र का स्वर्ण-युग

भूत काल के उदर मे नहीं चला गया है, बल्कि अभी भविष्य के गर्भ मे है। उसका आधुनिक इतिहास सत्रहवी शताब्दी से आरम्भ होता है, जब कि वैष्णव सप्रदाय ने सब मनुष्यों की समानता का उपदेश आरम्भ किया था, जब कि प्राचीन भारत के अस्पृश्य शूद्र ने ब्राह्मण के कधे से कंधा मिलाकर धर्मोपदेश किया था, (और उस ब्राह्मण ने भी उस शूद्र का स्वागत करते हुए उसे उत्साहित किया था), जब कि हिंदुओं के देवताओं का पहले पहल एक मुसलमान द्वारा रची हुई कविताओं का पाठ करके पूजन होने लगा था*, जब कि रामदास ने इस बात की घोषणा की थी कि मनुष्य का शरीर स्वाधीन है और वह सहसा पराधीन नहीं हो सकता, और जब कि एक-राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में ब्राह्मण ने शूद्र का नेतृत्व स्वीकृत किया था ।

* तब से श्रव तक बराबर वैष्णवों के मंदिरों में संध्या समय रसखान के सवैए गाए जाते हैं। इसके साथ गालिब के उस विचार का मिलान होना चाहिए जिसमें उसने यह कामना प्रकट की है कि हिंदू लोग काबे मे कब्रों में गाडे जायें और मुसलमानों की दाह-क्रिया काशी मे हो ।

† नरदेह हा स्वाधीन । सहसा न हे पराधीन ॥
दासन्वोध १. १०. २५ ।

६३७४. हिंदुओं का सुधार-काल आ रहा है। पर साथ ही उससे अधिक प्रबल एक और शक्ति भी आ रही है। वह काफिरों का विचार या युरोपवालों का “मनुष्यत्व” है। यह एक अद्भुत सयोग है कि प्राचीन काल में जिस जाति ने राष्ट्र-संघटन संबंधी उच्चतम विचारों का विकास किया था, उस जाति का संबंध आधुनिक काल के राष्ट्र-संघटन संबंधी सबसे बड़े राज्यतत्र के साथ हो रहा है। यह संबंध विद्युत् शक्ति उत्पन्न करनेवाला है। यह जाति के प्राण भी ले सकता है और उसमें नवीन जीवन का संचार भी कर सकता है*। जैसा कि इतिहासश ने

* जिस समय लोगों के मन में विजित या पराजित होने का विचार आता है, उस समय प्रायः लोग बहुत ही अविचार से काम लेते हैं और युक्ति अथवा तर्क से काम न लेकर बहुत ही हतोत्साह हो जाते हैं। पर ‘पराजय’ के बाल नवीन विचारों और नवीन जीवन ग्रहण करने का एक ढंग ही है। ऐसा कौन सा बड़ा आधुनिक समाज है, जो कभी पराजित न हुआ हो? यदि डेन और नार्मन लोग इंग्लैंड में जाकर विजय प्राप्त न करते, तो इंग्लैंड और भी बहुत दिनों तक अपनी उसी आरंभिक और असंय अवस्था में पड़ा रहता। यदि फ्रास और आस्ट्रिया के निवासी जर्मनी

सोचा है*, संभावना इसी बात की जान पड़ती है कि जाति में नवीन जीवन का सचार होगा; और हिंदू स्वभावतः इसी बात की आशा भी करेगे।

₹ ३७५. राष्ट्र-संघटन संबंधी अथवा सामाजिक उन्नति का किसी एक विशिष्ट जाति ने कोई ठीका नहीं ले लिया

और इटली में जाकर अपना प्रभुत्व न स्थापित करते, तो यूरोप में उन देशों की भी वही अवस्था होती जो इस समय भारत में राजपूताने या काठियावाड़ की है। यदि मुसलमान लोग आकर भारत पर आक्रमण न करते, तो भारत की भी इस समय वही अवस्था होती जो स्थाम, लंका या कोरिया की है।

* “इस (चिमडेपन)से उन्हों(हिंदुओं)ने अपना एक बहुमूल्य गुण बचा रखा है; और वह गुण उच्च मानसिक सफलताएँ प्राप्त करने की वह प्रवृत्ति है जो उनके समस्त इतिहास में बराबर पाई जाती है। सर्वोत्कृष्ट भारतवासियों के हृदय में उनके इस बहुमूल्य गुण का कोष अभी तक सजीव तथा सबल रूप में वर्तमान है; और इससे भी अधिक निश्चयपूर्वक यह जान पड़ता है कि आगे चलकर उनका भविष्य और भी अधिक उत्तम तथा प्रकाशमान होगा।” ढंकर कृत History of Antiquity, (१८५२-५७.) खड़ ४; प्रकरण १०।

है। और जातियों भी इस प्रकार की उच्चति कर सकती है। आज कल कुछ ओङ्की बुद्धि के लोग यह कहा करते हैं कि कुछ जातियों में राजनीतिक महत्ता स्वाभाविक और जन्मसिद्ध हुआ करती है; पर हम ऐसी वातों पर विश्वास करनेवाले नहीं हैं। यह भी उसी प्रकार का निराधार और मिथ्या विश्वास है, जिस प्रकार का स्पेन के निवासियों का यह मिथ्या विश्वास है कि राजकुल तथा दूसरे उच्च कुलों के लोगों का रक्त नीला होता है। राजनीतिक और राष्ट्र-संघटन संबंधी विकास में नीले रक्त या इसी प्रकार के और किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। राजनीतिक और राष्ट्र-संघटन संबंधी उच्चति केवल परिस्थितियों और मानव शक्तियों से ही होती है। और फिर यदि यह भी मान लिया जाय कि राजकीय विषयों में उच्चति करने के लिये रक्त के नीले होने की ही आवश्यकता होती है, तो भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह नीला रक्त हिंदुओं की रगों में वर्तमान है।

— — —

परिशिष्ट (घ)

दूसरे खंड के अतिरिक्त नोट (१६२४)

पृ० १३२—श्रेष्ठी या नगर का प्रधान ।

गुप्त काल में छोटे-छोटे प्राचो की जो राजधानियाँ होती थीं (जिन्हें अधिष्ठान कहते थे), उनमें भी श्रेष्ठी हुआ करते थे । Epigraphia Indica १५०, १३० में कोटि नामक नगर के नगर-श्रेष्ठी का उल्लेख है, जो नगर कुमारगुप्त के समय में बंगाल प्रांत में था । उसके नाम के पहले प्रतिष्ठासूचक “आर्य” शब्द दिया है (पृ० १४२); और वह ज़िले के शासन के प्रकरण में ज़िले के अधिकारी के साथ रखा गया है ।

साथ ही मिलाओ रुद्रीस डेविड्स कृत Buddhist India पृ० ६६-६७, जिसमें “जेट्टका” और “पमुख” (ज्येष्ठक और पमुख) का उल्लेख है और जो नगर के प्रमुख या प्रधान थे । वहीं महासेट्टी का भी उल्लेख है जो सब श्रेष्ठियों का प्रधान या शिल्पियों की श्रेष्ठियों का प्रधान होता था ।

पृ० २४१—प्रतिनिधि । क्या इस बात की भी समावना है कि वह इजा का प्रतिनिधि होता था ?

पृ० २५४-२५५—पौर-जानपद 'प्रौर मत्रि-परिषद् ।

गुप्त काल में जिलों का शासन और स्थानिक प्रतिनिधि—
गुप्त काल में जिलों के शासन की जो व्यवस्था थी, उससे इस विषय पर कुछ कुछ प्रकाश पड़ता है । बगाल के दीनाजपुर जिले में दामोदरपुर के जो ताम्रलेख मिले थे (Epigraphia Indica १५. पृ० ११३-१४५.), उनसे प्रमाणित होता है कि जिले के प्रधान अधिकारी ने [जो उन दिनों विषयपति या विषय आयुर्चक कहलाता था, और जो स्वयं सम्राट् द्वारा नियुक्त बंगाल प्रात के (पुढ़वर्धन भुक्ति) प्रधान शासक या गवर्नर (उपरिक) द्वारा नियुक्त हुआ था] नगर के प्रधान (नगर-श्रेष्ठी) व्यापारियों के प्रधान और बड़े (प्रथम) कुलिक, (नगर न्यायाधीश) और नगर के बड़े रजिस्ट्रार (प्रथम कायस्थ) के साथ मिलकर (सब्यवहरति) जमीन के बदोबस्त किए थे । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जिले की व्यवस्था में उस स्थान के निवासियों के प्रतिनिधि लोग सरकार द्वारा नियुक्त जिले के प्रधान अधिकारी के साथ मिलकर काम करते थे । इस बात का बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिले का शासनाधिकार (अधिष्ठानाधिकरण) राजकर्मचारी के साथ साथ पौर स्था के सार्वजनिक

अधिकारियों के हाथ में भी होता था। उसमें लिखा है—
नियुक्तकुमारामात्य । वेत्रवर्मणि अधिष्ठनाधिकरणम् च
नगरशेष्ठि (इत्यादि) पुरोगे सव्यवहरति (पृ० १३३)

इसी प्रकार बहुत सभव है कि राज्य के शासन में भी
इसी प्रथा की पुनरावृत्ति होती रही हो ।

पृ० २००—महत्तराः ।

देखो Indian Antiquary १०. २१३ और
Epigraphia Indica १५, पृ० १३६ में महत्तरो का
उल्लेख । दामोदरपुर के ताम्रलेख (Epigraphia Indica
१५-३६) से सूचित होता है कि महत्तर और दूसरे अष्टकुल
अधिकरण मिलकर जमीन का ब दोबस्त करते हैं और प्रातीय
शासक या गवर्नर को उसकी सूचना देते हैं । इसका उक्त
ग्रंथ के पृ० १३३ के उल्लेख से मिलान करो जिससे
सूचित होता है कि शेष्ठि, कुलिक और कायस्य आदि जिले
के सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर यही काम करते हैं ।
वहाँ महत्तर प्रात के किसी और भीतरी नगर से सूचना
मेजटा है ।

— —

शब्दानुक्रमणिका

अ

- अग—११२.
- अतपाल—२६२.
- अंतरग सभा—२५१
- अतरवशिक—२६१.
- अक्षूर—१४२.
- अक्षपटल—२६.
- अक्षशाला—३०.
- अक्षावाप—२८; ३०; ३२.
- अग्नि—३६; ५०.
- अग्नेश्वि ६५.
- अजातशत्रु—२१०.
- अधिकारी—२५५.
- अधिदेवन—३०.
- अधिष्ठान—४०६.

- अधिष्ठानाधिकरण—४०७.
- अधीनता-स्वीकृति—६०
- अनाथपिडक—३११ ३१२,
३१३.
- अनुग्रह—१७७; १७८;
१७९; १८८; २५३.
- अनुसंयान—२९२.
- अपराक—१२३.
- अबू जैद—३८२.
- अभिषेक—५६.
—पुरोहित के द्वारा ५०
- अभिषेचन—४०, ४१.
- अभिषेचनीय—२४.
- अभिहार—२५३; २८५
- अमात्य—२४२, २४५,
२४६; २६३, २६४.

आराजक (शासन-प्रणाली) —	आयोत-कर — ३३६.
३, १००.	आर्यक—८६.
अर्थसचयकर्ता — २४६.	आवन्ति — २८४, २८७.
अवंती — ३६०; ३६१.	आविद् — ४४; ४५; ४८.
अशोक — २६; ९३; ६४, ६८; ११२; १३३, १६६;	आसदी — ४१; ४८ इ
१८३; २२३; २२५; २३२; २३४; २४३, २५३; २५५; २७६;	इद्र — ३७, ५०; २५४. इद्र-कृत्य — ४५, ४६, २२८. उ
२८३.	उजेनिय (सिक्षे) — १४८.
अश्वघोष — ६८.	उजयिनी — १६६.
अश्वपति — ६६.	उत्तराधिकार — ६८
अश्विन — १६.	उपमंत्री — २६०.
अष्टकुल — ४०८.	उपशासक — २७८.
अष्ट प्रधान — २४०; २४१; ३९८.	उभयमेव (सम्माद्) — ४. उशनस् — २३७; ३२७.
असुर — ५.	ए
असेसर — २७७; २८०.	एक-मुख — ३६५
आ	एकराजतंत्र — २, ५.
आकर (खाने) — ३४७.	— की उत्पत्ति ५.
आविपत्य — ४७; ३८४; ३८५; ३८७; ३८४.	— वैदिक सिद्धात ५. — निर्वाचन से आरम्भ ६.

एकराजता —	कुमार—२६६.
—की विशेषता ३७६.	कुमारगुप्त—४०६.
एकराज्य—	कुमारामात्य—२६०.
—सीमा-पर और सीमित ११०.	कुरु—५१. कुरुक्षेत्र—३.
एरन (सिक्के)—१४८. ये	कुल (शासन-प्रणाली)— १२१.
ऐच्चवाक (जानपद)—१११. क	कुल-सध—१२१. कुलिक—२०२, ४०७;
ककुद—१२.	४०८.
कणिक—दे० “भारद्वाज”। कर—	कृष्ण—७३; २१० कृष्ण द्वैपायन—१८८
लेने का अधिकारी १२. कर्मात्—३४६.	वेदोंकरण—३६४ कैविसेस—३०'.
कायस्थ—४०७; ४०८	कोशल—३६०
कारागार अधिकृत—२६३.	कौटिल्य—२१७, ३२२;
कार्मातिक—२६१.	३२३; ३३१.
कालिदास—९५; ९६.	क्रन्तु—८.
काशी-कोशल—११२.	क्षति-पूर्ति—१८८; १८९.
कुकुटायम—२३४.	क्षत्र—३२; ४८
कुण्डल—१२७. १६४; २३५; २४३.	ख
	खादन—३३२.

खारवेल—२; ६६, ६२;	३२, ३३; ६१; ६३;	
६३, ६४; ११८; १२६;	७२, १६१.	
३६५; ४००.	ग्रामवृद्ध—१३६.	
खालिमपुर—७६.	ग्रामसंघ—१२२.	
ग		
गढ—११४.	चदनदास—१६६; १६७.	
गण—१६८, १६६; २५०;	चद्रगुप्त—२४८; २५०;	
२५२; २७२.	३२२, ३२३; ३२१,	
गण-पूर्णि—१९५; १६६.	३८३.	
गहपति—१६३.	चक्रपालित—१६३.	
गार्हपत्य—३६.	चक्रवर्ती—३६२.	
गालिब—४०२.	चातुरत—३८६.	
गिर्द—१६, १७.	ज	
—राजसूचक चिह्न १७	जन—दे० “विश्”	
गोएस्केन—३१५.	जनक—४.	
गोत्र-शूष्ठि—२०८	जनपद—११३; ११४.	
गोपाल—६२.	जगसध—४; ३८८; ३८९.	
गोवर्द्धननगर—१४६; १४७.	जल-सग्रह—३८.	
गोविदसिंह (गुरु)—३६८.	जाति—५१; ११६; १२०.	
गोविकर्ता—३०; ३२.	जाति-संघ—१२१; १२२.	
ग्राम—१३१.	जानपद—७६, १०६; ११०,	
ग्रामणी—१३, १५; २८;	११४, ११७, ११८;	

१२०; १३२; १३३; दुर्ग—११४; ११५; १३१;
१४५.

१३२.

—सभा का उदय ११४. दुर्गपाल—२६२

जानराज्य—३८६; ३८७. दूत—२३६, २४८, २५०,

जुस—२१४. २७०, २८३.

जेत—३११; ३१३. दूतक—२८७.

ज्यूरी—३०५; ३१६ देश—१२२; १२३.

ज्येष्ठक—४०६. —अव्यक्त १२३

त

—सभा १२३.

तक्षशिला—१६४, १६६; देश सघ—१२१; १२४.
२१४, २४४.

देश-स्थिति—२०४.

तिष्यरक्षिता—१२७, १८३. दोजक (सिक्के)—१४८.

तीर्थ—२५८, २६०; २८०. दौवारिक—२५७.

द

ध

दह—१०७.

धर्म—दै० “दह”

दंडनायक—२८०, २८४.

धर्मपति—३७.

दंडनायक कुमारामात्य—
२८०.

धर्म-परिषद्—१४०

दंडपाल—२६२.

धर्मपाल—७६; १५६

दशरथ (ऐन्वाक)—११६;

धर्माधिकारी—३८; ३१७,

११६.

३१६.

दशरथ (मौर्य)—८३.

धर्माध्यक्ष—२६४.

धौम्य—७३.

न	पंडितामात्य — २३६.
नंद—२१४; ३३१.	परण—६, ७.
नंदवर्धन—३६०.	—का सिद्धात ६.
नगर—११४, ११५; १३१; १४५.	परेश्वर—७४
नगर-मजिस्ट्रेट—१३९.	परिच्छद—२५६.
नगर-बृद्ध—१३३.	परिवृत्ति—२७.
नागदशक—८९; ३७६.	परिसा—२२४.
नागरक—१३९; १४०; १४१.	परिहार—१७९.
नागरिक राज्य—३७८.	परीक्षित—१९.
नागसिंह—२६७.	पर्ण—दे० “मणि”।
नायक—२६१; २६३.	पौसा (खेल)—६४.
नारद—२१०.	पाटलिपुत्र—१३८; १४१.
निगम—११४; ११५.	पारमेष्ठय—४७; ३८४.
निश्चय—	पाथियन—६६.
—राज्य का रूप २७४.	पालक—८९; ३७६.
नेचरिक—१६३.	पालागल—३१; ३२.
नैगम—११७; १४३; १४४; १४५; १९८; २००.	पुर—११४; ११४; १४३
प	पुर—कायस्थ—१३५.
पंडित—३१५, ३१६; ३१७, ३१८.	पुरोहित—२५; ३१; ३२;
	४६; ६१, २३८; २४६;
	२४७, २७१.
	—द्वारा अभिषेक—५०.

पुष्टिमित्र—८३; ९५; १६;	पौर-जानपद—
३२३.	—मेर राजनीतिक विवाद १५६.
पुष्टि राज्याभिषेक—७५.	—और मत्री की नियुक्ति १६२.
पूरा—१२७.	—और प्रातीय सरकार १६४.
पृथु—८२; ८५	—ओर कर १६७.
पृथ्वी—	—से करों की भिन्ना १६८
—की अनुमति ३५.	—राजकीय भाषण १७१.
—को नमस्कार ५८.	—के तीन अग १९६
—की अधीनता ६१.	—और अनुग्रह १७७.
पृथ्वीदान—३५५.	—यज की स्वाकृति १८१.
पेशवा—२४१, २४२.	—राज्य के साथ कार्य १८२.
पौर—७२, ७६; १०६,	—राज्य पर प्रभाव १८५.
११८, १२८, १३०,	—और गृहण १८७.
१३२; १३४; १४४.	—का सघटन १८२.
—का सघटन १६४.	—के धर्म २०२.
पौर-जानपद—	—और मत्रि-परिषद् २५५.
—के राजनीतिक कार्य १५०.	—जिलों का शासन ४०७.
—और सिक्खों की ढलाई १५१	
—राष्ट्र-सघटन के कार्य १५१.	

पौरलेखक—१३४.	प्रदेषा—२६१; २६३.
पौरवृद्ध—१३३; १४०, १५७.	प्रधान—२३८. प्रमुखक—४०६.
पौराणिक—२७.	प्रशास्त्र—२६१, २६३.
प्रकृति—१२६; २५५, २५७; २५८.	प्राह्विवाक—२३८; २६१; २६३; २७०; ३१५;
प्रग्रहा—२५६.	३१६; ३२०.
प्रजातत्र—३.	ब
प्रणाय—३२३.	बर्बर—६५.
प्रतिशो—४६; ४७, ४८, ७६.	बलश्री—३२२. बलाधिकृत—२६५.
—का अनुपम रूप ७८, बाण—८८.	
—का इतिहास ७९.	बुद्ध—८; ११२; १६२.
—की मीमांसा ८५.	२१०, ३११; ३१२,
—जीवन पर प्रभाव ८७;	३६३.
८८.	बृहद्रथ—८८; ११० ३८८;
—मध्ययुग तथा परवर्ती	३६०.
काल में ६०	बृहस्पति—३६; १२२.
—का धार्मिक स्वरूप	बैबिलोन—४०१.
६७.	बौधायन—५१; ८८.
प्रतिनिधि—२३८; २७१, ४०७.	ब्रह्मण्य—४८.
	ब्राह्मण—६१, ६३.

ब्राह्मण—आौर कर ५२	मन्त्रि-परिषद्—
भ	—आौर राजा २२६.
मह मास्कर—२६; ५३.	—आौर राजा का वित्त-दान
भरत (ऐद्वाक) —१३०;	२३१
१५४, १६८, २९२.	—का इतिहास २३२.
भरत (जाति) —४८, ५१,	—सदस्यों की संख्या २३७
११०.	—का कार्य-क्रम २६६.
भागदुह—२६; ३२.	—का सघटन २५४.
भारद्वाज—२५१; २७८,	—के प्रस्तावों की
२७६; ३२७; ३६१.	आलोचना—२७३
भीष्म—८१; ३७५.	—में वर्णों का प्रतिनि-
भूग—१३८, १३७; १४३.	धित्व २४३.
भृत्य—१६१.	—आौर स्थानिक प्रति-
भूस्वाभित्व—३४०.	निधि ४०७.
—का हिंदू सिद्धात ३४८. मन्त्री—	
मौज्य—४७.	—का मूल ३४.
मौम—७७	—(गृहविभाग) २३६;
म	२४५; २६१.
मंत्रग्रह—२५१; २५३.	—के तीन वर्ग २६४.
मन्त्रधर—२५१; २५४.	मगध—४; ११२, ३४१;
मन्त्रि परिषद्—२२२.	३६०; ३६४; ३६५.
—का मूल २२२.	मणि—१३; १४.

मणिदाता—२१	मित्र—३७, ४१.
मनु-वैवस्वत—१००; १६१.	मुद्रा—१२५.
महत्तर—१२५, २००;	मेगास्थनीज—२; ३, ३०;
४०८.	११२; १३८; १६६,
महाकुमारामात्य—२६०	१६७, ३८२, ४००
महादंडनायक—२४६, २६६.	मैक्हानल—३६४.
२६१; २६४.	मैनेडर—८८
महापद्म—३८७.	मौखिरी—३६६.
महाप्रधान—३६०	मौर्य—३८; १०५; १३८
महाबलाधिकृत—२६४.	य
महाभूमि—३४६	यव-मद्य—१६
महामात्र—२४४	यशस्कर—३०८.
महामात्य २५६.	युधिष्ठिर—७१; ७२; ७३,
महाराज्य—४७; ३८४; ३८५.	८१.
महारानी—२६६.	युवराज—२४२; २४६;
महावीर—३८३.	२५०; २६१.
महाशाल—३०३.	र
महासंघिविग्रहिक—२६०	रत्न हवि—२४; २५; ३३.
महासेही—४०६.	रत्नी—१४, २४; २५; ३७;
महिषी—२५.	३३; ३४, ६४; ७१;
माडलिक—१२०.	२३३; ३२४.
माधवाचार्य—३५५.	रसखान—४०२.

राजकर—३२१.	राजा—
—राजा का वेतन था ३२४.	—का वेतन २६४.
—का दैवी सिद्धात ३२६.	—पर अर्थ-दड ३००
—के नियम ३३०	—की “अद्वमता” २७३.
राजकर्ता—१३; १५, ३१, ३२; ३४; २२३, २२४, २२५.	—की स्थिति २६८
राजवुमार—२४२.	—के परिवार का वेतन ३६८
राजगृह—३१२	—प्रजा का स्वामी ३७०
राजन्य—२५; ३२; ४१.	—एक सेवक था ३७१.
राजपद—५६.	—की उपयोगिता ३७३.
राजमाता—२६६.	राजुक—२६, २२५, २५३ २८५
राज-राष्ट्रभूत—२६८	राज्य (शासन-प्रणाली)— ४७.
राजसौंय—२२; २३, २६; ३८५	—साम्राज्य-प्रणाली ३८४; ३८८.
राजा—	—समझौता ३६५
—निर्वाचन का सिद्धात ७.	—थाती के रूप में ३७६
—का निर्वाचन ६, १६.	राज्यच्युति—१६, ६६, ७५.
—आजन्म के लिये १५.	राज्याभिषेक—
—दैवी मूल ६६.	—के निश्चित कृत्य २१. —ब्राह्मण-काल ४५.

राज्याभिषेक—	लिच्छिवी—२१०
—पुष्टि ७५.	व
—के लिये अवधि ६२.	वशानुकमण—६८
—एक, दो या तीन पीढ़ियों के लिये ६८, ६९	वक्ता—३०७.
—परवर्ती काल में ७१.	वक्र—३६२.
राज्यारोहण—६३.	वत्तसूची—६८.
—की प्रतिक्षा ४५.	वषण—३७, ४१, ४५, ६२.
राधागुप्त—२३२; २३४, २८६	वर्ण—१४३; २४४
रामचंद्र—७२; ११६; १३०; १५४, १६८	वर्णी—१४२.
रामदास समर्थ—२१५, ४०२	वशिष्ठ—५४; ६४, २१७.
राष्ट्र (जानपद)—१२४, १२६; १३२, २५८.	वाजपेय—२२; २३, २६; ५६.
राष्ट्र-परिषद्—२५८	वामदेव—१८५; १८६; १८७, २१७.
रुद्र—३६; ३७	वार्ता—३४२; ३४३.
रुद्रदामन्—८९; ६२, ६८; १७०, १७६; १८०, २३३, २३४	वावाता—२७. °
ल	वासुदेव—१४२.
लक्षण—१२५	वाहक—२८.
	विसेट सिमथ—३६३; ३६४, ३६६.
	विक्रम—६२.
	विघ्नरम—२१०
	विदेह—४, १११.

विनिश्चय—३१०	शिशुपाल—३८६
विराज—६६, ८१.	शुंग—८४ ६६.
वित्तस—३६३.	शुल्क (कर)—३३७.
विश्—१५, ११३.	शून्यपाल—१६८, १६९
विशालाक्ष—२४२.	आवित—१४७.
विषयपति—४०७	श्रुति—७६
बृद्ध (ज्यूरी) —३०५.	श्रेणी—११९, १२०, १२७, १२८
वेण—८२; ८३, १०१, ३७६.	श्रेणी-मुख्य—१९८
वैराज्य—४७	श्रेष्ठी—२०२; ४०६; ४०८.
वैशाली—२०१.	स
व्यावहारिक—२६१; २६३.	संग्रहीता—२८; ३२.
व्यास—१२४	सघ—१६५.
व्रत(प्रतिशा—४५, ४६; ४७.	सघासक (साम्राज्य) —४.
श	संधि-विग्रहिक—२४८, २७०.
शपथ—दे० “प्रतिशा”	सप्रति—२४३.
शाक्य—२१०	संविद् २०५.
शातवाहन—३२२.	सस्थानक—१८४, १८५
शासक—२७८	सचिव—२६, २४५.
शासन—२६७.	सजात—१७, ६३, ७२.
शिल्प(राजकीय)—३४६.	सञ्चिधाता—२८ २४९, २६१.
शिवाजी—६१, २१५; २४०.	सभा—१४६, ३०४, ३१९.
	सम्य—२५५, २६२.

समय—१२१, १२२; २०३,	सुमत्र (अर्थमंत्री)—
२०४; २०५.	२३६; २४६.
समाहर्ता—२८; २४८; २६१.	सुराजत्व—२६७
समिति—६, २० १०९;	सुनेमान—३८२.
११३; ११४.	सुहृद—२५७
समुद्रगुप्त—२९५, ३८१.	सूत—१४; २७; २५०.
समूह—१२७, १२६.	सेनानी—२५; ३२.
सर्वमेघ—२२.	सेनागति—२४६; २६१; २६२.
सविता—३६.	सेल्यूक्स—३२२.
सहाय—२५६.	सोम—३६, ५०, ५१; ५४.
साम्राज्य (शासन-प्रणाली) —	सोमदेव—५५.
४, ४७; ३८४.	सौत्रामणि—६६; ७०.
सार्वभौम—४७; ३८४;	स्क दगुप्त—१६३.
३८६; ३८७; ३८०.	स्थिति—२०४
सिंहासनारोहण—४८.	स्वयभू—८.
सिकदर—२१०; २११;	स्वाराज्य—४७
२१३, २१४; २१८.	स्वावरण—७८; ३८४.
सिक्ख—३९७.	ह
सीता—२२०.	हर्षवर्धन—२८, ३८६.
सुदर्श—३११.	हस्तिन्—२६७.
सुदर्शन ताल—१७०, १७१,	हुएन्-त्साग—२८.
१७६; २३३.	

